चौथी पंचवर्षीय योजना

वार्षिक योजना (1971-72)

उत्तर प्रदेश सरकार
नियोजन विभाग
जुलाई, 1971

542
309.25
UTT-C

भूमिका

प्रदेश की 1971–72 की योजना मार्गदर्शन एवं कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत है। इसका एक संस्करण योजना आयोग और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के विचारार्थ पहले ही प्रस्तुत किया गया था। अब विभिन्न स्तरों पर परामर्श के बाद इसको अन्तिम स्वरूप दिया जा चुका है और साथ ही 1971–72 के बजट में भी इस वार्षिक योजना को पूरा करने के लिए प्राविधान किया गया है। यद्यपि योजना आयोग से परामर्श के समय 209.15 करोड़ रु० का ही आकार चालू वर्ष की योजना के लिए तय हो पाया था तथापि सिंचाई, चीनी निगम, सड़कों इत्यादि की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए प्रदेश की सरकार ने 214.74 करोड़ रु० की योजना स्वीकृत की। कुछ अपरिहार्य आवश्यकताओं के कारण बजट में योजना के आकार को 219.60 करोड़ रु० निश्चित किया गया है। यह धनराशि 965 करोड़ रु० की चौथी योजना के कुल परिव्यय का 22.76 प्रतिशत है।

चौथी योजना के पहले दो वर्षों में भी अर्थात् 1969–70 व 1970–71 में, स्वीकृत परिव्यय के समक्ष विकास की गति को और तीव्र करने का प्रयत्न किया गया। 1969–70 का स्वीकृत परिव्यय 160.00 करोड़ रु० था जिसके विपरीत 174.64 करोड़ रु० का उपयोग किया गया जो चौथी योजना के कुल परिव्यय का 18.10 प्रतिशत होता है। 1970–71 में 179.19 करोड़ रु० के स्वीकृत परिव्यय के समक्ष 186.86 करोड़ रु० का उपयोग किया गया जो चौथी योजना के कुल परिव्यय का 19.36 प्रतिशत होता है। अगर चौथी योजना के पहले 2 वर्षों का अनुमानित व्यय और 1971–72 में प्रस्तावित व्यय को शामिल कर लें तो कुल चौथी योजना का लगभग 60.22 प्रतिशत मार्च, 1972 तक खर्च हो सकेगा।

बढ़ा हुआ परिव्यय अधिकांशत: सिंचाई और उत्पादन के कार्यक्रमों पर इस्तेमाल हुआ है। यह स्पष्ट है कि जिस गति से योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है उससे चौथी योजना के 965 करोड़ रु० का परिव्यय अपर्याप्त होगा क्योंकि योजना के शेष 2 वर्षों के लिए लगभग 384 करोड़ रु० ही रह जायेंगे जब कि पंचवर्षीय योजना के चौथे और पांचवें वर्षों में विभिन्न विभागों के कार्य करने की क्षमता इस समय से कहीं अधिक हो चुकी होगी।

वार्षिक योजना, जनसेवकों के लिए विशेष तौर पर, एक आह्वान है कि पूर्ण निष्ठा, तत्परता और दक्षता से विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करें।

नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
1—प्रस्तावना	1
2—उत्तर प्रदेश में सामाजिक आर्थिक स्थिति	6
3—वित्तीय दृष्टिकोण	8
4—कृषि कार्यक्रम—	
(1) कृषि उत्पादन	12
(2) लघु सिंचाई	24
(3) भूमि संरक्षण	34
(4) कृषि शोध तथा शिक्षा	37
(5) छोटे किसान तथा खेतिहर मजदूर	39
5—पशु पालन	86
6—दुग्ध तथा दुग्ध सम्पूर्ति	103
7—मत्स्य	106
8—वन	111
9—सहकारिता तथा सामुदायिक विकास—	
(1) सहकारिता	119
(2) सामुदायिक विकास	124
(3) पंचायती राज	125
10—सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण—	
(1) सिंचाई	132
(2) बाढ़ नियंत्रण	138
11—विद्युत्	148
12—उद्योग एवं खनिकर्म—	
(1) वृहत एवं मध्यम उद्योग	159

अध्याय	पृष्ठ संख्या
(2) खनिज विकास	161
(3) ग्रामीण तथा लघु उद्योग	162
13—परिवहन तथा संचार—	
(1) सड़कें तथा पुल	178
(2) सड़क परिवहन	178
(3) पर्यटन	179
14—शिक्षा—	
(1) सामान्य शिक्षा	185
(2) प्राविधिक शिक्षा	190
15—स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन	222
16—जल सम्पूर्ति	244
17—आवास और नगर विकास	248
18—पिछड़े वर्गों का कल्याण	252
19—समाज कल्याण	264
20—शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण	273
21—अन्य कार्यक्रम—	
(1) सांख्यिकी	281
(2) सूचना एवं प्रसार	281
(3) मूल्यांकन	281
(4) शोध सम्बन्धी कार्यक्रम	282
(5) ग्रामीण जन शक्ति	282
22—पिछड़े हुये क्षेत्रों का कार्यक्रम	290
23—समाज के पिछड़े वर्गों के लिये कार्यक्रम	322
24—प्रशासनात्मक नीति और संस्थागत ढांचा	325

पृष्ठ संख्या

तालिकाएं--

तालिका-1 परिव्यय तथा व्यय (वार्षिक योजना) 328

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 332

तालिका-2 भौतिक कार्यक्रम 348

प्रस्तावना

इस देश में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक घनी जन-संख्या वाला राज्य है, जिसकी विशिष्टता इसकी अर्थ-व्यवस्था में विविधता का अभाव, निम्न वृद्धि दर, जन-संख्या का अधिक भार और तीव्रता से बढ़ती हुई बेरोजगारी की दर है। औद्योगिक आधार सीमित है। लगभग आधी जन-संख्या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में रहती है। यदि हम महत्वपूर्ण सूचकांकों पर दृष्टिपात करें तो स्थिति बिलकुल स्पष्ट हो जाती है।

2—किसी राज्य अथवा देश की आर्थिक स्थिति को परिलक्षित करने वाले प्रमुख सूचकांकों में से सब से महत्वपूर्ण हैं:—जनता की प्रति व्यक्ति आय, कुल (gross) उत्पादन और वृद्धि तथा बचत की वार्षिक दर।

3—राज्य की प्रति व्यक्ति आय, वर्ष 1960–61 की स्थिर कीमतों के आधार पर अखिल भारतीय औसत की तुलना में बहुत कम है। 1960–61 की स्थिर कीमतों के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 246 रु० थी और लगभग छः वर्ष बाद वर्ष 1967-68 में भी वह वस्तुतः उतनी ही रही। 1960–61 से लेकर 1967–68 तक राज्य की आय की वृद्धि दर लगभग 2.28 प्रतिशत रही है। वृद्धि की यह दर जन-संख्या की वृद्धि दर द्वारा जिसके इसी अवधि में 2.21 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, के कारण प्रायः निष्प्रभावित होती आयी है। वस्तुतः, कदाचित् ही कोई वास्तविक आय संबंधी वृद्धि हुई है।

4—पर्याप्त विनियोजन का अभाव राज्य की अल्प आर्थिक प्रगति के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण रहा है। राज्यों की योजनाओं के लिये रखे गये विकास परिव्ययों को देखने से ज्ञात होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय से ही उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति परिव्यय अखिल भारतीय औसत की तुलना में बहुत कम रहा है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति केंद्रीय सहायता भी देश के औसत की तुलना में बहुत कम रही है। वस्तुतः, वह सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम रही है। पिछड़े राज्य में विनियोजन की अपर्याप्तता का परिणाम यह हुआ कि विकास के लिये जुटाए जा सकने वाले संसाधनों पर भार बढ़ गया है। वर्तमान विनियोजन का स्तर, सेवाओं का ढांचा और उत्पादन का स्तर तीव्र गति से आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में अपर्याप्त हैं। अतएव, गरीबी, बेरोजगारी और निम्न उत्पादन व्यापक रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। जन-संख्या की वृद्धि से पिछड़ी जातियों और भूमिहीन मज्दूरों की समस्याएं और कठिन हो गई हैं। विशेष रूप से कष्टकारक रही है। राज्य की अर्थ व्यवस्था को केंद्रीय क्षेत्र में किये जाने वाले विनियोजनों द्वारा भी वह बढ़ावा नहीं मिला जिसकी अत्यधिक आवश्यकता थी। लोक सभा में 21 जुलाई, 1969 को दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1968 को केंद्रीय सरकार के उपक्रमों में किये गये 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के विनियोग में से उत्तर प्रदेश का अंश 125.6 करोड़ रुपये था, जोकि कुल विनियोजन का केवल 4 प्रतिशत था। चतुर्थ योजना की अवधि में भी, केंद्रीय सरकारी उपक्रमों में 3,150.86 करोड़ रुपये के प्रस्तावित विनियोजन की धनराशि में से उत्तर प्रदेश का भाग लगभग 39 करोड़ रुपये होता है। प्रतिशत की दृष्टि से यह 1.2 मात्र है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, जिसका अभिप्राय उद्योगों के प्रसार को बढ़ावा देना था, अपने उद्देश्य में पूर्णतः असफल रहा।

पहली तीन योजनाओं की अवधि के दौरान निजी क्षेत्र में किये गये 900 करोड़ रुपये से अधिक की विनियोजित धनराशि में से उत्तर प्रदेश का अंश केवल लगभग 7 प्रतिशत था।

इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की नीतियों को इस प्रकार नई दिशा दी जाय कि कम से कम इस राज्य में इकट्ठा की गई बचत की धनराशि को यहीं लगाया जाय उत्तर प्रदेश जैसे निर्धन राज्य के लिये इस प्रकार की विलासिता का आनन्द लेना सरल

नहीं है कि उसकी बचतों का दूसरे राज्यों के लिये उपयोग किया जाय। मोटे तौर पर बैंकों की कुल जमा धनराशि में राज्य का अंशदान लगभग 8 प्रतिशत है जबकि बैंक ऋण में उसका भाग लगभग 4 प्रतिशत है। केंद्रीय वित्तीय संस्थाओं को उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा देने में और अधिक सक्रिय भाग लेना होगा। इन संस्थाओं के मुख्य कार्यालयों का महानगरीय क्षेत्रों में स्थित होना पिछड़े राज्यों के लिये हितकारी सिद्ध नहीं हुआ है। राज्य सरकार, किसानों और उद्योगपतियों तथा केंद्रीय वित्तीय संस्थाओं के बीच घनिष्ट संपर्क सुनिश्चित करने के लिये यह सर्वथा आवश्यक है कि इन वित्तीय संस्थाओं को उत्तर प्रदेश में अपने कार्यालय खोलने चाहिये।

5--राज्य को इस समय जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वे हैं मानवीय संसाधनों का उपयोग, कृषि, सिंचाई तथा विद्युत् संबंधी संसाधनों का उपयोग, संभागीय असंतुलनों का निराकरण, बेरोजगार श्रमिक दल के उन बहुत से लोगों के लिये जिनको कार्य नहीं दिया जा सका था और लगभग दस लाख प्रति वर्ष की गति से श्रमिक दल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिये कार्य की व्यवस्था करना और इन छोटे तथा सीमान्त (marginal) किसानों के लिये विशेष सहायता का प्रबन्ध करना है, जिनकी अपने कृषि कार्यों में दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक सुधार करने की क्षमता बहुत सीमित है। कृषि के क्षेत्र में हुई प्रत्येक उन्नति तथा यंत्रीकरण की धीमी किन्तु सतत प्रक्रिया के साथ, अधिकाधिक लोगों को कृषि से हटा कर कृषि से भिन्न व्यवसायों में लगाने की आवश्यकता है। औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा संबंधी पेशों में इन अतिरेक (surplus) श्रमिकों को खपाने की संभावना बहुत सीमित है। अतः वर्तमान अवस्थापना को देखते हुए संभावनायें लघु उद्योग के क्षेत्र में हैं जो कृषि पर आधारित अथवा उससे जुड़े हुए हैं तथा जिनका स्वरूप श्रम प्रधान है। यह बात इस कारण और भी सत्य है कि राज्य की अर्थ व्यवस्था मुख्यता कृषि पर आधारित है और द्वितीयक (secondary) तथा तृतीयक (tertiary) क्षेत्रकों (sectors) की वृद्धि दर से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे श्रम बाजार में प्रवेश करने वालों की बढ़ती हुई संख्या को खपा सकेंगी।

6--इन समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से ही चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। उद्देश्यों का लक्ष्य ये हैं कि अर्थ व्यवस्था में पांच से छः प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर, कृषि के क्षेत्र में पांच प्रतिशत तथा औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि, सेवायोजन (रोजगार) के अवसरों को अधिक से अधिक बढ़ाना, संभागीय असंतुलनों का निराकरण, जन-संख्या वृद्धि को कम करने के लिये निश्चयात्मक प्रयास, संचार साधनों की अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्था, संस्थागत ऋण संसाधन की उपलब्धि में वृद्धि और राज्य में पेय जल की व्यवस्था। कृषि के क्षेत्र में अपनायी गई नीति यह है कि अपेक्षाकृत अधिक निवेशों (inputs) की व्यवस्था की जाय और साथ ही जो उपलब्धियां हुयीं हैं उन्हें सुदृढ़ किया जाय, उपलब्ध सुविधायें तथा सृजित क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग। जहां सुनिश्चित निवेश (input) उपलब्ध हैं वहां सघन खेती पर ध्यान केंद्रित किया जाना। खाद्य तथा वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाने की प्रक्रिया में किसान पूरी तरह भाग ले सकें, इस दृष्टि से उनके लिये उपायों तथा धन आदि के साधनों की व्यवस्था करने के लिये उपलब्ध तथा संभावित ऋण संसाधनों का उपयोग करना। भूमि संरक्षण की पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाना और धरातल स्थित तथा भूमिगत जल का सिंचाई के प्रयोजनों के लिये उपयोग करने के संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना।

चौथी योजना के लिये अपनाई गई नीति

7--जैसी कि पहले चर्चा की जा चुकी है राज्य के सामने बहुत-सी समस्यायें हैं। वे चुनौती तथा अवसर दोनों को प्रस्तुत करती हैं। अब तक जो प्रगति हुई है उसके बावजूद भी बहुत-सी शेष रह गई दूरी पूरी की जानी है। जब तक वृद्धि की दर जन-संख्या की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ न जाय तब तक निवेशों (inputs) तथा विनियोजनों का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है।

8— इस बात को दृष्टिपात रखना होगा कि इस जैसे राज्य की विकास संबंधी आवश्यकतायें इतनी अधिक हैं कि विकास संबंधी प्रत्येक समस्या को एक साथ सुलझाने के लिये संसाधनों को जुटाना अत्यन्त कठिन होगा। अतएव, दृष्टिकोण को चयनात्मक बनाना है और उसे अर्थ-व्यवस्था के मूल-स्थलों (key points) के साथ संबद्ध करना है। विकास के उन कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो मौलिक रूप से उत्पादक हों। इसके साथ ही अवस्थापना (infra-structure) को सुदृढ़ बनाने तथा इस प्रकार के संस्थात्मक तथा मनोवृत्ति विधेयक परिवर्तन लाने होंगे जो वृद्धि को बढ़ाने में सहायक हों।

कृषि

9—कृषि संबंधी उत्पादन पिछले दो वर्षों में लगातार बढ़ता रहा है। तीसरी योजना के अन्त में वार्षिक उत्पादन 132.91 लाख मीट्रिक टन था उसके बाद का वर्ष अभूतपूर्व सूखे का वर्ष था जबकि उत्पादन गिर गया। अतएव, सकेंद्रित प्रयत्न किये गये और अधिक मात्रों में निवेशों (inputs) की व्यवस्था की गई जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1967–68 में उत्पादन बढ़कर 166.73 लाख मीट्रिक टन हो गया। प्रतिकूल जलवायु संबंधी दशाओं के कारण 1968–69 में थोड़ी-सी गिरावट आई किन्तु 1969–70 में उत्पादन पुनः बढ़कर 174.13 लाख मीट्रिक टन हो गया। चौथी योजना में उत्पादन के लक्ष्य को पुनरीक्षित करके 214 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम लक्ष्य के अनुसार प्रगति कर रहा है, किन्तु अभी भी अधिकांश कृषक कृषि विभाग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार पूरी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। फिर भी, उर्वरक लोकप्रिय होते जा रहे हैं और 1969-70 में उर्वरकों की कुल खरीद 4.6 लाख मीट्रिक टनों की हुई जब कि इससे पिछले वर्ष में यह 3.39 लाख मीट्रिक टन थी। उन्नत बीजों, उर्वरकों और पौधों की सुरक्षा के उपायों का महत्व प्रगतिशील कृषक अधिकाधिक स्पष्ट रूप से समझते जा रहे हैं, किन्तु उन्नत कृषि के लाभों से अभी भी छोटे किसानों को अवगत कराया जाना है। इस दिशा में छोटे और सीमान्त किसानों के हित साधन की दृष्टि से विशेष कार्यवाहियां की जा रही हैं। गन्ना, तिलहन, कपास और जूट जैसी वाणिज्यिक फसलों का विकास ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं और अतिरिक्त निवेशों (inputs) की व्यवस्था की जा रही है।

10—कृषि के विकास में यंत्रीकरण के योगदान का कृषक समुदाय द्वारा तेजी से अनुभव किया जा रहा है। अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा बहु फसली (multiple Cropping) कार्यक्रमों के प्रारंभ किये जाने से कृषि में यंत्रीकरण की आवश्यकता सुस्पष्ट हो गई है ताकि उत्पादन के व्यय में मितव्ययिता लायी जा सके और कार्य समय पर पूरे हो जाएं। अधिक उपज देने वाली किस्मों से तथा कई फसलें बोने के तरीके को अपनाये जाने से फसलों की सघनता (crop intensity) के दो से तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ जाने की संभावना है। इसके लिये कृषि संबंधी कार्यवाहियों को शीघ्र सम्पन्न करने की आवश्यकता है, जिसके लिये कृषि यंत्रों का अधिकाधिक उपयोग आवश्यक हो जायगा। कृषि के अन्तर्गत परिवर्तित स्थिति के कारण यंत्रों की मांग तेजी के साथ बढ़ रही है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि ट्रैक्टरों की संपूर्ति कम हो पाती है और किसानों को ट्रैक्टर के लिये अपनी मांग दर्ज कराने के बाद दो से तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतएव, कृषि यंत्रों तथा उसकी साज-सज्जा से संबंधित सामग्री की संपूर्ति में सुधार करना बहुत महत्व रखता है। फसलों की मंड़ाई के लिये शक्ति चालित (थ्रेशर) की मांग की संपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। यह स्थिति लोहे और फौलाद की अत्यधिक कमी के कारण है। यह अत्यावश्यक है कि मंड़ाई के शक्ति-चालित यंत्रों के निर्माण के लिये लोहा और इस्पात का प्रदेशन उपयुक्त मात्रा में किया जाय।

सिंचाई

11—चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 30.91 लाख हेक्टर के अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की संभाव्यता को बढ़ाने का प्रस्ताव है। सिंचाई संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति लक्ष्य से आगे बढ़ रही है और सूखे से चिरकाल तक प्रभावित रहने वाले तथा सिंचाई की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की

प्रायोजनाओं को सकेंद्रित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। लघु सिंचाई के कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हैं। 1968-69 के अन्त तक 2.25 लाख निजी नलकूप तथा पंपिंग सेट लगाये जा चुके थे चालू वर्ष में निजी नलकूपों के विद्युतीकरण कार्यक्रम में खम्भों और चालकों (कन्डक्टर्स) जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियों की कमी के कारण कुछ कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं। इन कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विद्युत्

12—कृषि तथा उद्योग संबंधी विकास की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से चौथी योजना के दौरान विद्युत् कार्यक्रमों को बहुत उच्च प्राथमिकता दी गई है। विद्युत् की मांग संपूर्ति के स्तरों से आगे बढ़ चली है। फौलाद, जस्ता और अल्युमिनियम की कमी के कारण विद्युत् उत्पादन तथा अधिष्ठापन के संबंध में अत्यधिक कठिनाई अनुभव की जा रही है। पारेषण के काम में आने वाले पुर्जों (ट्रांस्मीशन टावरों) के लिये इस्पात (बिजली के तारों पर), जस्ता चढ़ाने के लिये जस्ते और चालकों (कन्डक्टर्स) के बनाने के लिए अल्युमिनियम की संपूर्ति अपेक्षित है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि विद्युत् प्रायोजनाओं के लिये अतिरिक्त विनियोजन अपेक्षित है। राज्य के संसाधन आवश्यकता के अनुसार विद्युत् संबंधी संसाधनों के विकास के लिये पूर्णतः अपर्याप्त है। यह एक ऐसी समस्या है जिसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बीच में पारेषण तथा वितरण में सुधार करने तथा प्रणाली की हानियों को कम करने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

परिवार नियोजन

13—राज्य में विकास की गति जन-संख्या में हुई वृद्धि के लगभग बराबर ही रह पाई है। इस संदर्भ में परिवार नियोजन कार्यक्रम का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अतएव, इन कार्यक्रमों को बहुत उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी जिससे जन-संख्या की वृद्धि दर को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया जा सके।

लघु कृषक

14—छोटे तथा सीमान्त किसानों की समस्या काफी कठिन है। विकास की प्रक्रिया में नई सेवाओं तथा संस्थाओं का पूरा लाभ ग्रामीण समुदाय के निर्बल वर्गों ने बहुत कम उठाया है। इन निर्बल वर्गों के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसान तथा खेतिहर मजदूर आते हैं। अतएव, इस दिशा में विशेष प्रयास आवश्यक हो गये हैं। छोटे किसानों द्वारा दिखाई गई अभिरुचि तो संतोषजनक है किन्तु उनक संसाधन सीमित हैं। इसी उद्देश्य से प्रतापगढ़, फतेहपुर, बदायूं और रायबरेली के चार जिलों में लघु कृषिक विकास अधिकरण (एजेंसियां) स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, सीमान्त किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये बलिया और मथुरा जिलों में विशिष्ट प्रायोजनायें प्रारम्भ की गई हैं। झांसी जिले में एक प्रायोजना सूखी खेती (dry farming) के लिये स्वीकृत की गई है और यह आशा है कि वर्ष 1971-72 में गाजीपुर व आगरा जिलों में सूखी खेती की प्रायोजनायें चालू की जायेंगी। इसके अतिरिक्त, चिरकाल से सूखे से प्रभावित छः जिलों में विशेष ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम आरंभ किये गए हैं, जिनके लिये केंद्रीय सरकार द्वारा अलग से धनराशि प्रदिष्ट की गई है। इन कार्यक्रमों से छोटे तथा सीमान्त किसानों की दशा के सुधारने और पिछड़े तथा चिरकाल से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद की जाती है।

बेरोजगारी

15—बेरोजगारी की स्थिति अधिकाधिक उग्र रूप धारण करती जा रही है। विनियोजन के वर्तमान स्तर पहले से अवशिष्ट बेरोजगारों और श्रम बाजार के नये प्रवेशार्थियों को खपाने के लिये पर्याप्त नहीं है। यह समस्या सभी को गंभीर रूप से चिन्तित कर रही है। शिक्षित व्यक्तियों के संबंध में यह स्थिति और भी कठिन है। इस समस्या का अध्ययन करने के लिये, एक कार्यकारी दल हाल में ही गठित किया गया है, जो शीघ्र ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

उद्योग

16—चूंकि भूमि पर भार बहुत अधिक बढ़ रहा है, इसलिये अतिरिक्त खेतिहर मजदूरों को कृषि व्यवसाय से भिन्न व्यवसायों में लगाने की आवश्यकता है। इस प्रसंग में ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के राज्य की विकास परियोजनाओं में एक विशेष महत्व रखते हैं। बड़े पैमाने पर सेवायोजन क्षमता, प्रति यूनिट अपेक्षाकृत कम विनियोजन, अल्प समय में प्रतिफल मिलने की संभावना, उत्पादन के सरल तरीके तथा व्यापक प्रसार की संभावनाओं (dispersal possibilities) को देखते हुए लघु उद्योगों पर, विशेषकर कृषि से संबद्ध या कृषि पर आधारित लघु उद्योगों पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिये संस्थात्मक वित्त साधनों को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाया जा रहा है और प्रोन्नति संबंधी तथा सहायक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

राज्य की अर्थ-व्यवस्था में कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों का अत्यधिक महत्व होते हुए भी राज्य में बड़े तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना की महत्ता किसी प्रकार कम नहीं होती। अन्य लाभों के अतिरिक्त बड़े तथा मध्यम उद्योग, लघु उद्योग क्षेत्र में, सहायक उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। इसलिये राज्य सरकार केंद्रीय सरकार पर बराबर जोर देती रही है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में विनियोजन (investment) में राज्य के साथ पिछली बरती गई त्रुटिपूर्ण नीति से हुई वह हानि की पूर्ति कर दें।

संस्थात्मक वित्त

17—कृषि तथा औद्योगिक विकास तेजी से करने के उद्देश्य से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उपाय तथा साधन ढूंढने आवश्यक हो गये हैं जिनके द्वारा उत्पादन की प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकी के लाभप्रद प्रयोग के हेतु कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में ऋण देने के कार्य को और तेजी से बढ़ाया जा सके। ऐसे ऋण संबंधी कार्यक्रमों की सफलता अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ऋण साधनों में पर्याप्त वृद्धि करने, ऋण लेने की लागत में कमी करने तथा इस प्रकार के ऋण चाहने वाले लोगों की क्षमता तथा सुविधा के अनुसार ऋण की शर्तों में समायोजन करने पर निर्भर होती है। यह भी आवश्यक है कि ऋण प्राप्त करने के हेतु प्रक्रियाओं को सरल किया जाय। इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषतया अपेक्षाकृत निर्बल वर्गों के विकास को ध्यान में रख कर संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई गई है। इस उद्देश्य से बहुत-सी स्कीमें एग्रीकल्चरल रिफांइनेंस कारपोरेशन को भेजी गई हैं। इनमें से बहुत-सी स्कीमें स्वीकृत हो चुकी हैं और अन्य स्कीमों पर विचार हो रहा है। भूमि विकास बैंक (लैंड डेवलपमेंट बैंक) के संसाधनों को सुदृढ़ किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ऋण की व्यवस्था कई साधनों से, जैसे एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन, लैण्ड डेवलपमेंट बैंक तथा कार्मशियल बैंकों, कोआपरेटिव सेंट्रल बैंकों आदि से की जा रही है।

2

उत्तर प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक स्थिति

1971–72 की वार्षिक योजना चौथी योजना के तीसरे वर्ष की योजना है। चालू वार्षिक योजना के अन्त में राज्य नियोजन के 20 वर्ष पूरे कर लेगा। निःसंदेह उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास की गति इन वर्षों में धीमी रही है। इसके मुख्य कारण हैं अपर्याप्त विनियोजन तथा जन-संख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि। 1961 की जन-गणना में इस राज्य की जन-संख्या 7 करोड़ 37 लाख थी जिसको भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल के जन-संख्या अवलेख (प्रोजेक्शन) के अनुसार 1970 में बढ़कर 9 करोड़ 3 लाख हो जाने की आशा की जाती है। इस प्रकार 1951 से 1961 के बीच जन-संख्या की वृद्धि की दर जो 1.6 प्रतिशत थी वह 1970 को समाप्त होने वाले 9 वर्षों की अवधि में बढ़कर 2.3 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत इसी अवधि में राज्य की कुल आय 2.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी। इस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि की दर प्रायः नगण्य है। राज्य की कुल आय तथा प्रति व्यक्ति आय के स्थूल अनुमान वर्ष 1969–70 में वर्तमान मूल्यानुसार क्रमशः 3,900 करोड़ रुपये तथा 437 रु० थे। राज्य की आय 1967–68 में राष्ट्रीय आय की केवल 13.6 प्रतिशत थी जब कि राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आय में राज्य को मिलने वाला हिस्सा 1950–51 से कम हो गया है।

कृषि

2—उत्तर प्रदेश की शहरी क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत कम है तथा जन-संख्या का अधिक भाग कृषि पर निर्भर है। 1966–67 में इस राज्य में खाद्यान्नों की उपज 117.7 लाख मीट्रिक टन थी। यह 1967–68 में बढ़कर 166.7 लाख मीट्रिक टन हो गयी, लेकिन 1968–69 में खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी हुई जो कि घटकर 160.4 लाख मीट्रिक टन रह गया। किन्तु 1969–70 के लिये उत्पादन का अनुमान 174.1 लाख टन लगाया गया है। कृषि उत्पादन में इस वृद्धि के मुख्यतया दो कारण हैं—पहला यह कि प्रकृति अनुकूल रही और दूसरे यह कि अधिक उपज देने वाली किस्में सफल सिद्ध हुई हैं। फिर भी अपेक्षित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग सामान्यतया नहीं हो रहा है जिसके फलस्वरूप अपेक्षाकृत कम उपज हो रही है। कृषि की उन्नति में एक ओर अड़चन नलकूपों तथा पंपिंग सेटों में बिजली लगाने के हेतु बिजली की अपर्याप्त सप्लाई है। कृषि उद्योग निगम द्वारा कृषि के यंत्रीकरण के लिये उत्तरोत्तर और अधिक प्रयास किये जा रहे हैं। कृषक सामुदायिक कृषि के यंत्रीकरण के महत्व को महसूस कर रहा है। सरकार ने भी विभिन्न जिलों में छोटे किसानों तथा उपान्त (marginal) किसानों की बहुत सी प्रायोजनायें आरंभ की हैं। यह स्कीम भारत सरकार द्वारा केवल छोटे तथा उपान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लाभार्थ पुरोनिधानित तथा वित्तपोषित की गई है। गन्ना, तिलहन, कपास तथा जूट जैसी वाणिज्यिक फसलों का विकास करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विद्युत्

3—देश में नियोजन के आरंभ में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर से काफी पीछे था। इसलिए इस बात के बराबर प्रयास किये जाते रहे हैं कि राज्य में बिजली के उत्पादन में तेजी लाई जाय और उसे बढ़ाया जाय। यद्यपि स्थिति में सुधार हुआ है तथापि तीसरी योजना के अन्त में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा उपभोग क्रमशः 36.54 किलोवाट घं० (के० डब्ल्यू० एच०) तथा 28.58 किलोवाट घंटे था जबकि अखिल भारतीय आंकड़े क्रमशः 66.21 किलोवाट घंटे तथा 53.66 किलोवाट घंटे थे। चौथी योजना के आरंभ में अनुमान है कि राज्य में अधिष्ठापित क्षमता 1,310 मेगावाट थी। अनुमान है कि 123.98 मेगावाट की अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता चालू वर्ष के अन्त तक ओबरा हाइडिल, ओबरा थरमल तथा यमुना हाइडिल द्वितीय

प्रक्रम की परियोजनाओं के द्वारा सृजित हो जायेगी। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि राज्य के पास कुल 1434.02 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता तथा 980 मेगावाट की सुनिश्चित क्षमता (Firm capacity) हो जायेगी। 1971-72 में भी विद्युत् क्षेत्र में सुधार करने के लिये प्रयत्न जारी रहेंगे।

उद्योग

4--बड़े तथा मध्यम उद्योग क्षेत्र की स्कीमों के लिये योजना परिव्यय 2,372.50 लाख रुपये है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत बहुत सी महत्वपूर्ण स्कीमें आती हैं। चीनी का उद्योग राज्य में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। किन्तु यह उद्योग एक कठिन अवस्था से गुजर रहा है। इस उद्योग के सामने मुख्य समस्या उत्पादन पर व्यय कम करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिये आधुनिकीकरण की है। राज्य सरकार एक राज्य चीनी निगम स्थापित करने के संबंध में कार्यवाही कर रही है जिससे कि चीनी के इन कारखानों को अपने को सशक्त बनने में सहायता मिले। 1969-70 में चीनी के 16.17 लाख मीट्रिक टन के उत्पादन ने पहले के सभी रिकार्ड तोड़ दिये। वर्ष 1968 में वनस्पति का उत्पादन 1,07,000 मीट्रिक टन था। 1969 के पहले आठ महीनों में औसत मासिक उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 2 प्रतिशत अधिक था। 1968-69 में सीमेन्ट का उत्पादन 3,62,000 मीट्रिक टन था। 1969-70 में यह उत्पादन लगभग 3,64,000 मीट्रिक टन था। अक्तूबर, 1970 से डल्ला स्थिति नई सीमेंट फैक्ट्री ने कार्य करना शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र का और सुधार करने के उद्देश्य से योजना आयोग ने 24 जिले छांटे हैं जहां वाणिज्यिक बैंकों (कामर्शियल बैंकों) से आसान किस्तों पर अध्यवसायियों को ऋण दिये जायेंगे।

मूल्य

5—1969-70 के दौरान कृषि थोक मूल्य सूचकांक जुलाई, 1969 में 223.1 (1957-58 = 100) था। सितम्बर, 1969 तक इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी और वह 232.7 पर पहुंच गया। अक्तूबर तथा नवम्बर, 1969 में उसमें फिर कमी हुई। तत्पश्चात् उसमें पुन: वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई लेकिन जून, 1970 में वह (सूचकांक) फिर कम होकर 207.9 हो गया। मूल्य की यह प्रवृत्ति किसानों के लिये सामान्यत: अनुकूल रही। यह जुलाई,-सितम्बर, 1969 तक की तिमाही में सब से अधिक अनुकूल रहा। औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति रही।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य

6—1970-71 के लिये चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का योजना परिव्यय 410.00 लाख रुपया था। 1971-72 के लिये यह परिव्यय 644.00 लाख रुपया है। 1970-71 के दौरान 15 अतिरिक्त औषधालयों की स्थापना की गई। 1971-72 में 35 औषधालय और खोले जायेंगे। 1970-71 की योजना में इस बात की भी व्यवस्था की गई थी कि शहरी क्षेत्रों में चिकित्सालय शाखाओं की संख्या में 671 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 298 की वृद्धि की जाय। 1971-72 के लिये यह प्रस्ताव है कि 208 शय्याएं शहरी क्षेत्र में और 298 शय्याएं ग्रामीण क्षेत्र में और होनी चाहिये। बनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं तथा अन्य चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की स्कीमें 1970-71 में पूर्ववत् चालू रहीं।

शिक्षा

7—वर्ष 1971-72 में सामान्य शिक्षा का स्वीकृत परिव्यय 1,167.00 लाख रुपया है। इसमें 767 लाख रुपये प्रारंभिक शिक्षा के लिये हैं। 1971-72 के कार्यक्रम में नये स्कूलों का खोला जाना, स्कूलों के भवनों तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण, विभिन्न अनुदानों की स्वीकृतियां तथा अध्यापकों का प्रशिक्षण सम्मिलित है। इस कार्यक्रम में कई नई स्कीमें हैं। 1970-71 के दौरान आरंभ किये गये कार्य भी चालू रहेंगे। प्राविधिक शिक्षा के लिए 182.00 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गयी है।

3

वित्तीय दृष्टिकोण

योजना के 1971-72 के संसाधनों का विवरण-पत्र जैसा कि वह शासकीय स्तर पर योजना आयोग से परामर्श करके तैयार किया गया है, तथा राज्य सरकार द्वारा मूलतः प्रस्तुत अनुमान नीचे दिये गये हैं-

1971-72 के संसाधनों का विवरण-पत्र

(करोड़ रुपयों में)

मद	राज्य सरकार का पूर्वानुमान	योजना आयोग विचार-विमर्श के दौरान अंतिम रूप दिया गया
योजना परिव्यय	218.29	209.15
8--बातचीत द्वारा तय हुए ऋणों तथा राज्य उपक्रमों (enterprises) के बाजार-ऋणों से वि भिन्न राज्य के बजट-संसाधन--		
1--1968-69 के कराधान की दरों पर चालू राजस्वों से अवशेष	54.75	61.30
2--स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रमों का अंशदान--		
(क) राज्य विद्युत् परिषद्	(-)1.26	(-)4.46
(ख) सड़क परिवहन निगम	..	..
3--जनता से ऋण (शुद्ध)	14.30	8.50
4--छोटी बचतों में अंश	13.00	14.50
5--अनधिक ऋण (unfunded debt) ..	7.50	7.50
6--स्थानीय निकायों का अंशदान (. ..	..	..
7--प्रकीर्ण पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध)	(-)28.36	(-)28.36
8--आरक्षित निधियों से निकाली गयी धनराशियां ..	..	1.75
3--अतिरिक्त संसाधन जुटाना--		
(1) 1969-70 के साधन	12.48	12.48
(2) 1970-71 के साधन	9.03	9.03
(3) 1971-72 के साधन	..	..
योग ..	21.51	21.51
घटाइए मद्य निषेध के कारण हानि (50 प्रतिशत) ..	..	0.89
योग ..	21.51	20.62

		(करोड़ रुपयों में)
4—1970-71 में केन्द्र द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाना	7.85	7.85
5—बातचीत द्वारा तय हुए ऋणों तथा राज्य उपक्रमों के बाजार-ऋण (सकल)		
1—राज्य सरकार—		
(क) जीवन बीमा निगम से ऋण—		
(1) जल सम्पूर्ति	..	2.50
(2) गृह निर्माण	1.00	1.00
(ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया से ऋण ..	2.00	1.75
ज—राज्य उपक्रम—		
(क) जीवन बीमा निगम से ऋण ..	4.00	4.00
(ख) बाजार ऋण	10.00	5.50
योग 5 ..	17.00	14.75
6—योजना के लिए राज्य के कुल संसाधन ..	106.29	103.95
7—केन्द्रीय सहायता	112.00	105.20
8—राज्य के कुल संसाधन	218.29	209.15

2—चालू राजस्वों से अवशेष

चालू राजस्वों के अवशेष में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित होती है। राजस्व प्राप्तियों में यह वृद्धि मुख्यतया केंद्रीय करों के अंश में होने वाली बढ़ोत्तरी तथा कुछ हद तक राज्य के कर राजस्व में बढ़ोत्तरी के कारण हुई। वाणिज्यिक संस्थाओं को हुई हानियों के कारण यह वृद्धि आंशिक रूप से कम हो गई। व्यय पक्ष में राज्य सरकार अब तक बराबर कड़ाई के साथ मितव्ययिता बरतती जा रही है। योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि आयोजनेतर व्यय में कम से कम वृद्धि की जाय। नया व्यय, सिवाय उस दशा में जब कि वह नितान्त आवश्यक हो, बिल्कुल बन्द कर दिया गया है। 1971-72 के व्यय के पूर्वानुमान में भी कोई खास नया व्यय करने का अनुमान शामिल नहीं किया गया है। इन सभी बातों के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने यह अनुमान लगाया था कि 1968-69 के कराधान की दरों पर चालू राजस्वों से अवशिष्ट धनराशि बढ़कर 54.75 करोड़ रुपये हो जायेगी। योजना आयोग से विचार विमर्श करते समय इस अनुमान में वृद्धि करके 61.30 करोड़ रुपये कर दिया गया जिसका मुख्य कारण यह था कि आयोग द्वारा केंद्रीय करों का अपेक्षाकृत अधिक अंश दिये जाने का संकेत दिया गया था।

3—अतिरिक्त संसाधन जुटाना

(1) राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कराधान जांच समिति 1968-69 ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के ऐसे विभिन्न उपायों की सिफारिश की थी जिनसे चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में लगभग 175.85 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान था। 1969-70 में ऐसे कई

* राज्य सरकार ने योजना आयोग से यह निवेदन किया है कि वह चालू राजस्वों के अवशेष में सामान्य उत्पादन राजस्व में मद्यनिषेध के कारण परिलक्षित हानि का प्रतिसाद कर दें।

उपाय आरंभ किये गये जिनसे 1971-72 में 12.48 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। 1970-71 में जो उपाय आरंभ किये गये थे उसमें 1971-72 के दौरान 9.03 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इस प्रकार 1971-72 के दौरान कुल अतिरिक्त राजस्व 21.51 करोड़ रुपये आता है। पांच वर्षों की अवधि के लिये यह अतिरिक्त राजस्व 90.49 करोड़ रुपये रखा गया है। इस प्रकार अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लक्ष्य की पूर्ति के हेतु राज्य सरकार को अभी ऐसे उपाय करने हैं जिनसे चौथी योजना की शेष अवधि में लगभग 85.36 करोड़ रु० की आय हो सके।

2—**केंद्र द्वारा**—भारत सरकार ने भी चालू वर्ष के दौरान उत्पादन शुल्कों की (आधारभूत तथा अतिरिक्त दोनों) दरों में संशोधन करके उनमें कुछ वृद्धि कर दी है। आय कर में भी कतिपय परिवर्तन किये गये हैं। यह अनुमान किया जाता है कि इन परिवर्तनों के फलस्वरूप केंद्र को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त राजस्व में से राज्य सरकार को अगले वर्ष में अपने अंश के रूप में 7.85 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होगी।

4—राज्य सरकार के ऋण ग्रहण कार्यक्रम

वर्ष 1971-72 के लिये राज्य सरकार द्वारा बाजार से ऋण ली जाने वाली सकल धनराशि का अनमान 23 करोड़ रुपये लगाया गया था। इस वर्ष के लिये प्रतिदान की धनराशि का हिसाब 8.70 करोड़ लगाया गया था। इस प्रकार राज्य सरकार की योजना के वित्तपोषण के लिये उपलब्ध शुद्ध धनराशि 14.30 करोड़ रुपये की होती। किन्तु योजना आयोग को 17.20 करोड़ रुपये से अधिक की सकल धनराशि बाजार से ऋण लेने के लिये राजी नहीं किया जा सका। बाजार से ऋण ली जाने वाली धनराशि में से इस राज्य का अंश शुरू से ही बहुत कम रहा है और यह एक पिछड़ी अर्थ व्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रहा है। 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के दौरान इस राज्य द्वारा बाजार से ऋण ली गई शुद्ध धनराशि क्रमश: 3.23 करोड़, 5.44 करोड़ और 7.20 करोड़ रुपये रही हैं। प्रति व्यक्ति ऋण की धनराशि 0.37, 0.60 तथा 0.78 रुपये रही। इस राज्य की बाजार से ली गई ऋण की शुद्ध धनराशि, बिहार को छोड़कर, देश में सब से कम है। चौथी योजना के लिये इस राज्य की बाजार से ऋण ली जाने वाली शुद्ध धनराशि 42 करोड़ रुपये रखी गई है, जो 4.49 रुपया प्रति व्यक्ति होती है, और जो पुनः बिहार को छोड़कर, देश में सबसे कम है। चौथी योजना के लिये बाजार से ली जाने वाली ऋण की शुद्ध धनराशि समस्त संसाधनों का केवल 4.4 प्रतिशत होती है, जो कि पुनः, बिहार को छोड़कर सबसे कम है। आन्ध्र, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के संबंध में ये आंकड़े क्रमश: 9.8, 15.4, 11.1, 8.6 और 12.9 हैं। केरल और उड़ीसा जैसे अपेक्षाकृत छोटे राज्यों के प्रतिशत भी क्रमश: 8.5 और 9.0 होते हैं। ये आंकड़े स्वयं स्थिति को स्पष्ट करते हैं और इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि इस राज्य को बाजार से जितनी धनराशि के ऋण लेने की स्वीकृति दी गई है उसकी अपेक्षाकृत अधिक धनराशि प्राप्त करने की अनुमति होनी चाहिये। राज्य सरकार ने योजना आयोग से पुनः इस आशय का अनुरोध किया है।

5—राज्य विद्युत् परिषद्

1—**बाजार से लिए जाने वाले ऋण**—राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव किया था कि राज्य विद्युत् परिषद् को वर्ष 1971-72 के दौरान बाजार से 10 करोड़ रुपये का बाजार ऋण एकत्र करने की अनुमति दी जाय। किन्तु योजना आयोग ने केवल 5.5 करोड़ रुपये के लिये स्वीकृत दी हैं। इस राज्य की चौथी योजना में विद्युत् संबंधी स्कीमों के लिये कुल परिव्यय का 375 करोड़ रुपया रखा गया है। उनके लिये बाजार से लिया जाने वाला ऋण जिसकी स्वीकृति दी गई है, केवल 15 करोड़ रु० पांच वर्ष की अवधि के लिये रखा गया है। यह कुल परिव्यय का केवल चार प्रतिशत होता है, जो देश में सब से कम है। अन्य राज्यों का प्रतिशत इससे कहीं अधिक है— मध्य प्रदेश

का प्रतिशत 36.36 ,मैसूर का 29.71, आसाम का 28.53 और हरियाणा का 20.49 ये इस राज्य की अपेक्षाकृत छोटे राज्य हैं। इस लिये राज्य सरकार को ऐसा कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि इस राज्य की राज्य विद्युत् परिषद् की अगले वर्ष बाजार से 10 करोड़ रुपये तक ऋण लेने की स्वीकृति क्यों न दी जाय।

2—**आन्तरिकसंसाधन**—राज्य विद्युत् परिषद् के आन्तरिक संसाधन में, 1971–72 के दौरान 4.46 करोड़ रुपये की क्षति परिलक्षित होती है। इस कमी का एक कारण यह है कि परिषद् को बराबर अधिक धनराशि ब्याज स्वरूप देनी पड़ रही है जो अनुमानतः वर्ष 1971–72 में बढ़कर 34.77 करोड़ रुपये हो जायेगी। परिषद् की सकल प्राप्ति में भी इस कमी को पर्याप्त रूप से पूरा करने की क्षमता नहीं दिखलाई पड़ती, क्योंकि इसे कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनों के लिये प्रोत्साहन देने हेतु प्रःशुल्क में विभिन्न प्रकार की रियायतें देनी पड़ती हैं। प्रःशुल्क भी बहुत कम है।

6—छोटी बचतों की धनराशि में अंश

राज्य सरकार का पहले यह अनुमान था कि वह 1971–72 के दौरान छोटी बचतों द्वारा 27.5 करोड़ रुपये की धनराशि को इकट्ठा करने के अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगी। किन्तु पिछले वर्ष में बचत की प्रवृत्ति संतोषजनक नहीं थी। अप्रैल से अगस्त, 1970 तक की अवधि में एकत्र की गई कुल धनराशि 503 लाख रुपये थी, जब कि यह 1968–69 तथा 1969–70 की इसी अवधि में क्रमशः 761 लाख रु० और 745 लाख रु० थी। यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के विस्तृत शाखा प्रसार कार्यक्रम फलस्वरूप बचतों की धनराशि अधिकांशतः वहीं एकत्रित हो रही है और इससे छोटी बचत संबंधी कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार को यह आशंका है कि वर्ष 1971–72 में छोटी बचतों का मूल लक्ष्य पूरा करना कठिन होगा। अब जो 21.75 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें राज्य का अंश 14.50 करोड़ रुपया होगा, वह भी अधिक है, और उसे प्राप्त करने के लिये सतत् प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

7—पूर्ण स्थिति

संसाधन संबंधी प्रमुख मदों का उल्लेख ऊपर किया गया है। उनके अतिरिक्त कई अन्य मदें भी हैं, जैसे—भविष्य निधि को शुद्ध वृद्धि, प्रकीर्ण पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें कमी मुख्यतया इसलिये हो गई है कि केन्द्रीय ऋणों, जीवन बीमा निगम तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया आदि से लिये गये ऋणों के लिये भारी प्रतिदान करना पड़ा है। राज्य सरकार का कुल संसाधन, जो अगले वर्ष की योजना को वित्त पोषित करने के लिये उपलब्ध होगा, अनुमानतः 103.95 करोड़ रुपया है। योजना आयोग ने सूचित किया है कि केंद्रीय सहायता में से राज्य का कुल अंश चौथी योजना के लिये निर्धारित 526 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता का 20 प्रतिशत होगा। इस प्रकार अगले वर्ष राज्य का अंश 105.20 करोड़ रुपया होगा। इस तरह से योजना आयोग के साथ विचार विमर्श करके अगले वर्ष का योजना परिव्यय 209.15 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था।

8—अतिरिक्त दायित्व

इसके बाद राज्य सरकार को कुछ अतिरिक्त दायित्व लेने पड़े 6.25 एकड़ तक जोतों की मालगुजारी माफ करने, वृत्ति कर को समाप्त करने, सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों को सरकारी कोषागारों से वेतन का भुगतान करने, प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि करने तथा सरकारी कर्मचारियों, स्थानीय निकायों तथा शिक्षा संस्थाओं के स्टाफ को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के कारण सरकार को वर्ष 1971–72 में 31.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसी अपरिहार्य योजनागत व्यय की मदें सरकार के सामने आईं जिस वजह से शासन को योजना परिव्यय बढ़ा कर 219.60 करोड़ रुपये कर देना पड़ा। इन सब कारणों से शासन के संसाधन की स्थिति में जो कमी हुई उसको पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन एकत्रित करने पड़ेंगे।

4

कृषि

---

(1) कृषि उत्पादन

तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरंभ से पिछले 9 वर्ष भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहे हैं। इससे भविष्य के लिए बड़ी आशाएं हैं। अच्छे मूल्यों, अधिक उपज देने वाले बीजों तथा उर्वरकों का किसानों पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई। यह महसूस किया गया है कि जीवन निर्वाह के लिए की जाने वाली कृषि के बदले अब वाणिज्यिक आधार पर कृषि की जाय। अधिक उपज देने वाली किस्मों को आरंभ करने से एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। इस नयी नीति का सम्बन्ध न केवल अधिक उपज देने वाली किस्मों से पहले की अपेक्षा फसलों का अधिक उत्पादन करना है, बल्कि पहले की तुलना में छोटी अवधि में तैयार होने वाली किस्मों से अधिक फसलें पैदा करना भी है। कृषि उत्पादन में कृषि प्रौद्योगिकी के योगदान पर नये सिरे से जोर दिया जा रहा है। उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, पौध सुरक्षा, उपकरण तथा मशीनरी, सिंचाई सुविधाओं और कृषि सम्बन्धी ऋणों के रूप में 'इनपुट्स' तथा सेवाओं ने जो महत्व ग्रहण कर लिया है उसको दृष्टि में रखते हुए नयी सार्वजनिक संस्थाओं के जाल बिछाने के कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसके लिये निधियों की व्यवस्था की गयी है ताकि उससे कृषि उत्पादन में सहायता मिले। यद्यपि जाहिर है कि नये तरीकों तथा 'इनपुट्स' अपनाने के विषय में लोग रुचि दिखा रहे हैं तथापि ऐसी रुचि को शीघ्रता से उत्पादक कार्य में प्रवृत्त करने की आवश्यकता है जिससे कि एक ओर अधिकतम उत्पादन हो और दूसरी ओर किसान, विशेष कर छोटे किसान, उसमें अधिक से अधिक भाग ले सकें। कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय स्तर पर ऐसी वृद्धि करना जिसकी उपलब्धि में अधिकांश किसान सहभागी हों, न केवल रोजगार बढ़ाने तथा जीवन निर्वाह के स्तरों को ऊंचा उठाने की मुख्य आवश्यकता है बल्कि इससे सामाजिक सेवाओं तथा ग्रामीण उद्योगों की भी उन्नति होती है।

2—उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतया कृषि पर आधारित है। प्रति वयस्क 19 औंस की दर से खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यह हिसाब लगाया गया है कि लगभग 162 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों की चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक आवश्यकता होगी। इस लक्ष्य में 34 प्रतिशत की वृद्धि बीज, पशुओं के भोजन, संग्रहण में होने वाली हानियों आदि के कारण आ पड़ने वाली आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गयी थी। 12 प्रतिशत की एक और व्यवस्था सूखा तथा अन्य दैवी आपदाओं की अवधियों में संभावित तथा वास्तविक उत्पादन के बीच के अन्तर के हेतु की गयी थी। इस प्रकार प्रारम्भ में चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए 246 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य निश्चित किया गया था। उस समय अनुमान लगाया गया था कि आधार वर्ष (1968-69) में खाद्यान्नों का उत्पादन 176 लाख मीट्रिक टन होगा। उस आधार पर लगभग 70 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता रखा गया था। किन्तु वास्तव में 1968-69 में खाद्यान्नों का उत्पादन केवल 160.41 लाख मीट्रिक टन हुआ। इससे लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हुई और मई, 1970 में योजना आयोग द्वारा जो बैठक आयोजित की गयी उसमें यह निश्चय किया गया कि आधार वर्ष के उत्पादन के आंकड़े 168 लाख मीट्रिक टन माने जायं और चौथी योजना के लिये खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य पुनरीक्षित करके

214 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाय। चौथी योजना के खाद्यान्नों तथा प्रमुख नकदी फसलों के मूल तथा पुनरीक्षित लक्ष्य नीचे दिये जाते हैं:—

मद		इकाई	आधार वर्ष उत्पादन (1968-69) पुनरीक्षित	चौथी योजना के लक्ष्य	
				मूल लक्ष्य	पुनरीक्षित लक्ष्य
खाद्यान्न	..	लाख मीट्रिक टन	168.00	245.90	214.00
तिलहन	..	„	17.00	22.00	19.00
कपास	..	लाख गांठ	0.55	1.00	0.95
जूट	..	„	1.90	2.20	2.20
गन्ना (गुड़)	..	लाख मीट्रिक टन	51.50	67.50	65.75

कृषि विकास की समीक्षा—

3—उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन में 1967-68 से उल्लेखनीय तथा लाभप्रद वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों का उत्पादन, जो 1966-67 में असाधारण सूखा पड़ने के कारण घटकर 117.71 लाख मीट्रिक टन हो गया था, 1967-68 में बढ़कर 166.73 लाख मीट्रिक टन हो गया। प्राय: जाड़े भर वर्षा न होने के कारण 1968-69 में उत्पादन थोड़ा सा घटकर 160.41 लाख मीट्रिक टन हो गया किन्तु फिर एकाएक बढ़कर वह 1969-70 में 174.13 लाख मीट्रिक टन हो गया जो अब तक के उत्पादनों में सब से अधिक है। 1970-71 में लगभग 193.52 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान है।

4—वाणिज्यिक फसलों के सम्बन्ध में 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान हुई प्रगति नीचे दिखाई गई है:—

मद		इकाई	1969-70		1970-71	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रत्याशित)
तिलहन	..	लाख मीट्रिक टन	18.83	16.31	17.50	16.04
कपास	..	लाख गांठें	0.65	0.49	0.56	0.41
जूट	..	तदेव	2.07	1.55	2.10	1.83
गन्ना (गुड़)	..	लाख मीट्रिक टन	52.00	60.68	55.87	50.40

1970-71 में फसल की संभावनाएं

5—वर्ष 1970-71 के दौरान मानसून बहुत कम आया, यहां तक कि जुलाई के महीने में राज्य के प्राय: सभी जिलों में सूखे की भीषण स्थिति रही जिसका बुआई तथा धान रोपण और अन्य खड़ी फसलों पर काफी बुरा असर पड़ा और सितम्बर तथा अक्तूबर के महीनों में राज्य में घोर वर्षा हुई जिससे 31 जिलों में लगभग 1.60 लाख हेक्टर फसलों के क्षेत्र में बाढ़ आ गयी। इसके

अतिरिक्त तीन पर्वतीय जिलों में काफी क्षति हुई, जहाँ गम्भीर रूप से भूमि-स्खलन हुआ जिसके फलस्वरूप अपर गंगा कैनाल के तल में मिट्टी जम गई। वर्ष 1970-71 में बाढ़े भी आई। इन सब कठिनाइयों के बावजूद वर्ष 1970-71 में खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 1969-70 की तुलना में कार्य अधिक हुआ। फसलवार उत्पादन का अनुमान परिशिष्ट--1 में दिया गया है।

6-चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान जिन विभिन्न भौतिक कार्य-क्रमों की परिकल्पना की गयी थी वे इस प्रकार हैं :—

मद	इकाई	1969-70 उपलब्धियां	1970-71 लक्ष्य	1970-71 उपलब्धियां (प्रत्याशित)
1—अधिक उत्पादन वाली किस्मों के कार्यक्रम (एच० वी० पी०)	लाख हेक्टर	23.11	26.99	27.09
2--कई फसलें बोना (माल्टीपुल क्रापिंग)	तदेव	60.18	63.72	63.72
3--रासायनिक उर्वरक ..	लाख मीट्रिक टन	..	..	..
एन ..	तदेव ..	3.06	3.50	2 91
पी 2 ओ 5 ..	तदेव ..	0.99	1.10	0.75
के 2 ओ ..	तदेव ..	0.55	0.70	0.45
4--नागर कम्पोस्ट ..	तदेव ..	6.79	7.40	7.19
5—हरी खाद ..	लाख हेक्टर	5.13	8.50	5.23
6—पौध सुरक्षा ..	तदेव ..	55.03	60.75	71.05

7--उन्नत बीजों, उर्वरकों और पौध संरक्षण उपायों का महत्व प्रगतिशील किसानों द्वारा महसूस कर लिया गया है। छोटे किसानों को अभी भी उन्नत कृषि के लाभों से अवगत कराना है जो मुख्य रूप से पर्याप्त ऋण सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव में पीछे रह गये हैं। यद्यपि उनकी अभिरुचि काफी संतोषजनक है तथापि उनके संसाधन सीमित हैं।

8--अधिक उत्पादन वाली किस्मों के कार्यक्रम की प्रगति लक्ष्य के अनुसार हो रही है लेकिन अधिकतर किसान कृषि विभाग की सिफारिश के अनुसार अपेक्षित मात्रा में उर्वरक प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। फिर भी उर्वर अधिकाधिक लोक प्रिय होते जा रहे हैं। 1969-70 में उर्वरक की कुल खपत 4.60 लाख मीट्रिक टन थी जबकि उसकी तुलना में वर्ष 1968-69 में इसकी कुल खपत 3.39 लाख मीट्रिक टन थी। गेहूं और धान में अधिक उपज देने वाली किस्में लोकप्रिय हो गई हैं किन्तु संकर मक्का अभी भी लोकप्रिय नहीं है। मक्के की स्थानीय किस्में अच्छी हैं। संकर-ज्वार की प्रगति

वस्तुतः कुछ भी नहीं हुई है। शंकर-बाजरा में प्रगति हो रही है यद्यपि 'गेरुई' रोग के कारण इसमें पहले बाधा पड़ी थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान गेहूं, मक्का और चावल का उत्पादन निम्नलिखित रहा है:—

(लाख टन)

वर्ष				गेहूं	मक्का	चावल
1965–66	..	..	..	37.55	11.21	23.42
1966–67	..	..	..	42.30	10.76	19.35
1967–68	..	..	..	58.41	11.34	31.81
1968–69	..	..	..	60.87	12.77	27.46
1969–70	..	..	..	63.14	11.74	33.31

9—कृषि के विकास में यंत्रीकरण का योगदान किसान द्वारा तेजी से महसूस किया जा रहा है। अधिक उत्पादन वाली किस्मों के कार्यक्रम तथा मिश्रित फसलें बोने की विधि प्रारम्भ किये जाने से कृषक समुदाय कृषि के यंत्रीकरण की आवश्यकता के प्रति सचेत हो गया है जिससे कि वह ठीक समय पर कृषि सम्बन्धी कार्य पूरा कर सके तथा उत्पादन की लागत में कमी ला सके। बैलों से खेती करने में अधिक लागत पड़ती है और इससे खेती भी पर्याप्त नहीं हो पाती। चारे के बढ़ते हुए मूल्य तथा चारा पैदा करने के लिये, किसान के पास पहले ही से दुष्प्राप्य भूमि में से कुछ भूमि रक्षित करने की आवश्यकता ने किसान को यह सोचने के लिये बाध्य कर दिया है कि उसे ट्रैक्टरों, ट्रैलरों, पम्पिंग सेटों तथा थ्रेशरों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार राज्य में धीरे-धीरे परिवर्तित ढंग से की जाने वाली कृषि के साथ-साथ यंत्रीकृत साज-सज्जा की मांग बढ़ रही है। ट्रैक्टरों की मांग बहुत अधिक है। भारत सरकार द्वारा कृषि उद्योग निगम (ऐग्रो इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन) को दिए गये कोटे में से राज्य इस मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं है। किसान अपने मांग-पत्रों (इन्टेन्ट) के रजिस्टर कराने के दो या तीन वर्षों के बाद ट्रैक्टर प्राप्त कर पाते हैं। इससे स्वाभाविक रूप से अत्याधिक असंतोष पैदा होता है। राज्य में गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र तथा कृषि औद्योगिक निगम की थ्रेशरों की निर्माण क्षमता आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है। कलकत्ता की ज्वाइन्ट प्लान्ट कमेटी ने, जो कच्चे सामानों का कोटा देती है, उक्त मांग की पूर्ति के लिये अभी तक पर्याप्त संख्या में विद्युत थ्रेशरों (पावर थ्रेशर) के निर्माण के लिये लोहा तथा इस्पात की पर्याप्त मात्रा प्रदिष्ट नहीं किया है।

1971–72 का दृष्टिकोण तथा नीति

10—उन्नत प्राविधियों, अपेक्षाकृत अच्छी सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं तथा 'कोटा-इनपुट' की व्यवस्था द्वारा भूमि का प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाकर खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाकर तथा भूमि और जल संरक्षण सम्बन्धी कार्यों को निष्पादित करके भूमि पर और अधिक पूंजी लगायी जायेगी तथा इसके अतिरिक्त संतुलित उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया जायगा और अधिक उपज देने वाले बीजों की बुवाई की जायगी, आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जायेगा एवं पौध संरक्षण उपायों आदि को बड़े पैमाने पर अपनाया जायेगा। इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि ऐसे उपलब्ध साधनों तथा उन्नत कृषि सम्बन्धी पद्धतियों को, जिनसे अपेक्षाकृत अधिक कृषि उत्पादन होता है, विवेकपूर्ण ढंग से अपनाया जाय। बहुपोषक और ग्रेनुलेटेड (दानेदार) उर्वरकों का प्रयोग तथा बिक्री को इस उद्देश्य से बढ़ाया जायेगा कि उर्वरकों का संतुलित रूप से इस्तेमाल किया जाये। राज्य के पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 1971–72 के दौरान उर्वरकों तथा नाशिकीटमारों के लिये अतिरिक्त बिक्री केन्द्र खोले जायेंगे। वर्षा से सिंचित क्षेत्रों के लिए फसलों की उपयुक्त किस्में विकसित करने के अतिरिक्त इन क्षेत्रों के हेतु फसल प्राद्योगिकी का विकास करने के उद्देश्य से शोध कार्य-क्रम को तीव्र किये जाने का प्रस्ताव है। दालों तथा धान पर शोध करने वाली शाखा का विस्तार करने का प्रस्ताव है जिससे कि उपयुक्त किस्मों का विकास किया जा सके।

11—कृषि उद्योग निगम का विचार बड़े पैमाने पर उन्नत किस्म की मशीनें तथा उपकरण बनाने का है। अब तक निगम राज्य में 30 अनुरक्षण तथा सर्विस केन्द्र स्थापित कर चुका है जिन्हें और बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त लघु कृषक विकास एजेन्सी जिलों में छोटे किसानों के कस्टम सर्विस केन्द्रों को और सज्जित किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी प्रविधियों का यथोचित रूप से प्रसार करने के उद्देश्य से एवं कृषकों का बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों का सेवारत प्रशिक्षण संगठित किया जायेगा।

लक्ष्य

12—168 लाख मीट्रिक टन के आधार वर्ष के उत्पादन पर वर्ष 1971–72 में 22.00 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बनाये जाने का लक्ष्य है, जिससे कि 1971–72 में 190.00 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन स्तर प्राप्त हो सके। परिशिष्ट 1 में फसलवार विस्तृत विवरण दिया गया है।

कुछ चुने हुए खाद्यान्नों तथा प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के लक्ष्य नीचे भी दिये गये हैं:

मद	इकाई	1970–71 प्रत्याशित	1971–72 लक्ष्य	चौथी योजना (1973–74) लक्ष्य
1—खाद्यान्न ..	.. लाख मीट्रिक टन	193.52	190.00	214.00
2—गन्ना (गुड़)	.. तदेव	50.40	64.00	65.75
3—तिलहन	.. तदेव	16.04	18.00	19.00
4—कपास	.. लाख गांठें	0.41	0.65	0.95
5—जूट ..	.. तदेव	1,83	2.13	2.20

13—कार्यक्रम सम्बन्धी लक्ष्यों तथा अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बनाये जाने के लिये उनके योगदान सम्बन्धी ब्योरे क्रमशः परिशिष्ट 2 और 5 में दिये गये हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण मदों का सारांश नीचे दिया जाता है:

चुने गये कार्यक्रम सम्बन्धी लक्ष्य:

मद	इकाई	1970–71 प्रत्याशित	1971–72 लक्ष्य	चौथी पंच-वर्षीय योजना का लक्ष्य
1—अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम (एच०वी०पी०)	लाख हेक्टर	27.09	30.61	34.72
2—मिश्रित फसलें बोना (अतिरिक्त)	,,	3.54	3.54	17.70
3—उर्वरकों का उपयोग—				
नत्रजन (एन) ..	लाख मीट्रिक टन	2.91	4.10	5.50
फास्फेट (पी2 ओ 5)	तदेव	0.75	1.40	2.20
पोटाश (के2 ओ) ..	तदेव	0.45	1.00	1.60
4–पौध सुरक्षा ..	लाख हेक्टर	71.05	72.50	96.00

खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्यों का अनुमान

(लाख मीट्रिक टन)

कार्यक्रम	खाद्यान्नों की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (1968-69 के ऊपर)					
	1969-70		1970-71		1971-72	चौथी योजना (1973-74)
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि*	लक्ष्य	लक्ष्य
1—अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम ..	6.07	9.08	7.83	7.83	12.44	29.89
2—लघु सिंचाई	2.21	2.08	4.26	4.26	6.76	9.22
3—बड़ी तथा मध्यम सिंचाई	0.11	0.14	0.41	0.41	0.67	1.58
4—कई फसलें बोना	0.89	0.39	1.23	1.23	1.48	3.97
5—भूमि संरक्षण	0.24	0.28	0.50	0.50	0.78	1.42
6—भूमि को कृषि योग्य बनाना ..	0.02	0.03	0.04	0.04	0.07	0.12
योग ..	9.54	12.00	14.27	14.27	22.20	46.20

परिव्यय

14—कृषि के लिये, जिसमें कृषि-उत्पादन, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण तथा संग्रहागार सम्मिलित है, चौथी पंचवर्षीय योजना में 175.80 करोड़ रु० की धनराशि प्रदिष्ट की गई है 1969-70 के दौरान 33.40 करोड़ रु० की धनराशि का इस्तेमाल कर लिया गया था। 1970-71 के लिये बजट में 33.70 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है जिसकी तुलना में ऐसा अनुमान है कि 34.62 करोड़ रु० का व्यय होगा। वर्ष 1971-72 का परिव्यय 38.31 करोड़ रुपया है। परिव्ययों का शीर्षकानुसार विभाजन परिशिष्ट 3 में दिया गया है।

कृषि विकास का सामान्य कार्यक्रम

उन्नत बीज

15—वर्ष 1969-70 के अन्त तक 135.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उन्नत बीज बोये गये जिसकी 1971-72 में 140.00 लाख हेक्टेयर तक हो जाने की आशा है। विभागीय फार्मों (कृषि क्षेत्रों में) में रजिस्टर्ड बीज के उत्पादन को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से बीज संवर्द्धन फार्मों को और सज्जित किया जा रहा है।

*आंकड़े परिवर्तनीय हैं।

उर्वरक

16—राज्य में वर्ष 1969–70 के अन्त तक रासायनिक उर्वरकों की खपत नत्रजन (एन) की 3.06 लाख मीट्रिक टन, फास्फेट की 0.99 लाख मीट्रिक टन और पुटाश (के) की 0.55 लाख मीट्रिक टन स्तर तक पहुंच गई। वर्ष 1970–71 के लिये 3.50 लाख मीट्रिक टन नत्रजन, 1.10 लाख मीट्रिक टन फास्फेट और 0.70 लाख मीट्रिक टन पुटाश के उर्वरकों के वितरण का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 1971–72 के लिये क्रमश: 4.10 लाख मीट्रिक टन, 1.40 लाख मीट्रिक टन, और 1.00 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है।

संग्रहण क्षमता

17—कृषि सप्लाई संगठनों के पास वर्तमान संग्रहागार क्षमता केवल 1.38 लाख मीट्रिक टन है। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग की यह क्षमता लगभग 3.15 लाख मीट्रिक टन है। कृषि उद्योग निगम ने भी गोदामों को किराये पर लेकर उर्वरकों की संग्रहागार क्षमता में वृद्धि की है। 1970–71 में कृषि विभाग के पास 3.10 लाख मीट्रिक टन की संग्रहागार क्षमता उपलब्ध हो जायगी। 1971–72 में पिछड़ हुये तथा पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक तथा कीट-नाशि मार गोदामों का निर्माण किया जायेगा।

ग्रामीण कम्पोस्ट

18—वर्ष 1969–70 के अन्त तक ग्रामीण कम्पोस्ट का उत्पादन 658 लाख मीट्रिक टन था जिसके कि 1970–71 तक बढ़ कर 719 लाख मीट्रिक टन हो गया। चौथी योजना के 886 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 1971–72 के लिये 841 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है।

नगर कम्पोस्ट

19—कस्बों तथा नोटीफाइड क्षेत्रों में क्षमता के आधार पर 8.20 लाख मीट्रिक टन नगर कम्पोस्ट का उत्पादन हो सकता है। 1969–70 के अन्त तक नगर कम्पोस्ट का उत्पादन स्तर 6.79 लाख मीट्रिक टन था जो 1970–71 तक 7.30 लाख मीट्रिक टन हो गया। 1971–72 के लिये 8.10 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है।

मलोपयोग

20—मार्च, 1970 के अन्त तक मलोपयोग के 22 निर्माण कार्य पूरी तौर से तथा तीन आंशिक रूप से पूरे किये गये। 1970–71 में एक और स्कीम पूरी होने की संभावना है।

21—1969–70 में मलोपयोग स्कीमों के लिये 30 लाख रु० तथा 1970–71 में 32 लाख रु० की धनराशि दी गई थी। 1971–72 के लिये 15 पहले से चली आने वाली तथा कुछ नयी स्कीमों के लिये 50 लाख रु० का परिव्यय है। वर्ष 1971–72 के दौरान एक और मलोपयोग स्कीम प्रारम्भ की जायगी।

पौध संरक्षण

22—1969–70 में 55.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण सम्बन्धी कार्य किये गये। 1971–72 तक 72.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण कार्य सम्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है जब कि इसकी तुलना में वर्ष 1970–71 में 71.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण कार्य हुआ। जिन विभिन्न उपायों से यह लक्ष्य प्राप्त किया जायगा वे परिशिष्ट 2 में दिये गये हैं।

कृषि सम्बन्धी उपकरण

23—कृषि उद्योग निगम नकद तथा किराया खरीद (hire purchase) दोनों के आधार पर किसानों को सप्लाई करने के लिये ट्रैक्टरों के संयोजन (assembly) तथा ट्रैक्टरों, पम्पसेटों, पावर थ्रेशरों तथा अन्य विद्युत चालित उपकरणों के वितरण का कार्य प्रारम्भ कर रहा है। 1971-72 में 10,000 ट्रैक्टरों, 6,000 ट्रैक्टर चालित उपकरणों, 2,000 इलेक्ट्रिक मोटरों सहित पम्प सेटों और 5,000 पावर थ्रेशरों के वितरण करने का लक्ष्य है।

अधिक उपज देने वाले किस्मों के कार्यक्रम (H.V.P.)

24—वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अधीन प्रगति तथा 1971-72 के लक्ष्य निम्नलिखित हैं —

(लाख हेक्टेयर)

फसल			1969-70 वास्तविक उपलब्धि	1970-71 प्रत्याशित उपलब्धि	1971-72 लक्ष्य
धान	..	..	5.61	6.77	7.97
गेहूं	..	..	16.40	19.38	22.00
मक्का	..	..	0.81	0.63	0.30
ज्वार	..	..	0.07	0.01	0.07
बाजरा	..	..	0.22	0.30	0.26

25—किसानों ने गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों को उल्लेखनीय रूप से ग्रहण कर लिया है तथा अपना लिया है और उसके बाद चावल को भी अपना लिया है परन्तु मक्का, ज्वार और बाजरा की अधिक उपज देने वाली किस्में लोकप्रिय नहीं हैं जिसका कारण यह है कि बाजरा में उपभोक्ता इन्हें कम पसन्द करते हैं तथा इनकी फसलों में अपेक्षाकृत अधिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और नाशिकीटों से भी इन्हें अधिक क्षति हो जाती है।

कई फसलें बोना

26—वर्ष 1968-69 में 58.64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में एक से अधिक बार फसलें बोयी गयी थीं जो 1969-70 में बढ़ कर 60.18 लाख हेक्टेयर तथा 1970-71 में 63.72 लाख हेक्टेयर हो गया। 1971-72 में 67.26 लाख हेक्टेयर तक के क्षेत्र में कई फसलें पैदा करने का लक्ष्य है।

कृषि पदार्थों का क्रय विक्रय

27—250 मुख्य मंडियों तथा इतनी ही सहायक मंडियों में से केवल 79 मंडियां 1969-70 तक विनियमित की जा सकीं। इसके अतिरिक्त 20 वाणिज्यिक श्रेणीकरण इकाइयां (ग्रेडिंग यूनिट्स) विनियमित मंडियों में स्थापित की गयी हैं और 5 पर्यवेक्षक श्रेणीकरण इकाइयां स्थापित की गयी हैं। राज्य की शेष मंडियों को 1971-72 के दौरान विनियमित किया जायगा।

विशिष्ट फसलों के लिए कार्यक्रम

तिलहन

28——राज्य की मुख्य तिलहन फसलें मूंगफली, श्वेत सरसों, पीली सरसों, तिल तथा अलसी हैं। 1969–70 में तिलहन का उत्पादन 16.31 लाख मीट्रिक टन था। 1970–71 में इसका स्तर 17.45 लाख मीट्रिक टन हो गया जबकि लक्ष्य 17.50 लाख मीट्रिक टन का था। वर्ष 1971–72 के लिए 18 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है।

गन्ना विकास

29——चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्रों में गन्ने का क्षेत्र जो 1965–66 में 10.31 लाख हेक्टेयर के स्तर पर पहुंच गया था, 1968–69 में घटकर 8.79 लाख हेक्टेयर हो गया। किन्तु यह 1969–70 में बढ़कर 10.45 लाख हेक्टेयर हो गया और 1970–71 में थोड़ा सा कम होकर 10.13 लाख हेक्टेयर हो गया। 1969–70 के दौरान आरक्षित क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन 396 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य से 78 लाख मीट्रिक टन बढ़ गया। 1970–71 के लिए उत्पादन का लक्ष्य 422.60 लाख मीट्रिकटन नियत किया गया था जिसकी तुलना में उत्पादन 465 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। 1971–72के लिए 456.25 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में समग्ररूप से, गन्ने का उत्पादन गुड़ के रूप में 1970–71 में 50.40 लाख मीट्रिक टन हुआ जबकि 1969–70 में यह उत्पादन 60.68 लाख मीट्रिक टन था। 1971–72 का लक्ष्य 64 लाख मीट्रिक टन का रखा गया है। प्रति हेक्टेयर औसत उपज में वृद्धि करने की मुख्य नीति यह होगी कि गन्ने के ऐसे क्षेत्रों में समस्त आवश्यक निवेशों (inputs) की व्यवस्था की जाय जहां उत्पादकों के अपने संसाधनों के जरिये और यदि आवश्यक हो तो अन्य ऐजेंसियों द्वारा 6 से 8 बार सिंचाई करने के सुनिश्चित साधन हों। इसलिये 1969–70 से अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के आधार पर एक सघन गन्ना उत्पादक स्कीम आरम्भ की गयी है। 1971–72 में लघु सिंचाई के निर्माण कार्यों द्वारा 0.68 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की जायगी। "एन" (नाइट्रोजन) के रूप में रासायनिक उर्वरकों की खपत का स्तर 1970–71 के 0.45 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 1971–72 में 0.50 लाख मीट्रिक टन है। गन्ने के बीज के वितरण का लक्ष्य 3.00 लाख मीट्रिक टन रखा गया है जबकि वर्ष 1970–71 का स्तर 2.00 लाख मीट्रिक टन का था। 1971–72 में गन्ना विकास स्कीमों के लिये 68 लाख रुपये का परिव्यय है।

चुकन्दर के विकास के लिए केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

30——चीनी के उत्पादन के लिये चुकन्दर एक वैकल्पिक फसल है। यह साधारणतया समशीतोष्ण संभागों में पैदा की जाती है। किन्तु अब तक किये गये परीक्षणों से यह विदित हुआ है कि इसे रबी के फसल के रूप में उत्तरी भारत के कुछ भागों में सफलतापूर्वक उत्पादित किया जा सकता है। इसलिये भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश,पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में एक अग्रगामी प्रायोजना आरम्भ की गयी है। उत्तर प्रदेश में, इस कार्यक्रम को पश्चिमी संभाग में कुछ ऐसे चुने हुए तराई क्षेत्रों में आरंभ किया जायगा जहां राज्य के अन्य भागों की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक अच्छी होने की संभावना है। 1971–72 के लिये 0.31 लाख रुपये का परिव्यय है।

कपास

31——कपास का क्षेत्र 1966–67 के .0.68 लाख हेक्टेयर से घटकर 1969–70 में 0.51 लाख हेक्टेयर रह गया। इसके अन्तर्गत 1970–71 में 0.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हो गया। वर्ष 1971–72 के दौरान 0.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य है। कपास का अधिकतम

उत्पादन करने के लिये अलीगढ़ तथा बुलन्दशहर में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित एक स्कीम निष्पादित की जा रही है। 1971-72 के दौरान 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की सघन खेती करने का लक्ष्य है। कपास की उन्नत किस्मों तथा उन्नत कृषि-कर्म एवं प्रक्रियात्मक रीतियों के अधीन अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र लाने और पर्याप्त नाशिकीट नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों की व्यवस्था करने पर जोर दिया जायगा।

जूट

32—जूट का उत्पादन 1969-70 में घट कर 1.55 लाख गांठों का हो गया जबकि 1968-69 में 1.90 लाख गांठे उत्पादित की गयी थीं। जूट की खेती बढ़ाने के लिये कीट नाशक दवाइयों का हवाई छिड़काव करने, रैटिंग टैंकों का निर्माण करने तथा राज साहाय्यित आधार पर उन्नत बीज का वितरण करने का कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है। 1970-71 में उत्पादन 1.83 लाख गांठें हुई। 1971-72 के लिये लक्ष्य 2.13 लाख गांठों का रखा गया है।

उद्यानकर्म (फल उपयोग)

33—1968-69 के अन्त तक पर्वतीय क्षेत्र में फलोद्यानों के अन्तर्गत कुल 0.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया गया जो 1969-70 तक बढ़ कर 0.43 लाख हेक्टेयर और 1970-71 तक 0.47 लाख हेक्टेयर हो गया। नये फलोद्यानों में वृक्षारोपण के हेतु सघन अभियान के साथ-साथ इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि सब्जियों का उत्पादन बढ़ाया जाय। सब्जियों के कार्य-क्रम के अधीन 1939 हेक्टेयर भूमि में 1968-69 के अन्त तक खेती की गयी जो 1969-70 तक बढ़ कर 2,517 हेक्टेयर हो गया। 1970-71 के लिये 240 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें 300 हेक्टेयर की उपलब्धि का अनुमान है। 1971-72 के दौरान फलोद्यानों के अन्तर्गत 3,200 हेक्टेयर तथा सब्जियों के अन्तर्गत 280 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाने का लक्ष्य है। इसी योजनावर्ष में अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नलिखित मदें सम्मिलित हैं—फलों के 9.60 लाख पौधों का वितरण, 7,200 हेक्टेयर में पौध संरक्षण सम्बन्धी उपायों को अपनाना, 2,300 हेक्टेयर क्षेत्र के पुराने फलोद्यानों का नवीकरण तथा 5 पौधाशालाओं की स्थापना। पर्वतीय क्षेत्रों की स्कीमों के अतिरिक्त मैदानी भागों के लिये 4 लाख रुपये के परिव्यय की निम्नलिखित दो स्कीमें रखी गयी हैं—

	(लाख रुपयों में)
1—फल संरक्षण तथा डिब्बाबन्दी संस्थान, लखनऊ में शोध सुविधाओं का बढ़ाया जाना	1.39
2—अतिरिक्त सामुदायिक एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना ..	2.61
	4.00

1969-70 के अन्त तक 31 सामुदायिक डिब्बाबन्दी एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये थे। 1970-71 में दो और केन्द्र सीतापुर तथा अलीगढ़ में खोले गये। 1971-72 में 5 और केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है। फलोपयोग योजनाओं के लिए कुल 35 लाख रु० का परिव्यय वर्ष 1971-72 के लिए है।

मक्का

34—1969-70 में 15.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मक्के की फसल हुई। अनुमान लगाया गया है कि 1970-71 के दौरान यह क्षेत्र बढ़ कर 15.65 लाख हेक्टेयर हो जायगा। आशा है कि 1971-72 के दौरान मक्के की फसल का क्षेत्र फिर बढ़ कर लगभग 15.90 लाख हेक्टेयर हो जायगा। अधिक उपज देने वाली मक्के की किस्में जिनमें संकर मक्का (हायब्रिड्स) तथा मिश्रित

जातियां (कम्पोजिट्स) सम्मिलित हैं, 1970-71 में 0.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादित की गयीं। 1971-72 में अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत 0.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य है जबकि चौथी योजना का लक्ष्य 0.40 लाख हेक्टेयर है।

35—राज्य में संकर-मक्का की खेती के अनुभव से यह विदित होता है कि संकर मक्के के किस्मों की खेती के लिये अपेक्षित कृषि की नयी प्रविधियों को देखते हुए किसान कमोवेश अधिक उपज देने वाली स्थानीय किस्में अपनाना ही ज्यादा पसन्द करते हैं। संकर मक्का के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रसार करने में उपभोक्ता की पसन्दगी एक निरोधक है।

ज्वार

36—1969-70 में ज्वार की फसल के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 7.22 लाख हेक्टेयर था जिसके बढ़कर 1970-71 में 8.92 लाख हेक्टेयर और 1971-72 में 9.20 लाख हेक्टेयर होने की संभावना है। अधिक उपज देने वाली ज्वार की किस्में किसानों में लोकप्रिय नहीं हैं, जिसका कारण यह है कि इनमें बीमारियों तथा कीड़ों के लगने की संभावना अधिक रहती है।

धान

37—1969-70 में धान के अन्तर्गत कुल क्षेत्र लगभग 43.33 लाख हेक्टेयर था जबकि 1968-69 में यह क्षेत्र 42.61 लाख हेक्टेयर था। मानसून देर में आने से 1970-71 में धान के क्षेत्र में कमी होने की संभावना है। 1969-70 में धान का सिंचित क्षेत्र लगभग 9.32 लाख हेक्टेयर था जिसके 1970-71 में बढ़कर 10.74 लाख हेक्टेयर होने की संभावना है। सिंचाई सुविधाओं के प्रसार तथा ऐसी किस्मों के विकास से जो परम्परागत सिंचाई से उत्पादित देर में तैयार होने वाली धान की फसलों के बदले अपनायी जा रही है, धान के सिंचित क्षेत्र को 1971-72 में बढ़ा कर 12.25 लाख हेक्टेयर अर्थात् 44.85 लाख हेक्टेयर के कुल प्रत्याशित धान क्षेत्र का लगभग 25 प्रतिशत करना संभव होगा।

38—धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र 1969-70 के 5.61 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1970-71 में 6.77 लाख हेक्टेयर हो गया। 1971-72 में अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत 7.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य है। आई० आर०-8, आई० आर०-49 जया, पद्मा आदि का प्रयोग अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम वाले क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्ववत् सबसे अधिक किया जायगा। धान के उन क्षेत्रों में जो वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं सुधा, काशी, बुन्देला, मझेड़ा-3 आदि जैसी किस्में विकसित की गयी हैं।

गेहूं

39—1969-70 में, राज्य में गेहूं के अन्तर्गत 53.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था जिसकी 1970-71 में बढ़कर 53.95 लाख हेक्टेयर होने की आशा है। 1971-72 में गेहूं के अन्तर्गत 54.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है। 1969-70 में गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत 16.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था जो 1970-71 में बढ़कर 19.38 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। 1971-72 के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत 22.00 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य है। पिछले 3 वर्षों में गेहूं का उत्पादन विशेष रूप से बढ़ कर नये कीर्तिमान तक पहुंच गया है।

दालें

40—दालों की खेती के क्षेत्र में प्राय: कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह 1968-69 में 40.06 लाख हेक्टेयर और 1969-70 में 39.93 लाख हेक्टेयर था। 1970-71 में इसके अन्तर्गत 42.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हो जाने की आशा है। 1971-72 के लिये 42.56 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

चना

41--चने की नयी किस्में विकसित की गयी हैं और उनकी राज्य में खेती करने की सिफारिश की गयी है। अरहर की कुछ नयी किस्में उदाहरणार्थ टी--19, टी--21 तथा टी--7 का भी खेती के लिये प्रचार किया जा रहा है। उर्द तथा मूंग की फसलों के लिये छोटी अवधि में होने वाली किस्में विकसित की गयी हैं जिन्हें कई फसलें बोने के कार्यक्रम के भाग के रूप में खेती के लिये अधिक अच्छा समझा जा रहा है।

जौ

42--लोगों की रुझान गेहूं की फसलों की ओर अधिक होने से जौ का उत्पादन तथा उसका क्षेत्र शनैः शनैः घटता जा रहा है। जौ के अन्तर्गत क्षेत्र 1950-51 में 19.47 लाख हक्टेयर था जो 1969-70 में घट कर 14.85 लाख हेक्टेयर हो गया। वर्ष 1970-71 के दौरान इसका क्षेत्र लगभग 15 लाख हेक्टेयर होने की संभावना है। इसे 1971-72 में बढ़ा कर 15.97 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है।

43--जौ की ऐसी प्रजातियां विकसित करने के लिये, जो अन्य फसलों का मुकाबला कर सकें, जौ पर शोध कार्य और तीव्रता से किया जायगा। लगभग 500 देशी तथा विदेशी जौ की प्रजातियों का रोगों तथा कीटों का मुकाबला करने, डंठल की मजबूती बनाये रखने, अंकुरण आदि की दृष्टि से अलग से मूल्यांकन किया जा रहा है।

प्रसार प्रशिक्षण तथा किसानों की शिक्षा

44--किसानों के प्रशिक्षण का सामान्य कार्यक्रम सामुदायिक विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। सामुदायिक विकास विभाग द्वारा संचालित 20 प्रशिक्षण केन्द्र इस समय ग्राम सेवकों, सहायक विकास अधिकारियों तथा खंड विकास अधिकारियों को पूर्व-सेवा प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा उच्चतर प्रशिक्षण और शिल्पियों, ग्राम सहायकों तथा प्रगतिशील किसानों को अल्प अवधि का प्रशिक्षण दे रहे हैं। 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान हुई प्रगति तथा 1971-72 का कार्यक्रम नीचे दिया गया है--

(प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या)

कार्यक्रम	1969-70 उपलब्धि	1970-71 प्रत्याशित उपलब्धि	1971-72 का लक्ष्य
1--ग्राम सहायकों का प्रशिक्षण ..	5,738	6,400	6,500
2--ग्राम शिल्पियों का प्रशिक्षण ..	258	266	300
3--सहायक विकास अधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण ..	263	480	480
4--ग्राम सेवकों का उच्चतर प्रशिक्षण ..	344	698	800
5--ग्राम सेवकों के लिए पुनर्भ्यास पाठ्य-क्रम ..	457	900	900
6--खंड विकास अधिकारियों का सेवा-कालीन प्रशिक्षण ..	65	120	120
7--ग्राम सेवक कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण ..	394	680	1,260

45--कृषि विभाग के अधीन विभिन्न संभागीय शोध केन्द्रों (रिसर्च स्टेशन), कृषि विज्ञान-संस्थान इन्स्टीट्यूट आफ एग्रिकल्चरल साइंसेज) तथा डिप्लोमा स्कूलों में किसानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। 3 राजकीय डिप्लोमा स्कूलों में 3 प्रसार शाखाएं और बढ़ायी गयी हैं, जहां प्रसार

की रीतियों के बारे में प्रकृष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। इन स्कूलों में कृषि तथा सामदायिक विकास विभागों में सेवा करने वाले कार्मिकों को पौध संरक्षण में प्रशिक्षण देने के हेतु अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग तथा सज्जा की व्यवस्था की गयी है। यह प्रशिक्षण चौथी योजना के दौरान जारी रहेगा।

जोतों की चकबन्दी—

46—राज्य में जोत चकबन्दी के अन्तर्गत कल लगभग 125 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाना है। 1968–69 तक 88.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 29.34 करोड़ रुपये की लागत से चकबन्दी की गयी थी। 1969–70 के दौरान 4.51 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में 4.05 करोड़ रुपये की लागत से चकबन्दी की गयी। 1970–71 के लिये 4.15 करोड़ रुपय की लागत स 4.32 लाख हक्टयर अतिरिक्त क्षेत्र में चकबन्दी करने का लक्ष्य नियत किया गया है जिसके समक्ष उपलब्धि 4.38 लाख हेक्टर की रही। 1971–72 में 4.15 करोड़ रुपये की लागत से 6.82 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में चकबन्दी करने का लक्ष्य है।

(2) लघु सिंचाई

(क) निजी लघु सिंचाई

47—राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में 56 करोड़ रुपये की धनराशि निजी लघु सिन्चाई कार्यक्रम के हेतु सम्मिलित की गयी है। वर्ष 1969–70 में इस कार्यक्रम पर 9.93 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। वर्ष 1970–71 में 7.46 करोड़ रुपये का व्यय होने की आशा की जाती है। इस प्रकार पहले दो वर्षों में आशा है कि 17.39 करोड़ रुपये या चौथी योजना के परिव्यय का 31.1 प्रतिशत व्यय हो जायेगा। वर्ष 1971–72 में इन निर्माण कार्यों के लिये 8.35 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित है। वर्ष 1969–70 तथा 1970–71 के दौरान मदवार प्रगति तथा 1971–72 का कार्यक्रम नीचे की सारिणी में दिये गये हैं—

(लाख रुपयों में)

मद	चौथी योजना का परिव्यय	1969–70 संभावित व्यय	1970–71 प्रत्याशित व्यय	1971–72 कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1—ऋण	2,000.00	252.88	181.16	105.00
2—अनुदान	750.00	114.84	46.85	33.20
3—पूंजी विनियोजन—	2,175.00	510.00	435.00	580.00
(1) भूमि विकास बैंक के ऋण पत्रों में	1,425.00	449.21	418.43	500.00
(2) कृषि पुर्नवित्त निगम के ऋण-पत्रों में	600.00	30.79	16.57	80.00
(3) कृषि उद्योग निगम के अंश पूंजी में	150.00	30.00	..	..
4—बोरिंग गोदाम	3.00	0.37	0.64	0.50
5—लघु सिंचाई तथा जल प्रयोग में प्रशिक्षण	6.00	1.09	0.88	1.30
6—अधिष्ठान	400.00	66.51	81.59 (6, 7, 8 हेतु)	75.00
7—प्रासंगिक व्यय	19.00	4.62		5.00
8—उपकरण	247.00	42.72		35.00
योग	5,600.00	993.03	746.12	835.00

वर्ष 1971–72 के लिये आवंटित परिव्यय में 5 पर्वतीय जिलो के लिए 50 लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है।

ऋण—

48—चौथी योजना के 20.00 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 4.34 करोड़ रुपये पहले दो वर्षों में वितरित किये जाने की आशा है। वर्ष 1971–72 के दौरान 1.05 करोड़ रुपये और वितरित करने का प्रस्ताव है। वितरण की इस गति से 20.00 करोड़ रुपये के वितरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि भूमि विकास बैंक के कार्यक्षेत्र का क्रमशः प्रसार किया जा रहा है। 1971–72 में निम्नलिखित हेतु ऋण सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी—

(1) पुराने वचनबद्धता की पूर्ति के लिए,

(2) उन गांव सभाओं के लिए जिन्हें बड़े पैमाने पर निजी नलकूप आदि बनाने के वास्ते प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(3) पांच पर्वतीय जिलों के किसानों के लिए।

अनुदान

49—चौथी योजना के प्रारम्भ में ही राज्य सरकार ने कुछ मदों को छोड़कर निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान के अंश को बन्द कर देने का निश्चय किया था। इस समय निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए अनुदान दिया जा रहा है।

(1) कुओं में बोरिंग—2.02 हेक्टेयर (5 एकड़) तक की जोत वाले कृषकों को निजी एजेंसी के जरिए बोरिंग कराने के लिए 2 रु० प्रति फुट।

(2) बुन्देलखण्ड प्रभाग (डिवीजन), राप्तीपार क्षेत्र, मिर्जापुर जिला, इलाहाबाद जिले की मेजा और करछना तहसीलों और वाराणसी जिले की चकिया तहसील में निजी बन्धियां—4.04 हेक्टेयर (10 एकड़) तक की जोत वाले कृषकों को ऋण अथवा व्यय का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो।

(3) पर्वतीय क्षेत्रों में गूलों तथा तालाबों का निर्माण—ऋण अथवा व्यय का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।

(4) केवल पर्वतीय भागों में पम्पिंग सेटों का लगाया जाना—दिये जा सकने वाले ऋण अथवा व्यय का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो।

(5) गांव सभाओं द्वारा प्रारम्भ किये गये निर्माण-कार्य—पर्वतीय क्षेत्रों में गूलों और तालाबों के निर्माण के व्यय का 50 प्रतिशत और अन्य निर्माण-कार्यों के लिये ऋण अथवा उन पर व्यय का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो।

(6) पिछले वचनबद्धता की पूर्ति के लिए।

50—उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अनुदान सहायता कुछ ही निर्माण कार्यों के लिए दी जा रही है और वह भी छोटी जोत वालों अथवा उन कृषकों को जिनके पास पिछड़े संभागों में अलाभकारी जोतें हैं।

संस्थागत वित्त

51—निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए संस्थागत वित्त (Institutional Finance) प्राप्त करने में जो प्रगति हुई है वह निम्नलिखित तालिका से देखी जा सकती है। इस तालिका में 1971-72 का कार्य-क्रम भी दिया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

संस्था	चौथी योजना का लक्ष्य	1969-70 संभावित व्यय	1970-71 प्रत्याशित व्यय	1971-72 लक्ष्य
1	2	3	4	5
1—भूमि विकास बैंक—				
(क) सकल (Gross) अंशदान	95.00	17.53	18.38	20.00
(ख) ऋणपत्रों में पूंजी विनियोजन	14.25	4.49	4.18	5.00
(ग) शुद्ध (Net) अंशदान ..	80.75	13.04	14.20	15.00
2—कृषि पुनर्वित्त निगम—				
(क) सकल अंशदान ..	40.00	2.48	1.69	8.00
(ख) ऋण-पत्रों में पूंजी विनियोजन	6.00	0.31	0.17	0.80
(ग) शुद्ध अंशदान ..	34.00	2.17	1.52	7.20
3—कृषि उद्योग निगम—				
(क) सकल अंशदान ..	30.00	0.52	0.02	0.50
(ख) अंश पूंजी में विनियोजन ..	1.50	0.30	..	..
(ग) शुद्ध अंशदान ..	28.50	0.22	0.02	0.50
4—केन्द्रीय सहकारी बैंक—				
शुद्ध अंशदान	25.00	0.20	अप्राप्त	0.50
5—वाणिज्यिक बैंक—				
शुद्ध अंशदान ..	15.00	..	..	..
शुद्ध अंशदान का योग ..	183.25	15.63	15.74	23.20

52—**भूमि विकास बैंक**—मार्च, 1970 तक भूमि विकास बैंक को 42 जिलों में कार्य करने की अनुमति दी गयी है। 1970-71 के दौरान चार और जिलों अर्थात् हमीरपुर, मिर्जापुर, बांदा और झांसी में बैंक के कार्य-क्षेत्र का विस्तार किया गया है।

53—यह परिकल्पना की गयी है कि चौथी योजना की अवधि में भूमि विकास बैंक 95 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करेगा। राज्य द्वारा 15 प्रतिशत की साझेदारी के आधार पर योजना में राज्य सरकार द्वारा बैंक के ऋण-पत्रों में विनियोजन के लिए 14.25 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी थी। सरकार ने इस कार्य-क्रम में अब तक 25 प्रतिशत की दर से धन लगाया है। इसके फलस्वरूप योजना में व्यवस्था किये गये 14.25 करोड़ रुपयों में से 8.67 करोड़ रुपयों के पहले दो वर्षों तथा दूसरे 5.00 करोड़ रुपये के तीसरे वर्ष में उपयोग कर लिये जाने की उम्मीद की जाती है। इस प्रकार पहले तीन वर्षों में 13.67 करोड़ रुपयों का विनियोजन हो जायेगा , जिसके आधार पर बैंक का सकल (gross) अंशदान 55.91 करोड़ रुपये होगा। यदि 25 प्रतिशत के आधार पर साझेदारी के अंश में धन लगाना जारी रखा जाय तो 95 करोड़ रुपये के ऋण वितरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए योजना के अन्तिम दो वर्षों में इस कार्य के लिए 10.08 करोड़ रुपये की और धनराशि की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार का मत है कि अब समय आ गया है कि राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली धनराशि को क्रमश: घटाया जाय। यह महसूस किया जाता है कि यह बात तब सम्भव हो सकती है जब भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया के परामर्श से स्थिति की समीक्षा की जाय जिससे कि अन्य साधनों से बैंक के ऋण-पत्रों के लिये अधिक सहायता मिलना संभव बन जाय।

54—**कृषि पुनर्वित्त निगम**--राज्य सरकार ने अब तक कृषि पुनर्वित्त निगम, बम्बई, को 37 परियोजनायें भेजी हैं जिनमें से निगम द्वारा 7.86 करोड़ रुपये की 17 परियोजनायें स्वीकृत कर ली गयी हैं। इन 17 परियोजनाओं में से 6.55 करोड़ रुपयों की 14 परियोजनायें 1968-69 तक स्वीकृत की गयी थीं और 1.31 करोड़ व्यय की 3 परियोजनायें जनवरी, 1970 के बाद स्वीकृत की गयीं। यह उम्मीद की जाती है कि ये 14 परियोजनायें 1971-72 के अन्त तक पूरी हो जायंगी। अतएव यह अत्यावश्यक है कि वे 20 परियोजनायें जो 25.75 करोड़ रुपये की हैं और निगम के विचाराधीन हैं शीघ्र स्वीकृत कर ली जायं जिससे कि 1971-72 के दौरान कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में विलम्ब न हो। 14 परियोजनाओं के सम्बन्ध में जल विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े समन्वेषी नलकूप संगठन (Exploratory Tube Well Organization) को अब तक भेजे जा चुके हैं और शेष परियोजनाओं के लिये जिलों से आंकड़े संग्रह करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

55—**अधिष्ठान**—यह प्रस्ताव है कि कर्मचारिवर्ग की वर्ष 1970-71 की प्रस्तावित संख्या बनाये रखी जाय। अतएव, 1971-72 के लिए 75 लाख रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है।

56—**उपकरण**—उपकरणों पर होने वाला व्यय क्रमश: कम किया जा रहा है। वर्ष 1971-72 के लिए 35 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। यह धनराशि मुख्यत: 6" सीवनहीन अथवा आवरक नल (सीमलेस या केसिंग पाइप) खरीदने [22 लाख रुपये] और हाथ से बोरिंग करने वाले यंत्रों, 58 खनक (रिग) यंत्रों, परीक्षण इकाइयों, विस्फोटन इकाइयों और वायु कम्प्रेसरों आदि की मरम्मत और अनुरक्षण (11.32 लाख रुपये) के काम में लायी जायगी।

57--**भौतिक कार्यक्रम**--चौथी योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य, 1969-70 के दौरान पूरे किये गये निर्माण कार्य, 1970-71 के दौरान पूरे किये जाने वाले निर्माण-कार्य तथा 1971-72 के लिये निर्धारित निर्माण-कार्य नीचे लिखी तालिका में दिये गये हैं :--

मद	इकाई	चौथी योजना (1969-74) के लक्ष्य		1969-70	1970-71	1971-72
		मूल	पुनरीक्षित	उपलब्धि	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
पक्के कुएं ..	सं०	3,28,000	2,25,000	45,899	32,633	45,000
बोरिंग--						
(1) कुओं में ..	"	5,00,000	5,00,000	37,489	29,059	45,000
(2) गढ़ों में ..	"	2,00,000	2,00,000	56,060	53,174	55,000
रहट ..	"	2,00,000	1,75,000	23,601	20,036	30,000
पम्पिग सेट ..	"	1,55,000	1,55,000	26,588	25,900	30,000
निजी नलकूप ..	"	2,00,000	2,00,000	45,105	53,468	45,000
कुओं को गहरा करना ..	"	4,500	4,500	282	275	900
बन्धियां ..	हेक्टेयर	93,079	93,079	21,549	29,088	19,000
पर्वतीय क्षेत्रों में गूलें तथा तालाबें	"	9,652	9,652	1,364	1,225	1,780

58--उपर्युक्त निर्माण-कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था निम्न प्रकार से की जायगी :

(करोड़ रु० में)

साधन	चौथी योजना	1969-70 संभावित व्यय	1970-71 प्रत्याशित व्यय	1971-72 प्रस्तावित लक्ष्य
1	2	3	4	5
राज्य क्षेत्र1	49.25	8.78	6.63	7.18
सहकारी क्षेत्र2	105.75	13.24	14.20	15.50
निगम-क्षेत्र 3	62.50	2.39	1.54	7.70
निजी क्षेत्र	161.50	48.20	43.82	44.07
योग ..	379.00	72.61	66.19	74.45

1--ऋण, अनुदान और ऋण-पत्रों में विनियोजन के लिए योजना परिव्यय।

2--भूमि विकास बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक।

3--कृषि पुर्नवित्त निगम, कृषि उद्योग निगम तथा वाणिज्यिक बैंक ।

सिंचन क्षमता

59—सिंचन क्षमता निर्धारित मानकों (Norms) पर आधारित होती है। 1970-71 के दौरान, चौथी योजना के लक्ष्यों पर विचार करते समय योजना आयोग ने इन मानकों में कुछ परिवर्तन सुझाये थे। इन सुझावों पर मंत्रिमंडल की कृषि उप-समिति ने विचार किया था और निर्णीत मानक इस प्रकार है :

(एकड़ों में)

निर्माण-कार्य				प्रस्तावित मानक		सरकार द्वारा निर्णीत मानक
				चौथी योजना में	योजना आयोग द्वारा	
कुएं	..	..	..	3	3	3
कुओं में बोरिंग	..	..	..	2	..	.
कुओं को गहरा करना		..	..	1	..	..
पम्पिंग सेट	..	..	..	8	5	8
रहट	..	..	..	..	..	2
निजी नल कूप	..	..	..	20	15	20

60—उपर्युक्त निर्णय अधीक्षक अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा किये गए अध्ययन पर आधारित हैं। 38 जिलों में फैले हुए ग्राम सहायकों के 74 हलकों (सर्किल्स) से इकट्ठे किये गये आंकड़ों से पता चलता है कि औसत रूप से प्रति नलकूप का सिंचित क्षेत्र 23.8 एकड़ और पम्पिंग सेट का क्षेत्र 14.6 एकड़ है। इससे विदित होता है कि सरकार द्वारा स्वीकृत मानक बढ़े हुए नहीं हैं। यह भी निश्चय किया गया है कि 5 प्रतिशत की कटौती (Depreciation) करके इनकी सिंचन क्षमता का हिसाब लगाया जाय।

61—इससे पूर्व सूचना दी गयी थी कि 1968-69 तक निजी सिंचाई के लघु निर्माण-कार्यों के द्वारा 40.91 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता सृजित की जा चुकी है। 1966-67 के 28.17 लाख हेक्टेयर वास्तविक सिंचित क्षेत्र (सकल) को आधार वर्ष स्वीकार करके, 1967-68 की 4.97 लाख हेक्टेयर तथा 1968-69 की 5.48 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता को इसमें जोड़कर और 5 प्रतिशत की कटौती करके अब इस सिंचन क्षमता के सृजन को घटाकर 35.37 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। अब यह अनुमान किया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शुद्ध अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा जब कि प्रमाणिक लक्ष्य 30.29 लाख हेक्टेयर का था। इस प्रकार चौथी योजना के अन्त में सिंचन क्षमता का योग 49.61 लाख हेक्टर हो जायगा। 1969-70 के अंत में क्षमता 38.96 लाख हेक्टेयर है और 1970-71 के अंत में प्रत्याशित सिंचन क्षमता 42.83 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 1971-72 के अंत में निजी लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों के माध्यम से 46.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्यक्रम है।

निजी नल-कूपों और पम्पिंग सेटों का विद्युतीकरण

62—इस बात के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जितने अधिक नलकूपों पंपिंग सेटों के लिए हो सके बिजली की व्यवस्था की जाय। इस संबंध में चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दो

वर्षों में जो प्रगति हुई है और तीसरे वर्ष के लिए जो कार्यक्रम निश्चित किया गया है वह नीचे की तालिका में दिया गया है :

(संख्या)

कार्य-क्रम		चौथी योजना लक्ष्य	1969-70 उपलब्धि	1970-71 प्रत्याशित उपलब्धियां	1971-72 लक्ष्य
1		2	3	4	5
पम्पिग सेटों का लगाना	..	1,55,000	26,588	25,900	30,000
निजी नलकूपों का निर्माण	..	2,00,000	45,105	53,468	45,000
योग	..	3,55,000	71,693	79,368	75,000
निजी नलकूपों और पम्पिग सेटों का विद्युतीकरण ..	..	2,00,000	26,464	24,644	50,000
निर्मित इकाइयों की तुलना में ऊर्जित इकाइयों का प्रतिशत	..	56	37	31	67

यह निश्चय किया गया है कि कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए बिजली प्रदिष्ट करने को प्राथमिकता दी जाय किन्तु खंभों और तार चालकों (Wire conductors) के लिए इस्पात की कमी के कारण काम में रुकावट पड़ रही है।

(ख) राजकीय लघु सिंचाई

63—राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में राजकीय लघु सिंचाई कार्य-क्रम के लिए 40.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसमें से 10.82 करोड़ रुपये 1969-70 में व्यय किये गये थे और 13.57 करोड़ रुपये 1970-71 में व्यय किये जाने की आशा की जाती है। इस प्रकार, पहले दो वर्षों में, चौथी योजना के परिव्यय के 61 प्रतिशत अंश के उपयोग किये जाने की उम्मीद है। वर्ष 1971-72 के लिये 12.95 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसमें 45 लाख रुपये 5 पर्वतीय जिलों के लिए सम्मिलित हैं। इस प्रकार 37.34 करोड़ रुपये का कुलउपयोग हो जायगा जो चौथी योजना का 93 प्रतिशत है। परिव्यय तथा व्यय का मदवार विवरण निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

मद		चौथी योजना परिव्यय	1969-70 संभावित व्यय	1970-71 प्रत्याशित व्यय	1971-72 परिव्यय	1969-72 कुल उपयोग
1		2	3	4	5	6
नलकूप कार्यक्रम	..	23.78	7.89	10.84	9.79	28.52
डाल सिंचाई	..	13.25	2.71	2.31	2.50	7.52
अन्य	..	2.97	0.22	0.42	0.66	1.30
योग	..	40.00	10.82	13.57	12.95	37.34

नलकूप

64—चौथी योजना में 1.5 क्यूसेक के 1,000 नलकूपों, 3 क्यूसेक के 200 नलकूपों और 5 क्यूसेक के 100 नलकूपों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। 1969-70 के दौरान हुई प्रगति और 1970-71 में प्रत्याशित प्रगति तथा 1971-72 के लिए निश्चित कार्य-क्रम नीचे की तालिका में दिये गये हैं :—

अवधि/मद	नलकूप जो सफलतापूर्वक ड्रिल किये गये	नलकूप जिनमें पम्प आदि लगाये गये	नलकूप जिनके लिये पम्प घर बनाये गये	ऊर्जित नलकूप बिजली द्वारा	तेल द्वारा	उत्स्रुत (आर्टीसियन)
1	2	3	4	5	6	7
1968-69 के अन्त में स्थिति ..	9,634	9,480	9,390	9,400	3	1
1969-70 में वृद्धि (वास्तविक) :						
(1) 5 क्यूसेक के नलकूप ..	1	1	1	..	..	..
(2) 3 क्यूसेक के नलकूप ..	30	20	26	11	..	..
(3) 3 क्यूसेक से कम के नलकूप	605	514	491	378	..	..
1970-71 में वृद्धि (प्रत्याशित) :						
(1) 5 क्यूसेक के नलकूप ..	1	1	1	1	..	..
(2) 3 क्यूसेक के नलकूप ..	26	25	22	21	..	..
(3) 3 क्यूसेक से कम के नलकूप	752	451	590	453	..	..
1971-72 में वृद्धि (कार्यक्रम) :						
(1) 5 क्यूसेक के नलकूप ..	1	1	1	1	..	..
(2) 3 क्यूसेक के नलकूप ..	39	39	39	19	..	..
(3) 3 क्यूसेक से कम के नलकूप..	800	750	750	780	..	..
1969-72 की प्रत्याशित स्थिति :						
(1) 5 क्यूसेक के नलकूप ..	3	3	3	2	..	1
(2) 3 क्यूसेक के नलकूप ..	95	84	87	51	..	..
(3) 3 क्यूसेक से कम के नलकूप..	2,157	1,715	1,831	1,611	..	..

65—ऊपर दी गयी तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि चौथी योजना में जो लक्ष्य 1.5 क्यूसेक के 1,000 नलकूपों का निर्माण करने का था उससे अधिक नलकूपों का निर्माण हो गया है, और यह आशा की जाती है कि प्रथम तीन वर्षों में 1,611 नलकूपों में बिजली लगा दी जायगी। यह भी आशा की जाती है कि 3 क्यूसेक के नलकूपों का लक्ष्य भी प्राप्त हो जायगा। जहां तक 5 क्यूसेक के नलकूपों का सम्बन्ध है, यह उल्लेख किया जा सकता है कि वे वहीं निर्मित किये जा सकते हैं जहां पर्याप्त भूमि स्तर तथा 600-800 एकड़ में फैला हुआ एक भू-खण्ड उपलब्ध हो। इन नलकूपों का निर्माण करने के पूर्व उनके लिये बहुत अधिक अनुसन्धान भी करना पड़ता है ।

66—1971-72 में नलकूप सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये जो परिव्यय नियत किया गया है, उसे निम्नलिखित निर्माण-कार्यों पर प्रयुक्त करने का प्रस्ताव है :

(लाख रुपयों में)

मद	परिव्यय
1—प्रत्येक नलकूप पर 28,000 रु० की दर से 800 नलकूपों का वेधन(Drilling)	224.00
2—प्रत्येक नलकूप पर 2,000 रु० की दर से 750 नलकूपों का विकास ..	15.00
3—प्रत्येक नलकूप पर 15,000 रु० दर से 750 नलकूपों पर पम्पघरों (Pump (houses) डिलवरी टैंको, साइफनों, सर्विस-सड़कों तथा कच्ची गूलों का निर्माण	112.50
4—भूमि सम्बन्धी व्यय	19.50
5—प्रत्येक नलकूप पर 10,000 रु० की दर से 750 नलकूपों पर पम्पिग सेट तथा उप साधन यंत्रों और फिटिंग्स लगाना	75.00
6—प्रत्येक नलकूप पर 15,000 रु० की दर से 800 नलकूपों का विद्युतीकरण ..	*
7—प्रति मील 25,000 रु० के हिसाब से 960 किलोमीटर (600 मील) गूलों को पूरा करना	150.00
8—विशेष उपकरण (रिग्ज तथा कम्प्रेरसर)	60.00
	656.00
9—3 और 5 क्यूसेक के नलकूपों का निर्माण	35.00
10—पक्की गूलों (160 कि० मीटर) का विस्तार	25.00
11—वर्तमान राजकीय नलकूपों पर सर्विस सड़कों का निर्माण ..	5.00
12—राज्य नलकूपों का आधुनिकीकरण	39.00
15—चकबन्दी क्रियाओं के कारण नष्ट कर दिये गये वाह्य मार्गों तथा गूलों का निर्माण	4.00
14—भू-तलीय जल सर्यवेक्षण	20.00
	784.00
15—अधिष्ठान तथा सामान्य व्यय (Over head charge)	194.60
योग ..	978.60

डाल सिंचाई

67—राज्य में डाल सिंचाई योजनायें मुख्यतया सूखा क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये चालू की गई थीं। इन योजनाओं को "बिना लाभ, बिना हानि" के आधार पर चालू रखने का निश्चय भी किया गया था। अब ऐसा प्रतीत होता है सिंचाई के लिये आसानी से सदा काम आ सकने वाले साधन प्रयोग में आ चुके हैं, और जो शेष बच रहे हैं, उनके लिये पहले से अधिक डाल की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण प्रस्तावित योजनाओं को "बिना लाभ, बिना हानि", के आधार पर चलाना संभव नहीं है।

* 120.00 लाख रु० की धनराशि राज्य विद्युत परिषद् के पास उपलब्ध है।

अन्य योजनाएं

68—**जलोत्सारण सुधार योजना**—छोटी जलोत्सारण सुधार योजनायें, जिनकी लागत प्रत्येक योजना पर 50,000 रु० से कम होती है, राज्य लघु सिंचाई क्षेत्र (State Minor Irrigation Sector) से वित्तपोषित की जाती हैं। अन्य योजनाएं बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र से वित्तपोषित की जाती हैं। इन योजनाओं के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 56.64 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था लघु सिंचाई में की गयी है जिसकी तुलना में 1969–70 के दौरान 6.81 लाख रुपया व्यय किया गया है, और आशा की जाती है कि 1970–71 के दौरान 6.50 लाख रु० तथा 1971–72 के दौरान 13.10 लाख रुपया व्यय किया जायगा। इस प्रकार, प्रथम तीन वर्षों में 26.41 लाख रु० व्यय हो जाने का अनुमान है।

69—**अन्य प्रवाह योजनायें**—पर्वतीय क्षेत्रों से सम्बन्धित योजनाओं के अतिरिक्त वर्ष 1970–71 में 11 योजनाओं के सिलसिले में कार्य किया जा रहा है। इसमें से 5 योजनायें, अर्थात् (1) रायपुर तालाब प्रणाली के नहरों का पुनर्निर्माण, (2) कल्याण-सागर से विजयनगर तालाब तक पोषक नाली (Feeder Channel), (3) कुलपहाड़ तालाब की क्षमता बढ़ाना। (4) बरवार नहर का प्रसार तथा (5) पूर्वी यमुना नहर पर टेलस्कोप का निर्माण, वर्ष 1971–72 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। एक योजना, अर्थात्, "मिर्जापुर जिले में 15 बन्धियां", का कार्य, ग्रामीण निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम को संक्रमित कर दिया गया है। वर्ष 1971–72 में जिन पांच योजनाओं पर कार्य चालू रहेंगे वे निम्नलिखित हैं :—

(लाख रुपयों में)

परियोजना	अनुमानित लागत	1970–71 तक प्रत्याशित व्यय	1971–72 के लिये परिव्यय
1	2	3	4
1—वन्ट तालाब की क्षमता बढ़ाना	1.24	0.50	0.50
2—लालढ़ोंग सिंचाई योजना	10.83	1.00	3.00
3—रघुनाथपुर बन्धी	5.34	3.00	3.00
4—बरकच्छा बन्धी	10.28	1.00	5.00
5—रामपुर पिनडारिया बन्धी	8.10	2.00	4.00

सिंचाई की क्षमता

70—चौथी पंचवर्षीय योजना में 5.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की परिकल्पना की गयी थी जिसमें से 1969–70 के दौरान 1.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता सृजित की गयी है और आशा की जाती है कि 1970–71 के दौरान, 0.94 लाख हेक्टेयर

क्षमता तथा 1971-72 के दौरान 1.41 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हो जायेगी । सिंचाई क्षमता तथा उपयोग के वर्गानुसार ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

(लाख हेक्टेयर)

साधन		चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	1969-70 उपलब्धियां	1970-71 प्रत्याशित उपलब्धियां	1971-72 कार्यक्रम
1		2	3	4	5
राजकीय नलकूप ..	..	2.75	0.63	0.70	1.05
डाल सिंचाई ..	..	2.71	0.37	0.24	0.35
अन्य परियोजनायें		0.09	..	..	0.01
	योग	5.55	1.00	0.94	1.41
कुल सिंचन क्षमता	..	23.73	19.19	20.13	21.54
कुल सिंचन क्षमता का उपयोग	..	21.28	17.11	18.45	19.47

71—सिंचाई क्षमता और उसके उपयोग के बीच जो अन्तर प्रतीत होता है उसका मुख्य कारण यह है कि नलकूपों द्वारा अतिरिक्त क्षमता बहुधा वर्ष के अन्त में सृजित की जाती है जिसका उपयोग लगभग अगले वर्ष किया जाता है। इस पर भी इस अन्तर को कम करने के लिये प्रत्येक प्रयास करना होगा ।

3—भूमि संरक्षण

72—कृषि तथा वन विभागों की योजनाएं, जिनमें विकास अन्वेषणालय की योजनाएं भी शामिल हैं, भूमि संरक्षण क्षेत्र (सेक्टर) में सम्मिलित कर ली गयी हैं। चौथी योजना का परिव्यय, वर्ष 1969-70 का व्यय तथा वर्ष 1970-71 का परिव्यय, बजट में की गई व्यवस्था, प्रत्याशित व्यय और वर्ष 1971-72 का प्रस्तावित परिव्यय नीचे दिया जाता है :—

(लाख रुपयों में)

विभाग	चौथी योजना परिव्यय	1969-70 व्यय	परिव्यय	1970-71 बजट में की गयी व्यवस्था	प्रत्याशित व्यय	1971-72 प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
कृषि..	2000.00	326.36	300.00	304.41	357.86	404.14
वन ..	125.00	24.84	25.00	25.00	25.00	25.00
विकास अन्वेषणालय	15.00	3.32	2.00	2.02	3.89	3.00
योग	2140.00	354.52	327.00	331.43	386.75	432.14

73—कृषि विभाग की योजनायें—राज्य में एक व्यापक (Soil and Water Conservation Act) भूमि और जल संरक्षण अधिनियम पहले से ही है। जो 1963 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, राज्य स्तर पर एक राजकीय भूमि तथा जल संरक्षण परिषद् (State Soil and Water Conservation Board) संगठित किया गया है, और जिला स्तर पर कार्यक्रमों के मार्ग-दर्शन तथा अनुमोदन हेतु जिला भूमि संरक्षण समितियां बनाई गई है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं यह हैं कि ऐसे वाटर शेडों (जल विभाजनों) में जिनमें कोई लाभार्थी ऋण पाने के लिये पात्र न हो, अथवा वह निर्माण-कार्य निष्पादित नहीं करता है, जैसा कि प्रायोजना सम्बन्धी योजना में उसके लिये व्यवस्था की गयी है अथवा उसका अनुमोदन किया गया है उक्त निर्माण-कार्य राज्य के खर्चे से निष्पादित किये जा सकते हैं और उनकी लागत लाभार्थी से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

74—कृषि विभाग के भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अधीन मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार है—सहायकों तथा उप सहायकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, राज्य के प्रमुख कृषि वाटर शेडों में भूमि तथा जल संरक्षण कार्य को निष्पादित करना, मिट्टी तथा भूमि के उपयोग सम्बन्धी सर्वेक्षण करना, तथा कन्दराओं आदि के आस-पास स्थित सीमान्त तथा उप-सीमान्त भूमियों का सुदृढ़ीकरण।

75—वर्ष 1969-70 के दौरान 2.38 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में भूमि संरक्षण कार्य किया गया। आशा की जाती है कि वर्ष 1970-71 के दौरान 2.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यह कार्य हो जायगा और वर्ष 1971-72 के लिये 2.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्य करने का लक्ष्य रखा गया गया है। 1969-70 के अन्त तक भूमि संरक्षण सम्बन्धी 103 सब-डिवीजनल यूनिटें, राज्य के विभिन्न भागों में फैली हुई थीं। गत वित्तीय वर्ष में 11 और सब-डिवीजनल यूनिटें तथा 3 डिवीजनल यूनिटें खोलने का प्रस्ताव है। 1969-70 के दौरान 50 सहायकों तथा 299 उप-सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया। आशा की जाती है कि गत वित्तीय वर्ष में 60 सहायकों और 260 उप-सहायकों को प्रशिक्षण दिया जायगा। वर्ष 1971-72 के दौरान 60 सहायकों और 260 उप-सहायकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

76—राज्य के लम्बे अर्से से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, अर्थात् वाराणसी, मिर्जापुर इलाहाबाद और बांदा जिलों में, जहां बार-बार सूखा पड़ता भूमि तथा जल संरक्षण कार्य निष्पादित करने के लिये एक विशेष योजना चालू की गयी थी। वर्ष 1969-70 के दौरान, इस योजना के अधीन 0.200 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया गया। आशा की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष में 0.700 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में यह कार्य किया जा सकेगा। 1971-72 में 8.000 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में यह कार्य किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

77—कन्दराओं को खेती योग्य बनाने के कार्यक्रम (Ravine reclamation programme) के अधीन, कन्दराओं पर वन विभाग द्वारा वनरोपण किया जा रहा है और ऐसी कन्दराओं के आस-पास के क्षेत्रों को, कृषि विभाग द्वारा भूमि का कटाव रोकने के लिये प्रगाढ़ रूप से निर्माण कार्य करके, रक्षित और स्थिर बनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में वर्ष 1969-70 में भौतिक उपलब्धियां 17.090 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हुई थी। वर्ष 1970-71 के लिये प्रत्याशित उपलब्धि 20.000 हजार हेक्टेयर क्षेत्र है और अगले वर्ष के लिये 12.800 हजार हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

78—कृषि प्रयोजनों के लिये कन्दराओं को खेती योग्य बनाने के हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना भी है जो कानपुर के जिले में वर्ष 1969-70 से प्रारम्भ की गयी थी। वर्ष 1969-70 में इस केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना पर 1.80 लाख रुपया व्यय हुआ था। किन्तु गत वर्ष के लिये इसका

प्रत्याशित व्यय 27.31 लाख रु० अनुमानित किया गया है। वर्ष 1971-72 में इस योजना का प्रस्तावित परिव्यय 15.00 लाख रुपया रखा गया है। इसके अतिरिक्त 1971-72 की वार्षिक योजना में तीन नई केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना यें सम्मिलित कर ली गयी है। वे हैं--(1) झांसी जिल में 19.58 लाख रुपये के परिव्यय से बागनी खेती करने की अग्रगामी प्रायोजना; (2) आगरा जिले में 18.42 लाख रुपये के परिव्यय से बागनी खेती की अग्रगामी प्रायोजना तथा (3) गाजीपुर जिले में 18.42 लाख रुपये के परिव्यय से बागनी खेती की अग्रगामी प्रायोजना।

वन विभाग की योजनाएं

79--राज्य में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या भूमि के कटाव की है, विशेषकर हिमालय के संभाग और चम्बल तथा यमुना जलागम के विभिन्न प्रभागों में। वन विभाग नदी घाटी प्रायोजनाओं के जलागम क्षेत्रों में तथा कन्दराओं की भूमि में भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्यों पर पर्याप्त ध्यान दे रहा है। वन विभाग की भूमि संरक्षण सम्बन्धी योजनायें अर्थात्, राज्य की योजना के अधीन कन्दराओं को खेती योग्य बनाना। उन पर वन रोपण करना तथा रामगंगा के जलागम क्षेत्र में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित नदी घाटी प्रायोजना. तीसरी योजना से चालू है। इन दो स्कीमों के अन्तर्गत भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम को चौथी योजना में और तेजी से बढ़ाने का प्रस्ताव है।

80--कन्दराओं को खेती योग्य बनाने। उन पर वनरोपण करने की राज्य योजना की स्कीम के अन्तर्गत 1969-70 के दौरान 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र को खेती योग्य बनाने का कार्य पूरा किया गया, जबकि वर्ष 1968-69 तक 21,196 हेक्टेयर क्षेत्र को खेती योग्य बनाने का कार्य किया गया था। गत वित्तीय वर्ष के दौरान और 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र को खेती योग्य बनाने का कार्य पूरा हो जाने की आशा की जाती है और 1971-72 में और 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र को खेती योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

81--रामगंगा के जलागम क्षेत्र में, केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित नदी घाटी प्रायोजना की स्कीम के अन्तर्गत, 1968-69 के अन्त तक 0.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण तथा चरागाह का विकास करने का कार्य किया गया। इस सम्बन्ध में 1969-70 में 0.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यह कार्य सम्पादित किया गया और वर्ष 1970-71 में 0.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यह काम हो जाने की आशा की जाती है। वर्ष 1971-72 में 0.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यह कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है। केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित इस योजना पर 1969-70 के दौरान, 17 लाख रुपया व्यय किया गया वर्ष 1970-71 का प्रत्याशित व्यय 19.62 लाख रुपया है और वर्ष 1971-72 के लिये 24 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

82--चालू वित्तीय वर्ष में, नदी घाटी प्रायोजना-माटाटीला बांध की एक नई योजना 2 लाख रुपये के परिव्यय से चालू की गयी है और वर्ष 1971-72 में भी, उसके लिये 7 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

विकास अन्वेषणालय की योजनायें--

83--विकास अन्वेषणालय की भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, मुजफ्फराबाद तथा में भूमि और जल संरक्षण की फूलपुर, प्रायोजना इलाहाबाद दो योजनाओं के अन्तर्गत तत्सम्बन्धी कार्य वर्ष 1971-72 में भी जारी रहेगा।

(4)—कृषि शोध तथा शिक्षा

कृषि शोध (Agricultural Research)—

84—विभिन्न फसलों पर कृषि सम्बन्धी शोध कार्य संचालित करने के लिये राज्य में 1968–69 के अन्त तक आधारभूत अवस्थापना (basic infrastructure) सृजित कर दी गयी थी। इसमें धान, गेहूं, कपास, जूट, तिलहन, ज्वार, बाजरा, आलू, मोटा अनाज, फल, साग-सब्जी, आदि पर शोध करने की सुविधायें भी शामिल हैं। कृषि रसायन विज्ञान, कीट विज्ञान, पौध-व्याधि विज्ञान, फसल क्रिया विज्ञान, आदि, जैसे विषयों से सम्बन्धित कार्यात्मक शिक्षा देने का अनुभाग भी स्थापित किया गया था। वर्ष 1969–70 के दौरान, आर्थिक वनस्पति (तिलहन), और धान का शोध संस्थान, सहारनपुर, आर्थिक वनस्पति (धान) फल शोध केन्द्र बस्ती, फसल क्रिया विज्ञान तथा कीट विज्ञान के अनुभागों का विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त संभागीय शोध केन्द्रों को सज्जायुक्त किया गया।

85—इनके अतिरिक्त, तिलहन, सोयाबीन, चावल, जौ, मक्का, मोटा अनाज, दालें, जूट और गेहूं सम्बन्धी आल इन्डिया कोआर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्टस (अखिल भारतीय समन्वित शोध प्रायोजनाएं) भी प्रगति कर रही है। वर्ष 1970–71 में भी, भारत सरकार ने बस्ती में आम तथा अमरूद सम्बन्धी शोध कार्य के लिये तथा साग-सब्जी शोध केन्द्र कानपुर में साग-सब्जी के शोध कार्य के लिये समन्वित प्रायोजनाएं स्वीकृत की। भारतीय कृषि शोध परिषद् द्वारा वित्तपोषित, केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत सामान्य उर्वरक ट्रायल, न्यादर्श कृषि प्रयोग, भूमि सम्बन्धी संरचना की माप तथा मूल्यांकन विषयक अध्ययन के कार्यक्रम भूमि का खारापन, सिंचाई, जलोत्सारण, भूमि विज्ञान तथा जल-व्यवस्था (Water Management) सम्बन्धित समन्वित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। 1970–71 में एक आलू शोध केन्द्र की स्थापना भी गुरसहायगंज, फर्रुखाबाद जिले में की गयी है।

86—**धान**—रूसी जनक (पेरेन्टस) "बुन्देला" और "रुहेला" की नई किस्में तथा "सरजू–49" जिसमें ताईचुंग नेटिव—1 तथा ताईचुंग—65 वाले जनक है, सामान्य कृषि के लिये प्रचलित किये गये हैं। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में कृषि के लिये "मधुकर" नामक धान प्रचलित किया गया है। एक नये किस्म का धान 'जलमग्ना' तालाबों में 3–5 फीट गहरे पानी में बोने के लिये अभी हाल में निकाला गया है। वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिये "मक्षेरा–3" नामक एक नये किस्म का धान निकाला गया है।

87—**गेहूं**—"के–68" तथा "के—65" नामक गेहूं की दो किस्में राज्य में विकसित की गई है और सामान्य खतों में काम में लायी गयी है। 1969 में एक नई किस्म "कुन्दन" निकाली गयी है। यह कम अवधि वाली किस्म है। इसमें "ब्राउन रस्ट" नहीं लगता है। इन्डो-मैक्सिकन की संकर किस्मों में से के–803, के—804 तथा के–804–3 उत्साहवर्धक पायी गयी है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिये सामान्य गेहूं की वी० एल० 88, वी० एल० 61, तथा वी० एल० 99 किस्में तथा वी० एल० एस० 404 (दो जीन ड्राफ) और बी० एल० यस०—501 (तीन जीन ड्राफ) विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा में विकसित की गयी हैं और उनका अन्तिम रूप से चुनाव किया जा रहा है। वर्षा पर निर्भर रहने वाली दशाओं में "कल्याण सोना", सी-306 तथा के-65 सबसे अधिक अनुकूल सिद्ध हुई है।

88—**जौ**—जौ के जो महत्वपूर्ण किस्में उत्पादन के हेतु दी जा चुकी हैं वे इस प्रकार है—के-24, के-70, सा-251 'बलिया' स्थानीय (लोकल) तथा के-12। वर्ष 1969–70 के दौरान दो नयी किस्में 'अम्बर' तथा 'जोति' उत्पादन के लिये प्रचलित की गई है। 'अम्बर' की सिफारिश वर्षा-पोषित क्षेत्रों के लिये तथा 'ज्योति' की सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिये की गयी है। 'ज्योति' आसवन (distilling) के प्रयोजनों के लिये उपयुक्त है।

89—तिलहन—सामान्य कृषि के लिये विकसित तथा अभिस्तावित अपेक्षाकृत अच्छी फसल देने वाली कुछ किस्में इस प्रकार है—

1—मूंगफली टी—19

2—तिल टी—4, टी—12, टी—13

3—रेंडी टी—3, कालपी 6

4—अलसी टी—126, टी–397, हीरा, मुक्ता, नीलम,

5—राई और सरसों टी—1, टी—10, टी–16 व टी–42

90—इसके अतिरिक्त ज्वार बाजरा, फलियों तथा सब्जियों में अधिक अच्छी उपज देने वाली किस्में भी विकसित की गयी है। राज्य में विभिन्न शोध केन्द्रों में गन्ने, जूट, कपास तथा औद्यानिक फसलों के सम्बन्ध में भी शोध कार्य किया जा रहा है।

91—यह प्रस्ताव है कि आर्थिक वनस्पतिज्ञ (फलियां) के अनुभाग के लिये अतिरिक्त प्रयोगशाला सुविधाओं, प्राविधिक कार्मिकों तथा उप केन्द्रों (सब-स्टेशन्स) की व्यवस्था करके उसे सुदृढ़ किया जाय जिससे कि 1971–72 के दौरान अधिक अच्छी फलियों की किस्मों को उत्पन्न करने तथा उन्हें चयन करने के सम्बन्ध में तीव्रता से कार्य किया जा सके। राज्य के संभागीय शोध केन्द्रों को और सज्जित किया जायगा जिससे कि फसल सम्बन्धी प्रविधियों का जिनमें उर्वरक- अनुसूचियां, कीटनाशक दवाइयों की मात्राएं, बारी-बारी से फसल बोना आदि बातें सम्मिलित हैं, का मानकीकरण किया जा सके।

92—परिव्यय—कृषि सम्बन्धी शोध के हेतु चौथी योजना में 139.33 लाख रुपये का परिव्यय है। वर्ष 1969–70 के दौरान 9.41 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई। 1970–71 के लिए 27.97 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसकी तुलना में 29.14 लाख रुपये के व्यय होने की आशा है। 1971–72 में शोध प्रयासों को और तीव्रता से किया जायगा। इस प्रयोजन के लिए 41.67 लाख रुपये का परिव्यय है।

93—कृषि सम्बन्धी शिक्षा—चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि संबंधी शिक्षा के लिए 279.17 लाख रुपये की धनराशि नियत की गई है। 1969–70 के दौरान 42.66 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई थी। वर्ष 1970–71 के लिये 48.90 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है जिसकी तुलना में 40.77 लाख रुपये के व्यय होने की संभावना है। 1971–72 के लिए 75.38 लाख रुपये का परिव्यय है। इसमें कृषि विश्वविद्यालय रुद्रपुर के लिए 40 लाख रुपये की धनराशि भी शामिल है।

94—कृषि के डिप्लोमा स्कूलों तथा कृषि कालेजों में कृषि के संबंध में विशेष प्रशिक्षण (Specialized Training) दिया जाता है। कृषि के विषय पर स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा 26 संस्थाओं में दी जाती है जिनमें कृषि विज्ञान संस्थान कानपुर तथा कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर भी सम्मिलित है। स्नातकों के अध्यापन संबंधी पाठ्यक्रम में गुणात्मक सुधार करने के उद्देश्य से 1969–70 से एक त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है।

95—कृषि-शिक्षा के क्षेत्र में खास बात एक ऐसे कृषि विज्ञान संस्थान स्थापित करने की रही है जो कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा तथा शोध केंद्र का काम दे सकें। शिक्षा, शोध तथा प्रसार के समस्त कार्यक्रम का समुच्चयन तथा अभिनवीकरण कर दिया गया है जिससे कि वैज्ञानिक कार्मिक कृषि प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगतियों से अवगत हो सकें।

(5)—छोटे किसान तथा खेतिहर मजदूर

96—कृषि के क्षेत्र में चौथी पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि छोटे किसान कृषि के विकास में भाग ले सकें और उसके लाभों में उनका भी हिस्सा हो सके। इस उद्देश्य को सामान्य तथा विशिष्ट दोनों तरह के विभिन्न उपायों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सामान्य उपाय बहुत से क्षेत्रों से संबंधित हैं जिनमें लघु सिंचाई, कृषि संबंधी ऋण तथा पशुपालन सम्मिलित हैं। छोटे किसानों की दशा में सुधारने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित विशिष्ट कार्यक्रम आरंभ किये हैं—

कार्यक्रम	प्रायोजनाओं की संख्या	
	भारत	उत्तर प्रदेश
1—छोटे किन्तु संभाव्यत: जीवन-क्षम किसानों के विकास के लिये लघु कृषक विकास अभिकरण)	46	4
2—उपान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के लिये प्रायोजनायें ..	40	2
3—बागनी खेती (Dry land farming)	24	3
4—चिरकाल से सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण-कार्य संबंधी श्रम-प्रधान कार्यवाहियां (आयोजनेत्तर) (Rural works Programme)	54	6

लघु कृषक विकास अभिकरण

97—भारत सरकार ने प्रतापगढ़, रायबरेली, बदायूं तथा फतेहपुर के जिलों में छोटे किसानों की उन्नति तथा लाभ के लिये चार लघु कृषक विकास अभिकरण स्थापित किये हैं। प्रत्येक प्रायोजना के लिए राज्य योजना से बाहर 1.5 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस स्कीम की परिकल्पना इस उद्देश्य से की गई है कि संहत क्षेत्रों में एक हेक्टेयर से तीन हेक्टेयर के बीच की जोतों वाले 50,000 से 60,000 छोटे किसान इसके अन्तर्गत आ जांय। 4 जिलों में इस स्कीम के कार्य क्षेत्रों में छोटे किसानों की पहिचान का कार्य पूरा हो चुका है और भूमि विकास बैंक तथा सहकारी समितियों द्वारा लघु सिंचाई और उर्वरकों तथा कीटा नाशक दवाइयों की खरीद के वास्ते ऋण दिये जा रहे हैं।

उपान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की प्रायोजनायें

98—इसके अतिरिक्त उपान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के लिए दो प्रायोजनायें भी भारत सरकार द्वारा 1 हेक्टेयर तक की जोतों वाल उपान्त किसानकी सहायता के हेतु बलिया और मथुरा में चलाई गई है। राज्य सरकार ने भारत सरकार से छोटे किसानों के वास्ते 11 प्रायोजनायें तथा उपान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों के वास्ते 10 प्रायोजनायें स्वीकृत करने का निवेदन किया है।

बागनी खेती

99—इस कार्यक्रम में चार शोध केंद्रों में बागनी खेती संबंधी शोध कार्य करने की परिकल्पना की गई है जिससे अग्रगामी कार्य प्रायोजनायें संबद्ध की जायेंगी। । वर्ष 1970-71 के दौरान भारत सरकार ने ऐसी एक प्रायोजना झांसी जिले में स्वीकृति की हैं और वर्ष 1971-72 से आगरा तथा गाजीपुर में दो और ऐसी प्रायोजनायें आरंभ की जायगी। झांसी में बागनी खेती की प्रायोजना के वास्ते कुल 6.67 लाख रुपये का परिव्यय है। विभिन्न बागनी संबंधी प्रक्रियाओं के अधीन 2,000 एकड़ क्षेत्र लाने का लक्ष्य है।

ग्रामीण निर्माण-कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम

100—भारत सरकार ने 100 प्रतिशत सहायता के आधार पर योजनेतर पक्ष में केंद्रीय पुरोनिधानित स्कीम के रूप में ग्रामीण निर्माण कार्यों का एक नया कार्यक्रम आरंभ किया है। इस स्कीम का उद्देश्य ऐसे स्थायी प्रकार के नागरिक निर्माणकार्य संपादित करना है जो उत्पादन सहायक तथा श्रम प्रधान हों और जिनके कारण सूखे के बुरे प्रभाव से लोगों को स्थायी रूप से राहत मिलने की संभावना हो। भारत सरकार ने इस संबंध में चार वर्ष की अवधि के लिये प्रत्येक जिले के वास्ते 2 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की है जो प्रत्येक जिले के लिये 50 लाख रुपया प्रति वर्ष की दर से है।

101—पहले पहल यह सहायता भारत सरकार द्वारा मिर्जापुर जिले के लिये स्वीकृत की गई थी। अब यह सहायता पांच और जिलों के लिये उपलब्ध हो गई है अर्थात् बांदा, इलाहाबाद, वाराणसी, हमीरपुर तथा जालौन। राज्य सरकार ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम का प्रसार झांसी जिले में भी किया जाय जो कि चिरकाल से एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। राज्य सरकार ने भारत सरकार से निम्नलिखित सूखाग्रस्त जिलों के लिये 7 और प्रायोजनायें स्वीकृत करने का भी निवेदन किया है—

फतेहपुर,
कानपुर,
बलिया,
गाजीपुर,
हरदोई,
बाराबंकी,
प्रतापगढ़।

भूमिहीन मजदूर

102—यह महसूस किया गया है कि भूमिहीन मजदूरों को यदि पशुपालन, कुक्कट पालन, कुटीर उद्योग आदि से संबंधित कार्यक्रम आरंभ करने में समर्थ बना दिया जाय तो वे अपना रोजगार स्वयं चला सकते हैं और मजदूरी पर उनका आश्रय कम की जा सकती है। इस अशक्त वर्ग के लिये उपयुक्त कार्यक्रम की सिफारिश करने के वास्ते राज्य द्वारा एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई है जिसमें कृषि, उद्योग, पशुपालन, श्रम, सहकारिता, राजस्व तथा हरिजन और समाज कल्याण विभागों के अधिकारी हैं। इसके रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(6) कृषि में विनियोजन के लिये संस्थात्मक वित्त

103—कृषि क्षेत्र के अधीन संस्थात्मक वित्त प्राप्त करने के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। 1970-71 में 25.17 करोड़ रुपये की धनराशि जिसमें 20.07 करोड़ की लघु सिंचाई कार्यक्रम की धनराशि भी सम्मिलित है, विनियोजन के हेतु उपलब्ध होने की आशा है। 1971-72 के दौरान 41.80 करोड़ रुपये तक का संस्थात्मक वित्त उपलब्ध होने की आशा है। इस धनराशि में 30.50 करोड़ रुपये की धनराशि लघु सिंचाई के हेतु सम्मिलित की गई है। (20 करोड़ रुपये सामान्य कार्यक्रम के अधीन भूमि विकास बैंक द्वारा वितरित किये जायेंगे, 10 करोड़ रुपये कृषि पुनर्वित निगम की स्कीमों के अधीन तथा 0.50 करोड़ रुपये केंद्रीय सरकारी बैंकों द्वारा वितरित किये जायेंगे)। 3.30 करोड़ रुपये की धनराशि कृषि पुनर्वित्त निगम से गोदाम निर्माण के वास्ते और उपलब्ध होने की संभावना है (सहकारिता विभाग—3 करोड़ रुपया, औद्योनिकी—0.20 करोड़ रुपये तथा दुग्ध व्यवसाय 0.10 करोड़ रुपया)। आशा है कि वाणिज्यिक बैंक कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत 1 करोड़ रुपये के ऋण-वितरण करने में समर्थ होंगे। सहकारी बैंकों द्वारा कृषि प्रयोजनों के हेतु उपबन्ध किये जाने वाले मध्य कालीन ऋणों का अनुमान 7.5 करोड़ रुपये का लगाया गया है। व्योरे परिशिष्ट 4 में दिये गये हैं।

परिशिष्ट—1

उत्पादन के लक्ष्य

मद	इकाई	चौथी योजना के आधारिक वर्ष का उत्पादन	1969-70 लक्ष्य	1969-70 वास्तविक उपलब्धि	1970-71 लक्ष्य (क्षमता)	1970-71 अनुमानित उपलब्धि (क्षमता)	1971-72 लक्ष्य (क्षमता)	चौथी योजना काल (क्षमता)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—खाद्यान्न—								
चावल ..	लाख मी०टन	28.83	34.34	33.31	36.00	36.32	38.20	43.00
गेहूं ..	,,	63.90	68.00	64.21	69.00	75.41	70.20	83.00
मक्का ..	,,	13.40	13.00	11.74	13.80	17.69	15.50	17.00
ज्वार ..	,,	4.77	4.30	4.33	4.40	4.73	4.90	5.00
बाजरा ..	,,	6.02	5.50	7.41	5.60	8.61	5.40	6.00
अन्य अनाज	,,	16.65	19.40	19.88	19.60	19.76	21.24	23.45
दालें ..	,,	34.43	33.00	33.25	33.60	31.00	34.56	36.55
योग खाद्यान्न	,,	168.00	177.54	174.13	182.00	193.52	190.00	214.00
2—वाणिज्यिक फसलें—								
गन्ना (गुड़)	लाख मी०टन	51.50	52.00	60.68	55.87	50.40	64.00	65.75
तिलहन	,,	17.00	18.83	16.31	17.50	16.04	18.00	19.00
कपास ..	लाख गांठें	0.55	0.65	0.49	0.56	0.41	0.65	0.95
जूट ..	,,	1.90	2.07	1.55	2.10	1.83	2.13	2.20

परिशिष्ट–2

चुने हुए कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्य

मद	इकाई	1968–69 वास्तविक	1969– 0 वास्तविक	1970–71 लक्ष्य	1970–71 अनुमानित उपलब्धि	1971–72 लक्ष्य	चौथी योजना के लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1–(अ) अधिक उत्पादन वाली किस्में							
धान	'००० हेक्टर	331	561	689	677	797	1,015
गेहूं ..	"	1,358	1,640	1,863	1,938	2,200	2,385
मक्का ..	"	85	81	101	63	30	40
ज्वार ..	"	9	7	18	1	7	8
बाजरा ..	"	10	22	28	30	26	24
	योग ..	1,793	2,311	2,699	2,709	3,060	3,472
(ब) समुन्नत बीजों के अन्तर्गत क्षेत्र	"	13,104	13,562	14,021	14,021	14,000	15,391
2—मल्टीपुल क्रापिंग	"	5,867	6,018	6,372	6,372	6,726	7,634
3—रासायनिक उर्वरक—	'००० मीट्रिक टन						
नाइट्रोजन (एन) ..	"	220	306	350	291	410	550
फास्फेटिक (P_2O_5) ..	"	77	99	110	75	140	220
पोटाश (के) ..	"	42	55	70	45	100	160

4—आर्गेनिक खाद तथा हरी खाद							
शहरी कम्पोस्ट ..	लाख मी० टन	6.89	6.79	7.40	7.30	8.10	9.50
हरी खाद ..	लाख हेक्टर	5.66	5.13	8.50	5.23	9.71	12.00
5—पौध सुरक्षा							
बीजोपचार ..	लाख हेक्टर	19.64	18.86	24.31	25.25	30.45	40.32
घासपात उन्मूलन ..	"	0.54	1.20	0.98	1.46	0.72	0.96
प्रोफ्लैक्टिक छिड़काव ..	"	12.21	15.66	16.99	19.26	19.57	25.92
चूहा नियंत्रण ..	"	10.88	14.43	14.57	19.63	16.68	22.08
महामारी रोकथाम ..	"	3.43	4.88	3.90	5.45	5.08	6.72
योग (समग्र क्षेत्र)		46.70	55.03	60.75	71.05	72.50	96.00
6—कृषि मशीनरी तथा उपकरणों का वितरण—							
ट्रैक्टर ..	सं०	599	1,691	3,450	1,000	10,000	30,000
पावर थ्रेशर ..	"	..	..	4,000	1,000	5,000	10,000
बीज एवं उर्वरक ड्रिल ..	"	..	..	500	500	1,000	3,000
अन्य (पम्प सेट) ..	"	1,130	1,242	2,000	200	2,000	6,000

परिशिष्ट–2 (क्रमशः)

मद	इकाई	1968–69 वास्तविक	1969–70 वास्तविक	1970–71 लक्ष्य	1970–71 अनुमानित उपलब्धि	1971–72 लक्ष्य	चौथी योजना के लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
7––लघु सिंचाई (अतिरिक्त क्षेत्र)––							
क्षेत्र							
स्टेट वर्क्स ..	'००० हेक्टर	50.00	100.00	111.53	94.00	141.00	555.0
निजी वर्क्स शुद्ध ..	"	383	359	387	387	335	2638
संख्या							
खोदे हुए कुएं ..	सं० '०००	49	46	50	32	45	225
कुओं में बोरिंग आदि द्वारा सुधार	"	43	37	50	29	45	50
डीजल एवं विद्युत् पम्प ..	"	34	27	30	25	30	155
निजी नलकूप ..	"	37	45	50	53	45	200
राज्य नलकूप ..	"	0.35	0.39	0.50	0.85	0.70	1.30
8––भूमि संरक्षण––							
कृषि भूमि पर भूमि संरक्षण (अतिरिक्त)	'००० हेक्टर	146	238	211	242	226	1,080

नदी घाटी प्रायोजनाओं के केचमेंट में वृक्षारोपण एवं चरागाहों का विकास	"	16	21	24	24	28	36
9—भूमि पुनर्वापण ..		..	..	..	..	..	..
10—चकबन्दी के अन्तर्गत क्षेत्र (अतिरिक्त)	लाख हेक्टर	88.96	4.51	4.32	4.32	6.82	26.30
11—नियंत्रित मार्केट तथा सब मार्केट	सं०	58	79	172	171	250	250
12—ग्रेडिंग इकाईयों की स्थापना	सं०	20	20	23	23	23	30
13—संग्रहण क्षमता—							
उर्वरक	लाख मीट्रिक						
कृषि विभाग	टन	1.40	1.38	2.24	3.10	अनुपलब्ध	2.48
सहकारिता विभाग	"	3.15	3.15	3.15	3.15	3.92	4.15
खाद्यान्न (सहकारिता विभाग)	"	2.22	2.22	2.33	2.33	2.54	2.94

परिशिष्ट—3

परिव्यय का मद/क्षेत्रवार विवरण (लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	विकास मद/कार्यक्रम	1969–74 परिव्यय	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 बजट प्राविधान	1970–71 अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	1971–72 परिव्यय पूंजी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृषि उत्पादन--						
	(1) कृषि शिक्षा एवं प्रशिक्षण	219	33	46	38	46	1
	(2) उन्नत बीज ..	261	35	68	88	68	30
	(3) उर्वरक एवं खाद ..	721	152	71	67	70	67
	(4) पौध सुरक्षा ..	707	117	116	69	103	..
	(5) कृषि उपकरण तथा मशीनरी (कृषि उद्योग निगम को सम्मिलित करते हुए) ..	271	20	15	17	85	67
	(6) अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम सघन कृषि कार्यक्रम तथा मल्टीपुल क्रापिंग	298	8	13	9	13	..
	(7) वाणिज्यिक फसलें ..	418	52	63	47	78	26
	(8) औद्यानिकी ..	183	29	49	57	71	14
	(9) कृषि सांख्यिकी ..	9	..	..	..	..	..
	(10) छोटे किसान, कृषि श्रमिक तथा भूमिहीन मजदूर	100	..	..	..	5	..
	(11) चकबन्दी ..	2,000	405	407	415	415	..
	(12) विविध ..	131	1	123	77	169	129
2.	कृषि शोध एवं शिक्षा ..	418	52	69	65	117	13
3.	लघु सिंचाई ..	9,600	2,074	1,979	2,103	2,130	1,981
4.	भूमि संरक्षण ..	2,140	355	331	387	435	..
5.	कृषि विपणन, स्टोरेज तथा गोदाम— ..	104	7	20	23	26	11
	योग ..	17,580	3,340	3,370	3,462	3,831	2,339

परिशिष्ट– 4

कृषि में विनियोग के लिए संस्थागत वित्त

(लाख रुपयों में)

संस्था	कृषि में विनियोग के लिए संस्थागत वित्त			
	1969-70 वास्तविक	1970-71 लक्ष्य	1970-71 अनुमानित	1971-72 लक्ष्य
1	2	3	4	5
क—संस्थागत वित्त—				
1—भूमि विकास बैंक (सामान्य डिबेंचरों द्वारा ऋण दिया जाना)	1,753	1,370	1,838	2,000
2—कृषि पुनर्वित्त निगम ..	248	900	229	1,330
3—वाणिज्यिक बैंक ..	अनुपलब्ध	50	अनुपलब्ध	100
4—सहकारी बैंक (मध्यम कालीन)	218	500	450	750
योग ..	2,219	2,820	2,517	4,180
ख—विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संस्थागत वित्त का विवरण—				
1—लघु सिंचाई ..	2,021	2,370	2,007	3,050
2—भूमि संरक्षण ..	..	..	..	..
3—भूमि विकास ..	..	..	..	..
4—औद्यानिकी ..	..	..	..	20
5—डेरी फार्मिंग ..	..	..	..	10
6—गोदाम निर्माण ..	..	..	60	300
7—अन्य (सहकारी बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक) ..	198	450	450	800
योग ..	2,219	2,820	2,517	4,180

परिशिष्ट–5

1971–72 के लिए खाद्यान्न उत्पादन क्षमता

(लाख मीट्रिक टन)

1—वर्ष 1970–71 के लिए खाद्यान्न उत्पादन क्षमता का लक्ष्य	..	182.00
2—वर्ष 1970–71 में खाद्यान्न क्षमता का अनुमानित उत्पादन	..	183.00
3—वर्ष 1971–72 में 1970–71 के लक्ष्य के ऊपर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का लक्ष्य ..	..	7.93

कार्यक्रम	वर्ष 1970-71 की तुलना में वर्ष 1971-72 में अतिरिक्त क्षेत्र (अनुमानित)		वर्ष 1971-72 में 1970-71 के लक्ष्य की अपेक्षा अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का लक्ष्य
	कुल (लाख हेक्टर)	खाद्यान्न के लिए (लाख हेक्टर)	
1	2	3	4
1—अधिक उपज वाली फसलें—			
चावल ..	..	1.09	1.36
गेहूं ..	..	3.37	4.06
मक्का ..	..	(–) 0.71	(–) 0.78
ज्वार ..	..	(–) 0.11	(–) 0.04
बाजरा ..	..	(–) 0.02	
योग ..	..	..	4.60
2—लघु सिंचाई ..	7.24	5.07	2.51
3—बड़ी तथा मध्यम सिंचाई	0.75	0.53	0.26
4—मल्टीपुल क्रापिंग ..	3.54	0.51	0.26
5—भूमि संरक्षण —			
प्रसार ..	2.09	2.09	0.26
पर्वतीय क्षेत्र ..	0.04	0.04	0.02
रेवीन ..	0.13	0.13	0.02
		योग 1—4	7.93

परिशिष्ट–6
वार्षिक योजना 1971–72
आयोजनावार परिव्यय

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70 संभावित व्यय	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा		स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1) उन्नतबीज कार्यक्रम										
	कृषि विभाग										
110101	उन्नत बीजों के वर्धन, संग्रहण और वितरण के योजना का सुदृढ़ीकरण	236.58	32.46	..	33.54	55.27	65.27	84.10	64.03	28.89	..
110102	बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना ..	17.78	1.50	..	..	4.85	2.01	1.82	0.23	..	..
110103	विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा में हाइब्रिड एवं अधिक उपज देने वाले बीजों का उत्पादन	7.08	..	..	1.41	1.20	1.20	1.11	0.77	..	..
110104	सीड ऐक्ट, 1966 का क्रियान्वयन	..	..	..	..	0.001	0.001	1.26	1.26	..	..
110105	पर्वतीय जिलों में बीज वर्धन फार्म की स्थापना ..	..	..	..	..	..	..	..	1.85	1.24	..
	योग (1) ..	261.44	33.96	..	34.95	61.32	68.48	88.29	68.14	30.13	..

परिशिष्ट—6

मद 1.—कृषि कार्यक्रम

वर्ग 1·1.—कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 संभावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(2)	उर्वरक तथा खाद										
	कृषि विभाग—										
110201	राज्य के पर्वतीय एवं अगम्य क्षेत्रों में उर्वरकों के यातायात पर राज सहायता	15.00	..	..	1.81	3.00	3.00	3.00	3.00	..	..
110202	कृषि सम्पूर्ण संगठन का सुदृढ़ीकरण—गोदामों का निर्माण	400.88	258.50	..	120.15	49.16	36.30	31.94	2.30	2.29	..
110203	उर्वरकों के अधिग्रहण, संग्रहण एवं वितरण की योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.01	0.01	..	..	0.01	..	..	..	..	..

110204	उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1957 को लागू करने की योजना	5.21	..	..	..	2.12	..	स्कीम समाप्त हो गई		..	..
110205	पिछड़े तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि सम्पूर्ति कार्यक्रम का विस्तार तथा कृषि सम्पूर्ति संगठन का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..	21.83	..	तदेव	..	..	..
	नई परियोजना——										
	झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर, तथा मिर्जापुर के पिछड़े तथा अगम्य क्षेत्रों में उर्वरक एवं पेस्टीसाइड गोदामों का निर्माण	..	..	..	..	..	..	..	13.65	13.65	..
	पर्वतीय क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण	..	..	..	..	..	..	..	1.00	1.00	..
	योग कृषि विभाग ..	421.10	258.51	..	121.96	76.12	39.30	34.94	19.95	16.94	..
	स्वायत्त शासन विभाग——										
110221	मलोपयोग संबंधी योजना	300.00	300.00	5.00	30.00	32.00	32.00	32.00	50.00	50.00	1.00
	योग (2)	721.10	558.51	5.00	151.96	108.12	71.30	66.94	69.95	66.94	1.00
	(3) पौध सुरक्षा										
	कृषि विभाग——										
110301	पहाड़ी क्षेत्रों में कुरमुला कीट का नियंत्रण	39.60	..	..	2.58	2.00	2.00	..	0.001	..	..
110302	पौध सुरक्षा सेवा का विस्तार	667.60	..	..	114.43	70.18	114.53	68.90	97.95	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70 संभावित व्यय	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा		स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	नयी परियोजनायें—										
	छोटे किसानों को एग्रो केमिकल क्रियाओं द्वारा इन्डेमिक क्षेत्रों में फसलों के रोगों तथा कीटाणुओं को नष्ट करने के योग्य बनाना	..	..	..	..	..	..	..	4.90	..	
	योग, (3)	707.20	..	..	117.01	72.18	116.53	68.90	102.85	..	..
	(4) कृषि उपकरण										
	कृषि विभाग—										
110401	चार पूर्वी जिलों में कृषि कर्मशालाओं का विस्तार	19.13	1.25	..	..	..	..	..	4.95	1.50	..

110402	उन्नत कृषि उपकरणों के प्रदर्शन विक्रय तथा उनको लोक-प्रिय बनाने की योजना का सुदृढ़ीकरण तथा कृषि विभाग में कृषकों को उपकरण कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने के लिये सेल की स्थापना	7.28	..	..	..	..	..	..	..	..	..
110403	नये कृषि यंत्रों तथा मशीनरी के डिजाइनिंग हेतु पुरस्कार	2.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
110404	उन्नत कृषि यंत्रों को लोकप्रिय बनाने की योजना ..	75.00	75.00	..	20.12	5.00	15.00	17.38	35.00	35.00	..
	राजकीय कृषि कर्मशालाओं में कृषि उपकरणों के उत्पादन का विस्तार, उत्पादन लागत कम करने हेतु शोध अध्ययन, मरम्मत की सुविधा प्रदान करना तथा कृषक प्रशिक्षण	..	..	..	..	5.68	..	..	स्कीम त्याग दी गई	..	..
	चुने हुए जिलों में संस्थागत वित्त से कृषि का मशीनीकरण ..	..	..	..	..	5.45	..	..	44.73	30.00	..
	योग (4)	103.41	76.25	..	20.12	16.13	15.00	17.38	84.68	66.50	..

मद--1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग--1.1. कृषि उत्पादन--(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	संभावित व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(क) वाणिज्यिक फसलें--										
	कृषि विभाग--										
110501	जूट की फसलों में छिड़काव के लिये यूरिया दिये जाने की योजना	2.05	..	..	..	0.44	0.44	0.06	0.44	..	..
110503	सीतापुर, लखीमपुर-खीरी और बहराइच में जूट की सघन खती	9.28	..	..	1.14	1.96	1.49	1.20	1.67	..	..
110508	जूट संबंधी विशेष "पैकेज" कार्यक्रम	0.54	..	..	..	0.12	स्कीम समाप्त हो गई				
110509	जूट की फसल पर यूरिया एवं कीटनाशक दवाइयों का हवाई छिड़काव	0.92	..	..	..	0.12	स्कीम समाप्त हो गई				
110510	जूट एवं मेस्ता के किस्म का सुधार ..	1.01	..	..	..	..	स्कीम समाप्त हो गई				
110511	जूट के उन्नतशील बीजों का कम दर पर वितरण ..	2.31	..	..	..	..	स्कीम समाप्त हो गई				

110512 ब्रूड लाख फार्मों तथा प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना ..	1.36	..	..	0.11	0.18	0.18	0.17	0.69	..	..
110513 जूट कृषकों को ऋण ..	..	..	..	..	..	2.00	2.00	2.00	2.00	..
<u>नई परियोजना</u>										
चीनी मिल क्षेत्रों के बाहर गन्ना विकास ..	..	..	..	..	0.81	स्कीम समाप्त हो गई				
तम्बाकू विकास	..	..	..	..	..	..	..	0.98	..	..
सोयाबीन की खेती का विकास तथा विख्यापन ..	..	..	..	..	..	..	..	4.07	..	..
योग, कृषि विभाग	17.47	..	..	1.25	3.63	4.11	3.43	9.85	2.00	..
(ख) हार्टीकल्चर										
कृषि विभाग—										
110502 पर्वतीय जिलों में आलू विकास कार्य का सघनीकरण ..	1.21	..	..	0.32	0.26	3.26	5.58	8.34	..	..
110504 औद्यानिक विकास कार्यक्रम का सघनीकरण ..	36.40	10.95	..	5.11	9.23	7.89	7.19	6.98	0.08	..
110505 शाक-भाजी के उत्पादन का सघनीकरण एवं सब्जी बीज उत्पादन	16.64	1.20	..	0.49	1.75	1.75	1.96	3.37	0.50	..
110506 देहरादून के चकराता तहसील के जौनसार-बावर के पिछड़े क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्रों में औद्यानिक विकास कार्य का सघनीकरण	17.71	10.00	..	3.15	3.69	3.69	3.23	3.87	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 संभावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110507	आलू विकास के कार्यक्रम का तीव्रतर किया जाना ..	10.84	..	..	0.16	1.86	1.42	4.79	1.78	..	..
110531	चुने हुए ब्लाकों में संहत औद्यानिक विकास ..	..	..	..	..	0.001	4.49	4.47	9.82	2.20	..
	नयी परियोजनायें—										
	आगरा में अंगूर की सघन खेती	..	..	..	..	..	..	..	0.08	..	
	गुलाब के फूलों का उत्पादन व निर्यात बढ़ाना ..	..	..	..	..	..	..	..	1 27	..	..
	सचल दलों द्वारा बुन्देल खण्ड में औधानिकी विकास ..	..	..	..	..	..	..	..	0.47	..	..
	योग (1)	82.80	22.15	..	9.23	16.79	22.50	27.22	35.98	2.78	..

फलोपयोग

110541	प्रजनि फलोद्यानों की स्थापना ..	16.38	2.85	..	0.75	2.38	2.38	2.63	3.88	..	..
110542	औद्यानिक प्रसार एवं पौध संरक्षण सेवा का सुदृढ़ीकरण	8.54	..	..	2.31	1.77	1.77	2 64	1.90	..	..
110543	फल-पट्टियों तथा उद्यान उपनिवेशों की स्थापना एवं फलोत्पादकों को दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण का संवितरण ..	53.60	48.90	..	14.07	10.60	12.53	15.08	10.47	8.00	..
110544	कीटनाशक औषधियों, फल के पौधों तथा सब्जी बीजों का कम मूल्य पर वितरण ..	3.10	..	..	..	..	2.14	1.71	0.79	..	..
110545	पर्वतीय फलों एवं सब्जी पर अनुसंधान कार्य का सघनीकरण	2.10	0.60	..	0.59	0.48	0.49	0.45	0.31	..	..
110546	फलसंरक्षण एवं डिब्बाबन्दी संस्थान, लखनऊ में शोध कार्य का सघनीकरण ..	9.40	2.80	..	0.70	1.99	1.77	1·50	1.39	..	..
110547	भवन निर्माण	2.96	2.96	..	0.76	0.74	..	0.59	0.50	0.50	..
110548	अतिरिक्त सामुदायिक डिब्बाबन्दी एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	3.92	..	..	1.05	0.80	0.78	0.88	2.61	..	..
110549	*भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सहयोग से पर्वतीय क्षेत्र में सेब, आड़ू, आदि पर समन्वित योजना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

*भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से वित्त पोषित।

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	संभावित व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्यय प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110550	फलों के विवरण एवं निर्यात प्रोन्नति की योजना	0.001	..	..	..	0.93	0.84	0.57	0.69	..	..
110551	खाद्य वैज्ञानिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..	..	..	..	0.91	0.91	..
110552	शाक-सब्जी पर शोध तथा परीक्षण प्रयोगशाला एवं बीज वर्धन प्रक्षेत्र की स्थापना	..	..	..	..	1.91	1.65	0.53	3.53	2.25	..
110553	घाटी फल शोध योजना	..	..	..	..	3.40	2.34	1.89	1.53	..	..
110554	फलोशोध केन्द्र, चौबटिया में केशर, अदरख तथा मसालों पर शोध तथा पर्वतीय क्षेत्र में इनकी खेती	..	..	..	..	..	0.19	0.18	0.19	..	..
110555	औधानिकी प्रशिक्षण प्रदर्शन एवं विख्यापन	..	..	..	..	..	..	0.57	0.94	..	..
111556	फलोपयाग निदेशालय का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..	..	..	..	0.09	..	..

110557	विषाणुयुक्त फलवृक्षों का प्रमाणीकरण, निरीक्षण एवं पंजीकरण	..	..	..	..	..	..	..	0.15	0.15	..
110558	आदर्श उद्यान वाटिकाओं के लिये भूमि क्रय ..	..	..	..	..	..	..	0.61	..	..	..
110559	राजकीय उद्यान दूनागिरी में कार्यालय भवन व फल गोदाम का निर्माण	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
110560	अल्मोड़ा व टेहरी गढ़वाल में फल उत्पादकों में वितरण हेतु आदर्श उद्यानों की स्थापना	..	.	..	..	..	..	..	3.40		..
110561	चम्बा मसूरी क्षेत्र में एक बहु उद्देशीय राजकीय उद्यान की स्थापना ..	..	..	..	..	..	..	..	0.60		..
110562	फार्म आर्चर्ड तथा नर्सरीज का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..	..	..	..	0.27		..
	सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिष्ठान व्यय, उपकरण एवं संयंत्र	..	..	..	..	..	0.03	..	..	..	..
	इन्डोजर्मन प्राजेक्ट अल्मोड़ा में औद्योनिकी विकास ..	..	..	..	..	..	.	..	0.80	..	..
	राजकीय फार्म सियानी में आवासीय भवनों का निर्माण ..	..	..	..	..	..	..	..	0.05	0.05	..
	योग (2) फलोपयोग	100.00	58.11	..	20.23	25.00	26.91	29.83	35.00	11.86	..

(ग) व्यापारिक फसलें—

गन्ना विभाग —

110571	गन्ने का सघन उत्पादन	69.00	..	..	12.22	14.94	14.94	13.25	15.66	..	..
110572	खाद की सुविधाओं का तीव्रतर किया जाना	14.14	..	..	2.77	2.62	2.63	1.81	2.62	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग —1.1 कृषि उत्पादन (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74			1969-70 संभावित व्यय	1970-71			1971-72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा		स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित-व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110573	बीजों का बदलना तथा बीज-नर्सरियों की स्थापना	31.84	..	..	1.26	4.92	4.92	0.50	3.00	..	..
110574	गन्ना के पौधों की सुरक्षा कार्य-क्रम का सघनीकरण	77.00	..	..	10.62	11.44	11.59	11.22	11.66	..	..
110575	नये चीनी मिल क्षेत्रों में विकास कार्य	15.02	..	..	1.63	5.69	5.59	3.74	6.00	..	..
110576	गन्ना-प्रतियोगिता	5.00	..	..	..	1.25	..	..	1.25	..	..
110577	गन्ना उत्पादन कार्यक्रम एवं उस के प्रभाव का अध्ययन	4.40	..	..	..	0.89	0.79	0.02	0.68	..	..
110578	सड़क निर्माण (स्पिल ओवर)	72.00	72.00	..	9.52	10.00	12.02	9.15	14.45	14.45	..
110579	सड़क निर्माण (नवीन)	90.00	90.00	..	0.35	5.00	..	3.95	9.38	9.38	..
110580	'इपीडेमिक' नियंत्रण	21.60	21.60	..	12.62	5.25	5.25	..	3.30	..	..

सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिष्ठान व्यय उपकरण एवं संयंत्र	..	..	..	..	..	1.08	..	..	..	..
योग, गन्ना विभाग	400.00	183.60	..	50.99	62.00	58.81	43.64	68.00	23.83	..
योग, व्यापारिक फसलें	417.47	183.60	..	52.24	65.63	62.92	47.07	77.85	25.83	..
योग, हार्टीकल्चर	182.80	80.26	..	29.46	41.79	49.41	57.05	70.98	14.64	..
योग (5)	600.27	263.86	..	81.70	107.42	112.33	104.12	148.83	40.47	..
(6) कृषि शिक्षा (7) कृषि शोध	(इनके लिए एक नया मद 1.5 कृषि शोध एवं शिक्षा खोल दिया गया है)									
(8) प्रसार प्रशिक्षण एवं कृषक शिक्षा										
कृषि विभाग—										
110801 तीन कृषि स्कूलों में 'एक्सटेंशन विंग्स' की स्थापना	13.15	..	..	1.08	3.60	3.60	0.79	1.76	..	..
110802 मालियों के प्रशिक्षण की योजना के सम्बन्ध में भवन निर्माण	..	..	..	0.14	..	..	..	..	..	..
योग, कृषि विभाग	13.15	..	..	1.22	3.60	3.60	0.79	1.76	..	..
विकास अन्वेषणालय—										
110811 कृषि प्रक्षेत्र प्रबन्ध तथा कृषि प्रशिक्षण, जिसमें फूलपुर में एक प्रशिक्षण प्रक्षेत्र की स्थापना भी सम्मिलित है, के कार्यक्रम	5.65	..	..	1.21	1.16	1.16	0.84	1.14	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1979–74			1969–70 संभावित	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	सामुदायिक विकास विभाग										
111815	प्रक्षेत्र मेकेनिकों के प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों पर क्षेत्रीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण	80.00	5.00	..	10.99	14.00	14.00	13.00	14.50	1.00	..
110816	ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रोन्नति	36.00	..	..	5.99	6.00	6.00	7.00	7.50	..	..
110817	किसान प्रशिक्षण एवं शिक्षा—सात दिनों का प्रशिक्षण	12.00	..	..	..	2.00	2.00	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित क्षेत्र में स्थानान्तरित			
110818	ग्राम सेवकों के लिये ट्रेनिंग रिजर्व	72.00	..	..	13.99	14.00	19.00	16.00	21.00	..	..
	योग, सामुदायिक विकास विभाग	200.00	5.00	..	30.97	36.00	41.00	36.00	43.00	1.00	..
	योग (8)	218.80	5.00	..	33.40	40.76	45.76	37.63	45.90	1.00	..

(9) कृषि सांख्यिकी

कृषि विभाग—

110901	पर्वतीय क्षेत्र के 'नान-रिपोर्टिंग' क्षेत्र में फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा उत्पादन का अनुमान	8.55	..	..	..	1.72	..	..	..	..	..
110902	आलू के फसल का औसत उपज तथा उत्पादन का अनुमान लगाने के लिये रैंडम सर्वेक्षण——	..	..	..	..	0.52	..	..	..	..	..
110903	खण्ड स्तर पर कृषि उत्पादन का अनुमान लगाना	..	..	..	..	..	0.001	..	..	..	..
110904	कृषि फसलों के उत्पादन का कटाई के पूर्व अनुमान लगाना	..	..	..	..	..	0.001	..	..	..	..
	योग, (9)	8.55	..	..	..	2.24	0.002	..	..	..	..

(10) सघन कृषि कार्यक्रम—

कृषि विभाग—

111001	मैदानी भाग के प्रत्येक जिले में भूमि परीक्षण सुविधा का प्रसार	82.77	..	..	..	11.83	..	..	..	..	

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन —(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	सम्भावित व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111002	अधिक उत्पादन वाली किस्मों तथा बहुमुखी (मल्टीपुल) कृषि का कार्यक्रम	184.87	..	..	..	..	..	..	..	..	..
111003	बहुमुखी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अल्मोड़ा में सघन कृषि विकास	30.85	..	..	7.72	12.92	12.83	9.04	13.52	..	..
111004	सत्वर कार्यक्रम के अन्तर्गत सघन कृषि क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण	0.001	..	..	..	..	..	..	..	..	..
111005	कृषि के एरिया प्रोग्राम जिलों में प्रचार	..	..	..	..	1.08	..	..	..	..	..
	योग, (10) ..	298.49	..	..	7.72	25.83	12.83	9.04	13.52	..	..

(11) भूमि सुधार—										
111101 खेरी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत सारदा ब्रिज की डेकिंग तथा भवन निर्माण	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
(12) जोतों की चकवन्दी—										
राजस्व विभाग—										
111201 जोतों की चकबन्दी	2000.00	..	..	404.80	415.00	406.48	414.85	415.00	..	..
(13) एग्री इन्डस्ट्रीज एवं विविध—										
(क) एग्रोइन्डस्ट्रीज —										
कृषि विभाग—										
111301 उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम की स्थापना	167.79	167.79	..	..	..	..	..	..	..	..
(ख) अन्य										
111302 बाजारों का विनियमन	52.21	17.46	..	सेक्टर 2.5. भाण्डागार को स्थानान्तरित						
111303 बाजारों के विनियमन हेतु कृषि विपणन अनुभाग का सुदृढ़ीकरण	22.14	..	..	तदैव	तदैव	तदैव				
111304 मधुमक्खी पालन परियोजना का सुदृढ़ीकरण	2.27	..	..	0.32	0.47	0.47	0.41	0.57	0·13	..
111305 बंजर भूमि का सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण	5.94	..	..	0.41	..	..	..	..	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 सम्भावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111306	सार्वजनिक क्षेत्र में शीत गृहों का निर्माण	60.00	..	..	0.91	8.00	8.00	6.50	8.00	8.00	..
111307	नई स्कीमों के लिये तदर्थ प्राविधान	61.89	..	..	..	..	..	..	..	..	..
111308	क्षेत्रीय उपनिदेशकों के कार्यालय एवं निवास तथा कृषि निदेशक के लिये निवास का निर्माण	..	..	..	..	5.85	..	स्कीम त्याग दी गई			
111309	कृषि निदेशालय की दक्षता बढ़ाने हेतु स्कीम	..	..	..	..	3.34	0.85	0.85	3.61	3.50	..
111310	कृषि निदेशालय में आडिट सेल की स्थापना	..	..	..	..	..	6.84	1.05	6.42	..	..

111311	कृषि सूचना ब्यूरो के सुदृढ़ीकरण द्वारा राज्य के लाखों कृषकों तक उन्नत कृषि का संदेश पहुंचाना	..	..	..	..	..	3.00	1.32	10.65	..	..
111312	गढ़वाल में उप निदेशक कृषि के कार्यालय की स्थापना	..	..	..	..	..	..	..	2.91	..	..
	सरकारी कर्मचारियों के लिये अंतरिम सहायता के लिये प्राविधान	..	..	..	..	..	..	..	4.16	..	..
	भविष्य में लीजीजाने वाली योजनाओं के लिए तदर्थ प्राविधान	..	..	..	..	..	..	..	15.19	..	..
	निर्माण कार्यों पर प्रतिष्ठान व्यय, उपकरण एवं संयंत्र	..	..	..	..	..	3.67	..	2.25	2.25	..
	योग, (13) ..	372.24	185.25	..	1.64	17.66	22.83	10.13	53.76	13.88	..
(14)	छोटे किसानों के लिये विशिष्ट योजनायें—										
	दालों के लिये अल्पकालीन तथा मल्टीपुल क्रापिंग का कार्यक्रम	..	..	..	..	3.68	स्कीम त्याग दी गई				
	"ओ० आई० एस० सी० ए० इन्टर-नेशनल जापान" के सहयोग से सघन खेती प्रक्षेत्रों का मशीनीकरण एवं कृषि पर आधारित लघु एवं ग्राम्य उद्योगों की स्थापना	..	..	..	..	0.001	..	..	4.81	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(समाप्त) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	सम्भावित व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	छोटे कृषकों के लिये तदर्थं प्राविधान* ..	..	..	..	..	..	5.00	..	..	..	..
	योग, (14)	..	..	..	..	..	8.68	..	4.81	..	..
	(15) क्षेत्रीय विकास निगम—										
	बुन्देलखंड एवं पूर्वांचल विकास निगमों में पूंजी विनियोजन	..	..	..	..	100.00	100.00	67.00	115.00	115.00	..
	योग 1.1. कृषि उत्पादन	5291.50	1122.83	5.00	853.30	975.34	971.54	884.28	1122.44	3[illegible]3.92	1.00

*नोट:— छोटे किसानों के विशिष्ट कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं।

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग-1.2. लघु सिंचाई

(लाख रुपयों में)

मद संख्या	परियोजनायें	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 सम्भावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1) निजी लघु सिंचाई--										
120101	ऋण-- (1) पक्के कुएं (2) कुओं में बोरिंग (3) कुओं को गहरा करना (4) रहट (5) पम्प सेट (6) निजी नलकूप (7) निजी बंधियां (8) पहाड़ों में गूल और तालाब ..	2000.00	2000.00	..	252.88	181.20	181.20	181.16	105.00	105.00	..
120102	अनुदान ..	750.00	..	..	114.84	50.00	50.00	46.85	33.20	..	..
120103	अधिष्ठान, उपकरण और संयंत्र तथा उचन्त ..	666.00	..	..	113.85	131.44	131.44	81.59	115.00	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.2. लघु सिंचाई—(क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजनायें	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 सम्भावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120104	गोदामों का निर्माण ..	3.00	3.00	..	0.37	1.00	1.00	0.64	0.50	0.50	..
120105	जल उपयोग तथा लघु सिंचाई के परीक्षण की योजना ..	6.00	..	..	1.09	1.36	1.36	0.88	1.30	..	..
120106	पूंजी विनियोजन—										
	(1) भूमि विकास बैंक के ऋण पत्रों में ..	1425.00	1425.00	..	449.21	342.50	342.50	418.43	500.00	500.00	.
	(2) कृषि पुनर्वित निगम के ऋण पत्रों में ..	600.00	600.00	..	30.79	90.00	90.00	16.57	80.00	80.00	..
	(3) कृषि उद्योग निगम के शेयर पूंजी में ..	150.00	150.00	..	30.00	2.50	..	..	..	..	..
	योग (1) निजी लघु सिंचाई	5600.00	4178.00	..	993.03	800.00	797.50	746.12	835.00	685.50	..

राज्य सिंचाई

(2) **नलकूप कार्यक्रम—**

120201	(i) 1.5, 3.0 तथा 5.0 क्यूसेक नलकूपों का निर्माण	2208.00	2208.00	95.00	721.54	572.00	815.02	971.00	870.60	870.60	..
	(ii) नलकूपों पर सर्विस मार्गों का निर्माण ..	..	..	..	6.17	8.00	8.00	5.00	8.00	8.00	..
120202	पक्की गूलों का निर्माण	70.00	70.00	..	19.68	15.00	15.00	27.00	30.00	30.00	..
120203	नलकूपों का आधुनीकरण	40.00	40.00	..	25.58	25.00	35.00	42.00	45.00	45.00	..
120204	ग्राउन्ड वाटर सर्वे	60.00	60.00	15.00	10.26	30.00	30.00	30.00	25.00	25.00	..
120205	सिंचाई प्रसार सेवा	..	..	..	5.17	..	8.98	9.00	..	..	..
	योग, (2)	2378.00	2378.00	110.00	788.40	650.00	912.00	1084.00	978.60	978.60	..

(3) **डाल सिंचाई परियोजनायें—**

120301	चालू परियोजनायें	30.00	30.00	..	271.05 (120301 एवं 120302)	398.00	397.84	230.84	250.00	250.00	..
120302	नई परियोजनायें	1295.50	1295.50	..							
	योग (3)	1325.50	1325.50	..	271.05	398.00	397.84	230.84	250.00	250.00	..

(4) **जलोत्सारण प्रसारण—**

120401	चालू परियोजनायें	6.64	6.64	..	3.55	..	..	..	..	..	..
120402	नई परियोजनायें ..	50.00	50.00	..	3.26	9.76	9.76	6.50	13.10	13.10	..
	योग (4)	56.64	56.64	..	6.81	9.76	9.76	6.50	13.10	13.10	..

मद--1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग--1.2 लघु सिंचाई--(क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	वर्ग/परियोजनायें	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969-70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	सम्भावित व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक में प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(5) **अन्य कार्यक्रम--**										
	चालू परियोजनायें--										
120501	रायपुर तालाब प्रणाली के नहरों का पुर्ननिर्माण ..	0.15	0.15	..	..	0.25	0.25	0.25	0.48	0.48	..
120502	कल्याण सागर से विजय नगर तालाब तक फीडर चैनल का निर्माण ..	0.24	0.24	..	..	0.24	0.24	0.15	0.20	0.20	..
120503	कुलपहाड़ तालाब की क्षमता को बढ़ाना ..	0.54	0.54	..	..	0.22	0.22	0.15	0.52	0.52	..
120504	पौड़ी-गढ़वाल में पर्वतीय नहरों का पक्का करना ..	0.93	0.93	..	0.43	..	..	..	..	..	..
120505	गढ़वाल बाबर में राजकीय नहरों का पक्का करना ..	1.22	1.22	..	0.36	..	..	..	..	..	..
120506	हरियावाला नहर ..	1.93	1.93	..	0.02	2.31	1.30	0.05	1.50	1.50	..

120507 पौड़ी-गढ़वाल में 27.36 किलोमीटर लम्बी पर्वतीय नहरों का निर्माण ..	13.42	13.42	..	2.82	3.64	3.64	4.20	4.00	4.00	..
120508 टेहरी-गढ़वाल में 41.84 किलोमीटर लम्बी पर्वतीय नहरों का निर्माण ..	18.64	18.64	..	3.41	3.60	3.60	4.30	5.00	5.00	..
120509 अल्मोड़ा और नैनीताल में 61.15 किलोमीटर लम्बी पर्वतीय नहरों का निर्माण ..	24.11	24.11	..	4.87	4.44	4.44	5.00	6.00	6.00	..
अन्य परियोजनायें ..	..	..	..	0.12	..	..	..	..	..	..
योग ..	61.18	61.18	..	12.03	14.70	13.69	14.10	17.70	17.70	..
नई परियोजनायें—										
120510 गोलावार नहर का पक्का करना और क्षमता बढ़ाना	8.00	8.00	..	..	2.00	..	..	..	..	..
120511 गोलापार नहर का पक्का करना और क्षमता बढ़ाना ..	10.00	10.00	..	..	2.00	..	..	..	..	..
120512 दून घाटी में नहरों का पक्का करना ..	31.35	31.35	..	..	5.00	5.00	3.00	7.00	7.00	..
120513 दून घाटी में छोटी नहरों का निर्माण ..	28.33	28.33	..	..	2.00	1.50	0.05	3.00	3.00	..
120514 बाजपुर खंड में छोटी नहरों का निर्माण ..	3.18	3.18	..	..	1.00	1.00	1.20	0.90	0.90	..
120515 गढ़वाल-भाभर में गूलों का पक्का करना ..	6.54	6.54	..	..	1.00	..	..	..	..	..
120516 मोतीपुर सरोवर का पुनर्निर्माण	1.40	1.40	..	..	..	..	..	..	..	..
120517 गौचई नाला तालाब	1.46	1.46	..	..	..	..	..	..	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.2. लघु सिंचाई—(समाप्त) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	वर्ग/परियोजनायें	चौथी योजना परिव्यय 1969-74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70 सम्भावित व्यय	1970-71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक में प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971-72 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120518	बमोरी तालाब ..	5.50	5.50	..	..	..	..	..	..	..	..
120519	वन्ट तालाब की क्षमता बढ़ाना	0.77	0.77	..	..	0.27	0.27	0.50	0.50	0.50	..
120520	बरवार नहर का प्रसार	0.45	0.45	..	..	0.20	0.20	0.20	0.36	0.36	..
120521	पर्वतीय क्षेत्र में 64.37 किलोमीटर लम्बी नहरें ..	30.00	30.00	..	..	3.30	3.30	4.00	5.84	5.84	..
120522	लालढोंग सिंचाई परियोजना	9.49	9.49	..	..	2.00	2.00	1.00	3.00	3.00	..
120523	त्रितमपुर बंधी	7.46	7.46	..	..	1.46	..	..	..	..	..
120524	रघुनाथपुर बंधी	8.18	8.18	..	..	1.68	0.73	3.00	3.00	3.00	..
120525	झरोखास बंधी	10.41	10.41	..	..	1.76	..	..	..	..	..

120526	बरकचा बंधी ..	10.37	10.37	..	..	1.37	0.71	1.00	5.00	5.00	..
120527	रामपुर पिडारिया बंधी	5.79	5.79	..	..	2.50 ..	1.33	2.00	4.00	4.00	..
120528	पिछड़े हुए क्षेत्र में नयी छोटी परियोजनाऐं ..	..	..	..	2.81	..	1.01	5.83	..	..	..
120529	छोटी सिंचाई परियोजनायें	..	..	..							
120530	दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बंधिया	..	..	..							
120531	मिर्जापुर जिले में 15 बंधियों को पक्का करना	..	..	..	0.60	..	6.00	..	..	..	..
120532	लोअर डिवीजन पूर्वी यमुना नहर पर टेलस्केप का निर्माण	..	..	..	..	..	0.50	..	3.00	3.00	..
120533	नैनीताल जिले में श्रीपुर गूल पर रेगुलेटर का निर्माण	..	..	..	..	..	0.38	..	..	..	..
	योग ..	178.68	178.68	..	3.41	27.54	23.93	21.78	35.60	35.60	..
	योग, (5) ..	239.86	239.86	..	15.44	42.24	37.62	35.88	53.30	53.30	..
	योग, (2–5) ..	4000.00	4000.00	110.00	1081.70	1100.00	1357.22	1357.22	1295.00	1295.00	..
	योग, 1.2. लघु सिंचाई	9600.00	8178.00	110.00	2074.73	1900.00	2154.72	2103.34	2130.00	1980.50	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.3. भूमि संरक्षण

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 सम्भावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	कृषि विभाग—										
130101	अत्यन्त सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये भूमि संरक्षण की योजना	45.53	..	..	3.10	8.01	8.01	8.81	12.42	..	..
130102	भूमि तथा जल संरक्षण की योजना–मुख्यतया कृषि जल विभाजित क्षेत्रों में ..	1325.66	..	..	250.12	218.81	218.20	278.80	301.33	..	..
130103	खालों का पुनर्वापण–सीमान्त भूमि का संरक्षण ..	139.12	..	..	27.99	22.02	22.02	28.68	29.25	..	..
130104	पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि तथा जल संरक्षण (कुमायूं प्रभाग)	241.56	..	..	20.53	27.08	27.08	23.16	33.24	..	..
130105	शोध, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना ..	47.60	..	..	6.22	7.99	7.93	5.32	7.93	..	..
130106	कृषि भूमि में भूमि संरक्षण के लिये ऋण ..	135.00	135.00	..	8.65	..	5.00	..	..	..	..

130107 ऊसर एवं कटी हुई भूमि का पुनर्वापण तथा भूमि संरक्षण प्रदर्शन प्रायोजनाओं की स्थापना	41.80	..	..	5.57	11.89	11.89	9.36	10.70	..	..
130108 मिट्टी तथा भूमि प्रयोग का सर्वेक्षण	23.38	..	..	3.52	4.20	4.28	3.73	4.43	..	..
130109 रिहन्द जलाशय के पुनर्वापित क्षेत्रों में भूमि तथा जल संरक्षण	0.35	..	..	0.66	..	..	..	..	..	..
सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतरिम सहायता हेतु प्राविधान	..	..	..	..	..	..	..	4.84	..	..
	2000.00	135.00	..	326.36	300.00	304.41	357.86	404.14	..	..
वन विभाग—										
130201 खालों का पुनर्वापण वनीकरण	125.00	..	..	24.84	25.00	25.00	25.00	25.00	..	..
विकास अन्वेषणालय										
130301 मुजफ्फराबाद में भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र ..	5.40	..	..	1.10	0.93	0.95	1.06	0.98	..	..
130302 फूलपुर प्रोजेक्ट (इलाहाबाद) में भूमि तथा जल संरक्षण ..	9.60	..	..	2.22	1.07	1.07	2.83	2.02	..	..
	15.00	..	..	3.32	2.00	2.02	3.89	3.00	..	..
योग, 1.3 भूमि संरक्षण	**2140.00**	**135.00**	..	**354.52**	**327.00**	**331.43**	**386.75**	**43.214**	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	सम्भावित व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1) कृषि शिक्षा										
	कृषि विभाग—										
150101	कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर की स्थापना ..	175.00	..	..	36.50	25.00	18.14	24.40	40.00	..	..
150102	राजकीय कृषि कालेज, कानपुर का कृषि विज्ञान संस्थान के रूप में उच्चस्तरीयकरण	86.67	16.46	..	1.61	12.81	13.56	9.36	27.29	8.62	..
150103	निजी कृषि कालेजों को 3 साल की डिग्री कोर्स प्रारम्भ करने के लिये सहायक अनुदान	10.00	..	..	1.57	2.00	2.00	2.00	2.00	..	..
150104	राजकीय कृषि कालेज, कानपुर में एक ग्लास हाउस का निर्माण ..	0.003	0.003	..	0.01	..	..	..	..	..	..
150105	तीनों कृषि स्कूलों में कृषि शिक्षा का सघनीकरण ..	7.50	..	..	..	2.06	1.60	1.65	0.31	..	..

150106	कृषि विज्ञान संस्थान कानपुर में शोध छात्रवृत्ति प्रदान करने तथा परिसंवाद एवं संगोष्टी का आयोजन ..	..	..	..	0.26	1.48	1.61	1.48	1.96	..	..
150107	निजी कृषि संस्थाओं को सहायक अनुदान ..	..	..	..	1.96	2.00	2.00	1.88	2.00	..	..
150108	राजकीय कृषि कालेज कानपुर में लेक्चर रूम तथा प्रयोगशाला का निर्माण ..	..	..	..	0.75	3.55	..	..	0.01	..	..
150109	कृषि विज्ञान संस्थान के प्रक्षेत्र फार्मों का विकास	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
150110	कृषि विज्ञान संस्थान के पशुचिकित्सालय तथा मीट टेक्नोलोजी के लिये भवन निर्माण	..	..	..	..	..	..	..	0.82	..	..
150111	कृषि विज्ञान संस्थान के सड़कों पर बिजली के प्रकाश की व्यवस्था ..	..	..	..	..	..	..	..	0.99	0.99	..
150112	कृषि विज्ञान संस्थान के एक्सटेन्शन विंग के प्रथम मंजिल पर कमरों का निर्माण	..	..	..	..	..	..	..	0.20	0.20	..
	योग, (6)	279.17	16.46	..	42.66	48.90	38.91	40.77	75.58	9.81	..
	(2) कृषि शोध										
	कृषि विभाग——										
150201	कृषकों के खेतों में न्यादर्श उर्वरकों के परीक्षण की पुनरीक्षित योजना ..	2.33	..	..	0.25	0.15	0.15	0.14	0.17	..	.
110202	चरागाहों में खेती तथा चारा बारी बारी से उगाना (लें-फार्मिंग) ..	0.36	..	..	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	..	.

मद --1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग--1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा--(क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	सम्भावित व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150203	देवरिया जिले में गन्ना शोध उपकेन्द्र की स्थापना तथा गन्ना शोध उप केन्द्र गोला गोकरननाथ का सुदृढ़ीकरण ..	3.69	..	..	0.71	0.75	0.75	0.21	0.86	..	..
150204	पर्वतीय क्षेत्रों के उन्नत कृषि उपकरणों के लिये शोध एवं परीक्षण केन्द्रों की स्थापना	3.67	..	..	0.14	0.64	1.08	0.39	0.50	.	..
150205	खरबूजा तरबूज तथा सरदा पर शोध ..	0.001	..	..	0.02	..	..	..	..	..	..
150206	औद्यानिक शोध संस्थान, सहारनपुर में रेडियो आइसोटोप के सहित शोध कार्य का सघनीकरण ..	4.94	..	0.12	..	0.68	0.62	0.41	1.14	..	..
150207	जैवकीय नियंत्रण और केमोस्टोलियन्स का प्रयोग करके नाशकीट और नमोटोड के एकीकृत नियंत्रण की योजना	3.54	..	..	0.05	1.01	0.93	0.58	0.48	..	..

150208 इकानामिक बोटनिस्ट (आलू) के अनुभाग का विस्तार ..	2.75	..	..	..	..	..	..	..	..	..
150209 इकनामिक बोटनिस्ट (फली) के अनुभाग का विस्तार ..	6.02	..	..	..	0.95	..	..	..		..
150210 इकानामिक बोटनिस्ट (रबी खाद्यान्न) के अनुभाग का सुदृढ़ीकरण ..	7.85	0.50	..	..	1.63	..	..	..	..	..
150211 रीजनल शोध स्टेशनों का सघनीकरण तथा फैजाबाद में एक नये रीजनल शोध स्टेशन की स्थापना ..	36.38	1.60	..	3.99	9.87	5.92	4.64	9.60	0.70	..
150212 अधिक उपज वाली किस्मों, बहुफसली एवं सघन कृषि कार्यक्रमों से उत्पन्न पैथालाजिकल समस्याओं का अध्ययन ..	4.99	..	..	..	0.30	..	..	..	..	..
150213 विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा के फिजियोलोजी अनुभाग के लिये कुछ आवश्यक मदों का प्राविधान ..	0.70	..	..	0.56	0.24	0.24	0.25	0.18	..	—
150214 न्यादर्श एग्रोनामिक परीक्षण ..	0.73	..	..	0.12	0.27	0.27	0.21	0.28	..	..
150215 समविन्त एग्रानामिक परीक्षण (मुख्यालय के लिए स्टाफ)	0.80	..	..	..	..	..	..	..	..	..
150216 धान की विदेशों से लाई हुई किस्मों का सूखे से प्रभावित न होने देना तथा उनके गुणों में सुधार ..	17.32	0.55	..	0.20	2.24	2.24	1.14	1.90	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा—(क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 सम्भावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150217	इकनामिक बोटनिस्ट (तिलहन) के अनुभाग का सुदृढ़ीकरण	2.42	..	..	..	0.49	0.49	0.23	0.14	..	..
150218	पौध शरीर क्रिया विज्ञान के शोध का सघनीकरण ..	3.96	..	..	0.34	0.38	0.48	0.51	0.33	..	.
150219	कृषि रसायन अनुभाग का सुदृढ़ीकरण ..	5.14	1.00	..	..	0.94	..	..	..	..	..
150220	'फाइबर' फसलों पर सघन शोध	3.51	..	..	..	0.33	..	..	..	..	..
150221	फल शोध स्टेशन बस्ती तथा उप स्टेशन, इलाहाबाद में शोध कार्य का सघनीकरण	4.04	0.31	..	..	0.94	0.72	0.72	0.94	..	..
150222	राजकीय सब्जी शोध स्टेशन कल्याणपुर (कानपुर) का विस्तार ..	2.13	..	..	..	0.44	..	..	..	..	..

150223 पांच औद्यानिक शोध उप स्टेशनों के अन्तर्गत भवन निर्माण..	0.10	..	..	0.10	..	0.14	..	0.14	..	..
150224 गन्ना-शोध-उप स्टेशन, मुजफ्फरनगर में भवन निर्माण ..	0.05	..	..	..	..	..	..	..	..	..
150225 पांच नये रीजनल शोध स्टेशनों की स्थापना तथा वर्तमान पांच स्टेशनों के सघनीकरण योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण ..	0.33	..	..	0.57	..	0.24	0.24	0.09	..	.
150226 इकानामिक बोटानिस्ट (रबी खाद्यान्न) अनुभाग के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण ..	0.001	0.001	..	..	..	..	..	..	..	..
150227 जूट शोध स्टेशन बहराइच के अन्तर्गत भवन निर्माण ..	0.26	0.26	..	0.24	..	0.05	0.05	..	..	..
150228 पैथालाजी अनुभाग कानपुर के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण ..	0.01	..	..	0.01	..	..	..	..	..	..
150229 उन्नत कृषि उपकरणों के शोध, परीक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण ..	0.01	0.01	..	..	..	..	..	..	..	.

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा—(समाप्त) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 सम्भावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150230	कीट एवं रोग नाशक रसायनों तथा उर्वरकों के परीक्षण हेतु कानपुर में एक शोधशाला की स्थापना ..	6.57	..	..	..	1.99	1.78	1.44	2.22	..	.
150231	राज्य के विभिन्न क्लाइमेटिक मण्डलों में गन्ने पर सघन वेराइटल, कल्चरल तथा बाइलाजिकल अध्ययन ..	10.38	0.50	..	..	0.001	..	..	..	..	..
150232	गेहूं में रतुआ (रस्ट) रोग के नियंत्रण की एकीकृत योजना	..	..	..	1.35	1.44	1.44	1.32	1.44	..	..
150233	सचल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना ..	..	..	..	..	1.22	6.22	5.23	6.86	..	..
150234	देशी तम्बाकू का सुधार	..	..	..	..	0.13	0.03	0.04	..	..	..

150235 धान के शोध स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..	0.001	3.76	3.56	2.94	2.50	..
150236 सोयाबीन पर शोध	..	..	..	..	..	0.20	0.28	0.78	..	..
150237 गुरसहायगंज (फर्रुखाबाद) में आलू शोध केन्द्र की स्थापना	..	..	..	..	..	1.87	1.83	1.82	..	..
150238 पर्वतीय क्षेत्र में मिलट का सुधार	..	..	..	..	..	..	..	0.72	..	..
150239 देवरिया में मसालों की खेती का विस्तार तथा मसाला शोध केन्द्र की स्थापना	..	..	..	..	..	..	..	1.80	..	..
150240 धान के शोध की विस्तृत योजना	..	..	..	..	..	..	..	2.93	..	..
150241 ग्राम शोध संस्थान की स्थापना	..	..	..	..	..	..	..	0.001	..	..
नई परियोजना—										
भूमि परीक्षण तथा क्षेत्रीय स्तर पर फील्ड परीक्षण एवं प्रदर्शन	..	..	..	..	..	..	..	2.48	..	..
योग,—कृषि विभाग	134.98	4.73	0.12	8.72	27.11	29.70	23.48	40.81	3.20	..
विकास अन्वेषणालय—										
150291 चिनहट, लखनऊ में कृषि अभियंत्रण शोध कर्मशाला की स्थापना	4.35	..	..	0.69	0.86	0.85	0.71	0.86	..	..
योग (2)	139.33	4.73	0.12	9.41	27.97	30.55	24.19	41.67	3.20	..
योग 1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा	418.50	21.19	0.12	52.07	76.87	69.46	64.96	117.25	13.01	..

5

पशुपालन

भूमि के बाद पशुधन सबसे बड़ा धन है। जनता के भरण-पोषण में पशुधन का बहुत महत्व है। अतएव, चयनात्मक प्रजनन, रोग नियंत्रण और चारे तथा दाने के संसाधनों के विकास के द्वारा पशुधन की उत्पादक क्षमता में सुधार करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

2—चौथी योजना की अवधि के दौरान राज्य क्षेत्र में पशुपालन सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये 600.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है, जिसमें उत्तराखंड के लिये 50.00 लाख रुपये की व्यवस्था सम्मिलित है। इस धनराशि में से 1969-70 के लिये 100 लाख रुपयों और 1970-71 के लिये 119 लाख रुपयों के धन की व्यवस्था की गयी थी। 1969-70 के 100 लाख रुपये के कल परिव्यय में से बजट में 74.56 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी जिसके समक्ष 73.93 लाख रु० का व्यय हुआ। 1970-71 के दौरान, 119 लाख रुपये के परिव्यय की तुलना में बजट में 117.65 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी जिसमें 14 लाख रु० पवर्तीय जिलों का परिव्यय सम्मिलित है। इसके समक्ष 115.55 लाख रु० व्यय सम्भावित है। 1969-70 के परिव्यय तथा व्यय, 1970-71 के प्रत्याशित व्यय तथा 1971-72 के परिव्यय का समूहवार विभाजन नीचे दिया जाता है :

(लाख रुपयों में)

समूह	चौथी योजना में परिव्यय 1969-74	परिव्यय 1969-70	संभावित वास्तविक आंकड़े 1969-70	परिव्यय 1970-71	व्यय 1970-71	परिव्यय 1971-72
1	2	3	4	5	6	7
1—पशु प्रजनन	247.33	49.69	30.09	33.44	47.15	47.80
2—पोषण और चारा विकास	15.00	3.00	4.45	2.77	7.13	6.47
3—भेंड़ तथा ऊन विकास	49.45	4.41	8.45	13.23	8.52	7.55
4—कुक्कुट विकास	29.44	6.09	8.44	18.85	8.36	11.44
5—पशु चिकित्सा सहायता एवं रोग नियंत्रण	87.66	10.77	10.30	19.97	17.70	34.52
6—पशुपालन शोध, प्रशिक्षण एवं सांख्यिकी	39.55	9.97	5.10	4.88	3.28	4.83
7—शूकर विकास	6.16	0.84	..	0.57	0.53	0.70
8—अन्य स्कीमें	75.41	15.23	7.10	11.29	10.10	9.69
योग ..	550.00	100.00	73.93	105.00	102.55	123.00

3—**पशु प्रजनन**—वर्ष 1969–70 के दौरान पांच वीर्य संग्रह केन्द्रों, 16 दो-सांड़ वाले कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों और 150 कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्रों की स्थापना करके प्रजनन संबंधी सुविधाओं का और अधिक विस्तार किया गया। चार दो-सांड़ वाले केन्द्रों की संख्या बढ़ा कर उन्हें चार-सांड़ वाले कन्द्रों में परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 1970–71 के दौरान चार वीर्य संग्रह केन्द्रों 21 दो-सांड़ वाले कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों और 355 कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना की गयी है। यह भी लक्ष्य है कि 10 दो-सांड़ वाले कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को चार-सांड़ वाले कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया जाय। इस प्रकार, 1970–71 के अन्त में राज्य में प्रजनन सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने वाली कृत्रिम गर्भाधान संस्थाओं की संख्या निम्नलिखित हो जाने की उम्मीद की जाती है, जिनके द्वारा 26.4 प्रतिशत गायों और 19·8 प्रतिशत भैंसों के लिये गर्भाधान सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था हो जायगी:

1—वीर्य संग्रह केन्द्र	23
2—कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	653
3—कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र	986

4—1968 के अन्त में, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, और मुरादाबाद में राज्य में चार सघन पशु-विकास प्रायोजनाएं चालू थीं। एक सघन पशु-विकास प्रायोजना 1969–70 में और दूसरी 1970–71 में बढ़ायी गयी। इस प्रकार इस समय राज्य में छः सघन पशु-विकास प्रायोजनाएं चालू हैं।

5—**चारा तथा दाना विकास**—चारे का उत्पादन पशुओं के विकास का एक आवश्यक सहायक अंग है। अतएव, चारा संबंधी संसाधनों की उन्नति चौथी योजना की अवधि का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस स्कीम के अन्तर्गत अधिक उपज देने वाली चारे के बीजों की किस्मों के वितरण की परिकल्पना की गयी है। वर्ष 1969–70 के दौरान बुन्देलखंड के जिलों (बांदा, हमीरपुर और झांसी), पर्वतीय क्षेत्र के पांच जिलों (देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा) और चार पूर्वी जिलों (गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और जौनपुर) जैसे पिछड़े क्षेत्रों में 50 प्रतिशत राजसहायता के आधार पर बीज वितरित किये गये। शेष जिलों में बीजों की संपूर्ति पूरी लागत पर की गयी। वर्ष 1967–70 के दौरान वितरित किये गये बीजों की कुल मात्रा 2,098.62 क्विन्टल थी और वह 3,867.09 हेक्टेयर क्षेत्र में वितरित किया गया था। उपर्युक्त बीज वितरण के अतिरिक्त, 4796.54 हेक्टेयर क्षेत्र के अन्तर्गत चारे की उन्नत किस्मों के 2415.63 क्विन्टल बीज सघन पशु विकास प्रायोजनाओं के क्षेत्रों में 50 प्रतिशत राज सहायता के आधार पर वितरित किये गये। इस प्रकार राज्य का 8,663.63 हेक्टेयर क्षेत्र इन उन्नत बीजों के अन्तर्गत लाया गया। वर्ष 1970–71 के दौरान (सघन पशु-विकास प्रायोजनाओं को शामिल करते हुए) 13,478 हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में चारे की उन्नत किस्मों के बीजों के वितरण हो जायगा। राज्य के 8100 भू-खण्डों (प्लाटों) पर उन्नत चारों की फसलों के प्रदर्शन आयोजित करने का भी कार्यक्रम है।

6—**भेड़ तथा ऊन विकास**—वर्ष 1968–69 के अन्त में 122 भेड़ और ऊन प्रसार केंद्र प्रजनन के लिए काम आने वाले भेढ़ा केंद्र थे। 1969–70 में दो नये भेड़ तथा ऊन विकास केंद्र स्थापित किये गये। वर्ष 1970–71 के दौरान तीन अन्य केंद्रों के, जिनमें भारत-जर्मन प्रायोजना, अल्मोड़ा के अन्तर्गत एक केंद्र भी शामिल है, स्थापित किये जाने की उम्मीद है। इस प्रकार 1970–71 के अन्त तक, राज्य में 127 भेंड़ और ऊन विकास केंद्र प्रजनन के लिए काम आने वाले भेंढ़ा केंद्र हो जायेंगे। इनके अतिरिक्त, विकास के प्रयोजनों के लिए विदेशी भेड़ों के आयात की भी व्यवस्था की गयी है।

7—मैदानी क्षेत्रों में जमनापारी और बरबरी (बकरों) और पर्वतीय क्षेत्रों में चम्बा बकरों के उन्नयन के द्वारा बकरियों के प्रजनन में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। पशु-चिकित्सालयों में बकरे रखे गये हैं जहां उनके द्वारा नैसर्गिक रूप में प्रजनन की सुविधायें मिलती हैं। वर्ष 1968–69

के अन्त में ऐसे चिकित्सालयों की संख्या जहां बकरे रखे गये थे, 160 थी। 1969-70 के दौरान 100 अन्य पशु-चिकित्सालयों में बकरे रखे गये और 1970-71 में अन्य 10 पशु-चिकित्सालयों में बकरे रखे जाने का कार्य-क्रम है। इसके फलस्वरूप, उन पशु-चिकित्सालयों की संख्या जहां बकरे रखे जायेंगे 1970-71 के अन्त में 350 हो जायगी।

8—**कुक्कुट**—सतत विकास के कार्यक्रमों के फलस्वरूप कुक्कुटों की संख्या, जो 1956 में 20.80 लाख थी बढ़कर 1961 में 32.54 लाख और 1966 में 37.71 लाख हो गयी है। संख्या में वृद्धि के साथ ही उन्नत किस्म के कुक्कुटों में भी वृद्धि हुई है और 1961 में जहां इनकी संख्या 6.04 प्रतिशत थी वहां 1966 में वह 18.72 प्रतिशत हो गयी है। वर्ष 1969-70 के दौरान राज्य में 7.75 लाख मुर्गे-मुर्गियों का वितरण किया गया, जिनमें एक दिन वाले चूजे भी शामिल थे, और 1970-71 के दौरान 10.79 लाख कुक्कुटों के वितरण का लक्ष्य है। कुक्कुट विकास कार्यक्रम व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम के साथ भी सम्बद्ध है, जिसके अन्तर्गत 1969-70 के दौरान 103 खण्डों में कार्य आरम्भ किया गया था। वर्ष 1970-71 के दौरान 115 खण्डों के क्षेत्र में इसका प्रसार किया जायगा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1969-70 में 2,201 व्यक्तियों की खण्डों (ब्लाकों) में प्रशिक्षण दिया गया और कुक्कुट उत्पादकों को 76,494 पक्षी वितरित किये गये, जबकि 2,060 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने और 82,400 पक्षियों के वितरण का लक्ष्य था। वर्ष 1970-71 के दौरान 2,300 कार्मिकों की प्रशिक्षण देने और 92,000 पक्षियों को वितरित करने का लक्ष्य है। वर्ष 1969-70 के दौरान दो सघन कुक्कुट विकास प्रायोजनायें, एक गोरखपुर और दूसरी वाराणसी में चालू की गयीं।

9—**सूकर विकास**—केन्द्रीय दुग्धशाला, (सेंट्रल डेयरी फार्म), अलीगढ़ में स्थापित संभागीय सूकर प्रजनन केन्द्र और आराजीलाइन, जिला वाराणसी में स्थापित सूकरालय इकाई का कार्य वर्ष के दौरान जारी रहा और सूकर विकास कार्य के हेतु क्षेत्र में वितरण के लिये उन्नत किस्म के सांड़ सुअर पैदा किये गये। वर्ष 1969-70 के दौरान वैभागिक संस्थाओं में सांड़ सुअर रखने की एक अग्रगामी स्कीम चालू की गयी जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय दुग्धशाला के आस-पास स्थापित सूकर विकास खंडों के चार केन्द्रों में प्रत्येक में एक सांड़ सुअर रखा गया था। वर्ष 1970-71 के दौरान एक स्कीम चालू की गयी है जिसके अन्तर्गत राज्य के सूकर पालन क्षेत्रों के 20 पशु चिकित्सालयों में सांड़ सुअर रखे गये।

10—**रोग नियंत्रण**—वर्ष 1968-69 के अन्त में राज्य में रोग नियंत्रण की सुविधा 994 पशुचिकित्सालयों और 1,407 पशुपाल केन्द्रों के द्वारा उपलब्ध थी। इस प्रकार राज्य के प्रति 50,000 पशुओं पर एक पशु-चिकित्सालय और प्रति 37,000 पशुओं पर एक पशुपाल केन्द्र की सुविधा उपलब्ध थी। वर्ष 1969-70 के दौरान, 24 और पशु-चिकित्सालय तथा 140 पशुपाल केन्द्र स्थापित किये गये। वर्ष 1970-71 में अन्य 77 पशु चिकित्सालयों, जिनमें से 50 उप-केन्द्र सम्मिलित है जिनको "घ" श्रेणी के पशु-चिकित्सालयों में उन्नत कर दिया गया है, और 87 पशुपाल केन्द्रों की व्यवस्था भी की जायगी। इस प्रकार, 1970-71 के अन्त तक इन संस्थाओं की कुल संख्या 1,045 पशु-चिकित्सालयों और 1,634 पशुपाल केन्द्र हो जायगी। इसके द्वारा प्रति 46,155 पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय और प्रति 31,906 पशुओं पर एक पशुपाल केन्द्र की व्यवस्था हो जायगी।

11—**शोध और प्रशिक्षण**—अध्यापन संबंधी मुख्य कार्यकलाप पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में केन्द्रित हैं जहां स्नातक उपाधिग्रहण तथा एम० बी० एस-सी और पी० एच० डी आदि जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सुविधायें उपलब्ध हैं। पशुपाल (स्टाकमैन) पाठ्यक्रम तथा कम्पाउन्डर प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन चक गजरिया, लखनऊ तथा पशुलोक मथुरा में किया गया है। शोध विषयक कार्यकलाप पश चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा, पशु शोध केन्द्र, मथुरा और उसके चक-गंजरिया (कुक्कुट संबंधी), अलीगढ़ (शूकर संबंधी) और पशुलोक (भेड़, प्रजनन संबंधी) स्थित उप-केन्द्रों में किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त, राज्य में शोध संबंधी 22 स्कीमें चालू है, जिनमें 17 वे स्कीमें शामिल है जिनकी विभिन्न मदों की आंशिक वित्त-व्यवस्था भारतीय कृषि शोध परिषद् (I. C. A. R.) से प्राप्त सहायता द्वारा की जाती है।

12—वर्ष 1971–72 में दो और वीर्य संग्रह केन्द्रों, 21 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों और 335 कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य है। इसके अलावा 10 दो-सांड़ों वाले कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को चार सांड़ों वाले कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में परिवर्तित करने का भी लक्ष्य है। उन्नत तथा पुष्टिकारक चारे के बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्म के वितरण तथा किसानों के खेतों पर इनके प्रदर्शन आयोजित करने के कार्यक्रम चालू रखे जायेंगे। दो और भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। राज्य के 90 पशु-चिकित्सालयों में दो-दो सांड़ बकरे रखे जायेंगे और बकरियों के लिये कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाओं का प्रसार पांच पशु-चिकित्सालयों में किया जायगा। किसानों को उन्नत किस्म के मुर्गे मुर्गियों और चूजों के वितरण का कार्यक्रम जारी रखा जायगा। कुक्कुटों के क्रय-विक्रय संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के उद्देश्य से योजना अनुसंधान एवं कार्य संस्थान (P. R. A. I.) द्वारा जिला इलाहाबाद में फूलपुर स्थित प्रायोजना के अन्तर्गत एवं अग्रगामी प्रायोजना प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है। संभागीय सूकर प्रजनन केन्द्र, अलीगढ़, और सूकर प्रजनन इकाई, आराजी-लाइन में सांड़ सूकरों और मादा सुअरों का उत्पादन तथा सूकर विकास खण्डों और उन पशु-चिकित्सालयों के माध्यम से जहां सांड़ सुअर रखे गये हैं, प्रजनन कार्यक्रम जारी रखा जायगा। वर्ष 1971–72 में 34 नये पशु-चिकित्सालय तथा 95 पशुपाल केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। 15 जिलों में सचल औषधालयों का प्रबन्ध कराने की व्यवस्था भी सम्मिलित की गयी है। स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये पशु-महाविद्यालय, मथुरा में, पशुपाल तथा कम्पाउन्डर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिये चकगंजरिया, पशु लोक और बरेली में और सेवारत प्रशिक्षण के लिये चकगंजरिया तथा मथुरा में अध्यापन संबंधी कार्यकलाप जारी रखे जायेंगे।

13—राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में पशुधन तथा कुक्कुट विकास कार्यक्रम के विकास के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल परिव्यय की लगभग 42.5 प्रतिशत धनराशि ऐसे क्षेत्रों के लिये अलग कर दी गयी है। अकाल और सूखे के विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों वाले जिलों के लिये पशु विकास तथा कुक्कुट विकास की सुविधाओं की व्यवस्था के लिये भी एक स्कीम है।

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन

(लाखों रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74 योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70 संभावित व्यय	1970-71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971-72 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1—पशु अभिजनन										
210101	राज्य पशुधन एवं कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त आवश्यकता तथा प्रसार ..	34.99	24.92	..	8.48	3.63	..	10.85	2.34	2.34	..
210102	राज्य में चकबन्दी एवं ए-1 प्रोग्राम का प्रसार ..	88.82	42.90	..	7.14	9.65	21.32	19.33	21.94	5.40	..
210103	आलीगढ़ एवं हल्द्वानी के सघन पशु विकास योजना ..	28.47	6.26	..	1.88	6.24	5.74	4.48	6.02	..	..
210104	पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना	2.37	1.35	..	0.03	0.35	0.35	0.29	0.57	0.20	..
210105	सांड पशुओं का क्रय एवं वितरण	7.50	..	..	2.79	1.50	1.50	1.50	0.90	..	..
210106	गोशाला विकास योजना ..	3.92	..	..	0.58	0.58	0.93	0.51	0.29	..	..

मद--2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग--2.1. पशुपालन--(क्रमशः) (लाखों रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74 योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70 संभावित व्यय	1970-71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971-72 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210107	सघन पशु विकास योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त सामग्री का प्राविधान (लखनऊ, कानपुर एवं मुरादाबाद)	79.76	22.46	..	8.90	10.31	9.51	9.04	12.59	..	.
210108	पशु इन्शोरेंस योजना ..	1.50	..	..	..	1.18	..	..	..	..	..
210109	भारत-जर्मन प्रायोजना के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना ..	..	..	..	0.29	..	1.18	1.15	1.15	..	..
210110	बाबूगढ़ एवं मेरठ पशुधन क्षेत्र पर सांड़ों का संतति परीक्षण	..	..	..	..	..	..	..	2.00	..	..
	योग, (1)	247.33	97.89	..	30.09	33.44	40.53	47.15	47.80	7.94	..

2—पोषण और चारा विकास

210201 / 210202 पूर्वी जिलों, बुन्देलखंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उ० प्र० में अधिक पैदा होने वाली पौष्टिक चारे की फसलों का विकास और मूल दाम पर चाराबीज का वितरण	15.00	..	..	4.45	2.77	5.07	7.13	6.47	..	..
योग (2)	15.00	..	..	4.45	2.77	5.07	7.13	6.47	..	..

3—भेड़ और ऊन का विकास

210301 उ० प्र० में भेड़, ऊन तथा अन्य पशुधन के सुनियोजित विकास की योजना ..	28.44	15.90	5.00	4.55	6.01	6.59	3.55	2.13	0.15	0.50
210302 उ० प्र० में भेड़ों को परोपजीवी कीटाणुओं से बचाने के लिये उन्हें सामूहिक रूप से औषधि पिलाना ..	3.75	..	..	1.00	0.75	0.75	0.72	0.75	..	..
210303 भेड़ और मेमना का क्रय ..	10.00	..	..	2.14	2.00	2.00	2.70	2.20	..	..
210304 इलाहाबाद जिले के फूलपुर प्रायोजना क्षेत्र में भेड़ गर्भाधान की सघन योजना	0.35	0.35	..	..	0.07	0.07	..	0.07	0.07	..
210305 लाल बहादुर सेवा निकेतन ..	0.37	..	..	..	..	..	..	..	..	..
210306 राज्य के पूर्वी सम्भाग में एक बकरी अभिजनन प्रक्षेत्र की स्थापना ..	0.68	0.08	..	0.15	0.12	0.22	0.22	0.16	..	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन—(क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 संभावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210307	राज्य के बकरियों के लिये अभिजनन सुविधा का प्रसार	5.86	..	..	0.59	0.97	0.98	0.96	1.38	..	..
210308	भारत-जर्मन प्रायोजना के अन्तर्गत अलमोड़ा जिले में भेड़ तथा ऊन विकास ..	..	..	..	0.02	3.31	3.69	0.10	0.86	..	0.20
	योग, (3)	49.45	16.33	5.00	8.45	13.23	14.30	8.25	7.55	0.22	0.70
	4—कुक्कुट विकास										
210401	हवालबाग रीजनल कुक्कुट क्षेत्र का विस्तार ..	8.66	6.34	..	0.55	1.02	0.27	0.20	0.47	0.30	..

210402 एस० पी० एफ० चक गंजरिया लखनऊ के सस्ता कुक्कुट राशन योजना से संबंधित कुक्कुट पौष्टिक रिसर्च लेबोरेटरी का सुदृढ़ीकरण ..	2.18	0.84	..	0.09	0.27	0.27	0.18	0.42	..	..
विकास अन्वेषणालय										
210403 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कुक्कुट पालन प्रायोजना फूलपुर (इलाहाबाद) की स्थापना	6.75	..	..	0.67	1.65	0.90	0.63	1.00	..	..
210404 कुक्कुट पालकों को ऋण ..	2.50	2.50	..	2.17	2.50	2.70	2.77	2.68	2.50	..
210405 पूर्वी जिलों में सघन कुक्कुट विकास खण्ड ..	9.35	..	..	0.68	1.98	1.98	0,76	1.19	..	..
210406 यूनीसेफ की सहायता से व्यवहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम	..	..	..	4.28	5.11	5.10	3.82	4.68	..	..
210407 पर्वतीय क्षेत्र में कुक्कुट विकास	..	..	..	..	6.32	..	..	..	..	..
210408 मुर्गियों के अभिजनन प्रोजेक्ट की योजना ..	..	..	..	..	..	..	..	0.50	..	..
210409 अलीगढ़ में सघन कुक्कुट (ब्रोयलर) विकास ..	..	..	..	..	..	..	..	0.50	..	..
योग, (4)	29.44	9.68	..	8.44	18.85	11.22	8.36	11.44	2.80	..
5—पशु-चिकित्सा सहायता एवं रोग नियंत्रण—										
210501 राज्य में नये पशु औषधालयों एवं पशुपालन केन्द्रों का सुधार	31.85	10.33	..	1.70	6.52	6.38	6.48	12.56	0.10	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.2. पशुपालन—(क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70 संभावित व्यय	1970–71			1971–72		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा		स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210502	वर्तमान पशु औषधालयों की अतिरिक्त सुविधा का प्राविधान	17.71									
210503	स्थानीय निकायों द्वारा पशु औषधालयों के लिये अतिरिक्त औषधालयों के लिये अतिरिक्त औषधि एवं केमिकल्स का प्राविधान ..	4.48	15.30	..	7.89	8.26	7.37	17.41	10.50	5.40	..
210504	राज्य में निदान संबंधी लैबोरेटरी का प्राविधान ..	2.50	0.10	..	0.10	0.58	0.56	0.49	0.37	..	..
210505	पशु औषधालयों का प्रान्तीयकरण	6.35	2.41	..	0.52	0.85	0.85	0.78	1.51	..	..
210506	जैविकीय उत्पादन अनुभाग का सुधार तथा प्रसार ..	19.77	6.64	0.82	0.09	3.76	3.85	2.54	4.46	0.60	..
210507	रिन्डरपेस्ट टिशू कल्चर वैकसिन लेबोरेटरी की स्थापना ..	5.00	..	0.82	..	..	..	..	0.15	0.15	..

210508 सचल इकाई की स्थापना	..	..	..	..	..	..	..	3.00	..	..
210509 इपीडिमालोजिकल इकाई की स्थापना ..	..	..	..	..	..	..	..	0.20	..	..
210510 स्नातकों को इन्टर्नीशिप की व्यवस्था ..	..	..	..	..	..	..	..	1.17	..	..
210511 सोवाइन फ़िवर वैकसिन की उत्पादन तथा सोवाइन फिवर की रोकथाम ..	..	..	..	..	..	..	..	0.50	..	..
210512 ऐ० डी० आई० ओ० योजना का प्रसार ..	..	..	..	..	..	..	..	0.10	..	..
योग (5) ..	87.66	34.78	1.64	10.30	19.97	19.01	17.70	34.52	6.25	..
6—पशुपालन शोध शिक्षा तथा सांख्यिकी										
210601 भारतीय कृषि शोध परिषद की योजनाओं में राज्य का अंश	17.43	..	—	0.85	1.69	1.53	0.75	1.00	..	..
210602 पशुधन उत्पादन, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान में शोध कार्य को प्रसार एवं प्रगाढ़ रूप से करना ..	2.50	..	..	0.44	0.50	0.50	0.48	0.50	..	..
210603 राज्य में पशु चिकित्सा अन्वेषण केन्द्र मथुरा एवं क्षेत्रीय उप-केन्द्र का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण ..	2.60	0.53	..	0.60	0.25	0.23	0.42	0.79	..	..
210604 गोरखपुर में क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अन्वेषण उपकेन्द्र की स्थापना की योजना ..	4.83	3.00	..	0.50	0.07	0.07	..	0.38	..	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70 संभावित	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210605	पशु चिकित्सा के देशी प्रणाली में अन्वेषण की योजना (वर्तमान योजना का द्वितीय स्तर)	0.84	..	..	0.20	0.06	0.06	0.06	0.06	..	..
210606	पशु चिकित्सा महाविद्यालय मथुरा में समन्वय और पर्यवेक्षण के लिये अतिरिक्त सुविधाओं की योजना ..	2.52	0.35	..	0.21	0.59	0.59	0.56	0.15	..	..
210607	उ० प्र० पशु विज्ञान चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय मथुरा में चरागाह और फोरेज अनुसंधान के प्रसार तथा वाटेनी सेक्शन के जोड़ने का प्रस्ताव ..	1.68	..	..	0.15	0.32	0 32	0.09	0.31	..	..

210608	उ० प्र० पशु विज्ञान चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय मथुरा से लगा हुआ दुग्ध और कुक्कुट पालन क्षेत्र का विकास ..	3.04	3.00	..	..	..	..	..	..	..	..
210609	चक गंजरिया लखनऊ में कृत्रिम गर्भाधान की सेवारत कर्मचारियों का प्रशिक्षण ..	2.07	..	..	0.11	0.25	0.25	0.07	0.26	..	..
	सांख्यिकीय—										
210610	पशुधन उत्पादन तथा सांख्यिक अध्ययन करना और पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान में शोध कार्य को प्रगाढ़ रूप से करना ..	2.04	..	..	0.15	0.18	0.18	0.06	0.23	..	..
210611	एम० वी०—एस सी छात्रों को प्रयोगता छात्रवृत्ति ..	..	..	..	0.04	0.12	0.12	0.10	0.11	..	..
210612	चलचिकित्सालय का प्राविधान ..	..	..	..	0.24	0.30	0.37	0.36	0.11	..	..
210613	पर्वतीय क्षेत्रों में चरागाह और फोरेज अनुसंधान केन्द्र की स्थापना ..	..	..	..	1.61	0.55	0.55	0.16	0.53	..	..
210614	फिजालोजी सालवीया की योजना	..	..	..	..	..	0.84	..	..	..	..
210615	लेबोरेटरी तकनीकी में सेवारत कर्मचारियों का प्रशिक्षण ..	..	..	..	..	..	..	..	0.15	..	..
210616	पशुओं के लिये वीरस शोध लेबोरेट्री (सेल कल्चर की सुविधा) ..	..	..	..	..	..	..	0.17	0.25	..	..
	योग, (6)	39.55	6.88	..	5.10	4.88	5.61	3.28	4.83	..	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन—(क्रमश:) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 संभावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	—सूकर विकास 7										
210701	सूकर अभिजनन के लिये उन्नतिशील सूकरों की विकास योजना तथा क्रय-विक्रय के लिये सुविधाओं का प्राविधान ..	1.16	..	..	..						
210702	बेकन फैक्ट्री के एफ्लुयेंट्स का उपयोग ..	5.00	3.50	..	..	0.57	0.80	0.58	0.70	..	..
210703	पशु चिकित्सालयों पर सूकर रखने की योजना ..	..	..	..	..						
	योग, (7)	6.16	3.50	..	..	0.57	0.80	0.58	0.70	..	..
	8—अन्य योजनायें										
210801	विभिन्न स्तरों पर समन्वय एवं निरीक्षण ..	15.00	0.19	..	..	0.30	0.23	..	0.55	..	..

210802 प्रकाशन संबंधी प्रसार वस्तुओं का उत्पादन ..	2.25	..	..	0.19	0.45	0.45	0.45	0.48	..	..
210803 पशुओं का मेला लगना ..	5.50	..	..	0.94	0.99	0.55	0.82	0.98	..	..
210804 आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र बख्शी का तालाब लखनऊ में नलकूप का लगाना ..	0.45	0.45	..	0.22	..	..	0.26	..	..	..
210805 यूनीसेफ की सहायता से वृहद रूप से ऊन की ग्रेडिंग और क्रय-विक्रय की योजना ..	21.02	9.20	..	..	3.98	..	3.96	3.09	..	..
210806 उत्तर प्रदेश में पांच कुक्कुट पालन, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की स्थापना ..	1.81	..	..	..	0.07	0.33	..	0.10	..	..
210807 खाल उतारने, खाल साफ करने तथा लोथ के उपभोग एवं उत्पादन केन्द्र, देहरादून एवं झांसी का प्रसार ..	2.54	1.33	..	..	..	..	..	..	..	..
210808 छुट्टा और जंगली पशुओं के उत्पात पर नियंत्रण ..	5.73	..	..	0.46	0.70	0.70	0.45	0.40	..	..
210809 गोसदन योजना ..	1.07	0.36	..	..	..	..	..	0.71	..	.
210810 तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भवनों का निर्माण ..	14.00	14.00		4.54	4.00	2.82	3.47	2.00	2.00	..
210811 पशु मारे जाने वाले घर (कसाई खाने) का आधुनिकीकरण ..	2.00	..	..	..	..	..	..	..		..
210812 मुख्य अभिजनन क्षेत्रों में पशु ढारों के निबन्धन का प्रसार तथा अभिजनन समितियों का गठन ..	4.04	..	..	0.75	0.80	0.80	0.69	0.80	..	..

मद—1. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन—(समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	संभावित व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210813	प्रचार इकाई का सुदृढ़ीकरण ..	..	..	..	..	..	..	..	0.58	..	..
210814	गूलरबोझ गोसदन के लिये अनुदान	..	..	..	..	..	1.00	..	..	..	..
	सार्वजनिक अधिष्ठान उपकरण तथा संयंत्र ..	..	..	..	..	..	0.42	..	..	..	..
	योग, (8)	75.41	25.53	..	7.10	11.29	7.30	10.10	9.69	2.00	..
	योग, 2.1 पशुपालन ..	550.00	194.59	6.64	73.93	105.00	103.84	102.55	123.00	19.21	0.70

6

दुग्ध व्यवसाय तथा दुग्ध सम्पूर्ति

दुग्ध व्यवसाय तथा दुग्ध-सम्पूर्ति की स्कीमों के लिये चौथी योजना में 400.00 लाख रुपये के परिव्यय में से 70 लाख रुपये 1969-70 के लिये नियत किये गये थे। वर्ष के दौरान 48.31 लाख रुपये का व्यय किया गया। 1970-71 के लिये 65 लाख रुपये निर्धारित किये गये थे और केवल 57.65 लाख रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी। वर्ष 1970-71 में 46.07 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई। 1971-72 के लिये 65.64 लाख रुपये के परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें से पूंजी भाग 53.13 लाख रुपये का है। 65.64 लाख रुपये के परिव्यय में से प्रायः समस्त धनराशि चालू स्कीमों को पूरा करने के लिये है। इस समय जो एक मात्र नयी स्कीम प्रारम्भ की जानी है वह है ग्रामीण दुग्धशाला केन्द्रों की स्थापना।

2--दुग्धसंघों को उपभोक्ताओं के साथ व्यवहार में व्यक्तिगत व्यवसायियों से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ता है। इस मुकाबले में सहकारिता समितियों को लाभ नहीं होता क्योंकि उन्हें दूध के एकत्रीकरण, परिवहन, पैस्च्युराइजेशन, बोतल बन्दी तथा वितरण में व्यय वहन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वे व्यापार के अनैतिक तरीकों को भी नहीं अपना सकते। सहकारी दुग्ध संघों को अपने व्यापार के लिये दूध की पर्याप्त सप्लाई न मिल सकने का एक मुख्य कारण यह भी है कि उन्हें निजी व्यापारियों की प्रतियोगिता के अतिरिक्त दूध को कम पौष्टिक दुग्ध पदार्थों में परिवर्तित करने की आम प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ता है। ये अड़चनें तब तक जारी रहेंगी जब तक जनता दूध की अच्छी किस्म के महत्व से अवगत न हो जाय और बोतल में बन्द पैसच्युराइज्ड दूध प्राप्त करने पर जोर न देने लग जाय।

3--यूनिसेफ द्वारा साहाय्यित कानपुर की वृहत् दुग्ध प्रायोजना 14 नवम्बर, 1969 को चालू कर दी गयी। 1971-72 के अन्त तक अनुमान है इसमें 28,300 लिटर औसत दैनिक दूध का लेन-देन होने लगेगा। देहरादून, बरेली तथा मथुरा दुग्ध संघों ने काम करना शुरू कर दिया है और गोरखपुर दुग्ध संघ का भी 1970 के दौरान काम शुरू हो गया। 'मुरादाबाद बेबी फूड फैक्टरी' में भी उत्पादन होने लगा है। राज्य की सहकारी समितियों द्वारा लेनदेन किया जाने वाला दूध का दैनिक औसत 31 मार्च, 1969 के 94,500 लिटर से बढ़ कर 31 मार्च, 1970 को 1,20,000 लिटर हो गया यह 31 मार्च, 1971 को 1,65,000 लिटर तथा 31 मार्च 1972 को 3,32,300 लिटर हो जायगा।

4-- 1971-72 में दुग्ध छादक (मिल्क शेड) क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक दुग्ध उत्पादन के हेतु 20.00 लाख रुपये की धनराशि का प्रस्ताव उन्नत नस्ल के दुधारु पशुओं तथा सान्द्रित (कनसेन्ट्रेट) भोजन की खरीद के वास्ते दिया गया है। 1.00 लाख रुपये की धनराशि प्रारम्भिक दुग्ध समितियां (Milk primaries) में अंश सहकारिता के लिये तथा 1.00 लाख रुपये की धनराशि दुग्ध छादक (मिल्क शेड) क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा के हेतु प्रस्तावित की गयी है। छोटे शहरों में दूध की सप्लाई की कमी को ध्यान में रखते हुए 1971-72 के दौरान एक ग्रामीण दुग्धशाला केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे ऐसे केन्द्रों की संख्या बढ़ कर चार हो गयी। दुधारु पशु तथा सान्द्रित (कनसेन्ट्रेट) चारे की खरीद के लिये ऋण अधिक दूध-उत्पादन में लगे हुए उपान्त किसानों तथा भूमिहीन गांववासियों को दिये जाते हैं। इन प्रयोजनों के हेतु 1971-72 के वास्ते 20 लाख रुपये की एक धनराशि का प्रस्ताव दुग्ध उत्पादकों को ऋण वितरित करने के लिये किया गया है। 1970-71 में फैजाबाद में एक नया दुग्ध संयंत्र (कम्पोजिट प्लान्ट) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। 20 लाख रुपये की धनराशि भवन निर्माण, मशीनों की खरीद परिवहन, सर्विस आदि के लिये प्रस्तावित की गयी है। यह स्कीम निर्माण के एक चरण के रूप में रहेगी।

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.2. दुग्धशाला तथा दूध का वितरण (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70 संभावित व्यय	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा		स्वीकृत परिव्यय	आय-व्यय प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220101	कानपुर दुग्ध प्रायोजना ..	20.00	16.00	..	1.57	15.50	10.00	8.56	1.40	1.12	..
220102	नये दुग्ध संघों की स्थापना ..	6.00	1.25	..	3.87	2.85	1.00	0.51	0.55	..	..
220103	बेबी फूड फैक्टरी, मुरादाबाद..	33.00	26.40	..	23.07	9.93	9.92	9.93	..	..	..
220104	ग्रामीण दुग्धशाला प्रसार ..	8.98	4.84	..	1.94	0.40	0.24	0.40	..	..	..
220105	ग्रामीण दुग्धशाला केन्द्रों की स्थापना ..	1.00	0.91	..	..	0.20	0.20	..	0.80	0.66	..
220106	दुग्धशाला प्रशिक्षण ..	0.27	..	..	0.14	0.09	0.09	0.09	0.04	..	..
220107	हल्द्वानी दुग्ध यूनियन के प्रसार के कार्यक्रम की पूर्ति ..	5.00	4.00	..	1.00	4.00	4.00	4.00	..	..	..
220108	नगर दुग्ध सम्पूर्ति योजना..	15.00	12.42	..	4.00	1.00	1.00	1.00	5.00	4.14	..

220109 वर्तमान दुग्ध संघों का प्रसार, आधुनिकरण तथा पुनर्जीवन ..	50.00	42.00	7.00	1.88	..	..	..	9.00	7.60	..
220110 दुग्धशाला विकास खण्ड ..	8.00	..	..	0.02	1.50	1.50	0.08	1.40	..	..
220111 दुग्धशाला सर्वेक्षण मूल्यांकन ..	0.75	..	..	0.10	0.29	0.29	0.29	0.30	..	..
220112 उत्पादन ऋण ..	70.00	70.00	..	9.61	18.00	18.00	18.00	18.95	18.95	..
220113 प्रादेशिक सहकारी दुग्धशाला फेडरेशन को सहायता ..	2.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
220114 स्टेटुरी मिल्क बोर्ड ..	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
220115 मिल्क प्रोडक्ट फैक्टरी ..	32.00	26.60	2.50	..	..	..	..	..	..	..
220116 कैटिल फीड फैक्टरी ..	20.00	17.20	..	..	..	..	..	..	..	..
220117 बत्ताज ग्रौर खोलाज के लिये ग्रग्रगामी योजना ..	5.00	2.95	..	..	..	..	..	..	..	..
220118 फैजाबाद जिले सहित पूर्वी जिलों के लिये दुग्धशाला योजना ..	50.00	40.24	2.50	..	5.00	5.00	..	20.00	15.40	..
220119 ग्रामीण दुग्ध शाला केन्द्र ..	10.00	8.19	..	..	3.00	3.00	0.50	3.00	2.45	..
220120 ग्रामीण दुग्धशाला प्रसार ..	59.50	27.40	..	0.81	2.84	2.84	2.31	3.60	1.81	..
220121 दुग्धशाला प्रशिक्षण ..	2.50	..	..	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	..	..
220122 दुग्ध विकास निगम ..	..	..	..	..	..	..	1.00	1.00	..	..
योग, 2.2 दुग्धशाला तथा दूध का वितरण	400.00	300.40	12.00	48.31	65.00	57.65	46.07	65.64	53.13	..

7

मत्स्य पालन

मत्स्य पालन सम्बन्धी वर्तमान चौथी योजना ऐसी उत्पादनशील स्कीमों की एक क्रमागत योजना है जो तीसरी योजना के अन्त तथा तदर्थ योजना की अवधियों से कार्यान्वित की जा रही है। इसमें अतिरिक्त लक्ष्य तथा निवेश (Inputs), जिनकी प्रतिपूर्ति बीज उत्पादन, शिक्षा तथा शोध सम्बन्धी सहायक स्कीमों से की गयी है, सम्मिलित किये गये हैं। सार्वजनिक सहभागिता तथा मछुओं की उन्नति के एक साधन के रूप में मछुआ समुदाय को सहकारी क्षेत्र में लाने के हेतु सहकारी समितियों की एक स्कीम भी इसमें सम्मिलित की गयी है जिसमें मछुओं की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गयी है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़े-बड़े अवरुद्ध जलागारों (Impoundment of water) तथा जलाशयों का अधिकाधिक उपयोग करने तथा मत्स्य सम्वर्द्धन सम्बन्धी कार्यों के प्रसार के लिये मत्स्य उत्पादन स्कीमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है।

2--चौथी योजना में मत्स्य पालन विकास के लिये 90 लाख रुपये का परिव्यय प्रदिष्ट किया गया है जिसमें से वार्षिक योजना 1969-70 के लिये 20 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। 20 लाख रुपये की धनराशि की प्रदिष्टि 1970-71 में मत्स्यपालन सम्बन्धी कार्यों के लिये की गयी है। 1969-70 के 20 लाख रुपये के कुल परिव्यय में से बजट व्यवस्था 15.41 लाख रुपये की थी। वर्ष के दौरान 12.19 लाख रुपये का व्यय हुआ। व्यय में कमी का मुख्य कारण यह था कि कुछ निर्माण-कार्यों के कार्यक्रमों तथा कर्मचारियों की भर्ती करने में विलम्ब हुआ। 1970-71 के दौरान 20 लाख रुपये के परिव्यय में से केवल 14.40 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था बजट में की गयी है। लगभग 11.90 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग 1970-71 के अन्त तक हो जायगा। 1971-72 के लिये 21.00 लाख रुपये का परिव्यय है जिसमें 1 लाख रुपये पर्वतीय जिलों के लिये भी सम्मिलित है।

3--राज्य में जल संसाधन पर्याप्त हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि यहां लगभग 11.7 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है जिसमें से 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बड़े जलाशयों तथा झीलों और 1.6 लाख हेक्टेयर ग्रामीण तालों तथा तालाबों के अन्तर्गत है। इस विभाग का सम्बन्ध अवरुद्ध जलागारों (Confined water) के विकास से है। 1970 तक 1,37,319 हेक्टेयर जल क्षेत्र मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाया गया है जिसमें 35 जलाशय, 27 मध्यम जलाशय तथा 389 विभागीय तालाब हैं।

4--1970-71 के दौरान सात अतिरिक्त जलाशय ओबेरा (मिर्जापुर), पहरी लचूरा तथा परिचा (झांसी), बेहगुल (नैनीताल) तथा गंगोह और बरियार (बांदा) मत्स्य पालन विकास के लिए लिये गये हैं। छ: गीली बंधिया सिंचाई विभाग द्वारा संक्रमित किये गये ह। छ: सूखी बन्धियां निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं जिनमें से चार करीब-करीब तैयार हो गयी हैं। मत्स्य बीजों के उत्पादन के हेतु चार और बन्धियां 1971-72 में निर्मित करने का लक्ष्य है। योजना के पहले दो वर्षों में व्यावहारिक पुष्टाहार (अप्लाइड न्यूट्रिशन) कार्यक्रम का प्रसार 12 अतिरिक्त खंडों में किया गया है और 1971-72 के दौरान 6 और खंड लिये जायेंगे। राज्य के जलाशय संभागों में मछुओं की सहकारी समितियां संगठित की जा रही हैं और तीन ऐसी समितियां मिर्जापुर जिले में स्थापित की जा चुकी हैं तथा 2 समितियां झांसी जिल में 1970-71 के दौरान और संगठित की जायेंगी। 1971-72 के दौरान ऐसी दो और समितियों को संगठित करने का लक्ष्य है।

5--बड़े तथा मध्यम जलाशयों से वर्ष प्रति वर्ष पकड़ी जाने वाली मछलियों के परिमाण में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है जिससे इन जलाशयों से होने वाली आय भी बढ़ती जा रही है। 1969-70 में 1098.11 क्विटल मछली पकड़ी गयीं जिससे 27.45 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। स्वीकृत-योजना के लक्ष्यों के अनुसार दो अतिरिक्त जलाशय जामिनी (झांसी) तथा चन्द्रावल (हमीरपुर) में जिसमें 3,267 हक्टेयर जल क्षेत्र सम्मिलित है, 1971-72 में मत्स्यपालन के विकास

के लिये लिये जायेंगे। 1969–71 में लिये गये सात जलाशयों में 70 लाख अच्छी किस्म की मछलियों की बड़ी आकार वाली अंगुलिकाएं (Fingerlings of major carp) छोड़ी जायेंगी। जिन नये जलाशयों में कार्य आरम्भ किया जायगा उनसे कोई मत्स्य उत्पादन की आशा नहीं की जाती क्योंकि इनमें उत्पादन स्तर तक पहुंचने में 7–10 वर्ष तक सामान्यतया लग जाते हैं। किन्तु जंगली तथा मत्स्यभक्षी मीनों को हटाने के हेतु इन जलाशयों में प्रयोगात्मक रूप में मछली पकड़ने का कार्य जारी रहेगा और वर्ष में 14 मीट्रिक टन मछली इस प्रकार पकड़े जाने का अनुमान है।

6—समस्त रिहन्द जलाशय में प्रकृष्ट उपयोग तथा विकास कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है और यह लक्ष्य निर्धारित कार्यक्रम 1971–72 के दौरान आरम्भ किया जायगा। 500 मीट्रिक टन के अनुमानित मत्स्य उत्पादन से 15 लाख रुपये की आय होने की आशा है।

7—मिर्जापुर जिले में 1970–71 के दौरान रिहन्द जलाशय में जलाशयों के विवेकपूर्ण विकास के हेतु एक समन्वित शोध प्रायोजना आरम्भ की जा रही है। इसी प्रकार भारतीय कृषि शोध परिषद (ICAR) की सलाह पर भारतीय तथा विदेशी (Exotic) मछलियों के सम्मिलित विकास (Composite Culture) के लिये गूजर ताल मत्स्य फार्म (जौनपुर) में 1971–72 में एक शोध इकाई स्थापित की जायगी। इस स्कीम के अधीन निर्धारित कार्यक्रम 1971–72 में भी जारी रहेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दो सहायक निदेशक मत्स्य पालन तथा एक ज्येष्ठ मत्स्य पालन निरीक्षक अर्थात् प्रति वर्ष तीन प्रशिक्षार्थियों को केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, बम्बई में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार प्रति वर्ष 15 अभ्यर्थी आगरा में अन्तरस्थलीय क्रियाओं (Inland Operations) के हेतु संभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों में विशेसित पाठ्यक्रमों के लिये प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। योजना के पहले दो वर्षों में चार सहायक निदेशक, मत्स्य पालन, तथा एक ज्यष्ठ मत्स्य पालन निरीक्षक, बम्बई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के वास्ते भेजे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 25 को विशेसित प्रशिक्षण केन्द्र आगरा के लिये प्रतिनियुक्त किया गया है। जितने प्रशिक्षार्थियों की संख्या का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन्हें 1971–72 के दौरान प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया जायगा।

———

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.4 मत्स्य

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 संभावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240101	जल कुंडों का विकास एवं शोषण	24.84	14.52	..	1.30	6.57	4.70	3.44	3.10	0.66	..
240102	रिहन्द जलकुंड में मत्स्य विभाग का सघनीकरण ..	9.66	0.30	..	1.35	2.01	1.91	1.55	1.97	..	..
240103	इन्डूस्ड ब्रीडिंग और सिप्रिनस कार्य मत्स्य का सम्वर्द्धन	18.03	15.66	..	1.13	2.10	..	1.16	3.24	3.24	..
240104	खण्ड क्षेत्रों में नलकूप का प्राविधान ..	3.86	3.00	..	0.45	1.22	3.02	2.94	3.88	3.37	..
240105	अतिरिक्त मत्स्य बीज उत्पादन एवं नर्सरी फार्म का प्राविधान	14.12	11.30	..	..	0.20	..	..	0.20	0.20	..
240106	गन्दगी अध्ययन इकाई की स्थापना	0.85	..	..	0.05	0.17	0.17	0.06	0.18	..	..
240107	श्रम सहकारिता का संगठन	1.67	1.10	..	0.03	0.32	0.32	0.03	0.33	0.20	..
240108	मुख्यालय पर कर्मचारियों का शक्तिकरण	1.06	..	..	..	0.50	..	..	..	..	..

240109 मत्स्य शिक्षा एवं अन्वेषण	1.67	..	..	0.16	0.34	0.31	0.15	0.28	..	..
240110 अग्रनीत योजनायें ..	12.14	12.14	..	3.66	2.91	0.25	0.25	3.98	3.98	..
240111 यू० एन० आई० सी० ई० एफ० की सहायता से व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम ..	2.10	..	..	0.90	1.32	2.11	0.92	1.49	..	..
240112 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के समन्वय से गूजरताल पर भारतीय एवं विदेशीय मछलियों का सम्मिलित मत्स्य पालन कार्यक्रम ..	..	..	..	..	0.09	0.40	0.10	0.09	..	..
240113 गूजरताल पर सघन मत्स्य प्रक्षेत्र का प्रबन्ध ..	..	..	..	..	0.25	..	..	..	..	..
240114 विकास खंडों में मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों का सुधार एवं प्रसार ..	..	..	..	..	0.30	..	0.60	0.75	0.75	..
240115 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के समन्वय से रिहन्द पर अनुसंधान परियोजना ..	..	..	..	..	0.08	0.31	0.06	0.08	..	..
240116 भीमताल तथा नवकुचियाताल (नैनीताल) में पर्वतीय मत्स्य विकास ..	..	..	..	..	0.30	0.34	0.29	0.72	..	..
240117 चरखारी (हमीरपुर) स्थित तालाबों में मत्स्य विकास	..	..	..	..	0.25	..	..	..	..	..
240118 प्रचार इकाई योजना ..	..	..	..	..	0.30	..	..	..	..	..
240119 गियर इकाई की प्रसार ..	..	..	..	..	0.45	..	..	..	..	..
240120 मत्स्य प्रक्षेत्र विशेषज्ञ की व्यवस्था और एक अभियंत्रण इकाई का स्थापना ..	..	..	..	0.16	0.32	0.17	0.10	0.20	..	..

मद—2. समवर्गी कार्य क्रम

वर्ग—2.4 मत्स्य—(समाप्त) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	संभावित व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240121	कीथम जल कुण्ड में मत्स्य विभाग का सघनीकरण ..	..	..	..	..	..	0.24	0.08	0.08	..	..
240122	पशुपालन निदेशालय के भवन का प्रसार ..	..	..	..	..	..	..	0.24	0.25	0.25	..
	सार्वजनिक अधिष्ठान, उपकरण तथा संयंत्र ..	..	..	..	..	..	0.15	0.14	..	..	..
	योग, 2.4. मत्स्य	90.00	58.02	..	9.19	20.00	14.40	11.90	20.82	12.65	..

8

वन

वन का स्थान उन प्रचुरतम प्राकृतिक संसाधनों में है, जिसका राज्य की, जिस में संयोगवश खनिज संसाधनों का बहुत आधिक्य नहीं है, अर्थ-व्यवस्था को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वन के अन्तर्गत इस राज्य में 48,721 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जोकि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 16.55 प्रतिशत है। राष्ट्रीय वन नीति के अधीन वन क्षेत्र का न्यूनतम वांछनीय प्रतिशत 33 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है कि इस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत उससे कहीं कम है जितना कि न्यूनतम अपेक्षित है। वनों का यह लघु-भाग भी बहुत असमान रूप से फैला हुआ है। इसके कारण बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। गंगा के मैदान में भारत की सबसे घनी जनसंख्या है और कृषि क्षेत्रों में दूर-दूर लगातार मीलों तक वनों का अभाव होने के कारण लोगों को अपना भोजन पकाने के लिये गोबर को काम में लाने के लिये विवश होना पड़ता है। इसका एक अनिवार्य परिणाम यह है कि भूमि की उर्वराशक्ति लगातार कम होती जाती है। चूंकि वन के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करने की गुंजायश थोड़ी ही है, इसलिये एकमात्र विकल्प यही है कि प्रति इकाई इमारती लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि के लिये प्रकृष्ट वन प्रबन्ध से काम लिया जाय। इस पृष्ठभूमि में और लकड़ी तथा उससे तैयार की जाने वाली सामग्री की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वनों को उनकी पूर्ण उत्पादन क्षमता तक यथा सम्भव द्रुतगति से विकसित करना होगा। यह अनुमान लगाया गया है कि इस राज्य में लगभग 4.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यह सम्भाव्य क्षमता है कि उसका प्रकृष्ट प्रबन्ध किया जा सके। विभिन्न वन आधारित उद्योगों को कच्चे माल की भावी आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया गया प्रजाति क्रमानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न प्रकार है:—

प्रजातियां	प्रति वर्ष वृक्षारोपण किया जाने वाला (क्षेत्र हेक्टेयरों म)
1—यूकलिप्टस	8,000
2—बांस	6,000
3—दियासलाई की लकड़ी के लिए सेमल, गुटेल आदि ..	600
4—प्लाईवुड, फाइबर बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, पैकिंग केस इत्यादि के लिये कंजू आदि	2,100
5—साल और सागौन	3,300
6—शीशम	1,200
7—खैर	800
8—अंगू (ऐश), अखरोट आदि	880
योग ..	22,880

2—वानिकी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए चौथी योजना का परिव्यय 1,300 लाख रुपये है, जिसमें 5 पर्वतीय जिलों के लिये की गयी व्यवस्था भी सम्मिलित है। इस परिव्यय की तुलना में वर्ष 1969-70 में 206.48 लाख रुपये व्यय हुए और वर्ष 1970-71 में प्रत्याशित व्यय का अनुमान 194.32 लाख रुपये लगाया गया है। इस प्रकार, यह उम्मीद की जाती है कि चौथी योजना के दूसरे वर्ष के अन्त तक वानिकी की स्कीमों पर 400.80 लाख रुपये की धनराशि अथवा चौथी योजना के परिव्यय के 30.8 प्रतिशत का उपयोग हो चुका होगा। वर्ष 1971-72 के लिये इन स्कीमों के हेतु प्रस्तावित परिव्यय 256.00 लाख रुपये है। इसमें 5 पर्वतीय जिलों के लिए 70.00 लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है।

3—वन विकास के भौतिक कार्यक्रमों में वन विकास की उन कार्यवाहियों पर जोर दिया गया है जो वन आधारित उद्योगों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने और उपलब्ध वन-संसाधनों के जिनमें अवशेष घटिया किस्म की इमारती और सामान्य लकड़ी सम्मिलित है, आर्थिक रूप से लाभदायक तथा कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त-(1) कम मूल्य घटिया किस्म की वन उपज के स्थान पर आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की दृष्टि से अधिक मूल्यवान उपज तैयार करके, (2) शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण करके, (3) लट्ठे बनाने तथा इमारती लकड़ी प्राप्त करने के अपेक्षाकृत अच्छे और आधुनिक तरीके अपना कर, और (4) वन संचार, साधनों का विकास करके उपज और उत्पादकता में वृद्धि करने के तात्कालिक उद्देश्यों पर भी बल दिया गया है।

4—वर्ष 1969-70 के दौरान वानिकी स्कीमों की भौतिक उपलब्धियां बहुत संतोषजनक रही है और वर्ष 1970-71 के दौरान विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य भी सम्पूर्ण रूप से पूरे करने की कोशिश की गई है। वृक्षारोपण कार्यक्रम से मुख्यत: सम्बन्धित स्कीमें ये हैं—(1) आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की प्रजाति के वृक्षारोपण करना, (2) ईधन की लकड़ी वाले वृक्षों का रोपण एवं कृषि वानिकी, और (3) शीघ्र उगने वाली प्रजातियों के वृक्षों का रोपण। आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की प्रजाति के वृक्षारोपण की स्कीम के अधीन 1968-69 तक 82,550 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया था। वर्ष 1969-70 के दौरान यह कार्य 8,290 हेक्टेयर के अन्य क्षेत्र में किया गया। गत वित्तीय वर्ष के दौरान 8,938 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण हो जायंगे। वर्ष 1971-72 के दौरान 8,800 हेक्टेयर में वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव है। ईधन की लकड़ी वाले वृक्षों के रोपण और कृषि वानिकी स्कीम के अन्तर्गत 1968-69 तक 2,608 हेक्टेयर में और 1969-70 में अन्य 1,300 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया था। गत वित्तीय वर्ष के दौरान यह कार्य 1,300 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में पूरा हो जायगा। वर्ष 1971-72 के दौरान 1,300 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, शीघ्र उगने वाली प्रजातियों की स्कीम के अन्तर्गत वृक्षा रोपण कार्यक्रम में संबंधित भौतिक उपलब्धि 1968-69 तक 51,281 हेक्टेयर थी। वर्ष 1969-70 के दौरान अन्य 13,552 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया। गत वित्तीय वर्ष के दौरान 14,233 अतिरिक्त हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य पूरा हो जायेगा। वर्ष 1971-72 के लिये प्रस्तावित लक्ष्य 12,500 हेक्टेयर है। अवनत वनों की पुन:स्थापना की स्कीम के अन्तर्गत 1968-69 के अन्त तक 17,224 हेक्टेयर में जुतायी का कार्य किया गया। वर्ष 1969-70 में 3,230 हेक्टेयर में जुतायी के कार्य सम्पन्न हुए और गत वित्तीय वर्ष में 7,400 अन्य हेक्टेयर में जुतायी का कार्य पूरा हो जायेगा। वर्ष 1971-72 के लिये 7,400 हेक्टेयर में इस कार्य को किये जाने का लक्ष्य है।

5—वर्ष 1968-69 तक संचार साधनों के अधीन हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों में 3,573 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण; 3,987 किलोमीटर सड़कों का नवीकरण, 3,788 किलोमीटर टेलीफोन लाइनें बिछाना; और 372 पुलों का निर्माण सम्मिलित है। वर्ष 1969-70 के दौरान 90.5 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हुआ; 54.5 किलोमीटर सड़कों का नवीकरण किया गया; 81.5 किलोमीटर में टेलीफोन की लाइनें बिछायी गयी और 6 पुलों का निर्माण किया गया। गत वित्तीय वर्ष के दौरान यह उम्मीद की जाती है कि 114 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जायगा, 43 किलोमीटर सड़कों का नवीकरण किया जायगा, 94 किलोमीटर में टेलीफोन की लाइनें बिछायी जायंगी और 7 पुल निर्मित किये जायंगे। वर्ष 1971-72 के लक्ष्यों में 230 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 425 किलोमीटर सड़कों का नवीकरण, 260 किलोमीटर में टेलीफोन की लाइनों का बिछाना और 28 पुलों का निर्माण सम्मिलित है।

6—प्रकृति संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत जिस पर दूसरी योजना से काम हो रहा है, मुख्य कार्य राज्य भर में वन्य जीवों का संरक्षण, पार्कों और पशुविहारों (सैंक्चुअरीज) का रख-रखाव और उनमें

सुधार तथा वन्य पशुओं की गणना आदि सम्मिलित है। यह कार्य 1971–72 में भी जारी रहेगा।

7—वन शोध-तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शोध का काम कार्य योजना तथा शोध (Working Plan and Research) की एक संयुक्त स्कीम के अधीन आरम्भ किया गया था, किन्तु वर्ष 1966–67 से वानिकी शोध की एक पृथक स्कीम चालू की गयी और इसे चौथी योजना के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है। देशी तथा विदेशी प्रजातियों के वृक्षों का रोपण आरम्भ करने के विषय में शोध कार्य चालू है। इस स्कीम के अधीन पहाड़ी पीपल, यूकलिप्टस और उष्णकिटिबन्धों चीड़ के अध्ययन पर उनकी शीघ्र उगने की गति तथा औद्योगिक महत्व के कारण, विशेष बल दिया जा रहा है।

इमारती लकड़ी के लट्ठे तैयार करना

8—इमारती लकड़ी के उन्नत लट्ठे तैयार करने की स्कीम के अधीन तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस राज्य में लट्ठे तैयार करने के आधुनिक उपकरण की सहायता से इमारती लकड़ी के लट्ठे तैयार करने की एक इकाई पहले पहल उत्तरकाशी जिले में चालू की गयी थी। इस स्कीम के परिणाम काफी उत्साहवर्द्धक रहे। वर्ष 1968–69 के अन्त तक 22,443 घन मीटर लकड़ी से इमारती लकड़ी के लट्ठे तैयार किये गये। वर्ष 1969–70 में लट्ठे तैयार करने का यह कार्य 2,847 घन मीटर लकड़ी पर किया गया और वर्ष 1970–71 के दौरान 3,700 घन मीटर पर इस प्रकार का कार्य कर लिया जायेगा। वर्ष 1971–72 के लिये 3,700 घन मीटर का लक्ष्य है।

9—इस क्षेत्र के अन्तर्गत प्रकीर्ण कार्यक्रमों में ये चालू स्कीमें सम्मिलित हैं—(1) कर्मचारिवर्ग का प्रशिक्षण, (2) भवन निर्माण, (3) वन विषयक प्रचार, (4) सार्वजनिक निर्माण विभाग से ली जाने वाली सड़कों के किनारे-किनारे मार्ग का प्रबन्ध, (5) कार्य योजनाओं (वर्किंग प्लान) का पुनरीक्षण और तैयार करना, (6) वन अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी प्रभाग, और (7) अग्नि सुरक्षा की नई स्कीम। यह उम्मीद की जाती है कि 1970–71 के अन्त तक 3 अरण्यपालों/उप-अरण्यपालों, 102 भारतीय अरण्य सेवा,/प्रान्तीय अरण्य सेवा अधिकारियों, 147 वन रेंजरों, 697 उप-रेंजरों/वनपालों (फारेस्टर्स) और 1551 वन रक्षियों (फारेस्ट गार्डों) को प्रशिक्षण दिया जा चुकेगा। 1971–72 के दौरान। अरण्यपाल/उप-अरण्यपाल, 55 उप-रेंजरों/वनपालों और 120 वनरक्षियोंको प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। भवनों की स्कीम के अधीन 1970–71 के अन्त तक 590 भवन तैयार हो जायेगें। वर्ष 1971–72 में 46 भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है। वन प्रचार की स्कीम तीसरी योजना से चली आ रही है। प्रचार कार्य समाचारपत्रों, प्रकाशनों और पुस्तिकाओं (पैम्फ्लेट्स) के वितरण आदि के द्वारा किया गया है। प्रचार कार्य चौथी योजना में जारी रहेगा और सम्पूर्ण राज्य में किया जायगा। सड़कों के किनारे-किनारे मार्गों के प्रबन्ध की स्कीम के अधीन 1970–71 के अन्त तक सार्वजनिक निर्माण विभाग से 8,615 किलोमीटर क्षेत्र लिया जायगा तथा 2,227 किलोमीटर में वृक्षारोपण कार्य पूरा हो जायगा। वर्ष 1971–72 में सार्वजनिक निर्माण विभाग से 1,460 किलोमीटर सड़कों के लिये जाने और 800 किलोमीटर में वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव है। वन क्षेत्रों में वृद्धि होने तथा विकास की स्कीमों के परिणाम-स्वरूप उससे कहीं अधिक तीव्र गति से इन कार्य योजनाओं का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता पड़ी जितनी कि सामान्य बजट में व्यवस्था की गयी थी। तदनुसार कार्य योजनाओं के पुनरीक्षण तथा तैयार करने की एक स्कीम तीसरी योजना में आरम्भ की गयी और चौथी योजना में भी चालू है। वर्ष 1970–71 के अन्त तक 27 कार्य योजनाओं के जिनमें 11 आंशिक योजनाएं शामिल हैं पुनरीक्षित और या तैयार कर ली जायेंगी। दो कार्य योजनाओं के पुनरीक्षण और तैयार करने का कार्य वर्ष 1971–72 में चालू रखने तथा दो नई कार्य योजनाओं का कार्य आरम्भ करने का कार्यक्रम है। वन अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी (प्रभाग) की स्कीम वर्ष 1966–67 में आरम्भ की गयी थी और तब से लगातार चालू है।

अग्नि सुरक्षा की नई स्कीम को वर्ष 1971–72 से आरम्भ किया गया है। तीन अग्निशमन इकाइयाँ गत वित्तीय वर्ष के दौरान आंशिक रूप से स्थापित की गई और वर्ष 1971–72 में लिये इस प्रकार की 5 इकाइयों की स्थापना का प्रस्ताव है ।

केन्द्र पुरोनिधानित स्कीम

10—वानिकी क्षेत्र में वन संसाधनों के सर्वेक्षण की एक केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीम सम्मिलित है। यह स्कीम, जो तीसरी योजना अवधि के दौरान राज्य योजना में शामिल की गयी थी, यह ज्ञात करने के लिये एक सर्वेक्षण आरम्भ करने के उद्देश्य से आरम्भ की गयी थी कि वन उपज की विभिन्न मदों में से राज्य में कौन-कौन सी उपज कहां-कहां पर कितनी मात्रा में पायी जाती है। केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित इस स्कीम के अधीन 1970–71 के अन्त तक 14.66 लाख हेक्टेयर का सर्वेक्षण पूरा हो जायगा। वर्ष 1971–72 के दौरान 0.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इस योजना के अधीन लाने का कार्यक्रम है। इस स्कीम के लिये चौथी योजना का परिव्यय 7.50 लाख रुपये है। वर्ष 1969–70 के दौरान इस स्कीम पर 1.72 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। वर्ष 1970–71 में इस पर 1.80 लाख रुपये व्यय हुआ है। वर्ष 1971-72 के लिये इसका निर्धारित परिव्यय 1.82 लाख रुपये है।

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.3. वन

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 संभावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230101	आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की जातियों का वृक्षारोपण	310.00	..	..	60.39	58,00	58.00	53.25	60.00	..	..
230102	निम्नवर्गीय वनों का पुनरुद्धार	25.00	..	..	3.04	2.75	2.75	2.75	6.00	..	..
230103	प्रकाष्ठ के उन्नत लट्ठे तैयार करना ..	45.00	..	..	5.89	6.00	5.65	6.35	6.35	..	..
230104	संचार साधन सड़कें पुल तथा टेलीफोन लाइनें (जीप की व्यवस्था सहित) ..	150.00	..	..	5.82	6.00	6.00	5.40	20.00	..	..
230105	कर्मचारियों का प्रशिक्षण ..	38.00	..	..	6.13	6.50	6.50	5.37	10.94	..	..
230106	भवन ..	15.00	..	..	1.56	2.00	2.00	2.40	5.26	..	..
230107	वन प्रख्यापन ..	10.00	..	..	1.97	2.00	2.00	2.14	2.10	..	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.3 वन–(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70 संभावित व्यय	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा		स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230108	प्रकृति का परिक्षण ..	35.00	..	..	5.81	6.50	6.50	6.49	10.00	..	..
230109	वन विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे के पेड़ों का प्रबन्ध करना ..	50.00	..	..	11.23	10.00	10.00	11.60	14.40	..	..
230110	कार्य आयोजनाओं का बनाना और पुनरीक्षण ..	25.00	..	..	2.65	3.00	3.00	1.98	5.00	..	..
230111	वन सम्बन्धी शोध कार्य ..	25.00	..	..	2.40	3.75	3.75	2.97	7.08	..	..
230112	वन अर्थ संख्या प्रभाग की स्थापना ..	3.00	..	..	0.28	0.50	0.50	0.38	0.75	..	..

230113 ईंधन तथा कृषि वानिकी ..	32.00	..	..	5.83	6.00	6.00	6.02	6.05	..	..
230114 शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण ..	537.00	..	54.00	93.48	87.00	87.00	85.42	94.34	..	..
अग्नि से सुरक्षा ..	..	..	..	..	..	..	1.80	4.71	..	..
सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम सहायता देने के लिये एकमुश्त परिव्यय	..	..	..	..	..	..	..	3.02	..	..
योग 2.3. वन ..	**1300.00**	..	**54.00**	**206.48**	**200.00**	**199.65**	**194.32**	**256.00**	..	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.5. भाण्डागार (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70 संभावित व्यय	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा		स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	सहकारिता विभाग										
250101	उत्तर प्रदेश राज्य भाण्डागार निगम के अंशकों में पूंजी विनियोजन ..	30.00	30.00	..	..	..	..	7.50	7.00	7.00	..
	कृषि विभाग—										
250201	बाजारों का विनियमन ..	..	..	..	6.26	15.15	15.16	13.46	12.94	4.31	..
250202	बाजारों के विनियमन हेतु कृषि विपणन विभाग का सुदृढ़ीकरण ..	..	..	..	0.24	4.66	4.66	2.36	5.11	..	..
250203	प्रशिक्षण, मार्केट इन्टेलिजेन्स ग्रेडिंग, प्रसार और शोध के लिये एक संस्थान की स्थापना	..	..	..	..	..	..	1.11	..	..	..
	योग कृषि विभाग ..	..	..	..	6.50	19.81	19.82	15.82	19.16	4.31	..
	योग 2.5. भाण्डागार	**30.00**	**30.00**	..	**6.50**	**19.81**	**19.82**	**23.32**	**26.16**	**11.31**	..

9

सहकारिता तथा सामुदायिक विकास

(1) सहकारिता

सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनता को खेती तथा अन्य सम्बद्ध व्यवसायों का विकास करने के लिये सस्ती दर पर ऋण तथा अन्य सुविधायें देकर उसके आर्थिक विकास में महत्व-पूर्ण भूमिका निभा रही है। सहकारिता आन्दोलन का उद्देश्य विशेषकर समाज के अपेक्षाकृत निर्बल वर्गों तथा सामान्य रूप से पूरे समाज की आर्थिक उन्नति करना है। चौथी योजना की मुख्य नीति यह है कि इस सम्बन्ध में अब तक जो कार्य किया जा चुका है, उसको सुदृढ़ किया जाय और वर्तमान ऋण सम्बन्धी व्यवस्था को दोष रहित बनाया जाय जिससे कि राज्य में जो कृषि कार्यक्रम चालू है उसे तेज किया जाय।

2. सहकारिता क्षेत्र में सहकारिता, उद्योग तथा वित्त विभागों की योजनायें आती हैं। इस क्षेत्र का चौथी योजना का परिव्यय वर्ष 1969-70 का व्यय, वर्ष 1970-71 का परिव्यय, बजट में व्यवस्थित धनराशि तथा प्रत्याशित व्यय और वर्ष 1971-72 का प्रस्तावित परिव्यय नीचे दिये जाते हैं :

(लाख रुपयों में)

विभाग	चौथी योजना परिव्यय	1969-70 व्यय	1970-71 परिव्यय	1970-71 बजट में व्यवस्थित धनराशि	1970-71 प्रत्याशित व्यय	1971-72 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
सहकारिता	1000.00	31.91	60.00	60.00	143.52	285.40
उद्योग	50.00	10.00	20.00	20.00	30.00	40.00
वित्त	50.00	3.71	4.89	4.89	5.31	8.00
योग	1100.00	45.62	84.89	84.89	178.83	333.40

सहकारिता विभाग की योजनायें—

3—अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण सम्बन्धी सुविधाओं का प्रसार करने के लिये, प्रारम्भिक ऋण समितियों को जीवनक्षम इकाइयों के रूप में पुन: संगठित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य समझा गया और इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम चालू किया गया था। किन्तु सदस्यों के स्थानीय विरोध, तथा समुचित नेतृत्व तथा सहकारिता सम्बन्धी शिक्षा की कमी के कारण इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन की प्रगति मन्द रही। 1968–69 के अन्त तक, 1,392 जीवनक्षम समितियां संगठित की गयीं। ऐसी समितियों की संख्या में 1969–70 के दौरान 522 की वृद्धि हुई, और आशा की जाती है कि वर्ष 1970–71 के दौरान इनकी संख्या में 500 समितियों की और वृद्धि हो जायगी। प्रारम्भिक समितियों की सदस्य संख्या, 1968–69 के अन्त में 55.61 लाख थी जिसमें 1969–70 के दौरान 2.83 लाख की और वृद्धि हुई। वर्ष 1970–71 के दौरान, आशा की जाती है कि इस सदस्य संख्या में 3.50 लाख की और वृद्धि हो जायेगी। इन समितियों की अंश पूंजी और जमा धनराशि में जो वर्ष 1968-69 के अ में क्रमश: 16.21 करोड़ रु० तथा 4.62 करोड़ रु० थी वर्ष 1969–70 के दौरान क्रमश: 1.69 करोड़ तथा 0.47 करोड़ रु० की वृद्धि हुई। वर्ष 1970–71 के दौरान, अंश पूंजी और जमा धनराशि में क्रमश: 1.07 करोड़ रु० और 0.50 करोड़ रुपये की और वृद्धि हो जायेगी। 1968–69 के अन्त तक वितरित किये गये अल्प तथा मध्यकालीन ऋण 52.57 करोड़ रुपये के थे। इन ऋण का स्तर 1969–70 के दौरान बढ़ कर 64.41 करोड़ रुपया हो गया। गत वित्तीय वर्ष के दौरान इन ऋणों की कुल धनराशि 66 करोड़ रुपया तक हो जायेगी। 1969-70 के दौरान सामान्य कार्यक्रम के अधीन दिया गया दीर्घकालीन ऋण 17.54 करोड़ रु० तक था। इसमें गत वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी।

4—कालातीत देय (Overdues) धनराशियों की वसूली की स्थिति में सुधार हो रहा है। 1 अप्रैल, 1970 को कालातीत देय धनराशि कुल 48.31 करोड़ रुपया थी जिसमे से 30 जून, 1970 को समाप्त हुई तिमाही में 26.50 करोड़ रुपये की वसूली की गयी, और इस प्रकार कुल कालातीत देय धनराशि घटकर 21.81 करोड़ रुपये रह गयी।

5—राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की 20 शाखायें और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की 25 शाखायें वर्ष 1969–70 के दौरान खोली गयी। उपर्युक्त प्रत्येक प्रकार के बैंक की 10 शाखायें गत वित्तीय वर्ष में खोलने का लक्ष्य रखा गया है और आशा की जाती है कि इससे अधिक ही शाखायें खोली जा सकेंगी।

6—निर्वल जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कार्यदक्षता सुधारने के उद्देश्य से एक समीक्षा समिति (Review Committee) गठित की गई है जो ऐसे निर्बल बैंकों के कार्य संचालन का विस्तृत रूप से जांच करेगी और उनकी कार्यदक्षता बढ़ाने के लिये उन्हें विशिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्तों का सुझाव देगी। इनमें से कुछ बैंकों ने अपने कार्य संचालन में सुधार कर लिया है जिसके फलस्वरूप उनके लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋण सीमायें स्वीकृत की जा चुकी हैं।

7—वर्तमान क्रय-विक्रय समितियों का विकास करने के उद्देश्य से, उनमें से दो समितियों को, वर्ष 1969–70 के दौरान, प्रत्येक समिति को 45,000 रु० के हिसाब से, अतिरिक्त सरकारी अंशदान दिया गया।

8—प्रारम्भिक क्रय-विक्रय समितियों ने, अपने शीर्ष संगठन सहित, वर्ष 1969–70 के दौरान, 17.23 करोड़ रुपये के मूल्य की कृषि-उपज का लेन-देन किया, आशा की जाती है कि वे वर्ष 1970–71 के दौरान, 19.00 करोड़ रुपये की कृषि-उपज का लेन-देन कर सकेंगी।

9—वर्ष 1967–68 के अन्त तक, 104 विधायन यूनिटें स्वीकृत की गयी थीं, किन्तु इनमें से केवल 58 ऐसी यूनिटें कार्य कर रही थी। 13 यूनिटों द्वारा सहकारी अंशदान को वापसी के कारण 1970–71 के अन्त तक; ऐसी यूनिटों की संख्या 91 हो जायेगी जिसमें 62 अधिष्ठापित यूनिटें भी

सम्मिलित है। वर्ष 1970-71 के दौरान दो विधायन यूनिटें भी बढ़ा दी जायगी और इस प्रकार उनकी कुल संख्या 93 हो जायगी। इस अवधि में, अधिष्ठापित यूनिटों की संख्या बढ़ कर 66 हो जायगी। वर्ष 1970-71 के दौरान दो नये शीतागार भी स्थापित हो जायेंगे।

10—सहकारी कृषि के क्षेत्र में, वर्ष 1968-69 तक, 1,403 सहकारी कृषि समितियां संगठित की गयी थी। वर्ष 1969-70 के दौरान प्रस्तावित लक्ष्य के अनुसार 7 वर्तमान कृषि समितियों को सशक्त बनाया गया। गत वित्तीय वर्ष में नई समितियों को संगठित करने या समितियों की सशक्त बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं था।

11—सदस्य शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1969-70 के दौरान 54 परिगामी इकाइयों के जरिये 54,500 गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और 197 अधीनस्थ कर्मचारियों को इसी अवधि में प्रशिक्षित किया गया। आशा की जाती है कि गत वित्तीय वर्ष में 56,500 गैर-सरकारी और 200 अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

12—1971-72 के महत्वपूर्ण वर्ष के दौरान सहकारिता विभाग द्वारा सहकारिता सम्बन्धी कार्यक्रम 285.40 लाख रुपये के परिव्यय से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके अन्तर्गत 1,000 नई जीवनक्षम समितियां संगठित करने, सदस्यता में 3.50 लाख की वृद्धि करने, अंश पूंजी और जमा धनराशि में क्रमशः 1.11 करोड़ रु० और 0.50 करोड़ रु० की वृद्धि करने की परिकल्पना की गयी है। अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन ऋणों का स्तर, वर्ष 1971-72 के दौरान बढ़ा कर, 71 करोड़ रुपये तक कर देने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत दीर्घकालीन ऋण के रूप में 20 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित करने का प्रस्ताव है और 8 करोड़ की एक और धनराशि उन योजनाओं के लिये वितरित किये जाने का प्रस्ताव है जिसका पुनर्वित्तपोषण कृषि पुनर्वित्त पोषण निगम (Agricultural Refinance Corporation) द्वारा किया जायगा। वर्ष 1971-72 के लिये जो अन्य लक्ष्य निर्धारित किये गये है, उनमें जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, तथा उ० प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में से प्रत्येक की दस-दस शाखायें स्थापित करने, तीन सहकारी क्रय-विक्रय समितियां संगठित करने, दो विधायन इकाई और पांच मध्यम आकार की फुटकर आउटलेट (Outlets) स्थापित करने का लक्ष्य सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त उ० प्र० सहकारी फेडरेशन द्वारा दस संभागीय गोदामों का निर्माण करवाने के लिये 20 ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिये और वर्तमान क्रय-विक्रय गोदामों तथा शीतागारों के लिये अधिनीत सहायता के लिये ऋण और राज्य सहायता के रूप में वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 1971-72 के दौरान दो नये शीतागार स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान विभागीय स्टोरों, केन्द्रीय थोक उपभोक्ता स्टोरों, उ० प्र० राज्य उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन में अतिरिक्त अंशदान करने के लिये भी व्यवस्था की गयी है। वर्ष 1971-72 के वार्षिक योजना में टेक्स-टाइल मिल और हाइड्रोजीनेशन फैक्टरी का भी प्रस्ताव किया गया है।

13—सहकारिता विभाग की चौथी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित सहकारिता विकास की स्कीमें सम्मिलित की गयी हैं—

(1) सहकारी कृषि ऋण—

इस स्कीम के अन्तर्गत चौथी योजना की अवधि में सभी प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों की जीवनक्षम अथवा सशक्त जीवन क्षम समितियों में शनैः शनैः बदल देने का प्रस्ताव किया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 2,500 जीवनक्षम समितियां संगठित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1,000 जीवन क्षम समितियां वर्ष 1971-72 में संगठित की जायगी। इस अवधि में आशा की जाती है कि समितियों की सदस्यता में 17 लाख की वृद्धि हो जायेगी, जिसके फलस्वरूप कृषक परिवारों का 75 प्रतिशत इसके अन्तर्गत आ जायेगा। वर्ष 1971-72 के दौरान प्रस्तावित वृद्धि 3.50 लाख है। इस अवधि में अश पूंजी तथा जमा धनराशि में क्रमशः 5.50 करोड़ रु० तथा 2.50 करोड़ रु० की वृद्धि होने की आशा की जाती है। प्रारम्भिक समितियों की अंश पूंजी में राज्य सरकार 0.60 करोड़ रु० अंशदान देगी।

चौथी योजना में प्रति समिति, 1,800 रु० की दर से प्रबन्ध कार्य के लिये राज सहायता देने की व्यवस्था भी तीन वर्ष के लिये इस आधार पर की गयी है कि प्रति वर्ष उसमें क्रमशः कमी की जाती रहेगी। इस अवधि में 85 करोड़ रु० तक अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन ऋण वितरित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1971–72 के दौरान इन ऋणों का स्तर 71 करोड़ रुपया तक पहुंच जाने की आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिये सामान्य कार्यक्रम के अधीन दीर्घकालीन ऋण के रूप में 100 करोड़ रु० तक अग्रिम देने का प्रस्ताव किया गया है। चौथी योजनावधि में जिला। केन्द्रीय सहकारी बैंक की 44 नयी शाखायें तहसील मुख्यालयों में खोली जायंगी। इससे ग्रामीण जनों की बचत धनराशि भी बैंक में जमा हो सकेगी। और ऋण सम्बन्धी सुविधाए भी उन्हें अपेक्षतकृत समीप ही उपलब्ध हो जायगी। चौथी योजना में इन बैंकों के सदस्यों से अंश पंजी के रूप में 3.50 करोड़ रु० और जमा धनराशि के रुप में 7.50 करोड़ रु० एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। उ० प्र० सहकारी बैंक की जो ऋण देने वाला एक शीर्ष संगठन है और सम्पूर्ण सहकारिता आन्दोलन को वित्तपोषित करने की जिसकी जिम्मेदारी है, अंश पूंजी और जमा धनराशि में क्रमशः एक करोड़ रु० और 6 करोड़ रु० की बृद्धि की जायगी। उन जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंकों के जो प्रशिक्षण देंगे प्रमुख कर्मचारीवर्ग का सर्व-समुच्चय (Common Pool) सृजित करने के लिये चौथी योजना में 6.25 लाख रुपये की राज सहायता की भी व्यवस्था की गयी है। उ० प्र० सहकारी भूमि विकास बैंक की 37 शाखायें इस उद्देश्य से खोली जायेंगी कि उनके अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र की तहसीलों को छोड़कर, राज्य की अन्य तहसीलें आ जायं। राज्य सरकार इस बैंक क ऋणपत्रों की खरीद पर 21 करोड़ रु० की धनराशि विनियोजित करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा इस बैंक के शेयरों में एक करोड़ रुपया अंशदान के रूप में लगाया जायगा। राज्य कृषि सम्बन्धी ऋण, सहायता तथा गारन्टी फंड, अशोध्य ऋण सम्बन्धी अरक्षित धनराशि, आदि के लिये व्यवस्था की गई है।

(2) सहकारी क्रय-विक्रय—सहकारी क्रय-विक्रय सम्बन्धी कार्यक्रम, अर्थात् सहकारी ऋण को क्रय-विक्रय के साथ मिलाने का कार्यक्रम, दूसरी योजना में चालू किया गया था, और तब से वह बराबर चालू है। चौथी योजना के दौरान, वर्तमान समितियों को सशक्त और आत्म-निर्भर बनाने पर जोर दिया जायगा। वर्ष 1968–69 के अंत में 43 शाखाओं सहित 203 सहकारी क्रय-विक्रय समितियां और जूट की एक विशेष वस्तु क्रय-विक्रय समिति (Commodity Marketing Society) राज्य में कार्य कर रही थीं। चौथी योजनाके दौरान, ऐसी 7 समितियां संगठित करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रत्येक नयी समिति के लिये 25,000 रु० की व्यवस्था राज्य को ओर से भाग-ग्रहण के रूप में की जायंगी। इस अवधि में 8 वर्तमान समितियों को सशक्त बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना का लक्ष्य यह है कि चुनी हुई अलग-अलग क्रय-विक्रय समिति के स्तर पर मूल्यों में होने वाली घट-बढ़ के लिये एक विशेष कोष (Special Price Fluctuation Fund) स्थापित किया जाय, जिससे कि उन कृषि उपजों की, जो पूरी की पूरी सीधी क्रय कर ली जाती हों, बिक्री में हो सकने वाली हानि को पूरा किया जा सके। चौथी योजना में इस कोष के लिये सरकार के अंशदान के रूप में 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(3) चीनी कारखानों से भिन्न सहकारी विधायन—वर्ष 1968–69 के अन्त तक , राज्य में विधायन यूनिटों की कुल संख्या 101 थी, जिनमें से 58 यूनिटें काम कर रही थीं। चौथी योजना के दौरान, शेष यूनिटें भी चालू हो जायंगी और वर्तमान यूनिटों की कार्य परिचालन सम्बन्धी कुशलता बढ़ायी जायेगी। चौथी योजना में ऐसी आठ नयी यूनिटें भी संगठित की जायंगी। चौथी योजना में बुलन्दशहर में सहकारी टेक्सटाइल मिल तथा बदायूं में हाइड्रोजनेशन प्लान्ट में राज्य की अंश-सह भागिता हेतु व्यवस्था भी की गयी है।

(4) सहकारी संग्रहागार—इस स्कीम के अन्तर्गत 200 ग्रामीण गोदाम, 10 संभागीय गोदाम 38 जिला गोदाम तथा 164 व्यापार-केन्द्र गोदाम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्माण, करने का प्रस्ताव है। संभागीय, जिला तथा व्यापार केन्द्र गोदामों की कुल क्षमता क्रमशः 77,000

1,33,000 तथा 1,23,00 मीट्रिक टन होगी। योजना में केवल 37 1/2 प्रतिशत की व्यवस्था की गयी है जिसे कार्यक्रम के लिए राज सहायता के रूप में दिया जायगा। सहायता का ऋण भाग कृषि पुनर्वित्त निगम से लिये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 4 नये शीतागारों का भी चौथी योजना में प्रस्ताव है। वर्तमान 9 शीतागारों के लिए अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था की जायगी।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का सहकारी वितरण--1968-69 के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 करोड़ रुपये के मूल्य की उपभोक्ता-वस्तुएं वितरित की गयी थीं। 1973-74 के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण-स्तर को बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव किया गया है।

(6) नागर उपभोक्ता सहकारी समितियां--यह स्कीम तीसरी योजना के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का मूल्य स्थिर करने के उद्देश्य से चालू की गयी थीं। 1968-69 के अन्त में 48 थोक उपभोक्ता संग्रहागार, 1097 प्राथमिक संग्रहागार तथा शाखाएं तथा 5 विभागीय संग्रह गार राज्य में कार्य कर रहे थे। चौथी योजना के दौरान वर्तमान इकाइयों को समेकित किया जायगा और उनकी कार्य प्रणाली में सुधार किया जायगा। इसके अतिरिक्त 20 प्राथमिक संग्रहागार 20 मध्यम आकार के फुटकर बिक्री केन्द्र, 2 विभागीय संग्रहागार तथा 2 उपभोक्ता संग्रहागार विश्वविद्यालयों में भी प्रस्तावित किये गये हैं।

(7) सहकारी कृषि (फार्मिग)--यह स्कीम तीसरी योजना में एक केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीम के रूप में आरम्भ की गयी थी। अब यह स्कीम राज्य योजना में सम्मिलित कर ली गयी है। 1968-69 के अन्त में इसके अन्तर्गत 1403 कृषि (फार्मिग) समितियां थीं जिनकी कुल सदस्य संख्या 37,336 थी। चौथी योजना के दौरान 100 वर्तमान समितियों को सशक्त बनाया जायगा और 40 नयी समितियां संगठित की जायेंगी। कृषि विकास तथा भूमि-सुधार के निमित्त अतिरिक्त ऋण के अलावा इन समितियों के वास्ते कृषि उत्पादन के प्रयोजनों और कृषि-औद्योगिक कार्यों के हेतु राज्य अंश सहभागिता तथा ऋण की व्यवस्था की जायगी।

(8) अन्य प्रकार की सहकारी समितियां (सहकारी मुद्रणालय)--एक सहकारी मुद्रणालय स्थापित करने के लिए चौथी योजना में 1.12 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। किन्तु इस स्कीम में अभी कोई व्यय नहीं किया गया है।

(9) सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा--इस स्कीम के अधीन गैर-सरकारी सदस्यों तथा अधीनस्थ कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समय 54 परिगामी इकाइयों (peripatetic units) राज्य में गैर-सरकारी व्यक्तियों के प्रशिक्षण के हेतु कार्य कर रही हैं। इनकी संख्या चौथी योजना के दौरान बढ़ा कर 56 कर देने का प्रस्ताव है।

(10) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारिवर्ग--इस स्कीम का उद्देश्य सहकारी विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का, उदाहरणार्थ अधिक उपज देने वाले कार्यक्रम, संस्थात्मक वित्त, विधायन तथा श्रम सहकारी समितियों का सभी स्तरों पर प्रशासन, पर्यवेक्षण तथा कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त विभागीय कर्मचारिवर्ग की व्यवस्था करना है।

(11) भेषज विकास--इस स्कीम को चौथी योजना में 12 लाख रुपये के परिव्यय पर सम्मिलित किया गया है जिसका उद्देश्य वन्य साधनों से भेषजों के एकत्रीकरण के कार्य में और साथ ही वैज्ञानिक आधार पर औषधीय तथा एरोमैटिक पौधों की विदेशी एवं देशी प्रजातियों की खेती करने में तेजी लाना है। किन्तु इस स्कीम में अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

14--केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमें--इस क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 2 स्कीमें इस प्रकार हैं--कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि तथा प्रान्तीय सहकारी फेडरेशन (पी० सी० एफ०)

को उर्वरकों के व्यापार के हेतु दी जाने वाली सीमान्त (Marginal) धनराशि। इन दो स्कीमों के लिए चौथी योजना का कुल परिव्यय 356 लाख रुपये का है। इन दो स्कीमों पर 1969-70 के दौरान कुल 36.50 लाख रुपया व्यय हुआ। गत वर्ष का प्रत्याशित व्यय 62.63 लाख रुपये है और 1971-72 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 82 लाख रुपये का है।

15--उद्योग विभाग की स्कीमें--चौथी योजना में सहकारी चीनी मिलों की स्कीम के अन्तर्गत 3 सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की परिकल्पना की गयी है। इन्हें इन स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है--(1) हरदुआगंज (अलीगढ़), कायमगंज (फर्रुखाबाद) तथा रसड़ा (बलिया)। इन तीनों मिलों के लिए भारत सरकार से मंतव्य पत्र (लेटर आफ इंटेंट) प्राप्त हो गये हैं और इन मिलों से सम्बन्धित धन संग्रह अभियान जोर पर है। चौथी योजना के दौरान राज्य सरकार को प्रतिमिल 45 लाख रुपया लगाना है। 10 लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार से सहकारी चीनी मिल औराई (वाराणसी) में जो कि अभी निर्माण की अवस्था में है, लगाने की भी अपेक्षा की जायगी। सहकारी चीनी मिलों की स्कीम के लिए 1971-72 के वास्ते प्रस्तावित परिव्यय 40 लाख रुपया है।

16--वित्त विभाग की स्कीमें--सहकारी लेखापरीक्षा संगठन के कर्मचारिवर्ग में विभिन्न स्तरों पर वृद्धि करने की वित्त विभाग की स्कीम का सम्बन्ध मुख्यतया अधिष्ठान कार्य से है और इसके अन्तर्गत किसी क्षेत्रीय कार्यक्रम की परिकल्पना नहीं की गयी है। इस स्कीम के लिए चौथी योजना का परिव्यय 50 लाख रुपया है जिसमें से 8 लाख रुपये की धनराशि 1971-72 के लिए प्रस्तावित की गयी है।

(2) सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के जरिये सामाजिक तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया का सूत्रपात करने के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, 1952 को चालू किया गया था। अक्तूबर, 1963 तक समस्त राज्य में 875 खण्ड कायम किये गये और इस प्रकार पूरे राज्य में जिसमें उत्तराखण्ड भी सम्मिलित है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों के प्रसार की प्रक्रिया पूरी हो गई। 1967-68 के दौरान अभिनवीकरण की प्रक्रिया अपना कर 198 खण्ड समाप्त कर दिये गये और खण्डों की सीमा-निर्धारण करके एक नये खण्ड की स्थापना की गई। 1968-69 के अन्त में राज्य में कोई भी प्रक्रम 1 खण्ड शेष नहीं थे। चौथी योजना के लिये 1,015.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिसमें 5 पर्वतीय जिलों के लिये की गई व्यवस्था सम्मिलित है। इस क्षेत्र के अधीन योजना व्यय में धीरे-धीरे कमी हो जायेगी। क्योंकि प्रक्रम 2 के खण्डों को प्रकमोत्तर 2 के खण्डों में परिणत होते जायेंगे।

2--जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, 1969-70 में प्रक्रम 1 वाला कोई खण्ड नहीं था। वर्ष 1969-70 के लिये 280.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था किन्तु वर्ष के अन्त तक केवल 209.17 लाख रुपये का उपयोग हो सका। परिणामस्वरूप होने वाली बचतें मध्यम डाल सिंचाई में व्यवर्तित कर दी गई थी।

3--वर्ष 1970-71 के लिये 220.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिसमें 17.12 लाख रुपये पूंजी व्यय के लिए सम्मिलित है किन्तु वर्ष के अन्त तक 178.12 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग हो पाया।

4--वर्ष 1971-72 के लिये 232.03 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिसमें 38.00 लाख रुपये पूंजी व्यय के लिए तथा 12.03 लाख रुपये 5 पर्वतीय जिलों

के लिये सम्मिलित किये गये हैं। कार्यक्रम के अनुसार परिव्यय का विभाजन नीचे दिया गया है।

(लाख रुपयों में)

क्रo सo	कार्यक्रम			परिव्यय
1	खण्ड मुख्यालय	..	..	135.26
2	कृषि प्रसार	..	..	13.93
3	सिंचाई/खेती योग्य बनाना	..	..	5.98
4	स्वास्थ्य तथा ग्रामीण स्वच्छता	..	..	4.77
5	शिक्षा	..	..	9.00
6	सामाजिक शिक्षा	..	..	4.00
7	संचार	..	..	8.76
8	ग्रामीण शिल्प उद्योग	..	..	0.30
9	भवनों का निर्माण	..	..	37.90
10	ऋण तथा अग्रिम	..	..	0.10
11	पांच पर्वतीय जिलों के लिए व्यवस्था	..	..	12.03
12	उत्तराखण्ड के लिए व्यवस्था	..	..	--
		योग	..	235.03

5--चूंकि खण्डों में सामुदायिक विकास स्कीमों के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभिन्न विभागों के कार्यकलाप सम्मिलित हैं, इसलिये इन मदों के अधीन भौतिक लक्ष्य क्षेत्रीय योजनाओं में अलग से दिखलाये गये हैं।

6--प्रशिक्षणार्थ आरक्षण--चौथी योजना में 15.00 लाख रुपये का परिव्यय सामुदायिक विकास क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारियों और सहायक विकास अधिकारियों का प्रशिक्षणार्थ आरक्षित धनराशि के रूप में स्वीकृत किया गया है। इसमें से वर्ष 1969-70 के लिए 3.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी, परन्तु वास्तविक व्यय 1.56 लाख रुपये ही हुआ। दूसरे 3.00 लाख रुपये की व्यवस्था वर्ष 1970-71 में भी की गई है और यह प्रत्याशा की जाती है कि वर्ष के अन्त तक सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया होगा। वर्ष 1971-72 के लिये 3.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

(3) पंचायती राज

7--पंचायत राज स्कीमों के लिए चौथी योजना का परिव्यय 100 लाख रुपये है। वर्ष 1969-70 के लिये 20.00 लाख रु० की योजनागत व्यवस्था थी, जिसमें से केवल 17.53 लाख रुपये उपयोग में लाये गये। वर्ष 1970-71 के लिये 33.39 लाख रुपये की धनराशि बजट में सम्मिलित की गई थी। किन्तु वर्ष के अन्त तक केवल 30.33 लाख रुपये का उपयोग हो सका। वर्ष 1971-72 के लिये 35.00 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त 1.61 लाख रुपये का परिव्यय पांच पर्वतीय जिलों के लिये भी निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, कुल परिव्यय 37.00 लाख रुपये होता है।

8--इस क्षेत्र में सम्मिलित की गई स्कीमों में से एक महत्वपूर्ण स्कीम "गांव सभाओं को उत्पादक परिसम्पत्ति के विकास एवं सृजन के लिये ऋण" है। चौथी योजनावधि के दौरान लगभग

570 गांव सभाओं को 26.92 लाख रुपय ऋण दिय जायेंगे और इन ऋणों का उचित रूप से लेखा रखने वाले कर्मचारीवर्ग पर 1.64 लाख रुपये के राजस्व व्यय का अनुमान था। इस प्रकार इस स्कीम पर कुल परिव्यय 28.56 लाख रुपये रखा गया है।

9—वर्ष 1969-70 के दौरान 220 गांव सभाओं को 14.30 लाख रुपये की धनराशि ऋण के रूप में वितरित की गयी। कर्मचारीवर्ग आदि पर होने वाले राजस्व व्यय को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के दौरान कुल 14.29 लाख रुपये का व्यय हुआ। वर्ष 1970-71 के लिये 182 गांव सभाओं को ऋण वितरण के लिये बजट में 9.22 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है, जिसमें 0.12 लाख रु० का राजस्व व्यय भी सम्मिलित है। वर्ष 1971-72 के लिए पांच पर्वतीय जिलों के लिये 0.25 लाख रु० की धनराशि को शामिल करते हुए, 6.88 लाख रुपये का परिव्यय सम्मिलित किया गया हैं। इस परिव्यय में से 6.73 लाख रुपये की धनराशि इस वर्ष के दौरान 187 गांव सभाओं को ऋण के रूप में वितरित करने का कार्यक्रम है।

10—पंचायत सेक्रेटरियों का प्रशिक्षण—पंचायत सेक्रेटरियों की दक्षता को बनाये रखने के उद्देश्य से चौथी योजना के दौरान इस स्कीम को पुन: चालू करना आवश्यक समझा गया है। चौथी योजना अवधि के दौरान, लगभग 1,000 नवनियुक्त पंचायत सक्रेटरियों को प्रशिक्षण दिया जायगा। यह प्रशिक्षण छ: मास का संस्थागत तथा तीन मास का क्षेत्रीय प्रशिक्षण होगा। चौथी योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान 200 पंचायत सेक्रेटरियों (मंत्रियों) को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। वर्ष 1969-70 के दौरान, लगभग 192 पंचायत सेक्रेटरियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 0.66 लाख रुपये का व्यय हुआ। वर्ष 1970-71 के लिये 0.77 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी थी और वर्ष के दौरान 220 पंचायत सेक्रेटरी प्रशिक्षित किये गयें। वर्ष 1971-72 के लिए 186 पंचायत सेक्रेटरियों को प्रशिक्षण देने के लिये 1.98 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान पंचायत सेक्रेटरियों को 2 मास का नवीकरण प्रशिक्षण (रिफेसर ट्रेनिंग) देना भी आवश्यक जान पड़ता है। इस प्रशिक्षण द्वारा वे अपने कर्त्तव्य अपेक्षाकृत अधिक दक्षतापूर्वक सम्पन्न कर सकेंगे। अतएव, 160 प्रशिक्षार्थियों के लिये इस प्रकार का पहला पाठ्यक्रम जनवरी, 1971 से आरम्भ किया गया। इसमें वर्ष 1970-71 के दौरान 0.24 लाख रुपये का व्यय हुआ। वर्ष 1971-72 के दौरान 800 पंचायत सेक्रेटरियों को प्रशिक्षण देन का कार्यक्रम है, जिसमें 2.03 लाख रुपये व्यय होंगे। इस धनराशि में पांच पर्वतीय जिलों के लिये की गयी 0.10 लाख रुपये की व्यवस्था सम्मिलित है।

11—जिला स्तर पर पंचायती प्रशासन को सुदृढ़ बनाना—जिला स्तर पर पंचायतों से सम्बन्धित कार्य मुख्यत: जिला पंचायतराज अधिकारी देखते हैं। इन अधिकारियों का वेतन-मान जिला स्तर के अधिकारियों के समूह में सब से कम है। इन अधिकारियों की पदोन्नति की संभावनायें नहीं हैं। जिला पंचायतराज अधिकारियों संवर्ग (काडर) के लिये पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था करने तथा इस संवर्ग के भावी प्रवेशार्थियों की हैसियत में सुधार करने के उद्देश्य से कम से कम 33 प्रतिशत पदों को प्रवरण श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) में रखने का प्रस्ताव है। जिला पंचायती राज अधिकारियों के 54 पद हैं। तदनुसार, 18 जिला पंचायतीराज अधिकारियों के पदों को प्रवरण श्रेणी में रखने का प्रस्ताव है। चौथी योजना में इस स्कीम के लिए 8.48 लाख रुपये का परिव्यय सम्मिलित कर लिया गया है। तथापि, वर्ष 1969-70 के दौरान इस स्कीम को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। वर्ष 1970-71 के दौरान, 7 पदों का 250-750 रुपये के वेतनमान में उन्नयन किया गया था, लेकिन अधिकारियों के चयन तथा उनकी नियुक्ति में देर होने के कारण केवल 0.15 लाख रुपये का व्यय हो सका। 0.64 लाख रुपये के परिव्यय द्वारा वर्ष 1971-72 में शेष पदों का, जिन्हें मिलाकर कुल 18 पद हो जात हैं, उन्नयन करने का विचार है।

12—पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना—गांव पंचायतों की निर्बल आर्थिक स्थिति के अतिरिक्त, इन निकायों के सफलतापूर्वक कार्य करने के मार्ग में दूसरी गम्भीर बाधा पंचायत सेक्रेटरी

का स्तर (क्वालिटी) है, जिसे यद्यपि सबसे कम वेतन दिया जाता है तथापि पंचायतीराज ढांचे का सब से महत्वपूर्ण ग्रामीण कार्यकर्त्ता है। अतएव, यह आवश्यक समझा गया कि 20 प्रतिशत पदों का प्रतिवर्ष उन्नयन करते हुए पंचायत सेक्रेटरियों का वेतनमान 50–75 रुपये से बढ़ा कर 75–115 रुपये तथा मासिक महंगाई-भत्ते को 12.50 रुपये से बढ़ाकर 37.50 रुपये कर दिया जाय। इस स्कीम के लिये कुल चौथी योजना का कुल परिव्यय लगभग 57.59 लाख रुपये होगा। वर्ष 1969-70 के दौरान 2.56 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वर्ष 1970-71 के लिये 6.40 लाख रुपये का परिव्यय मूलतः स्वीकृत किया गया था। किन्तु पंचायत सेक्रेटरियों के 80 प्रतिशत पदों के उन्नयन के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय को ध्यान में रखते हुए बजट में 22.81 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। जिसमें से 20.23 लाख रु० का उपयोग हुआ। इसी कारण वर्ष 1971-72 के लिये 27.50 रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है। पांच पर्वतीय जिलों में व्यय के हेतु 1.26 लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है।

मद–3. सहकारिता तथा सामुदायिक विकास

वर्ग–3.1. सहकारिता

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70 संभावित व्यय	1970–71			1971–72		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा		स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	सहकारिता विभाग										
310101	सहकारी ऋण तथा बैंकिंग ..	295.82	12.25	..	15.13	17.16	17.16	9.73	20.15	..	..
310102	सहकारी क्रय-विक्रय, विधेयक तथा संग्रहण ..	334.99	150.17	..	8.45	24.58	24.58	23.51	52.35	31.55	..
310103	सहकारी कृषि ..	19.63	17·53	..	0.77	0.62	0.62	0.36	1.41	1.05	..
310104	सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रसार ..	59.11	..	..	4.23	4.81	4.81	4.32	5.22	..	.
310105	सहकारी छापाखाना ..	1.12	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..
310106	सहकारी उपभोक्ता भंडारों की विशेष योजना ..	47.33	39.00	..	3.32	4.13	4.13	2.83	17.51	14.35	..
310107	औषधि विकास योजना ..	12.00	5.00	..	..	..	..	..	2.06	0.76	..
310108	अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी वर्ग ..	30.00	..	..	0.01	8.70	8.70	0.69	11.70	.	

	सहकारी समितियों में शेयर हिस्से लेना ..	200.00	200.00	..	..	..	..	102 08	175 00	175.00	..
		1,000.00	424.95	..	31.91	60.00	60.00	143.52	285.40	222.71	..
	<u>उद्योग विभाग</u>										
310201	सहकारी चीनी मिलों की स्थापना ..	50.00	50.00	..	10.00	20.00	20.00	30.00	40.00	40.00	..
	<u>वित्त विभाग</u>										
310301	विभिन्न स्तरों पर सहकारी लेखा परीक्षा संगठन के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि ..	50.00	..	..	3.71	4.89	4.89	5.31	8.00	..	..
	योग, 3'1. सहकारिता	**1,100.00**	**474.95**	**..**	**45.62**	**84.89**	**84.89**	**178.83**	**333.40**	**262.71**	**..**

मद—3. सहकारिता तथा सामुदायिक विकास

वर्ग—3.2. सामुदायिक विकास

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971-72 (परिव्यय) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1) सामुदायिक विकास—										
320101	सामुदायिक विकास योजना	1,000.00	81.95	..	209.17	220.00	219.23	178.13	232.03	38.00	..
	(2) अन्य (प्रशिक्षण योजनायें)—										
320201	प्रशिक्षण आरक्षण ..	15.00	..	..	1.56	3.00	3.00	3.00	3.00	..	..
	योग, 3.2. सामुदायिक विकास	**1,015.00**	**81.95**	..	**210.73**	**223.00**	**222.23**	**181.13**	**235.03**	**38.00**	..

मद—3 सहकारिता तथा सामुदायिक विकास

वर्ग—3. पंचायत

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971-72 (परिव्यय) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330101	गांव सभाओं को उत्पादक परिसंपत्ति के विकास एवं सृजन के लिये ऋण ..	28.56	26.92	..	14.30	9 22	9.22	9.21	6.88	6.73	..
330102	पंचायत मंत्रियों का प्रशिक्षण	5.36	..	..	0.66	0.77	1.36	0 74	1.98	.	..
330103	जिला स्तर पर पंचायतीराज प्रशासन को सुदृढ़ बनाना ..	8.48	..	..	..	1.61	..	0.15	0.64	..	.
330104	पंचायत संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना	57.59	..	..	2.58	10.78	22.81	20.23	27.50	..	..
330105	पंचायत संस्थाओं को प्रोत्साहन देना	0.01	..	..	..	..	..	..	..	..	..
330106	पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना	0.001	..	..	..	..	..	..	..	..	..
330107	पंचायत मंत्रियों के लिये रिफेशर कोर्स ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	पांच पर्वतीय जिले ..	..	..	..	..	..	..	..	0.01	..	..
	उत्तराखंड ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
	योग, 3.3. पंचायत ..	**100.00**	**26.92**	..	**17.54**	**22.38**	**33.39**	**30.33**	**37.00**	**6.73**	

10

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

(1) सिंचाई

राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 90.00 करोड़ रुपये का परिव्यय नियत किया गया था। वर्ष 1969-70 में 22.24 करोड़ रु० की धनराशि का उपयोग किया गया। वर्ष 1970-71 में 22.07 करोड़ रुपये का उपयोग हो जाने की प्रत्याशा की जाती है। वर्ष 1971-72 के लिए, 30.22 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिए 22 लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है। इस प्रकार, पहले तीन वर्षों में, 74.53 करोड़ रुपये के परिव्यय का उपयोग कर लिया जायगा, जो कि चौथी योजना के परिव्यय का 83 प्रतिशत है। यह अपेक्षाकृत अधिक उपयोग रामगंगा और गंडक प्रायोजनाओं के लिए अधिक धनराशि नियत किये जाने के कारण है। श्रमिकों तथा सामग्री के व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण भी अपेक्षाकृत अधिक धनराशि का उपयोग हुआ है। प्राय: प्रत्येक प्रायोजना की अनुमानित लागत पुनरीक्षित की जा चुकी है अथवा पुनरीक्षित की जा रही है। यदि परिव्यय की अधिकतम धनराशि की सीमा नहीं बढ़ाई जाती तो इसके कारण चौथी योजना के भौतिक लक्ष्य भी प्रभावित होंगे। वर्गवार परिव्यय के उपयोग का विवरण निम्न प्रकार है:

(लाख रुपयों में)

वर्ग	चौथी योजना का परिव्यय	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 अनुमानित व्यय	1971-72 परिव्यय
1	2	3	4	5
क—वृहत् सिंचाई परियोजनायें—				
1—चालू परियोजनायें—				
(क) नैमित्तिक परियोजनायें—				
रामगंगा परियोजना ..	2,277	901	1,109	1,200
गंडक परियोजना ..	1,262	636	300	400
योग क, ..	3,539	15,37	1,409	1,600
(ख) अ-नैमित्तिक परियोजनायें ..	2,950	305	431	988
योग, (क+ख) ..	6,489	1,842	1,840	2,588
2—नई परियोजनायें ..	99	..	..	50
योग, (1+2)	6,588	1,842	1,840	2,638

(लाख रुपयों में)

वर्ग	चौथी योजना का परिव्यय	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 अनुमानित व्यय	1971-72 परिव्यय
1	2	3	4	5
ख--मध्यम सिंचाई परियोजनायें:—				
1--1968-69 से चालू परियोजनायें	1136	315	315	304
2--1969-71 के दौरान आरम्भ की गयी परियोजनायें ..	128	41	39	20
3--1971-72 के दौरान आरंभ किये जाने के लिये प्रस्तावित परियोजनायें ..	171	..	..	25
4--चौथी योजना में सम्मिलित किन्तु कार्यान्वित नहीं की गयी परियोजनायें ..	829	..	..	..
योग, ख ..	2,264	356	354	349
ग--अनुसंधान तथा शोध ..	148	26	13	35
योग, क+ख+ग ..	9,000	2,224	2,207	3,022

नैमित्तिक प्रायोजनायें

2--रामगंगा--सिंचाई क्षेत्र के अधीन रामगंगा प्रायोजना पर अनुमानित लागत अनन्तिम रूप से 95.71 करोड़ रुपये रखी गयी है। इसमें से 10.00 करोड़ रुपये ऐसी अवशिष्ट मशीनरी के मूल्य की अदायगी पर व्यय होने की संभावना है जो अन्य प्रायोजनाओं के लिए काम में लायी जाने के लिए उपलब्ध होगी। वर्ष 1968-69 तक 45.41 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। इस प्रकार, इस प्रायोजना को पूरा करने के लिए चौथी योजना के दौरान 50.30 करोड़ रुपये अपेक्षित होंगे। चौथी योजना में केवल 22.77 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। समय सूची के अनुसार इस प्रायोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवश्यक होगी। वर्ष 1969-70 के दौरान 6 करोड़ रुपये के स्थान पर 9.01 करोड़ रुपये की धनराशि काम में लायी गयी। वर्ष 1970-71 के दौरान यह प्रत्याशा की जाती है कि 11.09 करोड़ रुपयों का उपयोग होगा जबकि स्वीकृत परिव्यय 8 करोड़ रुपये है। इस प्रकार पहले दो वर्षों में 20.10 करोड़ रुपयों के उपयोग किये जाने की उम्मीद है। वर्ष 1971-72 के लिए 12 करोड़ रुपयों का परिव्यय रखा गया है।

3--प्रायोजना से संबंधित डाइवर्शन टनेल पूरे किये जा चुके हैं। मुख्य बांध का पहला प्रक्रम जो कि प्रायोजना का सबसे कठिन कार्य था, सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। 1971-72 के दौरान मुख्य बांध तथा उपस्रोत उत्सव मार्ग (Chute Spillway) पोषक नहरों (फीडर चैनल) तथा वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में किये जाने वाले अवशेष निमाण-कार्य को आगे बढ़ाना है जिससे कि चौथी योजना के अन्त तक प्रायोजना की सभी विभिन्न इकाइयों का काम एक साथ पूरा किया जा सके।

4--गंडक नहर--अनुमान लगाया गया है कि गंडक नहर प्रायोजना पर उत्तर प्रदेश को 39.03 करोड़ रुपये व्यय करने होंगे, जिसमें से 19.50 करोड़ रुपये 1968-69 के अन्त तक व्यय किये जा चुके हैं। चौथी योजना के दौरान इस प्रायोजना को पूरा करने के लिए 19.53 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना परमावश्यक है, परन्तु चौथी योजना में केवल 12.62 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। 1969-70 के दौरान इस प्रायोजना पर 6.36 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे। वर्ष 1970-71 में 3 करोड़ रुपयों के व्यय किये जाने की उम्मीद की जाती है। प्रायोजना की निर्माण संबंधी समय सूची के अनुसार 1971-72 में 7.80 करोड़ रुपये अपेक्षित है। इस धनराशि में से 4 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश की वितरण प्रणाली पर व्यय किये जायेंगे और 3.80 करोड़ रुपये की अवशेष धनराशि मुख्य नहर तथा उत्तर प्रदेश, बिहार और नैपाल को समान लाभ देने वाले अन्य निर्माण-कार्यों पर व्यय की जायगी। यह राज्य समान हित के निर्माण-कार्यों पर होने वाले अपने परि-व्यय के अंश से अधिक व्यय कर चुका है। उत्तर प्रदेश द्वारा 1969-70 के अन्त तक इन निर्माण-कार्यों पर किया गया व्यय 17.14 करोड़ रुपये था, जब कि व्यय की जाने वाली धनराशि में से इस प्रदेश का भाग 14.90 करोड़ रुपये है। अतएव, यह आवश्यक है कि नैपाल को लाभ पहुंचाने वाले निर्माण-कार्यों के लिये होने वाले उस अल्प व्यय सहित, जो भारत सरकार के नामें लिखे जाने योग्य हो, समान हित के लिए किये जाने वाले निर्माण-कार्यों के कम से कम आगे के व्यय की पूर्ति पूरी तरह बिहार सरकार द्वारा की जाय। इस आधार पर 1971-72 के लिए इस प्रायोजना के हेतु 4 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव है। 3.80 करोड़ रुपये की अन्य धनराशि बिहार सरकार से मिलनी अपेक्षित होगी। इस प्रकार, चौथी योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान, इस राज्य द्वारा अपने व्यय अंश में से 13.36 करोड़ रुपया काम में लगाने का प्रस्ताव है।

अ—नैमित्तिक चालू वृहत् प्रायोजनायें

5--शारदा सागर चरण 1 और 2 तथा माताटीला प्रायोजनाओं के अन्तर्गत जो थोड़े से साधारण समायोजन किये जाने हैं जिनके अतिरिक्त एकमात्र बड़ी परियोजना जो कार्यान्वित होने को शष है, वह है सहायक प्रायोजना (Project Assist)। सहायक प्रायोजना का प्रथम चरण 64.84 करोड़ रुपये के लागत पर स्वीकृत किया गया है जिसमें से 0.40 करोड़ रुपया, वर्ष 1968-69 के दौरान खर्च किया गया। इस प्रायोजना के महत्व को भारत सरकार भलीभांति समझती है। राज्य सरकार भी इसे चौथी योजना के अन्त तक पूरा कर देना चाहती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, चौथी योजनावधि में 64.44 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना आवश्यक है किन्तु, राज्य की चौथी योजना में केवल 29.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसलिये भारत सरकार से इस प्रायोजना के लिये अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था करने के लिये अनुरोध किया गया है।

6--वर्ष 1969-70 के दौरान सहायक प्रायोजना पर 2.98 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था। वर्ष 1970-71 में और 4 करोड़ रुपये के उपयोग कर लिये जाने की आशा की जाती है। इस प्रायोजना को वर्ष 1973-74 तक पूरा कर लेने के उद्देश्य से, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1971-72 की वार्षिक योजना में 9.38 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार प्रथम तीन वर्षों में 16.36 करोड़ रुपये का उपयोग हो जायेगा। उसके बाद दो वर्षों में प्रायोजना को पूरा करने के लिये 48.38 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। चालू वर्ष से ही उसके निष्पादन की गति तेज कर देना अच्छा होगा। यह तभी संभव हो सकता है जब अतिरिक्त संसाधान उपलब्ध हो जाय। सम्पूर्ण हो जाने पर इस प्रायोजना से राज्य के पिछड़े हुये संभाग में 6.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा।

7--सहायक प्रायोजना के अतिरिक्त, राज्य सरकार का विचार सारदा सागर प्रायोजना पर मरम्मत आदि का काम हाथ में लेने का है। इस बांध पर लगभग 485 लाख रुपये की लागत से निर्माण-कार्य करना पड़ेगा। राज्य सरकार 1970-71 के दौरान इन मरम्मतों का कार्य आरम्भ

कर देने का प्रस्ताव करती है और 1971-72 के दौरान मरम्मत कार्य को तेजी से करना चाहती है जिसके लिये 50 लाख रुपये की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है ।

नयी वृहत् सिंचाई परियोजनायें

8—चौथी योजनावधि के अन्त तक उन सभी तीन बड़ी वृहत् योजनाओं को जो पहले से चली आ रही है, पूरा करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। सिंचाई की बड़ी प्रायोजनाओं तथा बहुउद्देशीय प्रायोजनाओं से प्रतिफल प्राप्त हो सकने की अवधि 8 से 10 वर्ष तक है। अतः यदि कुछ नई प्रायाजनाओं पर, वर्ष 1971-72 के दौरान, वस्तुतः काम शुरू नहीं कर दिया जाता तो पांचवीं योजना के अन्त तक भी उनसे लाभ मिलने की संभावना नहीं है। यह स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिये सिंचाई क्षमता तथा बिजली में पर्याप्त वृद्धि वर्ष प्रति वर्ष क्रमिक रूप से करायी जानी चाहिये। इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर, राज्य सरकार टेहरी बांध प्रायोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया है ।

1968-69 से चली आ रही मध्यम प्रायोजनाएं—

9—वर्ष 1968-69 से चली आ रही मध्यम परियोजनाओं पर 1969-70 के दौरान किये गये व्यय, 1970-71 के लिये प्रत्याशित व्यय और 1971-72 के लिये प्रस्तावित परिव्यय के ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :—

(लाख रुपयों में)

प्रायोजना	अनुमानित लागत	1969-70 तक व्यय	1970-71 के दौरान प्रत्याशित व्यय	1971-72 के लिये प्रस्तावित व्यय	1971-72 के बाद अपेक्षित शेष धनराशि
1	2	3	4	5	6
नानक सागर (मरम्मत)	261.08	137.22	40.00	50.50	33.36
जामनी बांध ..	411.49	251.06	75.00	60.00	25.43
चन्द्रावल बांध ..	122.50	77.95	17.00	10.00	17.55
हरिपुरा जलाशय ..	481.75	142.96	73.00	66.50	199.20
कोसी सिंचाई योजना	288.00	11.86	21.00	66.80	189.34
डलमऊ पम्प नहर ..	164.00	130.54	17.00	..	16.46
भूपौली पम्प नहर ..	106.00	88.00	5.00	..	13.00
जमनिया पम्प नहर	118.00	94.01	13.00	..	10.99
पूर्वी यमना नहर के शीर्ष पर निर्माण-कार्य	60.00	(-)1.02	..	..	..
टोंस पम्प नहर ..	175.00	60.99	36.00	50.00	28.01
अन्य परियोजनायें	..	(-)3.51	18.00	..	..

डलमऊ पम्प नहर, भोपौली पम्प नहर और जमनिया पम्प नहर की योजनाएं तब से पूरी हो गयी हैं और इनके लिए और धनराशि की आवश्यकता नहीं है। चन्द्रावल बांध की परियोजना को पूरा करने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं। नानक सागर (मरम्मत), जामनी बांध और टोंस पम्प नहर की परियोजनायें 1972–73 तक पूरी हो जाने की आशा की जाती है। पूर्वी यमुना नहर के शीर्ष पर किया जाने वाला निर्माण-कार्य छोड़ दिया गया है। इस प्रकार केवल दो परियोजनायें रह जाती हैं, अर्थात् हरीपुरा जलाशय और कोसी सिचाई योजना जिन्हें पूरा करना है। इन दोनों परियोजनाओं को चौथी योजना के अन्त तक पूरा कर देने के लिये प्रत्येक प्रयास किया जायेगा।

1969–71 के दौरान चालू की गयी मध्यम परियोजनाएं

10—चौथी योजना के प्रथम दो वर्षों में, तीन नई परियोजनायें चालू की गयी। इन योजनाओं के व्योरे नीचे सारिणी में दिये जाते हैं :—

(लाख रुपयों में)

योजना		अनुमानित व्यय	1969–70 व्यय	1970–71 प्रत्याशित व्यय	1971–72 परिव्यय
1		2	3	4	5
1—केन नहर का पुन:निर्माण	..	48.00	0.99	2.00	5.00
2—नारायनपुर पम्प नहर	..	105.00	39.74	32.00	5.00
3—दोहरीधाट पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	..	35.15	..	5.00	10.00

नारायनपुर पम्प नहर योजना को 1970–71 में पूरा कर देने का प्रस्ताव है और शेष दो परियोजनायें चौथी योजनावधि के दौरान पूरी कर दी जायेंगी।

नई मध्यम परियोजनाएं जिन्हें 1971–72 के दौरान चालू करने का प्रस्ताव है

11—1971–72 के दौरान 3 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को चालू करने का प्रस्ताव है। वे इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

योजना			अनुमानित लागत	1971–72 के लिये परिव्यय
1			2	3
1—भीमगोडा हेडवर्क्स का पुनर्निर्माण	..	..	258.00	5.00
3—शाहजहांपुर शाखा (पूर्व बैंगुल जलाशय) को क्षमता बढ़ाना		..	36.00	10.00
3—अडवा बांध	..	..	300.00	10.00

शाहजहांपुर शाखा (पूर्वी बैंगुल जलाशय की क्षमता बढ़ाने की परियोजना पर कार्य चौथी योजना अवधि में पूरा किया जायेगा।

12—निम्नलिखित सारणी में वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सृजित सिंचन क्षमता तथा उपयोग से सम्बन्धित स्थिति दी गयी है:—

(लाख हेक्टेयर)

अवधि	क्षमता	उपयोग	प्रतिशत
1	2	3	4
योजना से पूर्व	25.53	25.18	99.6
प्रथम योजना के अन्त तक	28.83	26.57	92
द्वितीय योजना के अन्त तक	31.54	29.76	94
तृतीय योजना के अन्त तक	35.11	33.41	95
1968-69 के अन्त तक	36.07	35.21	98
1969-70 के अन्त तक	36.83	35.61	97
1970-71 के अन्त तक (अनुमानित) ..	37.62	36.24	96
1971-72 के अन्त तक (नियोजित) ..	39.05	37.13	95
1973-74 के अन्त तक (प्रत्याशित) ..	46.28	40.55	88

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपयोग सम्बन्धी प्रतिशत बराबर लगभग 95 प्रतिशत पर बना हुआ है। चौथी योजना के अन्त तक उपयोग सम्बन्धी प्रतिशत घट जायेगा जिसका कारण यह है कि रामगंगा और गंडक प्रायोजनाओं की क्षमता का उपयोग पूरी तौर पर पांचवीं योजना के दौरान ही और संभवत: उसके बाद ही किया जायगा। इसी प्रकार कुछ मध्यम योजनाओं, जैसे जामनी बांध, हरीपुरा जलाशय, कोसी सिंचाई और डलमऊ, भोपौली, जमीनियां, टोंस, नरायणपुर, आदि पम्प नहर योजनाओं द्वारा सृजित क्षमता का पूरा उपयोग पांचवीं योजना में ही किया जायगा। अत: सृजित क्षमता तथा उसके उपयोग के बीच का अन्तर अपरिहार्य है। किन्तु खेत की नालियों आदि का निर्माण करके यह प्रयास किया जा रहा है कि उक्त अन्तर यथासंभव न्यूनतम हो जाय।

सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान

13—निम्नलिखित प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी है :—

1—अडवा बांध,

2—किशनपुर पम्प नहर

3—रामनगर पम्प नहर

4—श्रृंगवेरपुर पम्प नहर

5—नरेन्द्रपुर पम्प नहर

6—राजघाट बांध (सिंचाई का भाग)

7—सिरसी बरौधा फीडर नहर।

14—इस समय 20 प्रायोजनाओं का, जिसमें दो बहुधन्धी प्रायोजनायें भी हैं, अनुसन्धान किया जा रहा है। वाराणसी जिले के लिये मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। राज्य के लिये सिंचाई सम्बन्धी मास्टर प्लान बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। राज्य के विभिन्न नदी क्षेत्रों में उपलब्ध पानी संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिये जल विज्ञान (हाइड्रोलाजिकल) सम्बन्धी अध्ययन किया जा रहा है। प्रगति की गति बढ़ाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान का संगठन सुदृढ़ किया जा रहा है।

(2) बाढ़ नियंत्रण

15—चौथी योजना में बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी योजनाओं के लिए 8 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 1969-70 में, 1.13 करोड़ रु० का व्यय किया गया था। वर्ष 1970-71 में आशा की जाती है कि 1.79 करोड़ रुपये का उपयोग कर लिया जायगा। 1971-72 में इन योजनाओं के लिये 2.06 करोड़ रुपये की और व्यवस्था की गई है। इसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये 6.00 लाख रु० भी सम्मिलित है। इस प्रकार प्रथम तीन वर्षों में 4.98 करोड़ रु० के परिव्यय या चौथी योजना के परिव्यय का लगभग 62 प्रतिशत का उपयोग कर लिये जाने का प्रस्ताव है। वर्गानुसार ब्योरे निम्नलिखित सारणी में दिये गये हैं :—

(लाख रुपयों में)

वर्ग	चौथी योजना परिव्यय	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 प्रत्याशित व्यय	1971-72 परिव्यय	योग 1969-72
1—सीमान्त बांध ..	107.24	69.26	93.49	80.14	242.89
2—नगरों की सुरक्षा	205.28	10.53	13.34	40.65	64.52
3—जल मार्गों का विस्तार	71.27	2.26	0.66	1.00	3.92
4—सर्वेक्षण, अनुसन्धान तथा बाढ़ भविष्यवाणी	72.46	2.64	1.74	10.20	14.58
5—जलोत्सारण सुधार निर्माण-कार्य ..	302.66	15.71	30.33	64.01	110.05
6—नदी संबंधी सुधार तथा भूमि कटाव के रोकने के लिये निर्माण-कार्य	1.09	(-)0.20	3.49	..	3.29
7—अनपेक्षित आपातिक नयी परियोजनायें	40.00	..	..	10.00	10.00
8—बाढ़ पीड़ित गांवों का उत्थान ..	..	0.01	..	..	0.01
9—अधिष्ठान उपकरण आदि	..	13.38	35.73	..	49.11
योग ..	800.00	113.59	178.78	206.00	498.37

पहले से चली आ रही परियोजनाएं—

16—चौथी पंचवर्षीय योजना में 30 चालू परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 6.39 करोड़ रुपये है, जिसमें से 4.47 करोड़ रुपये का उपयोग 1968–69 के अन्त तक किया गया था। इन योजनाओं को पूरा करने के लिये 1.92 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है किन्तु राज्य के चौथी योजना में इन परियोजनाओं के लिये 2.81 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत की गयी प्रगति का संक्षिप्त उल्लेख नीचे दिया जाता है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ग	अनुमानित लागत	1968–69 तक व्यय	चौथी योजना परिव्यय	1969–70 सम्भावित व्यय	1970–71 प्रत्याशित व्यय	1971–72 परिव्यय
1–सीमान्त बांध	91.61	26.13	27.25	17.43	6.24	3.05
2–नगरों की सुरक्षा	332.41	206.50	125.11	10.53	13.09	20.00
3–जलमार्गों का विस्तार	5.23	3.00	5.23	2.26	0.66	..
4–जलोत्सारण सुधार निर्माण-कार्य	197.13	113.81	122.14	13.71	8.26	13.50
5–नदी सम्बन्धी सुधार तथा कटाव के रोकने के लिये निर्माण-कार्य	12.58	8.38	1.09	(–) 0.20	(–)0 01	..
6–क्षतिग्रस्त ग्रामों को ऊंचा करना	..	..	..	0 01	..	..
6–अधिष्ठान उपकरण' आदि	..	89.45	..	5.84	7.04	..
योग ..	638.96	447.27	280.82	49.58	35.28	36.55

नई परियोजनाएं--

17—इस प्रकार चौथी योजना में नई परियोजनाओं के लिये 5.19 करोड़ रु० का परिव्यय बच जाता है। प्रथम तीन वर्षों में 7.65 करोड़ रु० की कुल अनुमानित लागत से 64 परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किये जाने की आशा है। व्यय सम्बन्धी प्रगति निम्नलिखित सारिणी में दी गयी है :--

(लाख रुपयों में)

वर्ग	चौथी योजना का परिव्यय	1969-70 संभावित व्यय	1970-71 प्रत्याशित व्यय	1971-72 परिव्यय
1	2	3	4	5
1—सीमान्त बांध ..	79.99	51.83	87.25	77.09
2—नगरों की सुरक्षा ..	80.17	..	0.25	20.65
3—जलमार्गों का विस्तार ..	66.04	..	..	1.00
4—सर्वेक्षण, अनुसन्धान तथा बाढ़ भविष्यवाणी	72.46	2.64	1.74	10.20
5—जलोत्सारण सुधार निर्माण-कार्य..	180.52	2.00	22.07	50.51
6—नदी सम्बन्धी सुधार तथा कटाव के रोकने के लिये निर्माण कार्य ..	..	..	3.50	..
7—अनुपेक्षित आपातिक नयी परियोजनायें	40.00	..	..	10.00
8—अधिष्ठान, उपकरण आदि (लगभग) ..	..	7.54	28.69	..
योग ..	519.18	64.01	143.50	169.45

भौतिक प्रगति—

18—वर्ष 1969-70 तथा वर्ष 1970-71 की भौतिक प्रगति तथा वर्ष 1971-72 का कार्यक्रम इस प्रकार है :—

मद	यूनिट	चौथी योजना के दौरान प्रस्तावित निर्माण-कार्य	1969-70 उपलब्धियां	1970-71 प्रत्याशित उपलब्धियां	1971-72 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1--निर्मित किये गये बांधों की लम्बाई ..	किलोमीटर	83.07	13.60	12.00	9.60
2--नगरों की सुरक्षा संबंधी निर्माण-कार्य ..	संख्या	14	3	1	..
3—जलोत्सारण नालियों की लम्बाई ..	किलोमीटर	1,254.00	23.68	15.00	46.40
4—लाभान्वित होने वाला क्षेत्र ..	लाख हेक्टर	1.33	0.03	0.03	0.06

19—व्यय की तुलना में भौतिक प्रगति की गति धीमी है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रति वर्ष भारी बाढ़ आ जाने के कारण, अनेक अस्थायी सुरक्षा सम्बन्धी निर्माण-कार्य करने पड़ते हैं और वर्तमान निर्माण-कार्यों को सुदृढ़ करना पड़ता है, किन्तु भौतिक प्रगति में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। प्रथम तीन वर्षों में व्यय का अधिकांश भाग निम्नलिखित परियोजनाओं पर उपयोग में लाये जाने की आशा है:—

(लाख रुपयों में)

परियोजना	व्यय, जिसमें अधिष्ठापन व्यय सम्मिलित नहीं है
1—छितौनी बांध की सुरक्षा	138.62
2—मलौनी तथा हावर्ट बांध की सुरक्षा	45.50
3—लखनऊ नगर की सुरक्षा	42.93
4—वाराणसी घाट	20.25
5—हरनाद ड्रेन	22.94

मद—4. सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग—4.1. सिंचाई

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70 सम्भावित व्यय	1970-71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971-72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(क)—चालू परियोजनायें—										
	(1)—वृहत सिंचाई परियोजनायें										
410101	रामगंगा ..	2277.34	2277.34	610.00	900.94	800.00	900.00	1109.00	1200.00	1200.00	90.00
410102	गण्डक नहर ..	1261.82	1261.82	..	635.97	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00	
410103	सहायक योजना (प्रथम चरण)	2950.00	2950.00	250.00	297.74	400.00	400.00	400.00	938.20	938.20	
410104	सारदा सागर द्वितीय चरण ..	..	..	..	1.24	..	0.01	0.25	..	..	
410105	माताटीला बांध ..	..	..	..	5.85	..	..	0.75	..	..	..
410106	सारदा सागर (प्रथम चरण)	..	..	..	..	..	0.49	..	..	..	..
	सारदा सागर (मरम्मत)	..	..	..	..	..	..	30.00	50.00	50.00	..
	योग ..	6489.16	6489.16	860.00	1841.74	1500.00	1600.50	1840.00	2588.20	2588.20	90.00

(2) मध्यम सिंचाई परियोजनायें—

410201 नानक सागर बांध (मरम्मत)	100.00	100.00	..	39.08	40.00	40.00	40.00	50.50	50.50	..
410202 जामनी बांध ..	190.64	190.64	..	52.56	60.00	60.00	75.00	60.00	60.00	..
410203 चन्द्रावल बांध ..	29.44	29.44	..	16.95	20.00	20.00	17.00	10.00	10.00	..
410204 हरिपुरा जलाशय ..	181.83	181.83	6.00	61.46	46.00	46.00	73.00	66.50	66.50	..
410205 कोसी सिंचाई योजना ..	280.50	280.50	3.00	2.86	50.00	50.00	21.00	66.80	66.80	..
410206 डलमऊ पम्प नहर ..	64.00	64.00	..	54.20	4.00	4.00	17.00	..	..	..
410207 भोपौली पम्प नहर ..	31.00	31.00	..	26.01	5.00	5.00	5.00	..	..	..
410208 जमनिया पम्प नहर ..	43.00	43.00	..	33.30	5.00	5.00	13.00	..	..	..
410212 अन्य स्पिलओवर परियोजनाओं का अनुकूलन ..	10.13	10.13	..	(−)3.51	2.70	2.20	18.00	..	..	..
410213 पूर्व यमुना हेड रेगुलेटर पर कार्य	30.00	30.00	..	(−)1.02	5.00	5.00	..	..	..	..
410214 शाहजहांपुर शाखा का पुनर्निर्माण	36.00	36.00	..	..	1.00	..	..	10.00	10.00	..
योग ..	996.54	996.54	9.00	281.89	238.70	237.20	279.00	263.80	263.80	..
चालू योजनाओं का योग ..	7485.70	7485.70	869.00	2123.63	1738.70	1837.70	2119.00	2852.00	2852.00	90.00

मद—4. सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग—4.1. सिंचाई—(क्रमश:)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 पूंजी	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 विदेशी मुद्रा	1969–70 सम्भावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	1970–71 आय-व्ययक प्राविधान	1970–71 अनुमानित व्यय	1971–72 कुल	1971–72 पूंजी	1971–72 विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(ख) नई परियोजनायें—										
	(3) वृहत सिंचाई परियोजनायें										
	टेहरी बांध ..	99.00	99.00	..	..	..	..	..	50.00	50.00	..
	योग ..	99.00	99.00	..	..	..	..	..	50.00	50.00	..
	(4) मध्यम सिंचाई परियोजनायें—										
410401	किशनपुर पम्प नहर ..	91.00	91.00	..	..	36.00	..	..	..	—	
410402	रेन पम्प नहर ..	152.00	152.00	..	..	..	..	..	::	::	::
410403	केन नहर का पुनर्निर्माण ..	48.00	48.00	..	0.99	10.00	10.00	2.00	5.00	5.00	..

410404 पूर्वी यमुना हेड रेगुलेटर पर कार्य	वर्ग (२) में हस्तान्तरित कर दिया गया है।									
410406 टोन्स पम्प नहर ..	175.00	175.00	..	33.47	60.00	60.00	36.00	50.00	50.00	..
410407 भीमगोडा हेडवर्क्स का पुर्निर्माण	85.00	85.00	..	..	0.50	0.50	..	5.00	5.00	..
410408 हिंडन बांध का पुर्निर्माण	110.00	110.00	..	..	0.50	..	..	..	..	..
410409 दोहरीघाट पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना ..	80.00	80.00	..	..	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	..
410410 घाघरा पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना ..	80.00	80.00	..	..	..	..	..	..	..	..
410411 शाहजहांपुर शाखा का पुर्निर्माण	वर्ग (२) में हस्तान्तरित कर दिया गया है।									
410412 अडवा बांध ..	50.00	50.00	..	..	10.00	..	..	10.00	10.00	..
410413 सहूरापुर पम्प नहर ..	100.00	100.00	..	..	..	..	..	..	..	..
410414 भिटौरा पम्प नहर ..	170.00	170.00	..	..	..	..	..	..	..	
410415 अगासी पम्प नहर ..	73.00	73.00	..	..	..	..	..	..	—	..
410416 ओरा पम्प नहर ..	53.00	53.00	..	..	..	..	..	—	—	..
410417 नरायनपुर पम्प नहर ..	..	..	..	39.74	50.00	50.00	32.00	5.00	5.00	..
श्रृंगबेरपुर पम्प नहर ..	..	..	..	..	20.00	..	..	—	—	..
बेलन भाखर डाइवर्जन परियोजना	..	..	..	..	13.00	..	..	..	..	..
सिरसी बरौन्धा पोषक नहर ..	..	..	..	..	10.00	..	..	..	..	..
योग	1267.00	1267.00	..	74.20	220.00	130.50	75.00	85.00	85. 00	..
नई परियोजनाओं का योग ..	1366.00	1366.00	..	74.20	220.00	130.50	75.00	135.00	135.00	..

मद—4. सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग—4.1. सिंचाई (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 सम्भावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410405	इंजीनियरों के प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रसार ..	20.00	20.00	..	..	5.00	..	..	..	..	..
410209	कर्मशालाओं का प्रसार ..	12.30	12.30	..	9.42	6.30	6.30	0.50	5.00	5.00	..
410210	शोध कार्यक्रम ..	16.00	16.00	2.00	6.99	3.00	3.00	2.00	5.00	5.00	..
410211	अनुसंधान ..	100.00	100.00	..	10.00	20.00	20.00	10.00	25.00		..
	योग	148.30	148.30	2.00	26.41	34.30	29.30	12.50	35.00	35.00	..
	योग 4.1. सिंचाई	9000.00	9000.00	871.00	2224.24	1993.00	1997.00	2206.50	3022.00	3032 00	90.00

146

मद—4. सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग—4.2. बाढ़ नियंत्रण

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 196>-74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70 संभावित व्यय	1970-71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971-72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420101	सीमांत बांध ..	107.24	107.24	..	69.26	40.00	110.18	93.49	80.14	80.14	..
420102	नगरों की सुरक्षा ..	205.28	205.28	..	10.53	30.00	16.39	13.34	40.65	40.65	..
420103	जल मार्गों का प्रसार ..	71.27	71.27	..	2.26	2.50	0.41	0.66	1.00	1.00	..
420104	सर्वेक्षण, जांच पड़ताल एवं बाढ़ भविष्यवाणी ..	72.46	72.46	..	2.64	30.00	4.98	1.74	10.20	10.20	.
420105	जलोत्सारण सुधार ..	302.66	302.66	..	15.71	60.00	30.87	30.33	64.01	64.01	..
420106	नदी में सुधार तथा भूमि कटाव के रोकने के लिये निर्माण-कार्य	1.09	1.09	..	(—)0.20	2.50	..	3.49	..	..	
420107	अनपेक्षित आपातिक नयी योजनायें	40.00	40.00	..	..	10.00	..	..	10.00	10.00	
420108	बाढ़ पीड़ित गांवों का उत्थान	..	..	..	0.01	25.00	..	..	..	..	
	अधिष्ठान, उपकरण और संयंत्र तथा उचन्त ..	..	..	..	13.38	..	40.67	35.73	..	..	.
	योग, 4.2. बड़ा नियंत्रण ..	**800 00**	**800.00**	..	**113 59**	**200 00**	**203.50**	**178.78**	**206.00**	**206.00**	..

11

विद्युत्

चौथी योजना में विद्युत् विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी है क्योंकि राज्य की आर्थिक प्रगति बहुत कुछ इसी पर निर्भर है। चौथी योजना में 376.75 करोड़ रुपये का परिव्यय, जो कि कुल परिव्यय का 39 प्रतिशत है, विद्युत् परियोजनाओं के लिये प्रदिष्ट किया गया है। इसमें 1.75 करोड़ रुपये उत्तराखंड के लिये सम्मिलित हैं।

2—वर्ष 1969-70 में 73.87 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था यद्यपि परिव्यय 68.00 करोड़ रुपये का नियत किया गया था। वर्ष 1970-71 में 75.25 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गयी है और आशा है कि 76.57 करोड़ रुपये का उपयोग किया जायगा। वर्ष 1971-72 के लिए 79.77 करोड़ रुपये का परिव्यय का निर्धारित किया गया है। इसमें उत्तराखंड के 3 पर्वतीय जिलों से सम्बन्धित 0.65 करोड़ रुपये की धनराशि तथा 5 पर्वतीय जिलों से सम्बन्धित 3.84 करोड़ रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है। इस प्रकार पहले तीन वर्षों में 230.21 करोड़ रुपये या चौथी योजना के परिव्यय का 61 प्रतिशत उपयोग में लाये जाने की आशा है। नीचे की सारिणी में उप शीर्षक के अनुसार व्यय की प्रगति दिखाई गयी है—

(लाख रुपयों में)

उपशीर्षक	चौथी योजना का परिव्यय	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 प्रत्याशित व्यय	1971-72 परिव्यय
1	2	3	4	5
उत्पादन	17,773	3,813	4,209	3,950*
पारेषण तथा वितरण ..	12,527	1,963	2,088	2,500†
ग्रामीण विद्युतीकरण ..	6,800	1,574	1,300	1,300
अन्य :				
अनुसंधान	200	21	20	50‡
छोटी पर्वतीय परियोजनाएं	200	16	40	177
योग ..	37,500	7,387	7,657	7,977

(*) उत्पादन परियोजनाओं के सम्बन्ध में 8 पर्वतीय जिलों की आनुपातिक अंश के रुप में 194 लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है।

(†) पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के सम्बन्ध में 8 पर्वतीय जिलों की आनुपातिक अंश के रूप में 52 लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है।

(‡) अनुसंधान परियोजनाओं के सम्बन्ध में 5 पर्वतीय जिलों के आनुपातिक अंश के रूप में 2 लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है।

3—उत्पादन—पांच उत्पादन परियोजनायें जिन की लागत 123.83 करोड़ रुपये है नैमित्तिक घोषित कर दी गयी है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत व्यय की प्रगति इस प्रकार है:

(लाख रुपयों में)

परियोजना	चौथी योजना का परिव्यय	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 अनुमानित व्यय	1971-72 परिव्यय
1	2	3	4	5
1—यमुना जल विद्युत् द्वितीय चरण..	4,000	928	1,017	1,330
2—ओबरा जल विद्युत् ..	672	254	100	100
3—रामगंगा जल विद्युत् ..	1,990	508	500	700
4—हरदुआ गंज चतुर्थ चरण ..	1,121	571	400	120
5—ओबरा थर्मल प्रसार प्रथम चरण	4,600	1,373	1,406	900
योग ..	12,383	3,634	3,423	3,150

उपर्युक्त सारिणी से यह स्पष्ट है कि नैमित्तिक प्रायोजनाओं का चौथी योजना का 82 प्रतिशत परिव्यय पहले तीन वर्षों में उपयोग में लाया जायगा। ओबरा जल विद्युत् के अन्तर्गत व्यय में न्यूनतम प्रगति हुई जिसमें 68 प्रतिशत धनराशि के उपयोग में लाये जाने की आशा है और हरदुआगंज चतुर्थ चरण के अन्तर्गत प्रगति सबसे अधिक हुई जिसमें 96 प्रतिशत धनराशि के उपयोग में लाये जाने की आशा है।

4—अनैमित्तिक प्रायोजनाओं के अतिरिक्त 10 चालू परियोजनायें (Spillover Schemes) हैं जिनके लिये चौथी योजना में 23.18 करोड़ रुपये का परिव्यय विद्यमान है। इनमें से सात परियोजनाओं का केवल अवशिष्ट कार्य ही किया जायगा। इन 7 परियोजनाओं के व्यय की प्रगति निम्नलिखित सारिणी में दिखाई गयी है:

(लाख रुपयों में)

परियोजना	चौथी योजना का परिव्यय	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 अनुमानित व्यय	1971-72 परिव्यय
1	2	3	4	5
1—यमुना जल विद्युत् प्रथम चरण..	6	(-)0.5	(-)14	..
2—माताटीला जल विद्युत् ..	1	10	12	..
3—हरदुआगंज द्वितीय चरण ..	110	36	31	40
4—हरदुआगंज तृतीय चरण ..	98	49	2	24
5—ओबरा थर्मल ..	9	(-)42	14	(-)22
6—रिहन्द में छठी मशीन ..	6	..	1	..
7—पनकी थर्मल ..	(-)162	25	(-)17	(-)78
योग ..	68	77.5	29	(-)36

ओबरा थर्मल की पांचवी मशीन को छोड़ कर शेष सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। ओबरा थर्मल (5 वी मशीन) जो अभी निर्मित हो रहा है और जिसके यदि रूस से कुछ पुर्जे उपलब्ध हो गये तो 1971-72 में कार्य पूर्ण करने की आशा है ।

5—धकवां प्रयोजना पर निर्माण-कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है क्योंकि इस प्रयोजना के प्राक्कलन पर फिर से विचार हो रहा है। शेष दो परियोजनाओं पर व्यय इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

परियोजना का नाम	चौथी योजना का परिव्यय	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 अनुमानित व्यय	1971-72 परिव्यय
मनेरी भाली भाग--1	1,550	42	135	225
यमुना जल विद्युत् च चरण (भाग 1)	600	59	106	150

उपर्युक्त दोनों प्रायोजनाओं की पंचवर्षीय योजनावधि में फलीभूत होने की आशा है।

6—नयी उत्पादन परियोजनाओं के लिये चौथी योजना में तदर्थ आधार पर 30.72 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। 1970-71 के दौरान निम्नलिखित नई परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ करने की आशा है :

(1) ओबरा थर्मल प्रसार चरण 2
(2) पनकी थर्मल प्रसार
(3) हरदुआगंज चरण 5
(4) हरदुआगंज चरण-6

इन परियोजनाओं पर 1970-71 के दौरान 5.17 करोड़ रुपये की धनराशि उपयोग में लाये जाने की आशा है तथा आगामी वर्ष के लिये 4.61 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

अधिष्ठापित क्षमता

7—1169.45 मेगावाट की अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता सृजित करने के लक्ष्य को देखते हुए इस बात की आशंका है कि चौथी योजनावधि में 916.98 मेगावाट से अधिक उपलब्धि संभव नहीं हो सकेगी। इस कमी का कारण यह है कि सप्लाई कर्त्ता संयत्रों तथा सज्जा की सप्लाई के संबंध में अपने वायदों को पूरा करने में असफल रहे। पहले तीन वर्षों में 556.95 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता सृजित करने की परिकल्पना की गयी थी जिसकी तुलना में प्रत्याशित उपलब्धि 416.98 मेगावाट है, जैसा कि विस्तार पूर्वक नीचे दिखाया गया है।

(मेगावाट)

परियोजना	1969-70		1970-71		1971-72	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	मूल लक्ष्य	प्रस्तावित लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
यमुना जल विद्युत् चरण 1 ..	28.25	28.25	..	..	..	..
यमुना जल विद्युत् चरण 2 ..	..	..	..	..	180.00	..

(मेगावाट)

परियोजना	1969–70		1970–71		1971–72	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	मूल लक्ष्य	प्रस्तावित लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
ओबरा जल विद्युत् ..	99.00	..	..	66.00	..	33.00
हरदुआ गंज चरण 4 ..	..	..	110.00	..	..	110.00
ओबरा थर्मल ..	100.00	50.00	..	..	..	50.00
ओबरा थर्मल प्रसार चरण 1 ..	..	..	..	..	100.00	100.00
योग ..	227.25	78.25	110.00	66.00	280.00	293.00
पुराने सेटों का हटाया जाना	(-) 30.17	(-)20.27	(-)30.13	..	..	..
मूल उपलब्धि ..	197.08	57.98	79.87	66.00	280.00	293.00

8—उत्पादन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये यह आवश्यक है कि उत्पादकों से सप्लाई अनुसूची का अनुसरण करने के लिये कहा जाय ताकि संयंत्र समय पर चालू हो सके।

9—राज्य सरकार ने वर्ष 1970–71 के दौरान टेहरी परियोजना पर कार्य आरम्भ करने के आदेश दिये हैं। वर्ष 1971–72 में अन्य नयी परियोजनाओं पर कार्य शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। प्रारम्भ में इन परियोजनाओं के लिये सिंचाई क्षेत्र में व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। पांचवी योजना के लिये यह अग्रिम कार्यवाही आवश्यक है।

10—उत्पादन परियोजनाओं के लिये 1971–72 में प्रस्तावित परिव्यय इस प्रकार है:

(लाख रुपयों में)

मद	परिव्यय
क—सज्जा	1799
(1) विदेशी	64
(2) देशी	1,735
ख—नागरिक निर्माण-कार्य	1,905*
ग—अन्य	246
योग ..	3,950

*इसमें 100 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा भी सम्मिलित है।

विद्युत् क्षमता तथा उपयोग के बीच अन्तर

11--निम्नलिखित सारिणी में विद्युत् क्षमता तथा उपयोग के बीच का अन्तर देखा जा सकता है :

मद	इकाई	1968-69 उपलब्धि	1969-70 उपलब्धि	1970-71 प्रत्याशित उपलब्धि	1971-72 कार्य-क्रम
1	2	3	4	5	6
अधिष्ठापित क्षमता	मेगावाट	1310.04	1368.02	1434.02	1727.02
सुनिश्चित क्षमता	"	870.00	940.00	980.00	1140.00
अधिकतम मांग (कुल)	"	989.17	1137.90	1314.87	1587.00
उत्पादन प्रणाली	"	962.17	1117.40	1272.87	1587.00
क्रय	"	27.00	20.50	42.00	..
उत्पादित विद्युत्	लाख किलोवाट घंटे	572.00	62230	66630	73300
राज्य में उत्पादित विद्युत्	"	531.00	58860	641.30	70800
बाहर से क्रय की गयी	"	41.00	3370	25.00	25.00
विद्युत् जो बेची गयी	"	434.80	47520	516.00	57300

किन्तु उत्पादन का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिये हर प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। लाइनों में विद्युत क्षति को बचाने के उद्देश्य से अपेक्षाकृत अधिक क्षमता वाली कई पारेषण लाइनें तथा संबद्ध उप-केन्द्र निर्मित किये जा रहे हैं।

12--पारेषण तथा वितरण--पारेषण तथा वितरण की परियोजनाओं के लिये 125.27 करोड़ रुपये का परिव्यय अर्थात् विद्युत् क्षेत्र संबंधी चौथी योजना के परिव्यय की लगभग 33 प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई है। यह आशा की जाती है कि पहले तीन वर्षों में 65.51 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग कर लिया जायगा। यह धनराशि चौथी योजना परिव्यय का 52 प्रतिशत है। वर्षवार विवरण नीचे दिये जा रहे हैं:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ग	1969-70		1970-71		1971-72
	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय	परिव्यय
1	2	3	4	5	6
नैमित्तिक परियोजनाएं ..	1.10	1.79	1.10	1.10	2.00
अ-नैमित्तिक परियोजनाएं ..	17.65	17.84	21.05	19.78	23.00
योग ..	18.75	19.63	22.15	20.88	25.00

इस्पात, अल्युमिनियम और जस्ते आदि की उपलब्धि संबंधी जटिल स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1970-71 में नैमित्तिक परियोजनाओं के अन्तर्गत रखे गये वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति संभव नहीं हो पायी है

13—वर्ष 1971-72 के लिये निर्धारित परिव्यय निम्नलिखित है:

(लाख रुपयों में)

मद		परिव्यय
1—66 किलोवाट और उससे अधिक की मुख्य लाइनें तथा संबंधित उप केन्द्र	..	1,600
2—37.5/33 किलोवाट सहायक (सेकेंडरी) लाइनें तथा संबंधित उप केन्द्र	..	600
3—नगरों में लाइनों का प्रसार तथा सुधार ..	..	70
4—नगरों में आपूर्ति संयोजन (सर्विस कनेक्शन) ..	..	160
5—कानपुर विद्युत् सप्लाई प्रशासन के पारेषण तथा वितरण संबंधी निर्माण-कार्य	..	70
योग ..		2,500

14—चौथी योजना में निम्नलिखित लम्बाई की मुख्य तथा सहायक लाइनों को चालू किये जाने का लक्ष्य रखा है:

	सर्किट किलोमीटर
1—66 किलोवाट और उससे अधिक की मुख्य लाइनें तथा संबंधित उपकेन्द्र..	4,500
2—सहायक पारेषण लाइनें (37.5/33 किलोवाट)	13,000
3—वितरण लाइनें	40,000

परन्तु सामग्री की बढ़ी हुई लागत और कमी के कारण उम्मीद की जाती है कि 3,500 सर्किट किलोमीटर लंबाई की मुख्य लाइनों और 10,000 सर्किट किलोमीटर सहायक पारेषण लाइनों के लक्ष्य की पूर्ति ही संभव हो सकेगी।

15—पारेषण के काम में आने वाले टावर्स के लिये इस्पात, टावर्स पर जस्ता चढ़ाने के लिये जस्ते और विद्युत संवाहकों (कन्डक्टर्स) के लिये अल्युमिनियम की अत्यधिक कमी के कारण 1969-70 के दौरान कार्य की प्रगति में बहुत अधिक बाधाएं आयीं और केवल 304 सर्किट किलोमीटर लम्बाई की मुख्य लाइनों और 1554 सर्किट किलोमीटर की सहायक लाइनों को पूरा किया जा सका। वर्ष 1970-71 में प्रत्याशित प्रगति तथा 1971-72 के लिये प्रस्तावित लक्ष्य नीचे दिये जाते हैं—

मद	इकाई	1970-71		1971-72
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5
मुख्य लाइनें (66 किलोवाट और उससे अधिक)।	सर्किट किलोमीटर	900	213	700
सहायक लाइनें (37.5/33 किलो वाट	,,	3,000	1275	2000
वितरण लाइनें ..	,,	8,000	14040	17,000

यह आशा की जाती है कि 132 किलोवाट डी० सी० रामगंग-नेहतौर लाइन को छोड़कर शेष सभी अविच्छिन्न (स्पिलओवर) निर्माण कार्य 1971-72 के अन्त तक पूरे हो जायंगे। 1971-72 के दौरान, 400 किलोवाट प्रणाली प्रथम चरण, मुख्य लाइनों प्रथम चरण के 1210 सर्किट किलोमीटर और मुख्य लाइनों दूसरे चरण के 2,150 सर्किट किलोमीटर पर जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, कार्य जारी रहेगा। पारेषण पुर्जों (टावरों) के लिये 18,000 मीट्रिक टन इस्पात का एक समीकरण भंडार (बफर स्टाक) तैयार करने का भी प्रस्ताव है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम—

16—चौथी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये 68.00 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष 1969-70 में 15.74 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। यह प्रत्याशा की जाती है कि वर्ष 1970-71 में 13.00 करोड़ रुपयों का उपयोग कर लिया जायगा। वर्ष 1971-72 के लिये भी इतना ही परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार पहले तीन वर्षों में 41.74 करोड़ रुपये के परिव्यय को काम में लाये जाने की उम्मीद की जाती है। यह धनराशि चौथी योजना के परिव्यय का लगभग 61 प्रतिशत होता है।

17—चौथी योजना में 1.43 लाख निजी नलकूपों और पंपिंग सेटों का विद्युतीकरण, 2,100 बस्तियों में बिजली लगाने और 7,000 ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली देने की परिकल्पना की गयी थी। निजी नलकूपों और पंपिंग सेटों का विद्युतीकरण करने तथा बस्तियों में बिजली लगाने के लक्ष्य में वृद्धि करके उसे क्रमश: 2.00 लाख तथा 15,000 कर दिया गया है। अब तक हुई प्रगति निम्नलिखित है:

मद	इकाई	1969-74 लक्ष्य	1969-70 उपलब्धि	1970-71 प्रत्याशित उपलब्धि	1971-72 लक्ष्य
1	2	3	3	5	6
निजी नलकूपों और पम्पिग सेटों का विद्युतीकरण—					
(क) सामान्य कार्यक्रम	संख्या	1,00,000	21,172	15,234	20,000
(ख) उपभोक्ता जमा योजना/व्यावसायिक परियोजना ..	„	1,00,000	5,292	9,410	30,000
योग ..		2,00,000	26,464	24,644	50,000
बस्तियों का विद्युतीकरण ..	संख्या	15,000	4410	3383	2,000

1971-72 में निजी नलकूपों और पम्पिग सेटों के विद्युतीकरण का जो लक्ष्य रखा गया है उसकी पूर्ति सामग्री एवं संस्थागत वित्त उपलब्धि पर निर्भर करेगी।

सर्वेक्षण और अनुसन्धान—

18—भविष्य में आरम्भ की जाने वाली विद्युत् उत्पादन की नयी परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अनुसंधान के लिये चौथी योजना में 200.00 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। वर्ष 1969–70 में वास्तविक व्यय 21 लाख रुपये रहा। वर्ष 1970–71 के दौरान 19.70 लाख रु० और 1971–72 के दौरान 50 लाख रु० की धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है।

19—चौथी योजना की अवधि के दौरान सर्वेक्षण और अनुसंधान के लिये 498.98 लाख रुपये की अनुमानित लागत की परियोजना तैयार की गयी है। सिंचाई विभाग के अनुसंधान तथा नियोजन मंडल (Circles) गंगा, यमुना, बेतवा और रिहन्द नदी की घाटियों के सर्वेक्षण तथा अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। अनुसंधान तथा नियोजन संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है और वर्ष 1971–72 के लिये प्रस्तावित परिव्यय का लाभप्रद ढंग से उपयोग किया जा सकेगा। निम्नलिखित परियोजनाओं पर अनुसंधान कार्य चालू रहेगा—

1—पंचेश्वर बांध प्रायोजना
2—कनहर डाइवर्सन परियोजना
3—कोसी जल विद्युत् प्रायोजना
4—तपोवन विष्णुगड
5—भिवंडर गंगा पंडुकेश्वर
6—हनुमान चट्टी पंडुकेश्वर
7—पाला मनेरी
8—लोहारीनाग पाला
9—कोटीली भेल
10—कोटश्वर
11—उत्यासु
12—हरसिल

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित परियोजनाएं—

20—उत्तर प्रदेश तथा उससे मिले हुए पास-पड़ोस के राज्यों के बीच 220 किलोवाट और 132 किलोवोल्ट वाली निम्नलिखित अन्तर-राजकीय लाइनों के उत्तर प्रदेश स्थित अंश के निर्माण के लिये 174.76 लाख रुपये की अनुमानित लागत परियोजनाएं भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी हैं :—

(1) 220 किलोवोल्ट शामली पानीपत (हरियाणा) इकहरी लाइन
(2) 220 किलोवोल्ट मुगलसराय डेहरी (बिहार) इकहरी लाइन
(3) 132 किलोवोल्ट इटावा-ग्वालियर (मध्य प्रदेश) इकहरी लाइन
(4) 132 किलोवोल्ट मथुरा-भरतपुर (राजस्थान) इकहरी लाइन
(5) 132 किलोवोल्ट ढालपुर-गिरि (हिमाचल प्रदेश) इकहरी लाइन।

उपर्युक्त लाइनों के अतिरिक्त निम्नलिखित दो लाइन के निर्माण का भी प्रस्ताव है:

(1) 220 किलोवोल्ट (द्वितीय सर्किट) मुरादनगर-दिल्ली लाइन
(2) 220 किलोवोल्ट मुरादनगर-बदरपुर (दिल्ली) इकहरी लाइन

21—वर्ष 1969–70 के दौरान इन केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित परियोजनाओं के अन्तर्गत 9.48 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया। 1970–71 में बजट में 41.00 लाख रुपये के प्राविधान की व्यवस्था की गयी थी किन्तु केन्द्रीय सरकार ने केवल 28.00 लाख रुपये स्वीकृत किये। अतएव, व्यय को केवल 28 लाख रुपये तक सीमित रखने का प्रस्ताव है। 1971–72 के लिए 68.00 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

मद—4. सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग—4.3 विद्युत् (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74			1969-70	1970-71			1971-72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	सम्भावित व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1—जेनरेशन										
	(1) चालू परियोजनाएं										
430101	यमुना हाइडिल परियोजना प्रथम व द्वितीय चरण ..	4006.00	4006.00	85.00	927.41	1000.00	1000.00	1003.00	1330.00	1330.00	14.00
430102	ओबरा हाइडिल ..	672.00	672.00	8.00	254.19	100.00	140.00	100.00	100.00	100.00	..
430103	राम गंगा हाइडिल ..	1990.00	1990.00	2.00	507.84	500.00	500.00	500.00	700.00	700.00	..
430104	माताटीला हाइडिल ..	1.00	1.00	..	10.17	..	..	12.12	..	..	..
430105	हरदुआगंज द्वितीय चरण ..	110.00	110.00	..	35.82	34.00	34.00	30.64	40.00	40.00	..
430106	हरदुआगंज तृतीय चरण ..	98.00	98.00	..	49.46	6.00	6.00	1.50	24.00	24.00	..
430107	ओबरा थरमल ..	9.00	9.00	..	(—)42.26	(—)72.00	(—)72.00	14.07	(—)22.00	(—)22.00	..
430108	हरदुआगंज चतुर्थ चरण ..	1121.00	1121.00	..	571.31	400.00	400.00	400.00	120.00	120.00	..
430109	ओबरा थरमल एक्सटेन्शन प्रथम चरण ..	4600.00	4600.00	60.00	1373.14	1400.00	1600.00	1406.27	900.00	900.00	10.00
430110	यमुना हाइडिल योजना चतुर्थ चरण (प्रथम भाग) ..	600.00	600.00	40.00	58.87	150.00	150.00	106.45	150.00	150.00	10.00

430111 मनेरी भाली हाइडिल प्रथम भाग	1550.00	1550.00	190.00	41.70	240.00	240.00	134.50	225.00	225.00	100.00
430112 धुकवान हाइडिल ..	100.00	100.00	..	..	..	..	..	..	..	..
430113 रिहन्द में छठवीं मशीन ..	6.00	6.00	..	0.04	6.00	6.00	0.63	..	..	..
430114 पनकी थर्मल	(—)162.00	(—)162.00	.	25.32	(—)84.00	(—)84.00	(—)17.00	(—)78.00	(—)78.00	..
योग ..	14701.00	14701.00	385.00	3813.01	3680.00	3920.00	3692.18	3489.00	3489.00	134.00
(2) नई परियोजनाएं—										
430115 ओबरा थर्मल एक्सटेंशन द्वितीय चरण					50.00	50.00	182.10	175.00*	175.00*	20.00
430116 पनकी थर्मल एक्सटेन्शन ..	3072.00	3072.00	90.00	..	100.00	100.00	210.38	186.00	186.00	10.00
430117 हरदुआगंज पंचम चरण ..					100.00	100.00	109.06	100.00	100.00	..
हरदुआगंज छटवां चरण	..	..	..	..	..	..	15.38	..	..	..
योग	3072.00	3072.00	90.00	..	250.00	250.00	516.92	461.00	461.00	30.00
योग, जेनरेशन ..	17773.00	17773.00	475.00	3813.01	3930.00	4170.00	4209.10	3950.00	3950.00	164.00
2 —ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन										
430201 चालू परियोजनायें 430202 नई परियोजनायें ..	12527.00	12527.00	2000.00	1963.26	2215.00	1975.00	2087.90	2500.00	2500.00	400.00
योग, ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन	12527.00	12527.00	2000.00	1963.26	2215.00	1975.00	2087.90	2500.00	2500.00	400.00
430301 ग्रामीण विद्युतीकरण ..	6800.00	6800.00	20.00	1574.13	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	4.00

*इसमें अन्य नई परियोजनाओं का परिव्यय भी सम्मिलित है।

मद—4 सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग—4.3 विद्युत् (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70 संभावित व्यय	1970-71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971-72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4—अनुसंधान तथा विविध—										
430401	छोटी पहाड़ी परियोजनायें	200.00	200.00	..	15.60	30.00	30.00	40.40	177.00	177.00	..
430402	सर्वेक्षण तथा अनुसंधान	200.00	200.00	..	21.00	50.00	50.00	19.70	50.00	50.00	..
	योग, अनुसंधान तथा विविध	400.00	400.00	..	36.60	80.00	80.00	60.10	227.00	227.00	..
	योग, 4.3 विद्युत्— ..	37500.00	37500.00	2495.00	7387.00	7525.00	7525.00	7657.10	7977.00	7977.00	568 00

12

उद्योग एवं खनिक्रम

(1) वृहत एवं मध्यम उद्योग

वृहत् एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये चौथी योजना का परिव्यय 2,372.50 लाख रुपया है। वर्ष 1970-71 के लिये 450 लाख रुपये की धनराशि नियत की गई थी और वर्ष 1971-72 में इस क्षेत्र के लिये 492 लाख रुपये की धनराशि पृथक् नियत कर दिये गये है। इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जिनमें से कुछ का व्योरा नीचे दिया जाता है—

1—डल्ला में नई फैक्ट्री —डल्ला में एक नई सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने की प्रायोजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत की गई थी और इसके लिये 11.40 करोड़ रुपये की कुल धनराशि नियत की गई थी। फ्रांस से 205 लाख रु० की मशीनों का आयात किया गया है और मुख्य संयंत्र की हैवी मशीनें और साज-सज्जा भी लगभग 130.75 लाख रुपए की खरीद ली गई है। मेसर्स ब्रिटिश इंडिया रोडवेज द्वारा सप्लाई की गई रोपवे साज-सज्जा स्थापित कर दी गई है और इस पर किया जाने वाला कार्य पूरा हो गया है। क्रशिंग प्लांट (संयंत्र) संबंधी उपसाधन (accessories) मेसर्स उत्कल मशीनरी लिमिटेड द्वारा सप्लाई कर दिये गये हैं और यद्यपि क्रशिंग प्लांट पर किया जाने वाला कार्य भी पूरा कर दिया गया है तथापि अभी उससे निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत भी सीमेंट तैयार नहीं हो रहा है। सभी त्रुटियों को दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। खान तथा फैक्ट्री भवनों से संबंधित नागरिक निर्माण कार्य भी पूरा कर दिया गया है। रेलवे द्वारा रेलवे साइडिंग का भी निर्माण करा दिया गया है और स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा जल-पूर्ति संबंधी व्यवस्था की जा रही है। अधिष्ठापन कार्य का शेष 14 प्रतिशत कार्य भी वर्ष 1970-71 पूरा हो गया। इस प्रायोजना पर वर्ष 1968-69 तक 802.23 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई। वर्ष 1969-70 के दौरान 208.647 लाख रुपया और अधिक व्यय किया गया था, 1970-71 का व्यय 87.32 लाख रुपया था तथा वर्ष 1971-72 के लिये 30.79 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस प्रकार चौथी योजना में इस प्रायोजना के लिये 200 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय की तुलना में 337.77 लाख रुपये के पुनरीक्षित परिव्यय की आवश्यकता होगी। 1970 के अन्त से सीमेंट का उत्पादन होने लगा हैं। यह आशा की जाती है कि इसके बाद शीघ्र ही दूसरे भट्टे से भी उत्पादन आरंभ हो जायगा।

2—डेड बर्न्ट मैग्नेसाइट उत्पादन प्रायोजना—उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को अल्मोड़ा जिले में प्रति वर्ष 36,000 टनीज डेड बर्न्ट मैग्नेसाइट तैयार करने के लिये वर्ष 1963-64 में औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद् (N. I. D. C.) की औद्योगिकी परामर्श दात्री ब्यूरो के द्वारा जो स्थल का सर्वेक्षण किया गया तथा प्रायोजना की रिपोर्ट तैयार की गई उससे ज्ञात होता है कि प्रायोजना आर्थिक दृष्टि से जीवन क्षम्य है।

4—यह निश्चय किया गया है कि इस प्रायोजना को कार्यान्वित करने के लिये टाटा के सहयोग से एक नई कंपनी गठित की जाय। इस आशय का एक अनुबन्ध भी निष्पादित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का अंश (शेयर) 51 और टाटा का अंश 49 प्रतिशत होगा। इस संबंध में वर्ष 1970-71 के लिये 26 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसका पूर्णतया उपयोग कर लिया गया और वर्ष 1971-72 के लिये 50 लाख रुपये के परिव्यय का निर्धारित किया गया है।

5—राजकीय आप्टिकल इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री—पूर्वी जर्मनी के मेसर्स कार्लजीस जैना द्वारा प्राविधिक सहयोग का प्रस्ताव वापिस ले लिये जाने के कारण, यह प्रायोजना अब तक स्थापित नहीं की जा सकी। परन्तु भारत सरकार से परामर्श करके किसी अन्य वैकल्पिक प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। फैक्ट्री के लिये भवन तैयार है। वर्ष 1971-72 के लिये 20 हजार रु० प्रतीक परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

6—औद्योगिक क्षेत्र परियोजना—यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम, लिमिटेड कानपुर, के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1971-72 के लिए एक लाख रुपये प्रतीक परिव्यय का प्रस्ताव है।

7—उत्तर प्रदेश राज्य टैक्सटाइल निगम—राज्य की सूती कपड़ा उद्योग संकट काल से गुजर रहा है। अधिकांश मिलों की मशीनों का आधुनिकीकरण करना आवश्यक है। राज्य में सूती कपड़ा उद्योग के वर्तमान संकट का मुख्य कारण यह है कि मशीनों की उत्पादन क्षमता बहुत घट गई है और श्रमिकों पर पहले से अधिक व्यय करना पड़ता है। राज्य सरकार इस परिस्थिति से बहुत ही गंभीर रूप से चिन्तित है और सूती वस्त्र उद्योग को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 300 लाख रुपये की अधिकृत पंजी से एक टैक्सटाइल निगम की स्थापना की है। निगम उन सभी मिलों को वित्तीय सहायता देगी जो अनुनिकीकरण की योजना का काम हाथ में लेंगी। यह निगम भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया गया है और वर्ष 1970-71 में इसके लिये 70 लाख रुपये की धनराशि नियत की गई थी। वर्ष 1971-72 के दौरान इसके लिय 30 लाख रुपये अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है।

8—उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम में विनियोजन—उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम का कार्यकलाप, औद्योगिक उपक्रमों के लिये स्थलों का विकास करने में और राज्य में औद्योगिक प्रायोजनाएं स्थापित करने के लिये, पब्लिक लिमिटेड उपक्रमों की अंश पूंजी को हामीदारी करने तक सीमित है। अब निगम ने ऐसे औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की योजना भी बनाई है जो या तो निगम के स्वामित्व में होंगे या निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित किये जायेंगे। भारत सरकार ने इस योजना को प्रोत्साहित किया है और निगम का लक्ष्य पहले तीन प्रायोजना से स्थापित करने का है, अर्थात्, मद्रास मशीनरी का निर्माण जिसकी देश में बहुत कमी है, "माइल्ड स्टील बिलेट्स" का उत्पादन और देहरादून में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम ऐसे पब्लिक लिमिटेड उपक्रमों को जो राज्य में औद्योगिक प्रायोजना से स्थापित करने का इरादा रखते हैं अंश पूंजी की हामीदारी की सुविधा प्रदान करके महत्वपूर्ण सेवा कर रहा है। निगम ने 402.28 लाख रुपये तक के ईक्यूटी (equity) तथा प्रीफरेंस (अधिमान प्राप्त) अंश तथा हामीदारी करने की व्यवस्था, करके, वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। हामीदारी करने के लिये बहुत से प्रार्थना-पत्र निगम के विचारार्थ हैं। वर्ष 1971-72 की योजना के लिये 192 लाख रुपये के परिव्यय निर्धारित है।

9—चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करना—राज्य में चीनी उद्योग संकट की स्थिति से गुजर रहा है और बहुत-सी मिलों को आर्थिक स्तर पर उत्पादन बनायें रखने में बड़ी कठिनाई हो रही है। इस उद्योग के समक्ष तात्कालिक समस्या आधुनिक मशीनों के अधिष्ठापन की है। इसके लिये पर्याप्त साधन चाहिये। इसलिये राज्य सरकार ज्वाइंट

स्टाक कम्पनी के रूप में, जिसमें अधिकांश साझीदारी होगी, एक चीनी निगम स्थापित करने के लिये कार्यवाही कर रही है। राज्य सरकार ने कीछां शुगर फैक्ट्री की परिसम्पत्तियों को अपने अधिकार में ले लिया है, और उसे इस निगम द्वारा चलाने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि यह निगम ऐसी कमजोर यूनिटों के लिये, जिन्होंने गत वर्षों में साधनों की कमी और उपेक्षा के कारण हानि उठाई हो, अधिकृत नियंत्रक के रूप में कार्य करेगा।

10—भारी उद्योग अनुभाग का पुनर्संगठन—निदेशालय का भारी उद्योग अनुभाग राज्य में भारी उद्योग स्थापित करने के लिये निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को निरन्तर सहायता देता रहा है। यह सहायता अन्य बातों के साथ-साथ, भूमि, विद्युत्, मशीन, आदि, उपलब्ध कराने के संबंध में होती है। वर्ष 1970-71 के दौरान कर्मचारिवर्ग से संबंधित प्रासंगिक व्यय आदि, पूरा करने के लिये 1.070 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। अब वर्ष 1971-72 के लिय 1.09 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(2) खनिज विकास

11—चौथी पंचवर्षीय योजना में खनिज विकास की परियोजनाओं के लिये 97 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1970-71 का परिव्यय 15.80 लाख रुपया था और 1971-72 का परिव्यय 22.0 लाख रुपया निर्धारित किया गया है।

12—भू-गर्भ तथा खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश, खनिज विकास संबंधी कार्यक्रम पर अनेक प्रारंभिक अनुसंधान विस्तार पूर्वक किये गये हैं। इन कार्यक्रमों में से मिर्जापुर में रोहताज और कजराहट में चूने के पत्थर के भण्डार, झांसी के सोनाई क्षेत्र में कापर मिनरलाइजेशन, इलाहाबाद में सिलिकासैन्ड, अल्मोड़ा में मैग्नेसाइट, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में मैग्नेसाइट तथा सोप स्टोन संबंधी अनुसंधान महत्वपूर्ण हैं। इस वर्ष के दौरान 12 अधिनीत योजनायें और तीन नई योजनाओं के संबंध में भी कार्य किया गया।

13—बड़े खनिज पदार्थ के संबंध में अनुसंधान करने के अतिरिक्त इस निदेशालय ने राज्य में खनिज पदार्थ संबंधी छोटे पर्यवेक्षण भी किये हैं और जहां आवश्यकता रही है, परामर्श देने में भी सहायता की है। 1970-71 केकार्यक्रम में, 21 अनुसंधान परियोजनायें सम्मिलित की गई थी। इनमें से 16 अधिनीत तथा पांच नई परियोजनायें थीं। नई परियोजनाओं में पिथौरागढ़ में मैग्नासाइड डिपाजिट के संबंध में परीक्षण, उत्तराखण्ड में गरनेट काइ नाइ ट, मैग्नासाइट, सोप-स्टोन तथा अन्य खनिज पदार्थ तथा झांसी जिले में आइल फारमेशन के संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण सम्मिलित थीं। खनिज पदार्थों के संबंध में अनुसंधान करने के ये कार्यक्रम, राज्य के औद्योगिक विकास की आवश्यकता पर विचार करने के पश्चात्, जिससे कि खनिज पदार्थों के रिजर्व के बारे में सूचनायें समय पर दी जा सकें निदेशालय के 1970-71 के क्षेत्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिये गये थे। इसके अतिरिक्त, छोटे खनिज पदार्थों के संबंध में भी सर्वेक्षण कार्य चालू रखा जायगा।

(3) ग्रामीण तथा लघु उद्योग

ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत बनाई गई परियोजनायें आधारिक रूप से प्रोन्नति संबंधी हैं तथा राज्य के लिये राजस्व अर्जित करने के काम की नहीं है। उनका अभिप्राय राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास में तेजी लाना तथा समाज के निर्बल वर्ग को सहायता पहुंचाना है। इस क्षेत्र की चौथी पंचवर्षीय योजना में इरादा यह है कि उद्योगों के क्षेत्र में, सामग्र रूप से--8 से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष विकास की गति प्राप्त की जाय। इस आधार पर चौथी योजना के अन्त तक राज्य में कुल उत्पादन 960 करोड़ रुपया होने की आशा है।

2--इस क्षेत्र की चौथी योजना का परिव्यय 20.10 करोड़ रुपये है। 1969-70 की वार्षिक योजना के लिये स्वीकृत परिव्यय 2.05 करोड़ रुपये था, 1970-71 के लिये 2.57 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी जबकि 1971-72 के लिये निर्धारित परिव्यय 2.75 करोड़ है जिसमें 11.34 लाख रुपये 5 पर्वतीय जिलों के लिये सम्मिलित है। चौथी योजना तथा तीन वार्षिक योजनाओं के परिव्यय रुपये तथा व्यय का वर्गवार विभाजन निम्नलिखित सारिणी में दिया गया है--

(लाख रुपये में)

क्रम-संख्या	वर्ग	चौथी योजना परिव्यय 1969-74	1969-70 स्वीकृत परिव्यय	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 स्वीकृत परिव्यय	1970-71 अनुमानित व्यय	1971-72 प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हाथ करघा	381.00	30.490	25.630	67.750	59.547	68.06
2	शक्ति चालित करघा (पावरलूम)	10.250	3.000	3.000	2.000	1.961	200
3	लघु उद्योग	1423.750	136.700	107.040	145.369	154.750	163.92
4	औद्योगिक आस्थान	50.000	14.700	8.414	11.750	6.662	9.300
5	हस्तशिल्प	70.000	9.410	5.259	15.081	12.026	10.90
6	रेशम उत्पादन	50.000	6.200	5.209	10.300	7.176	16.66
7	खादी तथा ग्राम उद्योग	25.000	4.500	1.730	4.750	4.281	4.500
	योग, ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र	20,10.00	205.00	156.282	257.00	246.403	257.34

3—ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य क्रम का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

4—हाथ करघा—चौथी योजनावधि के लिये प्रस्तावित हथ करघा उद्योग के विकास कार्यक्रम का लक्ष्य सहकारी समितियों में हथकरघे के कपड़े के उत्पादन को 1,340 लाख मीटर से बढ़ाकर 1,750 लाख मीटर करने का है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रति करघा प्रति दिन का औसत उत्पादन 5.6 मीटर होगा। कुल मिलाकर सहकारिता के क्षेत्र में 2,500 करघे लाये जाने का प्रस्ताव है। इसमें से वर्ष 1969-70 में 1,019 करघों की उपलब्धि हुई। 1970-71 के लिये नियत लक्ष्य 538 था और 1971-72 का प्रस्तावित लक्ष्य 600 है। चौथी योजनावधि में 7,950 लाख मीटर हथकरघे के कपड़े के उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में 1,572.46 मीटर 1969-70 में उत्पादित किया गया और 1970-71 तथा 1971-72 के लिये प्रति वर्ष 1,594 लाख मीटर के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। चौथी योजनावधि में 50 लाख रुपये के अंश पूंजी ऋण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है और इसमें से 8 लाख रुपय का ऋण 1969-70 में दिया गया। 1970-71 तथा 1971-72 के लिये प्रस्तावित लक्ष्य क्रमश: 7.99 लाख तथा 8 लाख रुपये का है। चौथी योजना में 413 लाख मीटर हथकरघे के कपड़े की गुणांकन करने का प्रस्ताव है। 1969-70 की उपलब्धि 35.846 लाख मीटर रही जबकि 1970-71 के लिये 40 लाख मीटर और 1971-72 के लिये 45 लाख मीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हथकरघे के कपड़े में छूट (Rebate) देकर बेचने का भी प्रस्ताव है जिसके लिये चौथी योजना में 85 लाख रुपये का लक्ष्य रखा गया है। 1971-72 के लिये प्रस्तावित लक्ष्य 15 लाख रुपये का है। सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता देने का भी प्रस्ताव किया गया है जिसके लिये 1971-72 का लक्ष्य 30 है। चौथी योजनावधि में 160 संगोष्ठियां (समीनार) आयोजित की जाने की आशा है और 1971-72 के लिये 40 संगोष्ठियों का लक्ष्य रखा गया है। चौथी योजना में इन संगोष्ठियों के द्वारा 800 व्यतियों को शिक्षित करने का भी प्रस्ताव है। 1971-72 में बुनकरों के लिये भाण्डारगार (warehouses) स्थापित करने तथा उन्नत उपकरणों का प्रबन्ध करने का भी प्रस्ताव किया गया है। राज्य में चार डिजाइन केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं और चौथी योजना के प्रत्येक वर्ष इन केन्द्रों में 100 डिजाइनें निकाली जायेंगी। 1971-72 में दो रंगाई घर सहकारिता क्षेत्र में स्थापित किये जाने हैं और एक अन्तर-राज्य बिक्री डिपो खोलने का प्रस्ताव किया गया है। 1971-72 में 0.500 लाख रुपये की राज सहायता चाल पूंजी के लिये वितरित किये जाने का प्रस्ताव है।

5—शक्ति चालित करघे—चौथी योजना में शक्ति चालित उद्योग के विकास हेतु 10.25 लाख रुपये की व्यवस्था है। नये शक्ति चालित करघों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता तथा पहले से अधिष्ठापित करघों के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था राज्य की वित्तीय संस्थाओं के द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम के माध्यम से भूमि अध्याप्ति भवन निर्माण तथा मशीनों के क्रय करने के लिये ऋण की व्यवस्था की गयी है। मशीनों की किराये के आधार पर क्रय करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के जरिये की जाती है और चालू पूंजी के लिये ऋण की व्यवस्था नकद ऋण सीमा के जरिये राज्य सहकारी बैंक द्वारा की जाती है। शक्ति चालित करघा उद्योग को ऋण देने के लिये 1970-71 के लिये 1.961 लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया था। इनके अतिरिक्त लघु उद्योग वर्ग की ऋण सम्बन्धी परियोजना के अधीन 69.75 लाख रुपये की धनराशि विशेषत: सहकारिता क्षेत्र बाहर शक्ति चालित करघों को सहायता देने के लिये पृथक से रख दी गयी है।

6—लघु उद्योग—राज्य में लघु उद्योगों के विकास के लिये 14.24 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय चौथी योजनावधि के लिये रखा गया है। वर्ष 1970-71 के दौरान 74 लाख रुपये की धनराशि लघु उद्योग इकाइयों को ऋण के वितरण हेतु अलग रख दी गयी थी जबकि 69.00 लाख रुपये की धनराशि इस मद के अन्तर्गत 1971-72 में पृथक कर दी गयी है। 1971-72 में चालू पूंजी के रूप में 34 लाख रुपये ऋण वितरित करने का भी प्रस्ताव है और 31 लाख रुपये का ऋण किराया खरीद (hire purchase) योजना के लिये उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम को देने का प्रस्ताव है। चौथी योजना में 125 लाख रुपये

का लक्ष्य विद्युत उपभोग के सम्बन्ध में राज सहायता देने का भी है। इस लक्ष्य की तुलना में 1970–71 के लिये परिव्यय 10 लाख रुपये और 1971–72 के लिये 6 लाख रुपये है। चौथी योजना के दौरान 500 लघु उद्योग सहकारी समितियां संगठित करने का प्रस्ताव है। 1971–72 के लिये निर्धारित लक्ष्य 60 है। इसी को 1971–72 की प्रस्तावित योजना में बढ़ाकर 90 कर दिया गया है। इनके अतिरिक्त ऐसे कार्यक्रम भी हैं जो माल को गुण के अनुसार चिन्स्ति करने और वर्तमान संयत्र उपकरण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा मिट्टी के बर्तन के विकास केन्द्रों के विकास तथा सर्विसिंग के हेतु प्रस्तावित किये गये हैं।

7—औद्योगिक आस्थान—चौथी योजना के दौरान 50 लाख रुपये का कुल परिव्यय औद्योगिक आस्थान कार्यक्रम के लिये प्रस्तावित किया गया है। इसमें से 20.50 लाख रुपये की व्यवस्था वर्तमान औद्योगिक आस्थान की अपूर्ण मदों को पूरा करने के लिये की गई है। 10.50 लाख रुपये की व्यवस्था रनियां तथा कानपुर में औद्योगिक आस्थानों में विकसित स्थानों की व्यवस्था के लिये की गई है। इसके अतिरिक्त 19 लाख रुपये बरेली, लखनऊ, आगरा, मेरठ तथा वाराणसी के वर्तमान औद्योगिक आस्थानों के प्रसार के लिये प्रस्तावित की गई है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 8.414 लाख रुपये 1969–70 में व्यय की गई थी। वर्ष 1970-71 में 6.662 लाख रुपये व्यय हो गया था। 1971–72 की योजना के लिये 9.30 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

8—हस्तशिल्प—चौथी योजना के दौरान राज्य में हस्तशिल्प उद्योगों के विकास कार्यक्रमों के लिये कुल 70 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। 1971–72 के लिये इस वर्ग के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के हेतु 10.90 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है। 1971–72 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लक्ष्य इस प्रकार हैं—

> एक इम्पोरियम खोलना, 9.50 लाख रुपये के कुल मूल्य की वस्तुओं का विक्रय सामान्य सुविधा एवं शोध केन्द्रों में 170 व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना, एक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र की स्थापना तथा उत्पादन केन्द्रों में 3.50 लाख रुपये के मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों के लिये हस्तशिल्प सहकारी समितियां संगठित करने हेतु नई डिजाइनें निकालने तथा 45 लाख रुपये के मूल्य की परम्परागत तथा परम्परा से भिन्न वस्तुओं के निर्यात करने का प्रस्ताव किया गया है।

9—रेशम उत्पादन—रेशम उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य के ऐसे प्रमुख कृषि प्रधान भागों में किया जाना है जहां इससे पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों को अल्पकालिक कार्य मिल सकें। इस योजना का उद्देश्य कच्चे रेशम के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना भी है। रेशम उत्पादन को सुदृढ़ स्तर पर रखने के लिये चौथी योजना में 47 लाख रुपये के परिव्यय निम्नलिखित बातों पर मुख्य बल दिया गया है—

> (1) पहले से किये गये कार्य का इस उद्देश्य से संकलित करना कि उत्पादकता तथा दक्षता सुनिश्चित हो सके अर्थात् राज्य के ऐसे पर्वतीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य क्षेत्र बढ़ाना जिसमें से संसाधनों की अधिक संभावना हो। इनके अतिरिक्त मिर्जापुर और

वाराणसी में टसर उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। इस वर्ग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम नीचे दिये जाते हैं—

क्र०-सं०	मदों का नाम	इकाई	चौथी योजना में लक्ष्य	1969–70 में उपलब्धि	1970–71 के लिये नियत लक्ष्य	1971–72 प्रस्तावित लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
क—रेशम उत्पादन—						
1	रेशम के कीड़े पालने की नर्सरियां, जो स्थापित की जायंगी।	सं० हेक्टर	6/24	..	3/8	1/4
2	फार्म जो स्थापित किये जायेंगे।	,,	18/36	2/9.89	3/6	3/6
3	पौधों का वितरण	सं० (000)	450	51.60	70.00	90.00
4	कलमों तथा उन्नत पौधों को तैयार करना	सं० (000)	225	309	..	90
5	कोयों का उत्पादन	कि० ग्रा० (000)।	36	8.20	7.00	7.00
6	डी० एफ० एटस का उत्पादन।	सं० (000)	285	75	35.00	50.00
7	लाभान्वित होने वाले प्रशिक्षार्थी।	सं०	350	68	70	70
8	कन्डिशनिंग हाउस जो स्थापित किया जायगा।	सं०	1	..	..	1
ख—टसर—						
1	राजकीय बीज फार्मों की स्थापना।	सं०	15	..	..	5
2	लाभान्वित होने वाले प्रशिक्षार्थी।	सं०	100	20	20	20
3	कोयों का उत्पादन	कि० ग्रा० (000)।	7.00	0.280	0.275	0.250

खादी, अम्बर खादी, चमड़ा कमाना, ताड़ गुड़, कम्बल तथा पर्वतीय ऊन, चर्मशालाएं, घानी का तेल, हाथ से धान की कुटाई, अखाद्य तेलों से साबुन तैयार करना, ग्रामीण मिट्टी के बर्तन बनाना, चमड़े का काम, घरेलू पैमाने पर दियासलाई बनाना, गुड़, खांडसारी, मधुमक्खी पालन, बढ़ईगीरी तथा लोहारी आदि कुछ ऐसी मदें हैं जिनके लिए इस क्षेत्र में कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इस क्षेत्र के लिये चौथी योजना के परिव्यय 25 लाख रुपये है। 1970–71 के लिए 4.28 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था और 1971-72 के लिए 4.50 लाख रुपये का परिव्यय है।

मद—5. उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग–5.1. वृहत एवं मध्यम उद्योग

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510101	राजकीय सीमेंट फैक्टरी, डल्ला	200.00	200.00	122.00	208.65	26.00	25.66	87.32	30.79	30.79	20.03
510102	राजकीय सीमेंट फैक्टरी डल्ला का विस्तार	6600. 00	00.00	100.00	..	1.00	..	..	..	..	..
510103	डेड बर्न्ट मैगनेसाइट ..	102.00	102.00	..	..	26.00	26.00	26.00	50.00	50.00	..
510104	राजकीय आप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी ..	1.00	1.00	..	0.73	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	..
510105	राजकीय सूक्ष्म उपयंत्र कारखाना का आधुनिकीकरण ..	10.00	10.00	..	..	1.00	0.01	0.01	0.01	0.01	..
510106	पावर टिलर स्कीम ..	1.00	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..
510107	उत्तर प्रदेश वित्त निगम ..	300.00	300.00	..	..	30.00	30.00	..	..	..	..
510108	उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक निगम द्वारा हिस्सों का अन्डर-राइटिंग ..	500.00	500.00	..	74.00	233.73	233.73	233.73	192.00	192.00	..
510109	औद्योगिक क्षेत्र योजना ..	300.00	300.00	..	85.00	..	1.00	1.00	1.00	1.00	..

510110 राजकीय क्षेत्र प्रायोजनाओं के लिये भूमि लेना ..	50.00	50.00	..	20.92	61.00	60.00	30.67	24.00	24.00	..
510111 कपड़ा तथा चीनी उद्योग को आधुनिक तथा मजबूत बनाना ..	301.00	301.00	..	80.00	70.00	70.00	303.00	193.00	193.00	..
510112 मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट ..	1.00	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..
510113 रबर इमल्सीड फायर्स का बनाना	6.50	6.50	..	..	..	*	..	..	..	..
510114 भारी उद्योग के अनुभाग का पुनर्संगठन ..	..	..	..	1.00	1.07	1.06	1.07	1.09	..	..
योग, 5.1. बृहत एवं मध्यम उद्योग ..	**2372.50**	**2372.50**	**222.00**	**470.30**	**450.00**	**447.66**	**683.00**	**492.09**	**491.00**	**20.03**

* सांकेतिक प्राविधान

मद 5—उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग 5.2—खनिज विकास

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70 वास्तविक	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520101	भूगर्भ तथा खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश का विस्तार ..	95.00	..	3.83	11.56	15.00	17.14	20.00	22.00	..	1.50

मद–5. उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग–5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70 वास्त-विक व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनु-मानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1) हथकरघा										
530101	बुनकरों की सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी के लिये ऋण	50.00	50.00	..	8.00	8.00	33.90	7.99	8.25	8.25	..
530102	160 बनकर सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता ..	11.16	..	..	0.31	1.00	7.30	1.00	1.02	..	..
530103	केन्द्र तथा प्राइमरी बुनकर सहकारी समितियों के कर्म-चारियों का प्रशिक्षण ..	4.00	..	..	0.80	0.80	..	0.80	0.80	..	..
530104	गोष्ठी द्वारा बुनकरों को सहकारिता शिक्षा देने का प्रोग्राम ..	4.76	..	..	0.95	1.11	1.11	1.11	1.17	..	..
530105	कच्चे माल की व्यवस्था अर्थात् नई सहकारी कताई मिलों की स्थापना और वर्तमान सहकारी कताई मिलों का प्रसार ..	100.00	..	..	..	25.00	..	25.00	25.00	25.00	..

मद—5. उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा		स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530106	वेयर हाउसों की स्थापना ..	1.88	1.88	..	0.19	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	..
530107	उन्नत यंत्रों की व्यवस्था ..	20.00	5 00	..	1.94	4.50	1.23	4.50	4.54	0.99	..
530108	उन्नत यंत्रों के वर्कशाप की स्थापना ..	8.00	1.10	..	..	2.25	..	..	..	..	..
530109	चार डिजाइन केन्द्रों की स्थापना (मऊ, आजमगढ़, मेरठ, बरेली व इटावा में) ..	8.00	0.40	..	0.82	1.52	1.43	1.43	1.47	..	..
530110	रंगाईघरों की स्थापना ..	2.70	0.60	..	0.30	0.60	..	0.54	0.75	0.15	..
530111	नमूनों (सैम्पल) का क्रय ..	0.50	..	..	0.10	0.10	..	0 10	0.10	..	..
530112	पारितोषिक वितरण ..	0.25	..	..	0.05	0.05	..	0.05	0.05	..	..
530113	गुण चिन्ह्यांकन योजना ..	9.15	0.02	..	0.86	1.86	1.66	1.66	1.50	..	..
530114	बिक्री भण्डारों का खोलना ..	6.23	..	..	0.48	1.44	..	1.44	1.56	..	..
530115	अखिल भारतीय हथकर्घा सप्ताह का मनाया जाना ..	0.60	..	..	..	0.12	0.12	0.12	0.12	..	..

530116 हथकर्घा वस्त्रों के विक्रय पर छूट ..	85.00	..	..	10.80	12.00	12.00	12.00	15..5	..	..
530117 कार्य पूंजी के लिये बैंक ग्राफ इंडिया स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गारंटी	10.00	..	..	..	..	..	..	0.50	..	..
530118 ऋण के ब्याज के लिये राज सहायता ..	10.00	..	..	..	..	..	..	1.00	..	..
530119 केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा लगाये गये कर्मचारियों पर राज सहायता ..	7.70	..	..	..	..	..	..	1.00	..	..
530120 बुनकरों के वर्तमान मकानों का विस्तार एवं सुधार ..	13.00	13.00	..	..	..	..	..	..	..	..
530121 प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु बुनकर सहकारी समितियों को सहायता ..	12.50	..	..	..	1.00	..	..	..	..	..
530122 विज्ञापन एवं प्रचार ..	7.00	0.02	..	..	1.39	..	..	..	..	..
530123 विपणन एवं संघटन हेतु कर्मचारिवर्ग ..	2.25	0.12	..	0.03	0.43	0.43	0.43	0.45	..	..
530124 सर्वे एवं मूल्यांकन प्रोग्राम ..	6.32	..	..	..	1.21	..	..	..	..	..
530125 प्राथमिक हथकर्घा बुनकर उपादन और विक्रय सहकारी कार्यालय एवं गोदाम ..	..	..	..	..	3.00	..	1.00	3.15	2.15	..
योग ..	381.00	172.14	..	25.63	67.75	59.55	59.55	68.06	36.92	..

मद—5. उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग —5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969-70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(2) विद्युत् चालित कर्घा										
530201	विद्युत् चालित कर्घा स्थापित करने के लिये हथकर्घा बुनकरों को ऋण ..	10.25	10.25	..	3.00	2.00	1.96	1.96	2.00	2.00	..
530202	उ० प्र० वित्त निगम पर प्रशासकीय ..										
	(3) लघु स्तरीय उद्योग										
530301	ऋण योजना ..	441.38	441.38	..	64.87	64.00	74.00	74.00	79.00	79.00	..
530302	उ० प्र० लघु उद्योग निगम को कार्य पूंजी हेतु ऋण ..	85.00	85.00	..	9.00	9.00	9.00	..	..	..	..
530303	किराया खरीद (हायर परचेज) योजना ..	250.00	250.00	..	15.00	10.00	10.00	25.00	31.00	31.00	..
530304	विद्युत् राज सहायता ..	125.00	..	..	3.98	10.00	10.00	10.00	6.30	..	..

530305 समितियों को सहायता ..	2.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
530306 औद्योगिक सहकारिताओं (अवस्तीय) का प्रसार ..	24.00	6.00	..	..	3.17	3.17	3.17	4.95	1.50	..
530307 प्राविधिक सहायता का कार्यक्रम तथा प्राविधिक कर्मचारी वर्ग	40.00	..	..	3.50	7.00	6.25	6.25	5.00	..	..
530308 ग्रामीण कौशल के उत्थान एवं ग्रामीण उद्योगों की प्रोन्नति की योजना ..	40.00	..	..	..	..	..	..	3.00	..	..
530309 गुण चिन्हांकन योजना ..	20.39	1.10	..	1.11	3.63	1.95	1.95	2.00	..	..
530310 आधुनिकीकरण के लिये राज सहायता योजना ..	18.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
530311 प्राविधिक सूचना की योजना ..	3.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
530312 उपकरण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशाला, गाजियाबाद का पूरा किया जाना ..	22.00	1.50	..	0.57	9.00	4.08	4.08	0.50	..	..
530313 फोर्ज्ड हीट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, मेरठ, ..	60.00	52.00	8.00	3.14	6.57	8.55	10.00	12.00	..	3.00
530314 उपकरण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशाला आगरा ..	23.00	2.50	..	..	1.11	0.33	0.33	1.00	1.00	..
530315 कांच प्रायोगिक अनुभाग कानपुर का प्रसार ..	2.00	0.35	..	0.02	0.19	0.17	0.16	0.14	..	..
530316 चुनार (मिर्जापुर) के लिये प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केन्द्र ..	6.25	2.00	..	0.02	1.29	0.46	0.46	0.40		..
530317 पाटरी विकास केन्द्र खुर्जा का प्रसार ..	4.00	1.00	..	0.33	1.35	1.00	1.00	0.70	..	..
530318 नमूनों के लिये प्रदर्शनी केन्द्र	4.48	..	..	0.42	0.64	0.89	0.89	0.60	..	..
530319 गाजियाबाद में व्यापार केन्द्र ..	10.00	6.00	..	1.00	1.60	0.01	0.01	1.37	1.37	..
530320 प्रदर्शनियां ..	10.00	..	..	0.92	2.00	2.00	2.00	2.00	..	..

मद—5. उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969-70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530321	उ० प्र० निर्यात निगम में हिस्सा पूंजी योग ..	12.00	12.00	..	..	..	..	11.50	..	..	..
530322	बहुमुखी यांत्रिक कर्मशाला (स्पिल ओवर) ..	11.77	..	..	0.11	2.00	1.29	1.29	1.50	..	..
530323	कानपुर में लेदर रिसर्च इन्स्टीट्यूट ..	1.29	..	..	0.02	0.32	0.32	0.32	0.16	..	..
530324	वुड सीजनिंग प्लान्ट (स्पिल ओवर) ..	0.03	0.03	..	..	..	..	..	..	..	..
530325	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा पर्वतीय जिले का प्राविधिक आर्थिक सर्वेक्षण (स्पिल ओवर) ..	0.16	..	..	0.27	..	..	..	..	..	..
530326	लघुस्तर पर सीमेन्ट निर्माण की अग्रगामी योजना ..	10.00	..	..	2.50	2.00	2.00	2.00	2.00	..	..
530327	कृषि यंत्रों के लिये बहुधंधी कार्यशालाओं की स्थापना..	200.00	200.00	..	..	10.00	..	..	10.00	10.00	..

530328 उद्योग निदेशालय के लिये अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग ..	..	..	..	0.18	0.50	0.25	0.25	0.30	..	..
530329 देहरादून में खेल के सामान के लिये भवनों का निर्माण	..	..	..	0.01	..	0.08	0.09	..	..	..
530330 मुरादाबाद में इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लान्ट	..	..	..	0.06	..	..	..	..	..	
योग ..	1423.75	1060.86	8.00	107.04	145.37	135.80	154.75	163.92	123.87	8.00
(4) औद्योगिक आस्थान										
530401 अधिनीत चालू (स्पिल ओवर) योजना ..	20.50	15.00	..	1.51	3.00		1.66	2.30	2.00	..
530402 नये औद्योगिक आस्थान ..	10.50	10.50	..	3.41	3.75	10.07	..	2.00	2.00	..
530403 वर्तमान औद्योगिक आस्थानों का प्रसार ..	19.00	19.00	..	3.49	5.00		5.00	5.00	5.00	..
योग ..	50·00	44.50	..	8.41	11.75	10.07	6.66	9.30	9.00	..
(5) हस्त शिल्प										
530501 हस्त शिल्प की वस्तुओं के आन्तरिक क्रय-विक्रय बढ़ाने की योजना ..	26.69	17.05	..	0.18	5.58	2.99	2.99	2.00	..	..
530502 सामान्य सुविधा एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना ..	4.06	0.83	..	0.62	1.26	0.83	0.83	1.00	..	..
530503 विभिन्न हस्त कलाओं में उत्पादन इकाई की स्थापना की योजना	16.49	13.52	..	0.72	3.03	3.05	3.05	2.50	..	..

मद—5. उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5·3. ग्राम तथा लघु उद्योग (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530504	निर्यात हेतु विकास सम्बन्धी क्षेत्रीय कर्मचारियों का पुनर्गठन	9.66	..	..	2.05	2.45	2.43	2.43	2.40	..	..
530505	हस्तशिल्प सहकारी समितियों के संघटन एवं हस्तशिल्प उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने की योजना ..	11.85	5.87	..	1.45	2.51	2.48	2.48	2.75	1.65	..
530506	अखिल भारतीय हस्तकला सप्ताह समारोह ..	1.25	..	..	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	..	..
	योग ..	70.00	37.27	..	5.26	15.08	12.03	12.03	10.90	1.65	..

(6) रेशम उद्योग

530601 शहतूत वृक्षों का लगाना ..	..	..	..	..	..	..	2.58	3.60	0.80	..
530602 रेशम कीट बीज संघटन ..	..	..	..	..	..	..	1.35	2.49	1.28	..
530603 रेशम कीट पाली संघटन ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
530604 प्रशिक्षण कार्यक्रम ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
530605 संरक्षण तथा परिरक्षण केन्द्र..	47.00	13.85	2.50	4.82	9.80	6.75	2.60	6.62	3.10	..
530606 तागा बनाने के संघटन का प्रसार	..	..	..	..	..	..	0.16	0.16	..	..
530607 विज्ञापन एवं प्रचार ..	..	..	..	..	..	..	..	0.50	0.50	..
530608 टसर रेशम कीट पालन ..	3.00	..	..	0.39	0.50	0.50	0.48	0.29	..	..
योग ..	50.00	13.85	2.50	5.21	10.30	7.25	7.17	16.66	5.68	..

(7) खादी और ग्राम उद्योग

530701 खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को नियंत्रण कर्मचारी वर्ग सहित राज्य का अंशदान ..	23.00	..	..	1.73	4.75	4.28	4.28	4.50	..	..
530702 हाथ से कागज बनाने की योजना	2.00									
योग ..	25.00	..	..	1.73	4.75	4.28	4.28	4.50	..	..
सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान व्यय	..	..	..	..	..	0.47	..	..	..	..
योग 5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग	**2010.00**	**1338.87**	**10·50**	**156.28**	**257.00**	**231.71**	**246.40**	**275.34**	**177.12**	**8.00**

13

परिवहन और संचार

(1) सड़कें और पुल

चौथी योजना के आरम्भ में उत्तर प्रदेश में पक्की सड़कों की लम्बाई 29,213 किलोमीटर थी और इस प्रकार बम्बई योजना के अनुसार 17,747 किलोमीटर की कमी थी जिसको कि 1981 के अन्त तक पूरा किया जाना है। इस कमी को पूरा करने के लिये कुल लगभग 190 करोड़ रुपये के लागत का अनुमान किया गया था (1968–69 के अनुमान पर) इस धनराशि के अन्तर्गत वर्तमान सड़कों, पुलों तथा ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण और सुधार से संबंधित व्यय सम्मिलित नहीं किया गया है। संसाधनों पर भार पड़ने के कारण चौथी योजना में सड़क निर्माण के लिये केवल 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना संभव हो सका। चौथी योजना के अन्त तक पक्की सड़कों की लम्बाई बढ़ कर 31,905 किलोमीटर हो जाने की संभावना है।

2—वर्ष 1969–70 के लिये 625.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी थी, जिसके समक्ष 657.88 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई। 31 मार्च, 1970 के अन्त तक 241 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण और सुधार किया गया और 229 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण पूरा किया गया जब कि लक्ष्य क्रमश: 385 किलोमीटर और 248 किलोमीटर का था। 13 पुलों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य था। इनमें से 10 पुलों का निर्माण पूरा किया जा सका।

3—वर्ष 1970–71 के लिये 714.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। इसके समक्ष लगभग 7.60 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। 31 मार्च, 1971 के अन्त तक 262 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का पुन: निर्माण और सुधार और 352 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण तथा 19 पुलों का निर्माण किया गया।

4—वर्ष 1971–72 के लिये 950.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इस में से 790.00 लाख रुपये चालू परि- योजनाओं के लिये प्राविधान किया गया है और शेष 160 लाख रुपये की धनराशि को नई परियोजनाओं के लिये व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये 300.00 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है जो कि कुल परिव्यय का 32 प्रतिशत है। 950.00 लाख रुपये के कुल परिव्यय के आधार पर निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :

पुनर्निर्माण और सुधार (कि० मी०)	..	335
नई सड़कों का निर्माण (कि० मी०)	..	245
पुलों का निर्माण (संख्या)	..	15

(2) सड़क परिवहन

5—चौथी योजना के आरम्भ में 3,821 बसों के साथ 19,396 किलोमीटर सड़कों पर सड़क परिवहन सेवायें चालू थीं।

6—सड़क परिवहन का विकास 31 मार्च, 1969 तक योजना से बाहर था। चौथी योजना में इसके लिये 725.00 लाख रुपये का परिव्यय सम्मिलित किया गया है। चौथी योजना के दौरान कि

गये कार्य को सुदृढ़ करने और अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों में बस सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया जायगा। जो मार्ग बस सेवा के लिये विज्ञापित किये गये हैं उनके अन्तर्गत राज्य की अतिरिक्त 4,000 किलोमीटर सड़कें आती हैं। परन्तु विधि संबंधी कठिनाइयों के कारण चौथी योजना के दौरान 1,000 किलोमीटर की सड़कों से अधिक को बस सेवाओं के अन्तर्गत लाना शायद संभव न हो सके। इस प्रकार रोडवेज सेवाओं का विस्तार 491 बसों के द्वारा 1,000 किलोमीटर सड़कों पर हो जायगा। चार वातानुकूलित बसों को भी चालू किया जायगा।

7—वर्ष 1969-70 के लिये 100.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी थी जिसके समक्ष 87.50 लाख रुपये का व्यय हुआ था। इस परिव्यय के द्वारा 142 बसें क्रय की गयी। 200 किलोमीटर की सड़कों पर बस सेवा के विस्तार का लक्ष्य रखा गया था जो विधि संबंधी कठिनाइयों के कारण पूरा नहीं हो सका।

8—वर्ष 1970-71 के लिये 100.00 लाख रुपये का परिव्यय अवंटित किया गया था। 85.88 लाख रुपये का व्यय हुआ। एक सौ दस बसें क्रय की गयीं और 407 अतिरिक्त किलोमीटर सड़कों पर रोडवेज सेवा का विस्तार हुआ।

9—वर्ष 1971-72 के लिये 150.00 लाख रुपये का परिव्यय स्विकृत किया गया है। 120 बसों को क्रय किया जायगा और 200 अतिरिक्त किलोमीटर सड़कों पर रोडवेज बस सेवा का प्रसार किया जायगा। चूंकि अराष्ट्रीयकृत मार्गों (Non-nationalised routes) पर निजी परिचालकों द्वारा बसें चलाई जा रही हैं इसलिए निजी परिचालकों को हटाये बिना नये मार्गों पर रोडवेज बसें चलाना संभव नहीं हो सकेगा।

(3) पर्यटन

10—चौथी योजना में पर्यटन के विकास के लिये 50.00 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। चौथी योजना के मुख्य कार्य-क्रमों में निम्नलिखित मदें सम्मिलित हैं :

	लाख रुपयों में
1—पर्यटक आवास का निर्माण	30.00
2—पर्यटक बंगलों का प्रबन्ध	8.40
3—मसूरी और दिल्ली में पर्यटक कार्यालयों की स्थापना	2.42
4—परिवहन आयुक्त के कार्यालय में पर्यटक अनुभाग में संख्या वृद्धि ..	2.10
5—नैनीताल मसूरी और अल्मोड़ा में पर्यटक मेलों का आयोजन ..	2.00
6—प्रख्यापन और आयोजित दौरे इत्यादि	4.70
7—पर्यटक अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.38
योग ..	50.00

11—वर्ष 1969-70 में 10.78 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी थी। 9.37 लाख रुपये का व्यय किया गया। हरिद्वार में पर्यटकों के बंगले का विस्तार-कार्य आरम्भ किया गया किन्तु प्रगति बहुत धीमी रही। महोबा में पर्यटक-गृह के लिये भूमि प्राप्त की गयी। मुनि-की-रेती में यात्री विश्रामालय बनाने के काम में संतोषजनक प्रगति हुई। कार्बेट नेशनल पार्क के विकास का कार्य तेजी से किया गया। पर्यटकों के लिये तीन छोटी बसें (मिनी बसें) खरीदी गयीं और कुछ विश्राम-गृहों का निर्माण पूरा किया गया। मसूरी और नैनीताल में पर्यटक उत्सवों का आयोजन किया गया और 0.10 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी।

12—वर्ष 1970-71 के लिये 16.12 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी थी। वर्ष के अन्त तक 6.46 लाख रुपये व्यय हुआ। मुनि-की-रेती यात्री विश्रामालय तथा हरिद्वार पर्यटक गृह का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया। देव-प्रयाग यात्री विश्रामालय पर कार्य अपरिहार्य कारणों से पूर्ण न किया जा सका।

13—वर्ष 1971-72 के लिये 16.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जो कि निम्नलिखित मदों पर व्यय किया जायेगा।

	(लाख रुपयों में)
1—प्रख्यापन तथा आयोजित दौरे	0.65
2—उत्सवों का आयोजन	0.30
3—पर्यटक भवनों के लिये सज्जा एवं उपकरण	0.10
4—आतिथ्य इत्यादि का आयोजन	0.05
5—अधिकारियों आदि का प्रशिक्षण	0.07
6—अधिष्ठान	3.51
7—निर्माण कार्य-पर्यटक आवास गृह-ऋषिकेश, मसूरी, पौड़ी, चित्रकूट, मथुरा व महोबा। लखनऊ तथा इलाहाबाद (विस्तार) देव-प्रयाग और रुद्र-प्रयाग में यात्री विश्रामालय एवं अल्मोड़ा में हालीडे होम ..	11.32
योग ..	16.00

मद—6. परिवहन तथा संचार साधन

वर्ग—6.1. सड़क

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना		चौथी योजना परिव्यय 1969–74		1969–70 संभावित	1970–71			1971–72		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	पुनर्निर्माण और सुधार—										
610101	चालू परियोजनायें ..	353.00	353.00	..	227.98	100.00	111.22	111.22	148.58	148.58	..
610102	नई परियोजनायें ..	800.00	800.00	..	0.50	7.00	11.30	11.30	14.05	14.05	..
	नई सड़कों का निर्माण—										
610103	चालू परियोजनायें ..	609.00	609.00	..	185.75	200.00	184.20	184.20	304.65	304.65	..
610104	नई परियोजनायें ..	1095.00	1095.00	..	6.34	44.00	68.79	68.79	75.07	75.07	..
	पुल—										
610105	चालू परियोजनायें ..	292.00	292.00	..	59.94	110.00	99.74	99.74	141.25	141.25	..
610106	नई परियोजनायें ..	291.00	291.00	4.00	2.71	24.00	23.71	23.71	30.00	30.00	1.00
	अन्य निर्माण-कार्य—										
610107	चालू परियोजनायें ..	222.00	222.00	..	6.10	10.00	11.37	11.37	12.17	12.17	..
610108	नई परियोजनायें ..	170.00	170.00	..	4.06	6.00	19.57	19.57	27.79	27.79	..

मद 6. परिवहन तथा संचार साधन

वर्ग 6.1. सड़क (समाप्त) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 संभावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
	अधिष्ठान — :										
610109 610110	चालू परियोजनायें नई परियोजनायें ..	400.00	400.00	..	55.96	60.00	65.70	65.70	78.67	78.67	.
610111	उत्तर प्रदेश की तराई पट्टी में सड़क संबंधी संचार साधनों का विकास (चालू परियोजना) ..	622.00	622.00	..	67.25	118.00	139.24	139.24	75.10	75.10	..
610112	चार पूर्वी जिलों में त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (चालू परियोजना) ..	146.00	146.00	..	41.29	35.00	25.00	25.00	42.67	42.67	..
610113	अन्तर्देशीय जल परिवहन ..	..	..	..	..	..	..	..	0.001	..	..
	योग 6.1—सड़क ..	5000.00	5000.00	4.00	657.88	714.00	759.84	759.84	950.00	950.00	1.00

मद—6. परिवहन तथा संचार साधन

वर्ग—6.2. सड़क परिवहन

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70 संभावित व्यय	1970–71			1971–72		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा		स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620101	राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन ..	725.00	725.00	5.00	87.50	100.00	99.86	85.88	150.00	150.00	1.50

मव—6. परिवहन तथा संचार साधन

वर्ग—6.3. पर्यटन

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969—74			1969-70 संभावित व्यय	1970-71			1971-72		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा		स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630101	पर्यटक गमनागमन परियोजना..	50.00	..	..	9.37	16.12	16.12	6.46	16.00	..	..

14

शिक्षा

(1) सामान्य शिक्षा

सामान्य शिक्षा के लिये चौथी योजना का कुल पुनरीक्षित परिव्यय 5,344.69 लाख रुपया है जिसमें उत्तराखण्ड के लिये 225 लाख रुपया सम्मिलित नहीं है। प्रथम दो वर्षों, अर्थात् 1969–70 और 1970–71 के दौरान प्रत्याशित व्यय 1210.53 लाख रुपया, अर्थात् चौथी योजना परिव्यय का लगभग 23 प्रतिशत है। वर्ष 1971–72 के लिये स्वीकृत धनराशि 46 मैदानी जिलों के लिये 1090.90 लाख रु०; 5 पर्वतीय जिलों के लिये 76.10 लाख रुपया तथा उत्तराखण्ड के लिये 40 00 लाख रुपये हैं। निधियों का वर्गानुसार वितरण इस प्रकार है:—

(लाख रुपयों में)

वर्ग		चौथी योजना का परिव्यय	1970–71		1971–72
			परिव्यय	अनुमानित व्यय	**परिव्यय
1		2	3	4	5
1—प्राथमिक शिक्षा	..	3516.79	394.92	445.00	766.69
2—माध्यमिक शिक्षा	..	924.00	107.22	101.73	201.32
3—विश्वविद्यालय शिक्षा	..	530.51	57.15	67.15	127.62
4—अध्यापकों का प्रशिक्षण					
(क) प्राथमिक	..	142.08	18.46	16.45	17.77
(ख) माध्यमिक	..	47.60	8.74	4.54	14.95
5—समाज शिक्षा	..	43.27	4.70	5.00	8.56
6—शिक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम		87.44	12.76	14.51	21.91
7—सांस्कृतिक कार्यक्रम	..	50.00	12.50	12.50	8.00
8—उत्तरा खंड के लिये व्यवस्था		225.00	50.00	52.27	40.00
योग	..	5,569.69	666.80	719.15	1,206.82

2—प्राथमिक शिक्षा—चौथी योजना के 3,519.79 लाख रुपये परिव्यय में से, यह आशा की जाती है कि 827.66 लाख रुपये के परिव्यय का उपयोग वर्ष 1970–71 के अन्त तक कर लिया जायगा। वर्ष 1971–72 के दौरान 766.69 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है, अर्थात् राज्य के 46 मैदानी जिलों के लिये 730 लाख रुपया और 5 पर्वतीय जिलों के लिये 36.96 लाख रुपया।

**इसके अन्तर्गत उत्तराखंड के तीन जिलों को छोड़कर शेष 51 जिलों का परिव्यय सम्मिलित है।

3—प्राथमिक शिक्षा के प्रसार को काफी महत्व दिया जाता है। वर्ष 1970–71 के दौरान 165 बालिकाओं के और 45 मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये और वर्तमान स्कूलों में 5,600 अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किये गये हैं। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में 169 स्कूल मदर की नियुक्ति की गई है और 100 मिश्रित स्कूलों में सेनीटरी ब्लाकों के निर्माण के लिये अनुदान स्वीकृत किये गये हैं। यह आशा की जाती है कि वर्ष 1970–71 के अन्त तक, कक्षा 1 से 5 में भर्ती होने वाले बालकों की संख्या 65.14 से बढ़कर 66.92 लाख हो जायगी और बालिकाओं की संख्या 37.86 से बढ़कर 40.26 लाख हो जायेगी और सभी बच्चों की संख्या 103 लाख से बढ़कर 107.18 लाख हो जायगी। 6 से 11 आयु वर्ग में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 85.5 से बढ़कर 86.6 हो जायगा और बालिकाओं का प्रतिशत 65.2 से बढ़कर 67.4 हो जायगा।

4—वर्ष 1971-72 के कार्यक्रम में, बालिकाओं के 286 और 59 मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने, 101,20 अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त करने, मिश्रित स्कूलों में 420 स्कूल मदर नियुक्त करने और 10 सेनीटरी ब्लाकों के निर्माण करने की परिकल्पना की गयी है। अपव्यय और निष्क्रियता को कम करने के लिये आरम्भ की गयी अग्रगामी प्रायोजना वर्ष 1971–72 में भी चालू रखी जायगी। यह आशा की जाती है कि इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप अध्यापक-छात्र अनुपात 1:51 से घटकर 1:50 हो जायगा। कक्षा 1 से 5 तक भर्ती किये जाने वाले बालकों की संख्या बढ़कर 68.90 लाख हो जायगी, बालिकाओं की संख्या बढ़कर 43.44 लाख हो जायगी और सभी बच्चों की संख्या बढ़कर 112.34 लाख हो जायगी। भरती को संख्या में इस प्रकार होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप भर्ती का प्रतिशत बालकों के लिये 100 प्रतिशत; बालिकाओं के लिये 71.39 प्रतिशत और सभी बच्चों के लिये 89.21 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

5—जूनियर बेसिक स्कूलों के भवनों को दशा बड़ी ही शोचनीय है। इस लिये चौथी योजना में खोले जाने वाले स्कूलों तथा 500 वर्तमान स्कूलों के लिये भवनों का निर्माण करने और 800 स्कूलों के भवनों का सुधार करने के लिये व्यवस्था की गयी है। वर्ष 1970–71 में 75 भवनों के निर्माण करने और 115 स्कूलों के भवनों का सुधार करने के लिये अनुदान स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 1971–72 के कार्यक्रम में 62 स्कूलों के भवनों का निर्माण करने की और 80 स्कूलों के भवनों का सुधार करने के लिए अनुदान स्वीकृत करने की परिकल्पना की गयी है

6—प्राइमरी स्तर से आगे भर्ती होने वाले बालक-बालिकाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से बालकों के लिये 100 सीनियर बेसिक स्कूल; बालिकाओं के लिए 125 सीनियर बेसिक स्कूल और 41 अनुवर्ती कक्षाएं वर्ष 1970–71 के दौरान खोली गयी है। 330 अतिरिक्त अध्यापक भी नियुक्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 150 सीनियर बेसिक स्कूल सहायक अनुदान की सूची में सम्मिलित कर लिये गये और नये खोले गये 50 स्कूलों को तदर्थ अनुदान स्वीकृत किया गया। विज्ञान की शिक्षा के लिये 236 स्कूलों को, कृषि शिक्षा हेतु 24 स्कूलों को और पाठ्य-पुस्तकों के पुस्तकालय स्थापित करने के लिये 100 स्कूलों को अनुदान स्वीकृत किये गये। वर्ष 1971–72 के कार्यक्रम में 130 बालकों के स्कूल; 144 बालिकाओं के स्कूल और 50 अनुवर्ती कक्षायें खोलने तथा 362 अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त करने की परिकल्पना की गयी है। यह भी प्रस्ताव है कि 170 स्कूलों को सहायक अनुदान की सूची में सम्मिलित कर लिया जाय; नये खोले गये 100 स्कूलों को तदर्थ अनुदान स्वीकृत किया जाये, 180 स्कूलों को विज्ञान अनुदान दिया जाये, 20 स्कूलों को कृषि अनुदान दिया जाये और 136 स्कूलों को पाठ्य-पुस्तकों के पुस्तकालयों के लिये अनुदान दिया जाये। यह आशा की जाती है कि कक्षा 6–8 में भर्ती होने वाले बालकों की संख्या वर्ष 1969–70 में 18.08 लाख (14.57 बालक और 3.51 बालिकायें) से बढ़कर, वर्ष 1970–71 के अन्त तक 18.62 लाख (14.92 बालक और 3.70 बालिकायें) हो जायेगी और वर्ष 1971–72 में 19.31 लाख (15.38 बालक और 3.93 बालिकायें) तक हो जायेंगी। यह आशा की जाती है कि 11 से 14 तक आयुवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की प्रतिशत वर्ष 1971–72 में 28.3 (43.2 प्रतिशत बालक और 12.0 प्रतिशत बालिकायें) हो जायेगी।

7—माध्यमिक शिक्षा—चौथी योजना में इस वर्ग को परियोजनाओं के लिये 924.00 लाख रुपये की धनराशि नियत की गयी है। योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान, अर्थात् 1969–70 और 1970–71 में आशा की जाती है कि इस वर्ग के अन्तर्गत कार्यक्रमों में 159.93 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग हो जायगा। वर्ष 1971–72 के दौरान इस वर्ग के लिये 201.32 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है, अर्थात् राज्य के 46 मैदानी जिलों के लिये 181.12 लाख रुपये और 5 पर्वतीय जिलों के लिये 20.20 लाख रुपया किया गया है।

8—वर्ष 1970 71 के दौरान एक नया राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोला गया है और दो राजकीय जूनियर हाई स्कूलों (एक बालकों का और एक बालिकाओं का) का उन्नयन करके उन्हें हाई स्कूल बना दिया गया। इसके अतिरिक्त, 25 गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को सहायक अनुदान की सूची में सम्मिलित कर दिया गया, पिछड़े हुये अंचलों के 155 स्कूलों को उदारतापूर्वक अनुदान स्वीकृत किया गया और दो नये खोले गये स्कूलों का तदर्थ अनुदान दिया गया। साथ ही साथ, 89 स्कूलों को पाठ्य-पुस्तकों के पुस्तकालय स्थापित करने के लिये अनुदान स्वीकृत किये गये; 56 स्कूलों को पुस्तकालयों की अभिवृद्धि करने के लिये 55 स्कूलों को अतिरिक्त भरती करने के लिये साज-सज्जा और भवन निर्माण हेतु तथा 13 स्कूलों को बालिकाओं को विशेष सुख-सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये और 6 स्कूलों को खेल के मैदानों के लिये भी अनुदान स्वीकृत किये गये। 60 संस्थाओं को दक्षता अनुदान स्वीकृत किये गये। वर्ष 1971–72 के कार्यक्रम में दो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने, बालकों के दो जूनियर हाई स्कूलों तथा बालिकाओं के 6 जूनियर हाई स्कूलों का उन्नयन करके उन्हें हाई स्कूल बना देने तथा 5 राजकीय हाई स्कूलों का उन्नयन करके उन्हें इन्टरमीडियेट के स्तर के महाविद्यालय बना देने की परिकल्पना की गयी है। 93 विद्यालयों को सहायक अनुदान की सूची में सम्मिलित कर दिया जायगा, पिछड़े हुए तथा पर्वतीय क्षेत्रों के 50 विद्यालयों को उदारतापूर्वक अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे। 60 विद्यालयों को कार्य कुशलता संबंधी अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे और 7 नये खोले गये उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को तदर्थ अनुदान स्वीकृत किये जायंगे। इसके अतिरिक्त, 176 विद्यालयों को अतिरिक्त भरती के लिये, 67 विद्यालयों को पाठ्य-पुस्तकों के पुस्तकालय स्थापित करने के लिये 12 विद्यालयों को बसों के लिये, 225 विद्यालयों को पुस्तकालयों की अभिवृद्धि करने के लिये, 14 विद्यालयों को खेल के मैदान के लिये, 6 राजकीय बालिका विद्यालयों को बसों के लिये तथा 20 विद्यालयों को बालिकाओं के लिये विशेष सुख-सुविधा उपलब्ध कराने के हेतु अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये जायगे।

9—चौथी योजना के दौरान विज्ञान की शिक्षा का प्रसार करने के लिये, सभी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान के अध्यापन की सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है और गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान संबंधी साज-सज्जा और विज्ञान की प्रयोगशालाओं के लिये भी अनुदान देने का प्रस्ताव है। वर्ष 1970–71 के दौरान राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की 33 प्रयोगशालाओं का निर्माण कराने के सिलसिले में काम चालू हो गया है। इसके अतिरिक्त, 62 विद्यालयों को विज्ञान संबंधी साज-सज्जा खरीदने और 28 विद्यालयों को विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिये भी अनुदान स्वीकृत किये गये। वर्ष 1971–72 के कार्यक्रम में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की और अधिक प्रयोगशालाओं का निर्माण कराने की भी परिकल्पना की गयी है तथा 99 विद्यालयों की विज्ञान संबंधी साज-सज्जा के लिये तथा 68 विद्यालयों को विज्ञान की प्रयोगशालाओं के निर्माण के हेतु अनुदान स्वीकृत करने की भी परिकल्पना की गयी है।

10—विश्वविद्यालय की शिक्षा—चौथी योजना में इस वर्ग के अधीन परियोजनाओं के लिये 530.51 लाख रुपये के परिव्यय की तुलना में, योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान, 127.64 लाख रुपया व्यय हो जाने की प्रत्याशा की जाती है। वर्ष 1971–72 के दौरान, इस वर्ग के अधीन 127.62 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है अर्थात् राज्य के 46 मैदानी जिलों के लिये

112.50 लाख रुपये और 5 पर्वतीय जिलों के लिये 15.12 लाख रुपये। वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान भी विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेजों की विकास संबंधी अनुदान दिये जायेंगे। इस बात पर बराबर जोर दिया जाता रहेगा कि उन स्थानों को छोड़ कर जहां परम आवश्यक हो, नई संस्थाओं के खोलने के बजाय, वर्तमान संस्थाओं को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाया जाय। वर्ष 1970-71 में सात डिग्री कालेजों को सहायक अनुदान की सूची में सम्मिलित कर दिया गया और वर्ष 1971-72 में 10 और कालेजों को सहायक अनुदान की सूची में सम्मिलित कर दिया जायेगा। पर्वतीय संभाग में उच्चतर शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने की दृष्टि से पौड़ी-गढ़वाल जिले में कोटद्वारा में एक नया राजकीय डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव है।

11—**अध्यापक प्रशिक्षण**—वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान इस वर्ग के कार्यक्रमों में 34.74 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किये जाने की प्रत्याशा है। वर्ष 1971-72 के दौरान, इस वर्ग के लिये 32.71 लाख रुपये की स्वीकृति की गयी है, अर्थात् राज्य के 46 मैदानी जिलों के लिए 31.60 लाख रुपये और 5 पर्वतीय जिलों के लिए 1.11 लाख रुपये। वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान आरम्भ किये गये कार्यक्रमों को बराबर चालू रखने के अतिरिक्त विज्ञान तथा गणित के अध्यापकों के लिये एक सी० टी० ट्रेनिंग कालेज खोलने का और वर्ष 1971-72 में वर्तमान तीन राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेजों में भरती होने वालों की संख्या में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है। संयुक्त राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) द्वारा सहायता प्राप्त विज्ञान प्रायोजना में राज्य के व्यय के अंश के लिये भी व्यवस्था की गयी है और प्रशिक्षार्थियों तथा अध्यापकों को अन्य राज्यों तथा ट्रेनिंग संस्थाओं में शैक्षिक भ्रमण कराने के लिये भी व्यवस्था की गयी है।

12—**सामाजिक शिक्षा**—वर्ष 1971-72 के दौरान इस वर्ग की परियोजनाओं के लिये 8.56 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृति की गयी है अर्थात् राज्य के 46 मैदानी जिलों के लिये 8.45 लाख रुपये और 5 पर्वतीय जिलों के लिये 0.11 लाख रुपये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों की शिक्षा पर जोर देते हुए, प्रौढ़ शिक्षा एवं कार्यात्मक शिक्षा भी चालू रखी जायगी।

13—**शिक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम**—वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान इस वर्ग के अन्तर्गत कार्यक्रमों में 25.02 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग हो जाने की आशा की जाती है। वर्ष 1971-72 के दौरान इस वर्ग के लिये 21.91 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, अर्थात् राज्य के 46 मैदानी जिलों के लिये 21.41 लाख रुपये और राज्य के 5 पर्वतीय जिलों के लिये 0.50 लाख रुपये। 1970-71 और 1971-72 के दौरान शारीरिक शिक्षा, सैनिक प्रशिक्षण, स्काउटिंग आदि की प्रोन्नति पर पूर्ववत् समुचित बल दिया जायगा। संस्कृत, उर्दू तथा प्राच्य भाषाओं की प्रोन्नति के हेतु वित्तीय सहायता दी जायगी। राष्ट्रीय एकीकरण तथा दक्षिणी भाषाओं के अध्यापन के लिए संगठनों एवं संस्थाओं को पूर्ववत् अनुदान दिये जाते रहेंगे। हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्रति वर्ष बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में होने वाली असाधारण वृद्धि को देखते हुये मेरठ में एक सब-बोर्ड (उप परिषद्) स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

14—**हिन्दी में पुस्तकों का प्रकाशन**—1969-70 तथा 1970-71 में हिन्दी में पुस्तकों के प्रकाशन पर 4.42 लाख रुपये के व्यय होने की आशा की जाती है। 1970-71 के लिए 1.80 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित था। वर्ष 1970-71 के दौरान 13 पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित की गयीं। 1971-72 के कार्यक्रम में 1.80 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 13 पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित करने की परिकल्पना की गयी है।

15—**खेल-कूद**—राज्य में खेल कूद संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के हेतु 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान 4.50 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किये जाने की आशा है।

1971–72 में इस कार्यक्रम के लिये 3.12 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। जहां तक खेलकूद संबंधी कार्य-कलापों का संबंध है, यह प्रस्ताव किया गया है कि राज्य में इनका और प्रसार किया जाय। राज्य में खेलकूद संबंधी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के खेलकूद एसोसिएशनों, रीजनल तथा डिस्ट्रिक्ट खेलकूद काउंसिलों को अनुदान दिये जाते रहेंगे। यह भी प्रस्ताव है कि जिला कोचिंग सेन्टर तथा सेन्ट्रल कोचिंग कैम्प स्थापित किये जायं जहां चुने हुए व्यक्तियों को खेलकूद के संबंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

16—**सांस्कृतिक कार्यक्रम**—इस वर्ग की स्कीमों के हेतु, चौथी योजना के 50.00 लाख रु० के परिव्यय में से 29.37 लाख रुपये की धनराशि 1969–70 तथा 1970–71 के दौरान उपयोग में लाये जाने की आशा है। 1971–72 में इस वर्ग के अन्तर्गत कार्यक्रमों के लिए 8.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है अर्थात् 5.90 लाख रुपये राज्य के 46 मैदानी जिलों के लिए और 2.10 लाख रुपये 5 पर्वतीय जिलों के लिए। इसमें पुराने अभिलेखों के संरक्षण तथा अनुरक्षण के हेतु पारिरक्षी सामग्री की खरीद और लखनऊ में क्षेत्रीय अभिलेखागार के अधिष्ठान के लिये अपेक्षित नये कर्मचारि वर्ग के वेतन तथा भत्ते की व्यवस्था सम्मिलित है। वर्ष 1970–71 के दौरान प्राचीन स्थलों के सर्वेक्षण कराये गये जिसके लिये कुछ नये प्राविधिक पद सृजित किये गये। सज्जाएं, उप साधन की खरीद करने और खुदाई तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

17—1971–72 के कार्यक्रम में यह परिकल्पना भी की गयी है कि राजकीय कला तथा शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ के पुनस्संगठन का कार्य जारी रखा जाय। इसके अन्तर्गत नयी स्कीमें हैं जिनमें कला सिद्धान्त एवं इसके इतिहास के अध्यापन की व्यवस्था मिट्टी के बर्तनों के अनुभाग की अभिवृद्धि डिजाइन शिल्प अनुभाग में सृजनात्मक कार्यों की व्यवस्था, वाणिज्यिक कला शिक्षा के स्तर के उन्नयन की व्यवस्था, सांस्कृतिक अनुभाग की अभिवृद्धि तथा विभिन्न स्थानीय लोक कलाओं का प्रायोजनाओं की व्यवस्था, कालेज मैगजीनों के प्रख्यापन की व्यवस्था सम्मिलित हैं। इस स्कीम का उद्देश्य कला के अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का पुनस्संगठन भी है।

18—1971–72 की योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि ललित कला अकादमी द्वारा कला तथा चित्रकला प्रदर्शनियां आयोजित की जायं। अकादमी का यह प्रस्ताव है कि चित्रकला तथा संस्कृत के संबंध में पूर्व की भांति सम्मेलन आयोजित किये जायं। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि हिन्दुस्तानी संगीत के भातखंडे महाविद्यालय लखनऊ में एक वाद्यवृन्द इकाई (आरकेस्ट्रा यूनिट) तथा नृत्यलेखन में प्रशिक्षण के हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाय। इस योजना का उद्देश्य उक्त कालज के प्राचार्य के लिए आवासिक क्वार्टर निर्मित करने का भी है।

19—उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के विकास के लिए भी व्यवस्था की गयी है और टेपों एवं ग्रामोफोनों की खरीद तथा राज्य के प्रकृष्ट कलाकारों को पुरस्कार (एवार्ड) देने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है।

20—1971–72 की योजना में राजकीय वेधशाला नैनीताल में 40 इंच दूरबीन से सम्बद्ध आवश्यक सज्जा तथा उप साधन की खरीद करने का प्रस्ताव है। राज्य के संग्रहालयों के पुनस्संगठन का कार्य जारी रहेगा। इसमें शोध कार्य, सुरक्षात्मक प्रबन्धों का सुदृढ़ीकरण, प्रदर्शनियां तथा गोष्ठियां, प्रयोगशाला की सज्जा तथा सामग्री आदि की खरीद सम्मिलित रहेंगी।

(2) प्राविधिक शिक्षा

प्राविधिक शिक्षा

21—प्राविधिक शिक्षा परियोजनाओं के लिए चौथी योजना का परिव्यय 10.48 करोड़ रुपया है। इस परिव्यय की तुलना में 1970–71 के लिए प्रदिष्ट धनराशि 170 लाख रुपये था और 1971–72 के लिए 182.35 लाख रुपये योजना परिव्यय रखा गया है।

22—वर्ष 1966–67 में राज्य में सात संस्थाएं इंजीनियरिंग की डिग्री देती थीं, जिनमें 1,565 छात्रों को भर्ती करने की क्षमता थी। इंजीनियरों में बेरोजगारी की समस्या पर विचार करते हुये 1968–69 में इस क्षमता को कम करके 980 कर दिया गया। चौथी योजना के पहले वर्ष में इस सम्बन्ध में कोई प्रसार नहीं हुआ और 1970–71 तथा 1971–72 के दौरान भी उसमें किसी प्रकार के प्रसार का प्रस्ताव नहीं किया गया है। वार्षिक योजनाओं में संकाय (फैकल्टी) विकास पर जोर दिया जा रहा है।

23—डिप्लोमा स्तर पर 1969–70 में भर्ती की क्षमता 5,530 छात्रों की थी जब कि संस्थाओं की संख्या 34 थी। 1969–70 में निम्नलिखित विभिन्न पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये।

1—राजकीय पालिटेक्निक, लखनऊ में आटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

2—एम० जी० पालिटेक्निक, हाथरस में, वातानुकूलन तथा प्रशीतन (एयर-कंडिशनिंग ऐंड रेफ्रिजरेशन) का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

3—इलाहाबाद पालिटेक्निक, इलाहाबाद में इन्डस्ट्रियल इलक्ट्रोनिक्स का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

24—वर्ष 1970–71 में 5,530 छात्रों की भर्ती की तुलना में 4,026 छात्र भर्ती किये गये। यह कमी उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण हुई।

25—चौथी योजना के कार्यक्रमों का अभिप्राय पाठ्यक्रमों की विविधिता पर जोर देना है। इसलिये वर्ष 1970–71 में निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जा चुके थे :—

1—महाविद्यालय पालीटेक्निक, मथुरा में आटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

2—इलाहाबाद पालिटेक्निक में डिजाइनिंग तथा ड्राफ्टिंग में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

3—इलाहाबाद पालिटेक्निक में इलक्ट्रोनिक्स का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम।

4—राजकीय पालिटेक्निक, गोरखपुर में रसायनिक परिचालकों (केमिकल आपरेटर्स) का चतुर्वर्षीय सेंडविच पाठ्यक्रम।

5—राजकीय पालिटेक्निक, कानपुर में यंत्र प्रौद्योगिक (Instrument Technology) का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

26—वर्ष 1971–72 के दौरान भर्ती की क्षमता 5,530 छात्रों से बढ़कर 5,990 करने का प्रस्ताव है और निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने का प्रस्ताव है :

1—राजकीय पालिटेक्निक., कानपुर, के० एल० पालिटेक्निक रुड़की, तथा लखनऊ पालिटेक्निक में इलक्ट्रोनिक्स का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम।

2—राजकीय पालिटेक्निक्स लखनऊ, गोरखपुर, बरेली तथा झांसी में आटोमोबाइल का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम।

3--राजकीय पालिटेक्निक्स लखनऊ, गोरखपुर तथा बरेली में आशुलेखन (स्टेनोग्राफी) तथा सचिवालय प्रक्रिया का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम।

4--इलाहाबाद पालिटेक्निक, इलाहाबाद, राजकीय पालिटेक्निक, बरेली तथा डी० एन० पालिटेक्निक मेरठ में वातानुकूलन (एयर-कन्डिशनिंग) तथा प्रशीतन (रेफ्रिजरेशन) का एक वर्षीय पाठ्यक्रम।

27--उपर्युक्त पाठ्यक्रम के अतिरिक्त राजकीय बालिका पालिटेक्निक, लखनऊ में वर्ष के दौरान एक चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिक पाठ्यक्रम (मेडिकल लेबोरेटरी टेकनोलाजिकल कोर्स) प्रारंभ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

28--इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं के लिये अतिरिक्त सज्जा की व्यवस्था करने तथा छात्रों को औद्योगिक व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की योजनाओं के पर्यवेक्षण के हेतु एक औद्योगिक सम्पर्क परिषद् (Industry Liason Board) स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण, और राजकीय तथा सहायता प्राप्त पालीटक्निकों के छात्रों के लिए साइकिल स्टैंड, कैनटीन, एन० सी० सी० ब्लाक तथा औषधालय इत्यादि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था का प्रस्ताव भी किया गया है।

मद—7.समाज सेवायें

वर्ग—7.1.सामान्य शिक्षा

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74			1969-70	1970-71			1971-72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक में प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1) प्रारम्भिक शिक्षा—										
710101	राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं का खोला जाना ..	3.57	1.00	..	0.51	0.22	0.22	0.22	0.56	0.34	..
710102	असहाय्यिक पूर्व—प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान ..	7.76	..	..	3.40	0.22	0.22	0.44	0.48	..	..
710103	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु अनुदान ..	222.96	..	..	25.04	19.58	19.58	19.58	38.60	..	..
710104	ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अनुदान (10 प्रतिशत महिला अध्यापिकाएं) ..	1715.74	..	..	187.42	192.75	192.76	234.20	457.40	..	..

710105 नगर क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु अनुदान ..	182.10	..	..	12.87	11.04	11.04	11.04	14.10	..	..
710106 नगर क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अनुदान ..	85.25	..	..	1.31	5.95	5.95	5.95	9.37	..	..
710107 स्वावलम्बी विद्यालयों को एकमुश्त अनुदान	4.50	..	..	1.80	0.68	0.68	0.68	0.71	..	..
710108 ह्रास एवं अवरोध को कम करना	2.50	..	..	0.50	0.47	0.47	0.47	0.47	..	..
710109 ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल भवनों का सुधार	20.00	..	..	3.83	1.50	1.50	1.50	2.00	..	..
710110 ग्रामीण क्षेत्रों के भवन रहित जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान ..	25.00	..	..	11.85	3.75	3.75	3.75	3.10	..	..
710111 प्रति-उप विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति	10.80	..	..	0.03	1.77	1.78	1.74	2.45	..	..
710112 सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं की नियुक्ति ..	7.00	..	..	..	0.64	0.64	0.40	1.29	..	..
710113 उप-बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के पदों का सृजन ..	6.87	..	..	0.35	1.32	1.32	1.24	1.75	..	..
710114 ग्रामीण क्षेत्रों के चुने हुए बालिकाओं के जूनियर बेसिक स्कूलों में अनुवर्ती कक्षायें खोलने के लिए अनुदान ..	37.73	..	..	2.99	4.30	4.30	4.26	6.80	..	..
710115 ग्रामीण क्षेत्रों के मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में स्कूल माताओं की नियुक्ति के लिए अनुदान	8.00	..	..	0.13	0.50	0.50	0.50	1.38	..	..
710116 ग्रामीण क्षेत्रों के मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय निर्माण करने के लिए अनुदान	1.50	..	..	..	0.30	0.30	0.30	0.53	..	

मद—7 · समाज सेवायें

वर्ग–7.1 . सामान्य शिक्षा—(क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969-70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक में प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710117	ग्रमीण क्षेत्रों में जिला परिषदों द्वारा बालकों के वर्तमान जूनियर बेसिक स्कूलों का उच्चीकरण अथवा नये सीनियर बेसिक स्कूलों के खोलने हेतु अनुदान	316.73	..	..	47.20	33.90	33.90	36.32	43.66	..	..
710118	ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषदों द्वारा बालिकाओं के वर्तमान जूनियर बेसिक स्कूलों का उच्चीकरण अथवा नये सीनियर बेसिक स्कूलों को खोलने हेतु अनुदान ..	291.79	..	..	26.50	36.92	36.92	35.89	48.48	..	..

710119 नगर क्षेत्रों में नगरपालिकाओं द्वारा बालिकाओं के वर्तमान जूनियर बेसिक स्कूलों का उच्चीकरण अथवा नये सीनियर बेसिक स्कूलों को खोलने हेतु अनुदान ..	104.20	..	..	10.61	9.28	9.28	9.28	15.26	..	..
710120 सहायता न पाने वाले बालक/बालिकाओं के उच्च आधारिक विद्यालयों को अनुदान ..	127.90	..	..	7.67	16.05	16.05	16.68	24.32	..	..
710121 जिन क्षेत्रों में कोई विद्यालय नहीं है वहां नये खुले हुए उच्च आधारिक विद्यालयों को तदर्थ अनुरक्षण अनुदान ..	10.00	..	..	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	..	..
710122 जिला परिषदों के सीनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अनुदान	105.04	..	..	2.79	10.46	10.46	10.23	17.11	..	..
710123 नगरपालिका के सीनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अनुदान	8.34	..	..	0.13	1.35	1.35	1.35	1.92	..	..
710124 सुदूरवर्ती अथवा जहां शिक्षण की सुविधाएं नहीं हैं उन क्षेत्रों में राजकीय बालिका सीनियर बेसिक स्कूलों का खोलना	48.81	39.30	..	0.58	1.88	1.86	1.67	2.16	0.10	..
710125 स्थानीय निकायों तथा निजी प्रबन्धकों द्वारा संचालित उच्च आधारिक विद्यालयों में सामान्य विज्ञान विषय के समावेश हेतु अनुदान ..	87.99	..	..	18.13	7.77	7.77	7.77	11.62	..	..
710126 उच्च आधारिक स्तर पर कृषि शिक्षा का सुधार ..	8.25	..	..	0.70	0.70	0.70	0.70	0.67	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969-70	1970–71			1971–72 स्वीकृत परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक में प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710127	सीनियर स्तर पर निर्धन छात्राओं के लिए पाठ्य-पुस्तकालय की स्थापना हेतु अनुदान ..	2.50	..	..	0.50	0.50	0.50	0.63	0.68	..	..
710128	प्रारम्भिक विद्यालयों के अध्यापकों को अपनी अर्हताएं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन ..	2.00	..	..	0.34	0.15	0.15	0.15	0.20	..	..
	चालू निर्माण-कार्य (स्पिल ओवर) की योजनायें—										
710129	ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों में स्थित बालिकाओं के राजकीय उच्च आधारिक विद्यालयों के लिए छात्रावास का निर्माण ..	8.62	0.62	..	..	0.40	0.40	0.40	0.22	0.22	..

710130 102 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खोले जाने के संबंध में भवन निर्माण ..	31.34	31.34	..	5.64	9.72	9.72	9.72	8.69	8.69	..
नई योजनायें										
710131 प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापक की नियुक्ति हेतु जिला परिषदों/नगर पालिकाओं को अनुदान	30.00	..	..	8.85	19.00	10.00	9.40	16.00	..	..
710132 अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति ..	3.00	..	..	..	0.85	0.85	0.55	2.93	..	..
710133 प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों की श्रमिक बस्तियों में स्थित चुने हुए नर्सरी एवं प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लाभार्थ केयर के सहयोग से संचालित बालाहार योजना..	..	..	..	..	..	30.00	17.00	30.25	..	..
योग, (1) प्रारम्भिक शिक्षा ..	3519.79	72.26	..	382.67	394.92	415.90	445.01	766.69	9.25	..
(2) माध्यमिक शिक्षा										
710201 कतिपय बालकों के राजकीय जूनियर स्कूलों की हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नति तथा बालकों के राजकीय हाई स्कूल (कक्षा 6—10) का खोलना ..	28.49	20.00	..	1.11	1.36	2.26	2.46	5.51	0.81	..
710202 बालिकाओं के कुछ राजकीय जूनियर हाई स्कूलों की हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नति ..	23.73	12.50	..	1.22	1.75	1.82	1.54	5.51	0.90	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7 सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक में प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710203	बालक-बालिकाओं के कतिपय राजकीय हाई स्कूलों का इन्टरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण	46.98	25.00	..	1.10	2.44	2.03	1.53	6.10	1.31	..
710204	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 में कतिपय नये विषय प्रारम्भ करने तथा अतिरिक्त अनुभाग खोलने के सम्बन्ध में अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था ..	21.50	..	..	1.71	2.93	3.84	2.84	4.20	..	..
710205	असाहाय्यिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान	163.30	..	..	12.42	7.50	16.28	20.12	32.29	..	..

710206 प्रदेश के पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों के सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उदारतापूर्वक अनुदान ..	7.50	..	..	1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	..	..
710207 जिन शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है वहां नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु एक मुश्त अनुदान ..	6.25	..	..	0.70	0.71	0.80	0.83	2.48	..	..
710208 राजकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक पुस्तकालयों की व्यवस्था	2.50	..	..	0.26	0.26	0.59	0.59	0.45	..	..
710209 अतिरिक्त छात्र संख्या हेतु सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान ..	15.00	..	..	2.65	2.60	1.39	1.39	6.99	..	..
710210 बालिका विद्यालयों को बस अनुदान ..	8.50	..	..	..	..	..	..	4.08	..	..
710211 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अतिरिक्त छात्र संख्या हेतु सुदृढ़ीकरण ..	73.57	40.00	..	3.09	5.06	8.49	8.34	22.63	5.79	..
710212 बालक एवं बालिकाओं के कतिपय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापन के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था तथा कतिपय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण	126.27	116.40	..	3.37	12.15	18.15	18.59	24.21	22.01	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969-70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक में प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710213	ए० एन० झा राजकीय इन्टर कालेज, रुद्रपुर, नैनीताल से संलग्न कृषि फार्म का विकास	3.10	..	..	..	0.95	..	..	..	..	..
710214	वर्तमान सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापन की सुविधाओं में सुधार ..	32.00	..	..	11.74	4.54	4.54	4.54	12.36	..	..
710215	युनिसेफ की विज्ञान की योजनाओं हेतु शिक्षा निदेशालय में विज्ञान सेल की स्थापना ..	7.64	..	..	..	1·20	..	..	..	..	..
710216	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का सुधार	7.00	..	..	0.50	0.50	0.50	0.50	3.25	..	..
710217	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का सुधार	19.51	..	..	0.79	1.34	1.34	1.34	6.28	..	..

710218 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता अनुदान	5.00	..	..	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	..	..
710219 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में क्रीड़ास्थल की व्यवस्था ..	3.09	..	..	1.08	0.36	0.36	0.36	0.94		
710220 राजकीय कन्या विद्यालयों हेतु बसों की व्यवस्था ..	16.89	..	..	1.10	1.35	1.35	1.28	3.69	..	..
710221 बालकों के विद्यालयों में पढ़नेवाली बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा	3.96	..	..	0.51	0.51	0.51	0.51	0.97	..	..
710222 बालिकाओं के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावास का निर्माण ..	1.50	1.50	..	..	0.22	1.21	1.21	0.15	0.15	..
710223 बालकों एवं बालिकाओं के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नये भवनों का निर्माण तथा पुराने विद्यालयों के भवनों का परिवर्धन ..	50.00	50.00	..	..	3.99	4.26	4.26	4.13	4.13	..
710224 माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अपनी अर्हताएं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन ..	1.50	..	..	0.11	0.15	0.15	0.15	0.33	..	..
710225 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चुने हुये विद्यालयों में अध्ययन हेतु सहायता	2.54	..	..	0.02	0.30	0.30	0.24	0.43	..	..
710226 विद्यालयों के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार ..	1.57	..	..	0.02	0.24	0.24	0.24	0.26	..	..
710227 निदेशालय का सुदृढ़ीकरण ..	12.21	..	..	..	1.73	0.59	0.36	1.68	..	

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा— (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74			1969-70	1970-71			1971-72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक में प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710228	मुख्य कार्यालय के लिए भवनों का निर्माण	15.00	15.00	..	..	0.10	0.18	0.18	2.00	2.00	..
710229	मुख्यालय एवं जिला कार्यालय पर सांख्यिकी इकाइयों का सुदृढ़ीकरण	2.50	..	..	0.02	0.34	0.34	0.18	0.55	..	..
710230	शिक्षा निदेशालय के मुख्य कार्यालय में सहायता प्राप्त विद्यालयों के लेखों की विशेष संपरीक्षा के लिए लेखा सम्परीक्षण इकाई का सुदृढ़ीकरण ..	10.75	..	..	0.50	2.82	4.66	3.65	4.71	..	..
710231	लेखा सम्परीक्षण हेतु सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान ..	15.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
710232	पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन संगठन का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण ..	9.50	5.00	..	..	0.93	0.83	0.83	0.83	..	..
710233	माध्यमिक परिषद्, उ० प्र०, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण..	40.00	20.00	..	0.79	5.30	4.00	5.04	14.08	3.68	..

710234 निबन्धक, विभागीय परीक्षाएं, उ० प्र०, इलाहाबाद के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण ..	5.00	..	..	0.34	0.93	0.93	0.93	0.97	..	..
710235 बालकों तथा बालिकाओं के दो नये शिक्षा मण्डलों, झांसी एवं फैजाबाद का सृजन ..	4.70	..	..	..	..	..	..	1.07	..	..
710236 जिला/मण्डलीय स्तर के शैक्षिक संगठनों का सुदृढ़ीकरण ..	8.60	..	..	0.50	1.75	1.75	1.56	2.63	..	..
710237 जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के पदों का सृजन ..	6.26	..	..	0.11	1.12	1.12	0.64	1.12	..	..
710238 उर्दू माध्यम विद्यालयों के उप-निरीक्षकों की व्यवस्था ..	0.79	..	..	0.08	0.15	0.16	0.16	0.16	..	..
710239 मण्डलीय स्तर पर विज्ञान प्रोन्नत अधिकारियों की नियुक्ति ..	10.72	..	..	..	1.79	..	..	..	..	..
710240 निदेशालय, मण्डलीय एवं जिला कार्यालयों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था ..	8.99	..	..	0.78	1.75	1.47	1.43	3.01	..	..
710241 जिला विद्यालय निरीक्षकों के पदों का उ० प्र० शिक्षा सेवा के कनिष्ठ वेतन-क्रम से ज्येष्ठ वेतन-क्रम में उन्नयन ..	1.45	..	..	..	..	..	..	..	..	..
710242 जिन जिलों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अधिक हैं वहां सह-विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिकाओं की व्यवस्था ..	8.00	..	..	0.81	0.96	0.96	0.67	2.33	..	..
710243 कक्षा 7-8 में अतिरिक्त छात्र-वृत्तियों को व्यवस्था ..	10.00	..	..	..	..	..	..	0.63	..	..

मद—7—समाज सेवायें

वर्ग —7.1—सामान्य शिक्षा—(क्रमश:)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	योजनायें	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969-70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक में प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710244	कक्षा 9-12 में अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था ..	10.00	..	..	..	..	..	..	0.58	..	..
	चालू निर्माण-कार्य (स्पिल-ओवर) की योजनाएं—										
710245	इन्टरमीडियेट कक्षाओं वाले कतिपय ऐसे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करना जिनमें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं	1.61	1.61	..	1.04	1.12	0.90	0.90	0.60	0.60	..
710246	राजकीय बालिका उच्च आधारिक विद्यालयों की हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नति ..	1.13	1.13	..	0.48	0.55	0.15	0.15	0.14	0.14	..
710247	बालकों के राजकीय उच्च आधारिक विद्यालयों की हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नति ..	2.36	2.36	..	0.62	1.60	0.63	0.52	0.46	0.46	..

710248 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नये विषयों का प्रारम्भ करना या नये अनुभाग खोलना	1.09	1.09	..	0.14	0.15	0.01	0.01	0.02	0.02	..
710249 बालकों एवं बालिकाओं के वर्तमान राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण	27.05	27.05	..	3.40	4.92	5.93	5.93	6.79	6.79	..
710250 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के वर्तमान भवनों का प्रसार तथा विद्युतीकरण	1.29	1.29	..	0.32	0.15	0.12	0.11	0.30	0.30	..
710251 वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित भवनों के बदले में भवनों का निर्माण	0.59	0.59	..	0.02	0.250	..	0.10	0.10	0.10	..
710252 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की इन्टरमीडिएट स्तर पर क्रमोन्नति ..	9.46	9.46	..	2.39	2.22	2.24	2.22	0.99	0.99	..
710253 बहु प्रयोजनीय विद्यालयों के विकास की योजना के अन्तर्गत लखनऊ तथा इलाहाबाद के विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण	0.22	0.22	..	0.22	..	..	..	..	..	..
710254 राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए छात्रावासों का निर्माण ..	4.66	4.66	..	0.90	0.34	0.31	0.31	0.14	0.14	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.1—सामान्य शिक्षा —(क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969-70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक में प्राविधान	अनुमानित परिव्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710255	बालकों एवं बालिकाओं के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण एवं मौ विद्यालयों के लिए भूमि की अध्याप्ति	6.18	6.18	..	..	..	..	..	1.00	1.00	..
	नयी योजनायें—										
710256	पौड़ी-गढ़वाल में उप-शिक्षा निदेशक के एक नवीन मंडलीय कार्यालय की स्थापना ..	2.00	..	..	..	0.60	..	..	0.59	..	..
710257	अराजकीय विद्यालयों का प्रान्तीयकरण	5.00	..	..	..	2.50	..	..	2.50	..	..
710258	राजकीय विद्यालयों एवं कार्यालयों में बिजली के पंखों की व्यवस्था..	3.00	..	..	..	1.00	1.00	1.00	2.00	..	..
	योग, (2) माध्यमिक शिक्षा ..	924.00	361.04	..	58.96	107.22	101.58	101.74	201.32	51.32	..

(3) विश्वविद्यालय शिक्षा

710301 नैनीताल विश्वविद्यालय की स्थापना ..	60.00	..	..	0.02	1.00	1.00	1.00	5.00	..	..
710302 विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान	135.00	..	..	26.04	20.00	20.00	20.00	32.00	..	..
710303 नये उपाधि महाविद्यालयों तथा नयी संकायों को अनुरक्षण अनुदान	87.00	..	..	11.66	14.10	14.10	25.60	37.38	..	..
710304 अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों को विकास अनुदान ..	134.00	..	..	10.00	6.00	6 00	6.00	23.00	..	..
710305 स्नातकीय तथा स्नातकोत्तरीय कक्षाओं में बालिकाओं को विशेष सुविधाएं देने के लिए अनुदान	15.00	..	..	1.57	1.50	1 50	1.50	3.00	..	..
710306 नये राजकीय उपाधि महाविद्यालयों का खोला जाना तथा वर्तमान राजकीय उपाधि महाविद्यालयों का विकास	55.00	30.00	..	7.34	8.00	5.93	6.45	14.98	6.03	.
710307 उपाधि महाविद्यालयों को योग्यता अनुदान ..	3.75	..	..	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	..	..
710308 ग्रामीण संस्थान ..	5.00	..	..	0.45	0.70	0.70	..	0.70	..	..
710309 उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों को अर्हताएं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन ..	1.25	..	..	..	0.25	0.25	0.25	0.25	..	
710310 विज्ञान (अप्राविधिक विषयों) की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को ऋण ..	2.50	2.50	..	..	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	..

मद– 7—समाज सेवायें

वर्ग–7.1—सामान्य शिक्षा––(क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969-70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक में प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710311	विदेश में अध्ययन हेतु यात्रा अनुदान	1.25	..	..	0.18	0.75	0.25	0.25	0.25	..	..
710312	विदेशों में सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों आदि में भाग लेने के लिये अनुदान ..	1.25	..	..	0.25	0.25	0.75	0.75	0.25	..	..
710313	उपाधि महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक की व्यवस्था के लिये अनुदान ..	10.00	..	..	0.36	1.00	1.00	1.50	2.03	..	..
710314	विश्वविद्यालयों तथा उपाधि महाविद्यालयों में सहकारिता के आधार पर पुस्तकें उधार देने वाले पुस्तकालयों की व्यवस्था	10.00	..	..	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	..	..
710315	विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी साहित्य के प्रकाशनार्थ एक स्वायत्त निगम की स्थापना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

चालू निर्माण काय (स्पिल ओवर) की योजनाएं										
710316 नए राजकीय उपाधि महाविद्यालयों का खोलना तथा वर्तमान विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण ..	8.51	8.51	..	0.87	2.00	2.00	2.00	1.43	1.43	..
710317 अराजकीय डिग्री कालेजों का प्रान्तीयकरण ..	1.00	..	..	..	0.10	..	..	..	..	..
710318 राष्ट्रीय सेवा कोर तथा राष्ट्रीय खेलकूद परिषद ..	..	..	..	..	..	..	..	5.50	..	..
योग, (3) विश्वविद्यालय ..	530.51	41.01	..	60.49	57.50	55.33	67.15	127.62	7.56	..
(4) अध्यापक प्रशिक्षण										
(क) प्रारम्भिक										
710401 प्रशिक्षण विद्यालयों के स्तर का उन्नयन	12.29	..	..	..	1.95	1.96	0.26	0.84	..	..
710402 राजकीय दीक्षा विद्यालयों एवं सेवारत प्रशिक्षण केन्द्रों में अतिरिक्त सज्जा एवं उपकरण की व्यवस्था ..	3.60	..	..	1.80	1.80	1.80	1.80	..	..	..
710403 राजकीय अवर आधारिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षार्थियों की प्रवेश संख्या में वृद्धि	15.25	5.70	..	..	..	..	..	1.22	..	
710404 राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ तथा मोदीनगर (मेरठ) की वार्षिक प्रवेश संख्या में वृद्धि ..	6.95	..	..	0.06	2.16	2.17	1.88	1.49	..	..
710405 विज्ञान एवं गणित अध्यापकों के लिये बालकों एवं बालिकाओं के राजकीय सी० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलना ..	15.39	..	..	..	..	..	..	1.22	..	

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.1—सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक में प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710406	प्रारम्भिक विद्यालयों के विज्ञान अध्यापकों का प्रशिक्षण ..	0.72	..	..	0.72	0.05	1.68	..	1.48	..	..
	चालू निर्माण–कार्य स्पिल-ओवर) की योजनाएं										
710407	राजकीय दीक्षा विद्यालयों तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रसार की योजना के संबंध में भवन निर्माण	68.98	60.98	..	5.14	8.55	8.55	8.55	9.02	9.02	..
710408	वर्तमान प्राथमिक अध्यापकों के राजकीय प्रशिक्षण संस्थाओं के भवनों का विस्तार ..	17.68	17.68	..	2.10	3.95	3.95	3.95	2.50	250	..
710409	वर्तमान राजकीय दीक्षा विद्यालयों के भवनों का निर्माण तथा विस्तार	1.21	1.21	..	0.12	..	0.01	0.01	..	..	..
	योग, (क) प्रारम्भिक ..	142.08	93.57	..	9.94	18.46	20.12	16.45	17.77	11.52	..

(ख) माध्यमिक

710410 शैक्षिक अनुसंधान तथा अध्ययन के शोध पत्रों के प्रकाशन की व्यवस्था	2.50	..	..	0.21	0.27	0.27	0.27	0 .56	..	..
710411 राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण ..	3.52	2.50	..	0.22	0.29	0.50	0.44	1.18	1.00	..
710412 राजकीय गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में एल० टी० (गृह विज्ञान) प्रशिक्षण का समावेश ..	1.40	..	..	..	..	..	..	..	..	..
710413 औपचारिक शिक्षा हेतु राजकीय सी० पी०आई०, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण ..	4.42	1.50	..	0.27	0.73	0.73	0.50	1.65	1.00	..
710414 आंग्ल-भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण	2.63	1.50	..	..	0.33	0.32	0.25	1.74	1.50	..
710415 विस्तार सेवा केन्द्र ..	2.80	..	..	0.28	0.56	0.56	0.44	0.64	..	..
710416 कैरियर मास्टर के प्रशिक्षण के लिये मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण ..	1.56	..	..	..	0.52	0.52	..	0.56	..	..
710417 छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापकों को दूसरे प्रदेशों में शैक्षिक यात्रा के लिये अनुदान ..	0.50	..	..	..	..	..	..	0.13	..	..
710418 राजकीय आधारिक प्रशिक्षण महाविद्यालय वाराणसी का सुदृढ़ीकरण ..	3.00	3.00	..	..	0.10	0.09	0.09	1.00	1.00	..

वर्ग 7.1—सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक में प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710419	राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण .	3.00	2.00	..	0.19	0.30	0.30	0.28	1.55	1.00	..
710420	राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा संस्थान का सुदृढ़ीकरण ..	1.69	..	..	0.10	0.73	0.63	0.64	0.52	..	..
710421	यूनीसेफ की विज्ञान शिक्षा योजना के अन्तर्गत राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं अन्य चार संस्थाओं का "की इंस्टीट्यूशनों" के रूप में संवर्धन तथा विज्ञान अध्यापकों का प्रशिक्षण ..	15.06	..	..	2.55	3.34	3.60	1.64	3.52	..	..
	चालू निर्माण-कार्य (स्पिल ओवर) की योजना										
710422	राजकीय गृह विज्ञान महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद की एल० टी० स्तर तक उन्नति	5.52	5.52	..	..	1.57	..	..	1.00	1.00	..

नई योजना										
710423 राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद से संलग्न बेसिक डिमांस्ट्रेशन स्कूल का उच्चीकरण ..	..	..	..	..	..	..	..	0.90	0.50	..
योग, (ख) माध्यमिक ..	47.60	16.02	..	3.82	8.74	7.51	4.55	14.95	7.00	..
योग, (4) अध्यापक प्रशिक्षण..	189.68	109.59	..	13.76	27.20	27.63	21.00	32.72	18.52	..
(5) सामाजिक शिक्षा										
710501 उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा एवं व्यावहारिक शिक्षा ..	30.77	..	..	3.83	4.00	4.00	4.00	6.25	..	..
710502 नगर क्षेत्रों के चुने हुए सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायक अनुदान ..	10.00	..	..	0.64	0.50	1.00	1.00	2.11	..	..
710503 केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण ..	2.50	1.50	..	..	0.20	..	..	0.20	..	..
योग, (5) सामाजिक शिक्षा ..	43.27	1.50	..	4.47	4.70	5.00	5.00	8.56	..	..
(6) अन्य शैक्षिक कार्यक्रम										
710601 राष्ट्रीय सेना छात्र दल योजना का प्रसार ..	2.50	..	..	0.02	0.25	0.25	0.25	1.50	..	..
710602 शारीरिक शिक्षा तथा युवक कल्याण कार्यक्रम की प्रोन्नति..	10.00	..	..	2.26	2.06	2.06	2.06	2.32	..	..
710603 भारत स्काउट्स तथा गाइड्स को अनुदान	5.00	..	..	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.1—सामान्य शिक्षा—(क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक में प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710604	प्राच्य शिक्षा संस्थाओं को विकास अनुदान ..	5.00	..	..	0.75	0.75	0.75	0.75	2.80	..	..
710605	प्राच्य शिक्षा संस्थाओं को अनुरक्षण अनुदान ..	5.00	..	..	0.47	0.53	0.58	0.67	1.93	..	..
710606	संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षणालय का सुदृढ़ीकरण ..	1.27	..	..	..	..	..	..	..	..	..
710607	हिन्दी शिक्षण संस्थान की स्थापना ..	10.80	5.00	..	0.26	1.72	1.72	1.29	2.82	1.00	..
710608	हिन्दुस्तानी एकेडमी को अनुदान	0.75	..	..	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	..	..

710609 लखनऊ में स्थित दक्षिणी भारतीय भाषाओं के विद्यालय का विकास	0.75	..	..	0.07	0.13	0.13	0.13	0.13	..	..
चालू निर्माण कार्य (स्पिल ओवर) की योजना										
710610 वर्तमान राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के भवनों का निर्माण	0.37	0.37	..	..	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	..
नई योजनाएं										
710611 दक्षिण भारतीय भाषाओं के शिक्षण हेतु गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान ..	3.00	..	..	0.68	0.50	0.50	0.50	0.50	..	..
710612 उत्तर प्रदेश में युवक कल्याण परिषद् की स्थापना ..	3.00	..	..	..	1.00	1.00	1.00	1.20	..	..
710613 प्रदेश में उर्दू विकास एवं प्रचार की योजना ..	..	..	..	..	..	2.05	2.05	2.10	..	..
710614 खेलकूद तथा शारीरिक संवर्धन क्रियाओं का विकास ..	30.00	..	..	1.95	2.50	2.45	2.50	3.12	..	..
योग ..	77.44	5.37	..	7.81	10.96	13.02	12.74	19.95	1.18	..
सूचना विभाग										
710620 हिन्दी में पुस्तकों का प्रकाशन ..	10.00			2.65	1.80	1.77	1.77	1.96	..	..
योग, (6) ..	87.44	5.37	..	10.46	12.76	14.79	14.51	21.91	1.18	..

मद 7.—समाज सेवायें

वर्ग 7.1.—सामान्य शिक्षा—(समाप्त) (लाख रुपयों में)

		चौथी योजना परिव्यय 1969-74			1969-70		1970-71		1971-72 स्वीकृत परिव्यय		
संकेत संख्या	परियोजना	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक में प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(7) सांस्कृतिक कार्यक्रम										
710701	उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेख्य का विस्तार	2.00	..	0.37	0.04	0.15	0.15	0.17	0.42	..	015
710702	राजकीय कला तथा शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ का पुनस्संगठन ..	4.00	1.70	0.06	0.06	0.06	0.15	0.54	1.00	0.25	..
710703	पुरातत्व का पुनस्संगठन ..	3.40	1.20	..	0.21	0.45	0.37	0.26	0.80	0.35	..
710704	ललित कला अकादमी ..	3.50	..	..	0.60	0.65	0.65	0.65	0.80	..	..
710705	भातखंडे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय ..	3.40	1.22	..	0.07	0.60	0.60	0.44	0.75	0.50	..
710706	उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला, नैनीताल	24.80	6.37	16.55	14.64	9.30	6.81	5.33	2.10	1.55	..

710707	उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी भारती, लखनऊ के विकास हेतु अनुदान ..	3.30	..	..	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	..	..
710708	संग्रहालयों का पुनस्संगठन ..	5.00	..	..	0.75	0.60	0.60	0.60	1.10	..	..
710709	सांस्कृतिक कार्यक्रम के निदेशालय की स्थापना ..	0.60	..	..	..	0.10	0.10	0.10	0.28	..	..
	योग, (7) ..	50.00	10.49	16.92	16.87	12.50	10.24	8.59	8.00	2.40	0.15
	उपकरण तथा संयंत्रण ..	..	..	..	..	..	6.02	..	..	..	..
	योग, 7.1.—सामान्य शिक्षा..	5344.69	601.26	16.92	546.68	616.80	636.49	663.85	1166.82	90.23	0.15

मद 7.—समाज सेवायें

वर्ग 7.2.—प्राविधिक शिक्षा

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74			1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71			1971-72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा		स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक में प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	चालू योजनायें—										
720101	रुड़की विश्वविद्यालय ..	26.00	..	5.00	11.26	15.00	15.00	15.00	7.00	..	..
720102	एम० एम० एम० इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर ..	44.00	..	9.00	6.84	7.50	7.50	5.03	7.50	..	..
720103	एच० बी०टी०आई०, कानपुर..	80.00	..	15.00	20.16	22.39	22.39	12.84	20.00	..	..
720104	राजकीय केन्द्रीय वस्त्रोद्योग संस्थान, कानपुर ..	5.00	1.00	2.00	1.02	4.18	4.18	3.50	4.20	0.50	1.00
720105	पन्त कालेज आफ इंजीनियरिंग टेक्नालोजी ..	100.00	..	11.00	20.71	35.00	27.00	33.80	20.00	..	..
720106	राजकीय बहुधन्धी संस्थानों का एकीकरण ..	112.34	28.00	6.00	10.69	15.18	14.60	11.33	21.47	0.70	2 .45
720107	गैर सरकारी बहुधन्धी संस्थानों को सहायक अनुदान ..	73.00	..	10.00	6.31	8.00	8.00	5.00	11.90	..	..
720108	गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट, आगरा	10.00	3.00	0.40	0.68	0.70	0.70	0.70	0.70	0.38	0.05

720109 रीजनल स्कूल आफ प्रिंटिंग (पार्ट टाइम सहित) ..	11.00	3.00	0.60	0.73	1.67	1 .67	1.33	1.70	..	0.50
720110 सेकेंडरी टेक्निकल स्कूल एडजन्ट (आठ)	40.00	10.00	..	0.14	..	..	..	*	..	..
720111 सेकेंडरी टेक्निकल स्कूल स्वतंत्र (पांच)	3.00	3.00	..	0.02	..	..	..	*	..	..
720112 राजकीय महिला बहुधन्धी संस्थान, लखनऊ	8.00	0.50	..	0.46	0.50	0.50	0.50	0.50	..	..
720113 केमिकल आपरेशन कोर्स (तीन केन्द्र)	37.00	13.50	2.50	..	1.84	1.84	0.61	1.80	..	..
720114 तृतीय योजना में नई स्वीकृत संस्थाएं जो अभी चालू नहीं हुईं	60.00	20.00	8.00	..	..	..	..	..	..	..
नई योजनायें—										
720201 डिग्री कोर्सेज का पुनर्गठन और डिग्री स्तर पर सैंडविच कोर्सेज का गठन	35.00	..	3.60	..	..	..	..	..	..	..
720202 डिप्लामा कोर्सेज का डाइवरसीफिकेशन/कामर्स कोर्सेज का प्रारम्भ करना तथा सैंडविच कोर्सेज का संगठन ..	80.00	4.04	4.00	2.56	12.39	10.92	9.85	30.00	0.20	2.00
720203 माध्यमिक शिक्षा का वोकेशनलाइजेशन	47.24	15.00	8.00	..	..	..	..	..	..	..
720204 स्टाफ क्वार्टर्स ..	30.00	9.56	..	23.47	10.00	7.82	12.05	11.00	9.00	..
720205 अध्यापकों के प्रशिक्षण प्रोग्राम को सम्मिलित करके हुये फैकल्टी विकास	30.00	..	..	0.73	1.00	1.00	0.95	1.50	..	..

*प्रतीक प्राविधान

मद 7.—समाज सेवायें

वर्ग 7.2—प्राविधिक शिक्षा—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969-70 वास्तविक व्यय	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा		स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720206	पुरानी संस्थाओं की साज-सज्जा का बदलना ..	30.00	..	..	1.50	..	..	..	..	..	..
720207	इंस्टीट्यूट आफ पेपर टेक्नालाजी, सहारिनपुर ..	20.00	..	3.00	..	..	..	..	..	..	..
720208	छात्र वृत्तियां	12.00	3.00	..	..	..	..	..	..	..	..
720209	प्राविधिक ऋण (छात्रवृत्तियां) ..	100.00	100.00	..	20.00	25.00	25.00	15.00	20.00	20.00	..
720210	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय तथा स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन	8.00	0.14	..	..	1.15	0.20	0.20	2.40	..	..
720211	बहुधन्धी संस्थाओं में विद्यार्थियों के लिये सुविधायें ..	9.00	1.00	..	..	2.00	1.82	9.36	15.68	5.82	..
720212	टेक्स्ट बुक लोन स्कीम ..	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
720213	डेवलपमेंट आफ टीचिंग एड्स ..	4.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
720214	राजकीय पोलिटेक्निक, कानपुर, फैजाबाद तथा मिर्जापुर छात्रावासों का निर्माण ..	5.69	5.69	..	0.91	0.50	..	..	..	..	..

720215 राजकीय पालीटेक्निक, मुरादाबाद, गोंडा, बस्ती, आजमगढ़ तथा श्रीनगर (गढ़वाल) में छात्रावासों का निर्माण ..	16.21	16.21	..	3.59	1.00	..	..	*	*	..
720216 एस० टी० सी०, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, मिर्जापुर, गोंडा, गोरखपुर, मुरादाबाद तथा आजमगढ़ में छात्रावासों का निर्माण	5.52	5.52	..	0.66	..	..	..	..	..	..
720217 मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद ..	5.00	..	0.40	19.77	5.00	5.00	5.67	5.00	..	..
सार्वजनिक निर्माण व्यय अधिष्ठान व्यय.. ..	..	..	..	..	..	0.27	0.27	..	..	
योग, 7.2.—प्राविधिक शिक्षा	**1048.00**	**239.46**	**88.50**	**152.21**	**170.00**	**155.41**	**143.19**	**182.35**	**36.60**	**6.00**

*प्रतीक प्राविधान।

15

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन

(1) स्वास्थ्य

वर्ष 1971–72 के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन क्षेत्र (सेक्टर) के लिए 644.00 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है, जब कि वर्ष 1970–71 के दौरान 410.85 लाख रु० का व्यय किया गया। पिछले दो वर्षों अर्थात् 1969–70 और 1970–71 के लिए क्रमशः 380.00 लाख रु० और 410.00 लाख रु० का की धनराशियां नियत की गई थीं। इस क्षेत्र (सेक्टर) का कार्यक्रम आठ वर्गों में बांटा गया है, जिसक लिए वर्ष 1970–71 के दौरान प्रत्याशित व्यय और साथ ही साथ वर्ष 1971–72 के लिए प्रस्तावित धनराशि निम्नलिखित है :

(लाख रुपयों में)

वर्ग का नाम	अनुमानित व्यय 1970–71	परिव्यय 1971–72	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1—चिकित्सा–शिक्षा	161.17	277.63	
2—प्रशिक्षण कार्यक्रम	8.11	17.73	
3—चिकित्सालय तथा औषधालय	98.83	158.57	
4—प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र और बुनियादी स्वास्थ्य सेवायें (Basic Health Services) ..	31.35	66.22	
5—संचारी रोगों का नियंत्रण	41.50	20.07	
6—परिवार नियोजन	..	..	पूर्णतः 100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें।
7—देशी चिकित्सा प्रणालियां	22.35	39.00	
8—अन्य कार्यक्रम	36.66	43.16	
9—सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिष्ठान व्यय, उपकरण तथा संयंत्र	10.88	19.22	
10—अन्तरिम सहायता	..	2.40	
योग ..	423.32	644.00	

1—**चिकित्सा-शिक्षा**—यह वर्ग डाक्टरों की व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित है जो कि योजना की स्कीमों को लागू करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। अतएव मेडिकल कालेजों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को जुटाने पर काफी जोर दिया जा रहा है।

(क) **डाक्टर और जनसंख्या का अनुपात**—30 सितम्बर, 1970 तक सूची में डाक्टरों की संख्या 12,111 और राज्य में ऐसी अनुमानित जन संख्या 850 लाख है जिनके लिए डाक्टरों की आवश्यकता है, इस प्रकार 7,018 लोगों के लिए 1 डाक्टर है जब कि पूरे भारत में 5,150 लोगों के लिए 1 डाक्टर है। यह आशा की जाती है कि चौथी योजना के अन्त तक 2,550 डाक्टर और बढ़ जायंगे। परन्तु, इसके साथ ही राज्य की जनसंख्या बढ़ कर 900 लाख हो जाने की आशा है, और इस प्रकार डाक्टर-जनसंख्या में सुधार होकर 1974 तक 6,140 जनसंख्या पर 1 डाक्टर हो जायगा जब कि पूरे भारत का अनुपात 4,300 पर 1 डाक्टर का होगा।

(ख) **चौथी योजना की आवश्यकतायें**—इस समय प्रादेशिक चिकित्सा सेवा पुरुष, प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (महिला) और प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवा में 834 डाक्टरों की कमी है। चौथी योजना के शेष भाग के लिए 1,243 डाक्टरों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 28 दन्त शल्यकों (सर्जनों) की भी आवश्यकता है। इस समय 3 दन्तशल्यकों की कमी है और कुल 31 दन्त शल्यकों की आवश्यकता है। जहां तक चिकित्सा-शिक्षा का सम्बन्ध है इस समय 92 डाक्टरों की कमी है। चौथी योजना के लिए 390 डाक्टरों की आवश्यकता है और कुल 482 डाक्टरों की आवश्यकता है।

(ग) **डाक्टर तैयार करना**—वर्ष 1968 में 502 डाक्टर और 1970 में 682 डाक्टर तैयार किये गये, इस प्रगति को देखते हुए यह प्रत्याशित है कि चौथी योजना के चालू और बाद के तीन वर्षों में औसतन 640 डाक्टर तैयार किये जायेंगे।

2—**प्रशिक्षण कार्यक्रम**—यह वर्ग परिचारिकाएं (नर्सों), पैरा मेडिकल कर्मचारियों और सहायक स्वास्थ्य कर्मचारियों (Auxillary Health works) तैयार करने से सम्बन्धित है। चौथी योजना में पूंजी की ओर 99.07 लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था की गई थी जिसमें से अधिकांश विभिन्न श्रेणियों के भवनों जैसे छात्रावासों, शिक्षण-खंडों (Teaching Blocks) ट्यूटरों के क्वार्टरों इत्यादि के निर्माण के लिए है जो वर्तमान सामान्य परिचारिका प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए हैं और इनमें भर्ती की क्षमता में वृद्धि, वर्तमान 5 दाई प्रशिक्षण केन्द्र (Mid-wifery training centre) परिचर्या कालेज की स्थापना और 3 और दाई-प्रशिक्षण केन्द्रों का खोला जाना सम्मिलित है-—

(क) **परिचर्या कर्मचारिवर्ग** (Nursing personnel)—इस समय उत्तर प्रदेश में परिचारिकाओं और जनसंख्या का अनुपात यह है कि 16,600 जनसंख्या पर एक परिचारिका है जो 5,094 परिचारिकाओं और 850 लाख जन-संख्या के अनुमान पर आधारित है। जिस अनुपात में सेवारत परिचारिकाओं के पद स्वीकृत किये जाते हैं, वह 10 शय्याओं पर 1 स्टाफ नर्स, 20 शय्याओं पर 1 सिस्टर, 75 शय्याओं वाले चिकित्सालय के लिए 1 सहायक मेट्रन और 75 से अधिक शय्याओं वाले चिकित्सालय के लिए 1 मेट्रन का है। चूंकि सेवा में केवल 2,069 परिचारिकायें हैं जब कि राज्य में (सभी प्रकार की) 25,351 शय्यायें हैं अत: परिचारिका और शय्याओं का अनुपात 1 परिचारिका और 12.25 शय्याओं का है। चूंकि कुल स्वीकृत पदों की संख्या 2,465 है इसलिए अनुपात 10.28 शय्याओं पर 1 का है। पहले से ही (सभी प्रकार की) 255 परिचारिकाओं की कमी है इसलिए चौथी योजना में 1,470 की आवश्यकता है; इस प्रकार कुल आवश्यकता 1,725 की है जिसमें से लगभग 1,440 परिचारिकाओं को प्रशिक्षण दिये जाने की प्रत्याशा है। अतएव यह संभव नहीं दिखाई पड़ता कि चौथी योजना में परिचारिओं और शय्याओं के अनुपात म सुधार होगा। यह प्रत्याशा है कि वर्ष 1971-72 के दौरान लगभग 300 परिचारिकायें अपना प्रशिक्षण पूरा करेंगी।

एक्सरे टेक्नीशियनों (4 केन्द्र जिनकी भर्ती की कुल क्षमता 50 होगी), प्रयोगशाला टेक्नीशियनों (4 केन्द्र जिनकी भर्ती की क्षमता 140 होगी) और फार्मासिस्टों (2 केन्द्र जिनकी भर्ती की क्षमता

120 होगी) का प्रशिक्षण वर्ष 1971-72 में भी जारी रहेगा। यह प्रत्याशा है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के 105 कम प्रशिक्षित प्रयोगशाला टेक्नीशियन अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में पूर्णत: प्रशिक्षित हो जायंगे और यह 105 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा।

वर्ष 1969-70 के दौरान स्वास्थ्य निरीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दो केन्द्र स्वीकृत हुए थे। जो कि वर्ष 1970-71 के दौरान स्थापित हो गये और वर्ष 1971-72 के दौरान भी कार्य करते रहेंगे। इसी प्रकार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए 4 केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं और यह आशा की जाती है कि वे वर्ष 1970-71 के दौरान स्थापित हो गये तथा 1971-72 के दौरान भी कार्य करते रहेंगे।

3—**चिकित्सालय और औषधालय**—यह वर्ग मुख्यतया शय्याओं की व्यवस्था करने के लिए वार्डों के निर्माण, डेण्टल क्लीनिकों, बाल चिकित्सालयों (चिल्ड्रेन क्लीनिक) के निर्माण, नये छात्रावास भवनों के निर्माण (16.60 लाख रु०) से सम्बन्धित है, जिनमें से एक उन्नाव में 150 शय्याओं वाला सम्मिलित चिकित्सालय होगा। दो या चार ग्रामीण एलोपैथिक औषधालय स्थापित करने का विचार है जिनमें 2 शय्याओं की व्यवस्था की जायगी और 3 जिला मुख्यालय चिकित्सालयों में और इन स्थानों के महिला चिकित्सालयों में पूर्ण परिचर्या योजना लागू करने का भी विचार है :

(क) **शय्यायें**—इस समय शय्या और जन-संख्या का अनुपात 2,444 जन-संख्या पर पर 1 शय्या का है। (उपलब्ध शय्यायें 34,768 जिनमें सभी प्रकार की सामान्य शय्यायें और शिक्षण शय्यायें इत्यादि सम्मिलित हैं और अनुमानित जनसंख्या 850 लाख है)। चौथी योजना की अवधि के चार वर्षों के दौरान 6,174 शय्याओं की वृद्धि की जायगी (1 अप्रैल, 1970 से 31 मार्च, 1974 तक) और इस प्रकार चौथी योजना के अन्त तक कुल शय्यायें 40,942 हो जायंगी (सभी प्रकार की शय्या में जिनमें शिक्षण और सामान्य शय्यायें इत्यादि सम्मिलित हैं) और राज्य की अनुमानित 900 लाख की जनसंख्या पर शय्याओं और जन-संख्या के अनुपात में सुधार होकर 2,200 जन-संख्या पर 1 शय्या हो जायगी।

(ख) वर्ष 1971-72 के दौरान पांच रिफरल (referal) चिकित्सालय स्थापित किये जायंगे और इसके अतिरिक्त 5 सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें स्थापित की जायंगी।

(ग) पैथालाजी और रेडियोलाजी की विशिष्टतायें 3 चुने हुए जिला मुख्यालय चिकित्सालयों में और एनेस्थीसियालाजी की 3 चुने हुए जिला मुख्यालय चिकित्सालयों और एक महिला चिकित्सालय में आरम्भ की जायंगी।

(घ) **दन्त (डेण्टल) सेवा**—चूंकि सात डेन्टल क्लीनिक स्थापित किये जायंगे, इसलिए 1971-72 के दौरान 7 डेन्टल सर्जन भी रखे जायेंगे चौथी योजना के दौरान कुल 35 डेन्टल क्लीनिक स्थापित किये जा रहे हैं। 40 की भर्ती की क्षमता में से यह प्रत्याशा है कि 1971-72 के दौरान लगभग 30 डेन्टल सर्जन डेण्टल कालेज, लखनऊ से स्नातक हो जायंगे।

(ङ) **ब्लड ट्रेसफ्यूजन**—चौथी योजना काल में 30 ब्लड बैंक स्थापित करने का है इनमें से 12 चौथी योजना के पहले दो वर्षों में स्थापित किये गये। 1971-72 के दौरान 6 और ब्लड बैंक स्थापित किये जायेंगे।

4—**प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र और बुनियादी स्वास्थ्य सेवायें**—वर्ष (1970-71) के दौरान टी० बी० की 50 क्लिनिकल इकाइयां गोरखपुर जिले में रखरखाव के प्रक्रम (Maintainance phase) में थीं। वर्ष 1971-72 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। राज्य में 875

प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र (875 स्वास्थ्य खंडों के) स्थापित किये गये हैं परन्तु इनमें से 93 में अभी तक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र औषधालय स्थापित नहीं किये गये हैं।

भवन स्थिति——391 प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी भवनों में हैं और 86 जिला परिषद् के भवनों में। 484 प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ क्वार्टर नहीं हैं। वर्ष 1971-72 के दौरान 30.10 लाख रु० से नये प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण तथा वर्तमान प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों में सुधार और परिवर्तन के लिए हैं।

5—संचारी रोगों (Communi cable diseases) का नियंत्रण——प्रस्तावित परिव्यय 20.07 लाख रु० है जो कुल परिव्यय का 9.09 प्रतिशत है जब कि 1970-71 के लिए व्यवस्था 41.50 लाख रु० थी। पूंजी भाग (कैपिटल केपोनेंट) 1.69 लाख रु० था। यह प्रस्ताव है कि भारत सरकार के प्रतिरूप के 7 क्षय रोग चिकित्सालयों (टी० बी० क्लिनिकों) को समुन्नत किया जाय। क्षय रोग नियंत्रण का कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान देने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है। कोढ़ नियंत्रण कार्य में भाग लेने वाले स्वयं सेवी संगठनों को सहायक अनुदान देने के लिए हिन्द कुष्ट निवारण संघ के लिए भी निधियों की व्यवस्था को गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एम्बुलेंसों की बदलने के लिए भी निधियों की व्यवस्था की गई है।

6—चिकित्सा की देशी प्रणाली—इस वर्ग के लिए कुल 39.00 लाख रु० की धनराशि का प्रस्ताव है अर्थात् 4.00 लाख रु० होम्योपैथी के लिए और 35.00 लाख रु०की आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के लिए; जब कि इन दोनों मदों के लिए वर्ष 1970-71 का व्यय 22.35 लाख रु० हुआ था। अर्थात् 3.17 लाख रु० होम्योपैथी के लिए और 19.18 लाख रु० आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के लिए था। 4.00 लाख रु० की धनराशि में से पांच ग्रामीण होम्योपैथिक औषधालय, जिनमें से प्रत्येक चार शय्यायुक्त होगा, 1971-72 में स्थापित किये जायंगे; यही लक्ष्य वर्ष 1970-71 के लिए भी था। चौथी योजना के पहले वर्ष में चालू की गई स्कीमें 1971-72 में भी जारी रहेंगी और नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ का और विस्तार किया जायगा।

7—चौदह योजनायें जिनका व्यय 35.00 लाख रु० है, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के अन्तर्गत प्रारम्भ की जायंगी। इनमें से महत्वपूर्ण योजनाएं ये हैं:—नागर क्षेत्र में 25 शय्यायुक्त एक आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में चार शय्यायुक्त 15 औषधालयों की स्थापना, प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों के संग्रह के लिए आयुर्वेदिक कालेज और तिब्बिया एकेडेमी का प्रसार, आयुर्वेदिक पुस्तकों का प्रकाशन, भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों की समुन्नत करना और नवीकरण (रिफ्रेशर) पाठ्यक्रम चालू करना जिसमें आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों के छात्रों की छात्रवृत्तियां देना सम्मिलित है।

8—अन्य कार्यक्रम——43.16 लाख रु० की धनराशि का प्रस्ताव है। जब कि पिछले वर्ष 36.65 लाख रु० की व्यवस्था की गई थी। पूंजी भाग (कम्पोनेन्ट) 8.31 लाख रु० है। चिकित्सा सुविधा सम्बन्धी कार्यक्रम (Medical care programme) में भाग लेने वाले विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को, जिनमें सीतापुर, अलीगढ़ और कानपुर तथा आर० के मिशन, लखनऊ के नेत्र चिकित्सालय भी सम्मिलित हैं, सहायक अनुदान देने के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की गई है। विभिन्न ई० एस०आई० योजनाओं और एक नई योजना के लिए, जिसके अन्तर्गत 10 प्रभागों के प्रत्येक प्रभागीय मुख्यालय में ओवरसियरों, प्लम्बरों तथा एलेक्ट्रीशियनों के पद सृजित किये जायंगे, निधियों की व्यवस्था की गई है। जन्म-मरण सम्बन्धी आंकड़ों को दर्ज करने के कार्य में सुधार करने तथा सरकारी विश्लेषक (public Analyst) की प्रयोगशाला को और विकास करने, शव-गृहों/मृतक घरों के निर्माण, औषधि-नियंत्रण संगठन, राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो तथा विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं इत्यादि के विस्तार के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है।

(क) खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना—उत्तर प्रदेश के सरकारी विश्लेषक की प्रयोगशाला के प्रसार के लिए निधियों का प्रस्ताव है। बड़े शहरों में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के हेतु निरीक्षण-कर्मचारिवर्ग में वृद्धि करने के लिए भी निधियों का प्रस्ताव है।

(ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें—स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक द्वारा प्रेषित चिकित्सा योजना में सुझाए गए तरीके पर 10 प्रभागों में से प्रत्येक में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के प्रसार के लिए निधियों का प्रस्ताव है।

9—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—1971–72 की सभी योजनाओं के लिए 1,300.46 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से पूंजी भाग 218.95 लाख रु० है। वर्ष 1970–71 के दौरान 1,376.58 लाख रु० की योजनाओं का प्रस्ताव था जिसमें से 839.83 लाख रु० के लिए ही भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें 670.86 लाख रु० परिवार नियोजन के लिए था। 1300.66 लाख की इस धनराशि का वर्गानुसार विभाजन निम्नलिखित है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ग का नाम	1971–72	
	योग	पूंजी
1	2	3
1—चिकित्सा-शिक्षा	10.00	0.75
2—प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.96	..
3—चिकित्सालय और औषधालय	..	..
4—प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र और बुनियादी स्वास्थ्य सेवायें ..	60.00	..
5—संचारी रोगों का नियंत्रण	308.73	3.75
6—परिवार नियोजन	913.65	214.45
7—देशी चिकित्सा प्रणालियां—		
(ख) आयुर्वेदिक	6.00	..
8—अन्य कार्यक्रम	1.12	..
योग ..	1300.46	218.95

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए वास्तविक कार्यक्रम का योजनानुसार ब्योरा अलग से केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के वास्तविक कार्यक्रम की सारणी में दिया जा रहा है।

(2) परिवार नियोजन

10 –देश के आर्थिक विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में परिवार नियोजन कार्यक्रम का चौथी पंचवर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कार्यक्रम का उद्देश्य 1978–79 तक जन्मदर को 41 से घटाकर 23 करना है। कार्यवाही कार्यक्रम में सेवाओं और सप्लाई को सरलता से उपलब्ध करा कर परिवार नियोजन को अपनाया जाना, परिवार नियोजन के तरीकों की निज–जानकारी देने तथा छोटे परिवार के मानक को वर्गों द्वारा स्वीकार कराया जाना सम्मिलित है।

11––इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसार शिक्षा का दृष्टिकोण अपनाया जायगा जिसमें लक्ष्य निश्चित किये जायेंगे और उन्हें निर्धारित समय के भीतर पूरा करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुसार अलग अलग सेवायें उपलब्ध हैं जिनमें विभिन्न विकल्प हैं और वे प्रत्येक व्यक्तिकी आवश्यकताओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। कार्यक्रम के प्रथम चरण में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना था और विभिन्न माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार द्वारा इसे उपलब्ध कर लिया गया है। अब इस बात की आवश्यकता है कि परस्पर संपर्क बढ़ाया जाय और कार्यक्रम को परिवार के कल्याण से संबद्ध किया जाय, विशेषकर माताओं और शिशुओं के कल्याण से जिनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षण और पोषण संबंधी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

12––परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वीकार करने वालों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने के बाद बन्ध्याकरणों और लगाये गये लूपों की कुल संख्या, जो 1969–70के अन्त में थी, नीचे दी गई :—

बन्ध्याकरण	..	..	..	..	6,27,500
पुरुष	..	..	..	..	5,77,928
महिला	..	..	..	..	49,372
लूप	..	..	..	..	4,26,797

कार्यक्रम के इन दो महत्वपूर्ण मुख्य आधारों के अतिरिक्त परम्परागत निरोध का प्रयोग करने वालों की संख्या भी बहुत अधिक थी। वर्ष 1970–71 में (7 अक्तूबर, तक) निरोध स्वीकार करने वालों की संख्या में पिछले वर्ष की उसी अवधि के आंकड़ों की अपेक्षा, वृद्धि हुई थी। तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

	1 अप्रैल से 7 अक्तूबर तक उपलब्धि	
	1969–70	1970–71
बन्ध्याकरण:		
(1) पुरुष	26,371	29,111
(2) महिला	4,085	5,268
योग ..	30,456	31,379

	1 अप्रैल से 7 अक्तूबर तक उपलब्धि	
	1969–70	1970–71
लूप	37,000	44,002
परम्परागत निरोध (कुछ वर्षों के लिये सुरक्षा) ..	64,074	72,000
निरोध स्वीकार करने वालों की कुल संख्या ..	1,31,530	1,47,781

13—निरोध स्वीकार करने वालों की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि की प्रवृत्ति रही है विशेषकर महिला नसबन्दी (ट्यूबटामी), लूप और पारम्परागत निरोधों के प्रयोग के संबंध में।

14—कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवायें एक में मिला दी गई है जिससे कि इस क्षेत्र में अधिकाधिक समन्वित रूप से कार्य किया जा सके।

15—वर्ष 1970–71 और 1971–72 के कार्यक्रम की कुछ मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

(1) वर्ष 1970–71 के दौरान राज्य में 5 शव-परीक्षा केन्द्र खोले गये थे। चूंकि इस स्कीम में निर्माण का कार्य भी सम्मिलित है इसलिए केन्द्र 1971–72 में वास्तविक रूप से कार्य करना प्रारंभ करेंगे।

(2) चुने गए क्षेत्र की स्कीम वाराणसी मंडल में 1969–70 में प्रारंभ की गयी थी जो 1970–71 में भी चलती रही। कानपुर और गोरखपुर में दो जिले 1969–70 में सघन जिला योजना के अन्तर्गत लाये गये थे, 2 और जिलों अर्थात् आगरा और मेरठ को 1971–72 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लाये जायेंगे।

(3) नगर केन्द्रों पर प्रभावकारी पर्यवेक्षण और नियंत्रण के द्वारा अपेक्षाकृत बड़े नगरों में कार्य में सुधार लाने के लिये 1970–71 के दौरान तीन नगर ब्यूरो स्थापित किये गये थे।

(4) राज्य में सहायक नर्स दायी (ए० एन० एम०) की तीव्र कमी को पूरा करने के लिए अक्तूबर, 1970 से तीन अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किये गये थे। यह भी प्रस्ताव है कि 1971–72 के दौरान में 4 और केन्द्र खोले जायेंगे।

(5) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के स्तर पर प्रभावकारी पर्यवेक्षण और सेवाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के लिए 1970–71 के दौरान 148 गाड़ियों की व्यवस्था की गई। वर्ष 1971–72 में 300 और गाड़ियों की व्यवस्था की जावेगी। 1969–70 के दौरान 127 गाड़ियों की व्यवस्था की गयी थी।

(6) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला नसबन्दी (ट्यूबकटामी) की 300 बन्ध्याकरण शय्यायें स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। 156 शय्याओं की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है और अस्थायी रूप से वर्तमान चिकित्सालय भवनों में स्थापित की जा रही हैं क्योंकि अलग खंडों के निर्माण में कुछ समय लगने की संभावना है। 1970–71 के दौरान 60 और शय्यायें स्थापित की गई।

(7) जीवित रहने वाले बच्चों और भावी माताओं के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत एक प्रतिरक्षण योजना प्रारंभ की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत 1970–71 में 61,000 बच्चों और 16,000 माताओं को (डी० पी० टी० तथा टिटनस) से प्रतिरक्षित किया गया जबकि 1971–72 में 3 लाख बच्चों और 60,000 माताओं को डी० पी० टी० और टिटनस से प्रतिरक्षित करने की परिकल्पना की गयी है।

16—इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग केन्द्रों और उप-केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण है। अभी तक के 197 केन्द्रों और 1,411 उपकेन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है 19 1–72 के दौरान और 100 केन्द्रों तथा 750 उप-केन्द्रों के लिए भवनों का प्रस्ताव है।

17—राजकीय परिवार नियोजन ब्यूरो में एक डेमोग्राफिक और मूल्यांकन सैल स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। कुछ अध्ययनों का निर्देश किया गया है और प्रथम चरण में अध्ययनों का एक ब्योरेवार कार्यक्रम बनाया गया है।

मद 7.—समाज सेवायें

वर्ग 7.4.—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74			1969-70	1970-71			1971-72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1) शिक्षा कार्यक्रम										
740101	कानपुर मेडिकल कालेज की आवश्यकताओं के लिए प्राविधान ..	123.59	59.24	..	15.11	18.02	17.98	17.98	26.59	13.80	..
740102	सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा की आवश्यकताओं के लिए प्राविधान ..	103.79	29.90	..	11.85	16.62	15.70	15.70	18.45	3.98	..
740103	मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के लिये प्राविधान	104.77	47.74	..	9.12	15.16	18.75	18.75	23.44	16.02	..
740104	आगरा एवं इलाहाबाद मेडिकल कालेजों के लिये अपूर्ण निर्माण कार्यों के लिये प्राविधान ..	36.20	36.20	..	12.50	8.00	0.51	0.51	5.60	5.60	..
740105	लखनऊ मेडिकल कालेज की आवश्यकताओं के लिये प्राविधान	102.32	..	..	23.52	15.40	18.40	18.40	24.30	..	..
740106	लखनऊ मेडिकल कालेज के दन्त विभाग के स्नातक शिक्षा की सुविधा एवं प्रसार ..	0.35	..	..	..	..	..	..	0.10	..	..

740107 झांसी और गोरखपुर मेडिकल कालेज की स्थापना के लिये प्राविधान ..	485.00	400.00	..	44.20	60.50	51.15	51.15	104.67	90.00	..
740108 मेरठ में एक मेडिकल कालेज की स्थापना और 600 शय्याओं की व्यवस्था ..	315.98	253.01	..	49.00	46.20	34.08	34.08	65.48	40.00	..
740109 पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज खोलने की व्यवस्था	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
740110 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अस्पताल एवं शय्याओं के रख-रखाव के लिये अनुदान ..	22.00	..	..	1.20	3.40	3.40	3.40	4.80	..	..
740111 चिकित्सा अनुसंधान ..	5.00	..	..	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	..	..
740112 सरकारी डाक्टरों के लिये स्नातक शिक्षा की व्यवस्था ..	1.00	..	..	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	..	..
740113 मेडिकल कालेजों में 200 अतिरिक्त छात्रों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिये व्यवस्था ..	..	..	..	..	..	..	..	3.00	..	..
योग, (1) ..	1300.00	826.19	..	167.70	184.50	161.17	161.17	277.63	169.40	..
(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम										
740201 डेन्टल मेडिकल कालेज लखनऊ में डेन्टल हाइजिनिष्ट कक्षा प्रशिक्षण ..	2.24	..	..	0.92	0.30	0.20	0.20	0.28	..	..
748201 परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	110.23	65.75	..	0.08	1.32	0.58	0.58	2.08	2.00	..
740203 दाइयों के तीन प्रशिक्षण खोलने एवं भवन निर्माण के लिये व्यवस्था ..	11.85	5.22	..	..	1.09	0.89	0.89	2.54	1.00	..

मद 7.—समाज सेवायें

वर्ग 7.4.—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन—(क्रमश:)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740204	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम	1.60	..	..	0.05	0.29	0.29	0.29	0.38	..	..
740205	एप्लाइड न्यूट्रिशन कार्य-क्रम का प्रसार ..	..	..	..	0.37	0.67	0.68	0.68	0.68	..	..
740206	मेरठ एवं इलाहाबाद मेडिकल कालेज में कोर्स डिप्लोमा पाठ्यक्रम	13.10	11.00	..	..	0.10	..	..	1.60	..	..
740207	प्रयोगशाला एवं एक्सरे प्रविषज्ञ टेक्निशियन्स) का प्रशिक्षण ..	4.10	..	..	1.10	0.71	0.71	0.71	0.71	..	..
740208	छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना	4.80	..	..	0.66	0.55	0.55	0.55	0.87	..	..
440209	अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप योजना ..	15.68	..	..	0.14	0.50	1.04	0.04	3.72	0.68	..
740210	कानपुर एवं इलाहाबाद मेडिकल कालेज में उप-चिकित्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण ..	4.60	4.00	..	..	0.25	0.09	0.09	1.40	1.40	..

740211 जन स्वास्थ्य एवं आधारिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण	12.00	1.30	..	0.23	2.83	2.83	2.83	2.83	..	..
740212 क्षय रोग के संबंध में पुरुष स्वास्थ्य निरीक्षकों क प्रशिक्षण	4.80	4.80	..	..	1.00	..	..	0.50	0.50	..
740213 विदेश में होने वाले कान्फ्रेन्स आदि में भाग लेने के संबंध में मेडिकल कालेज के अध्यापकों तथा चिकित्सालय के चिकित्साधिकारियों को आर्थिक सहायता ..	..	..	..	0.30	..	0.10	0.10	..	..	..
740214 के०जी० मेडिकल कालेज लखनऊ में थियेटर आपरेटर का प्रशिक्षण ..	..	..	..	..	..	0.15	0.15	0.15	..	..
योग, (2) ..	185.00	92.07	..	3.65	9.61	8.11	8.11	17.73	5.58	..
(3) चिकित्सालय और औषधालय										
740301 जिला एवं महिला चिकित्सालयों में शय्याओं की वृद्धि ..	241.00	130.00	..	..	7.00	3.73	7.73	11.48	..	..
740302 वर्तमान चिकित्सालयों के लिये अतिरिक्त सुविधा की व्यवस्था	383.14	12.21	..	70.02	40.53	37.53	37.53	61.24	..	..
740303 तीस जिला चिकित्सालयों में रक्त शोध की स्थापना ..	7.20	..	..	0.20	1.03	1.03	1.03	1.48	..	..
740304 विकिरण के कुप्रभावों से रक्षा की व्यवस्था ..	3.00	..	..	0.23	1.00	1.00	1.00	0.60	..	..
740305 जिला एवं महिला चिकित्सालयों में आपत्तिकालीन सेवाओं की व्यवस्था ..	10.00	..	..	0.36	2.28	2.28	2.28	3.02	..	..

मद 7.—समाज सेवायें

वर्ग 7.4.—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74			1969-70	1970-71			1971-72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740306	रोगी वाहनों की योजना ..	25.76	12.40	..	1.84	2.79	2.40	2.40	2.48	0.50	..
740307	ग्रामीण क्षेत्र में दस चिकित्सालयों की स्थापना एवं निर्माण	18.24	13.43	..	0.12	1.26	0.75	0.75	2.01	0.50	..
740308	जिला एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुये अस्पतालों का सुधार	..	..	..	0.10	..	10.55	10.55	19.41	16.60	..
740309	परिचारिकाओं के आवास गृहों की संख्या ..	48.35	48.35	..	..	1.00	0.91	0.91	1.00	1.00	..
740310	यूनिसेफ के द्वारा जिला अस्पतालों शिशु विभाग को गाड़ी देने की व्यवस्था ..	0.61	..	..	..	0.14	0.14	0.14	0.30	..	..
740311	जिला अस्पतालों को पोली क्लीनिक्स में बदलना—										
	(क) 27 स्थानों में परिचारिका योजना लागू करना ..	40.15	..	..	0.18	4.60	4.60	4.60	3.34	..	..
	(ख) रेडियोलौजी पैथालाजी की सुविधा ..	11.12	..	..	0.39	1.67	1.67	1.67	2.44	..	:

(ग) दन्त अनुभाग की स्थापना	26.55	8.08	..	1.15	5.74	3.82	3.80	4.33	0.88	..
	6.40	2.52	..	0.26	1.39	1.81	1.81	1.67	0.79	..
(घ) पांच स्थानों पर चिकित्सा शल्य सुविधा की व्यवस्था	3.35	2.75	..	0.33	1.26	1.76	1.76	1.38	0.59	..
740312 लखनऊ में मस्तिष्क रोगियों के लिये कक्ष की स्थापना एवं आगरा मस्तिष्क अस्पताल की क्रमोन्नति ..	31.53	11.50	..	2.00	2.50	3.90	3.90	4.90	1.00	..
740313 पन्द्रह अस्पतालों की जिसमें कुष्ट एवं छतलवा अस्पतालों का प्रान्तीयकरण ..	15.00	..	..	..	1.80	1.80	1,80	2.82	..	
740314 तहसील अस्पतालों में पांच स्थानों पर एक्सरे एवं नौ स्थानों पर चिकित्सा एवं शल्य की व्यवस्था ..	196.25	173.00	..	..	11.25	..	..	–	–	..
740315 कानपुर के अस्पताल में एम्बुलेंस को डीलाजिकल सुविधा की व्यवस्था ..	26.00	4.00	9.00	4.85	3.53	3.53	3.53	5.27	..	..
740316 कानपुर में एडवान्स ऐन्टी कैंसर की सुविधा की व्यवस्था	30.00	4.00	15.00	3.99	4.00	3.40	3.40	9.61	–	.
740317 अपूर्ण योजनाओं के लिये व्यवस्था	76.52	76.52	..	6.67	20.23	8.04	8.04	19.68	19.68	..
740318 राजकीय महिला चिकित्सालयों में सब चार्ज व वार्ड आया के आवास गृहों का निर्माण,	..	..	..	0.14	..	..	..	0.10	0 10	..
740319 सिविल अस्पताल, रानी खेत जिला अल्मोड़ा का विकास	..	..	..	0.22	..	0.18	0.18	..	..	..
योग (3) ..	1202.17	498.88	24.00	93.05	113.00	98.83	98.83	158.57	41.64	.

मद 7.—समाज सेवाएं

वर्ग 7.4.—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आधारिक स्वास्थ्य सेवाएं										
740401	आधारिक स्वास्थ्य सेवायें ..	73.80	..	..	..	..	..	..	..	..	..
740402	यूनिसेफ की मदद से खंडों में चिकित्सा सुविधा का सुधार एवं प्रसार	128.64	..	..	3.97	22.52	22.43	29.43	24.43	..	..
740403	प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना के संबंध में औषधालयों का निर्माण ..	128.00	107.00	..	..	5.90	8.80	8.80	40.67	30.10	..
740404	अपूर्ण योजनाओं के लिये व्यवस्था	5.26	5.26	..	0.29	0.30	0.02	0.02	1.12	1.12	..
	चल चिकित्सालयों की स्थापना	..	..	..	..	1.40	0.10	..	..	..	..
	योग (4) ..	335.70	112.26	..	4.26	30.12	31.35	31.35	66.22	31.22	..

(5) संचारी रोगों का नियंत्रण

740501 क्षय रोग अस्पतालों के लिये भवन निर्माण ..	54.72	33.50	..	1.13	2.22	1.34	1.34	2.41	0.60	..
740502 कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	4.35	3.49	..	..	..	..	..	..	..	..
740503 हिन्दू कुष्ठ निवारक संघ, लखनऊ को सहायक अनुदान ..	5.00	..	..	0.88	7.00	1.00	1.00	1.00	..	..
740504 राजकीय रक्षालय संस्थान, पटवा लडांगर, जिला नैनीताल का विस्तार ..	24.05	1.00	..	0.23	2.46	0.37	0.37	8.17	..	..
740505 तीर्थ रास्तों में सुधार ..	5.00	..	..	..	1.00	1.00	..	1.00	..	..
740506 जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला का विस्तार ..	8.50	..	..	..	..	1.00	1.00	1.90	..	..
740507 वर्तमान छुतवा अस्पतालों का विस्तार ..	8.50	3.50	..	..	..	..	..	0.90	0.10	..
740508 पन्द्रह जन स्वास्थ्य वाहनों का बदलना ..	10.50	..	..	..	2.45	2.45	2.45	2.45	..	..
740509 अपूर्ण योजनाओं के लिये प्राविधान ..	8.50	8.50	..	0.95	4.00	0.71	0.71	0.99	0.99	..
740510 मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ..	..	..	..	27.85	..	27.85	27.85	..	..	..
740511 चेचक उन्मूलन कार्यक्रम ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
740512 राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
740513 जौनसार बाबर क्षेत्र में रजत रोग (V.D.) कार्यक्रम	..	..	..	0.21	5.78	5.78	5.78	1.25	..	..
740514 औद्योगिक अवशिष्ट निस्तारण और जल प्रेषण यूनिट ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
योग, (5)	129.12	51.99	..	31.25	18.91	41.50	41.50	20.07	1.69	..

मद 7.—समाज सेवायें

वर्ग 7.4.—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(6) परिवार नियोजन	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत									
	(7) भारतीय चिकित्सा पद्धति										
740701	होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं उनसे संबंधित अस्पतालों को अनुदान ..	6.50	..	..	0.14	1.38	1.38	1.38	1.38	..	..
740702	अतिरिक्त दवाओं के लिये प्राविधान ..	0.50	..	..	0.02	0.07	0.07	0.07	0.06	..	..
740703	नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ का विस्तार	8.02	4.65	..	0.12	0.42	0.42	0.42	0.51	..	..
740704	होम्योपैथिक औषधालय की स्थापना ..	4.58	..	..	0.07	0.70	0.70	0.70	1.45	..	..
740705	होम्योपैथिक डाक्टरों एवं संस्थाओं को अनुदान ..	3.05	..	..	0.08	0.61	0.61	0.61	0.61	..	..
740706	होम्योपैथिक औषधालयों का निर्माण एवं कार्यक्रम ..	1.85	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..

740707 वर्तमान आयुर्वेदिक-यूनानी औषधालयों का विस्तार ..	26.50	..	..	1.47	4.51	4.71	4.71	9.78	..	
740708 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक विद्यालयों का सुधार एवं प्रसार और एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना	32.50	..	..	4.97	6.43	6.20	6.20	7.00	..	..
740709 वाराणसी के शुद्ध आयुर्वेदिक कालेज का विस्तार	15.00	..	..	3.00	2.00	2.200	2.00	8.53	..	..
740710 लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज का विस्तार ..	0.50	..	..	0.50	0.60	0.60	0.60	0.55	..	..
740711 राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी अस्पताल लखनऊ की निर्माणशाला का विस्तार ..	2.50	1.00	..	0.02	0.18	3.18	3.18	0.28	..	..
740712 आयुर्वेदिक कार्यकलापों का प्रकाशन और पुरानी पुस्तकों को इकट्ठा करना व अनुवाद आदि	1.00	..	..	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	..	..
740713 शहरी क्षेत्रों में आयुर्वेदिक/यूनानी अस्पतालों की स्थापना ..	4.50	..	..	0.33	0.89	0.89	0.89	1.72	..	..
740714 आयुर्वेदिक परिचारिकों एवं कम्पाउन्डरों का प्रशिक्षण और चिकित्सा अधिकारियों का ज्ञान को ताजा करने के पाठ्यक्रम को आरम्भ करना	1.00	..	..	0.22	0.58	0.58	0.58	1.04	..	..
740715 भारतीय चिकित्सा परिषद् के रख-रखाव के लिये अनुदान	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
740716 आयुर्वेदिक दवाओं एवं जड़ी बूटी आदि के उत्पादन की व्यवस्था	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..

मद 7.—समाज सेवायें

वर्ग 7.4.—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी परियोजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740717	आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों के छात्रों का छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था ..	1.50	..	..	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	..	..
740718	आयुर्वेदिक/यूनानी संस्थाओं को एवं वैद्यों व हकीमों को अनुदान ..	2.00	..	..	0.13	0.11	0.14	0.14	0.21	..	..
740719	आयुर्वेदिक निदेशालय एवं अधीनस्त कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण ..	1.00	..	..	0.16	0.27	0.27	0.27	0.48	..	..
720720	अपूर्ण कार्यक्रमों के लिये व्यवस्था ..	0.50	0.50	..	..	..	..	..	5.00	5.00	..
740721	होमियोपैथिक चिकित्सा परिषद् का रख-रखाव ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग, (7) ..	115.00	7.15	..	11.58	19.35	22.35	22.35	39.00	5.00	..

(8) अन्य योजनायें

740801 कर्मचारी राज्य बीमा योजना	15.20	..	..	0.06	0.56	0.56	0.56	0.63	..	..
740802 गैर सरकारी एवं स्थानीय निकायों संस्थाओं को अनुदान ..	30.25	..	..	5.02	5.00	5.98	5.98	5.98	..	..
740803 स्वामी विवेकानन्द पोलीक्लिनिक को अनुदान ..	20.00	..	..	24.43	4.00	4.00	4.00	4.00	..	..
740804 सीतापुर अलीगढ़ तथा कानपुर के नेत्र चिकित्सालयों को अनुदान ..	25.00	..	..	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	..	..
740305 स्वास्थ्य निर्देशालय के स्टाफ का सुदृढ़ीकरण करना ..	22.50	..	..	1.77	3.47	3.48	3.48	3.20	..	..
740806 केन्द्रीय औषधि भण्डार एवं एक्सरे के प्लाट की मरम्मत के लिये भवन निर्माण ..	30.00	30.00	..	0.60	1.00	3.00	3.00	8.00	8.00	..
740807 सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधीन एक केन्द्रीय कर्मशाला तथा फालतू पुर्जे के लिये एक भण्डार की स्थापना ..	11.00	..	..	..	1.50	..	..	..	..	..
740808 ओवरसियर तथा अन्य कर्मचारियों के लिये व्यवस्था	3.50	..	..	..	..	..	..	0.58	..	..
740809 निदेशालय में पुस्तकालय के लिये व्यवस्था ..	2.00	..	..	..	..	..	..	0.10	..	..
740810 गाड़ियों के रखरखाव के लिये कारखाने की स्थापना ..	16.51	2.00	..	..	..	..	..	1.99	..	..
740811 जन्म-मरण आंकड़ों की पंजीयन और सुधार	30.72	..	..	4.26	6.13	6.13	6.13	4.90	..	..

मद 7.—समाज सेवायें

वर्ग 7.4.—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन—(समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740812	औषधि नियंत्रण संस्था का विस्तार ..	10.00	..	..	..	1.09	1.09	1.09	1.86	..	..
740813	जन-स्वास्थ्य के विश्लेषण प्रयोगशाला का विस्तार ..	11.48	6.00	0.40	0.07	1.18	1.09	1.08	1.13	..	..
740814	तेरह स्थानों पर शव-गृह का निर्माण ..	2.99	2.49	..	..	0.50	0.54	0.54	0.31	0.31	..
740815	राज्य स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार										
	(क) मुख्यालय	6.33	..	..	..	1.73	1.72	1.72	1.82	..	..
	(ख) खाद्य अपमिश्रण नियंत्रण	8.00	..	..	..	1.58	1.58	1.58	2.08	..	..
	(ग) विद्यालय स्वास्थ्य सेवायें	16.12	..	..	..	..	..	..	1.42	..	..
	(घ) उप निर्देशन (स्टेट वैकसीन, पटवाडांगर) के पद में परिवर्तित करने के लिये व्यवस्था ..	1.25	..	..	..	0.12	..	..	..	..	..
740816	परिचारिका प्रशिक्षण कक्ष की स्थापना ..	1.16	..	..	..	..	..	..	0.16	..	..

740817	दस स्थानों पर जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के लिये कार्यालय भवन निर्माण ..	14.00	14.00	..	..	..	..	..	..	..	..
740818	अपूर्ण कार्यक्रमों के लिये व्यवस्था	5.00	5.00	..	..	1.65	2.50	2.50	..	..	..
	योग (8)	283.01	59.49	0.40	14.21	34.51	36.66	36.66	43.16	8.31	..
	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान उपकरण तथा संयंत्र ..	..	..	..	..	..	10.88	10.88	19.22	19.22	..
	अन्तरिम सहायता ..	..	..	..	..	..	..	..	2.40	..	..
	योग, 7.4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन ..	**3550.00**	**1918.03**	**24.40**	**352.70**	**410.00**	**410.85**	**410.85**	**644.60**	**282.06**	..

16

जल-सम्पूर्ति

जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के दो भाग हैं—(1) नागर जल सम्पूर्ति तथा मल व्यवस्था, और (2) ग्राम जल सम्पूर्ति तथा स्वच्छता। यद्यपि वर्ष 1969-70की वार्षिक योजना के लिये नियत अधिकतम धनराशि 300.00 लाख रु० थी किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की तीव्र समस्या को ध्यान में रखते हुए यह धनराशि बढ़ा कर 598.00 लाख रु० कर दी गई थी। वर्ष 1970-71 के बजट में इस शीर्षक के अन्तर्गत 406.00 लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1971-72 के लिए 465.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1969-70 और वर्ष 1970-71 के लिए परिव्यय और व्यय का कार्यक्रमानुसार विभाजन नीचे दिया गया है।

(लाख रु० में)

	1969-70		1970-71	
	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय
1—नागर जल सम्पूर्ति तथा मल व्यवस्था	149.60	149.60	288.60	253.60
2—ग्रामीण जल सम्पूर्ति और स्वच्छता	348.00	348.00	117.00	152.00
3—वातावरण सम्बन्धी स्वच्छता और में जल सम्पूर्ति ..	0.40	0.53	0.40	0.38
4—पर्वतीय क्षेत्रों में जल सम्पूर्ति की अतिरिक्त व्यवस्था ..	100.00	100.00	..	..
योग ..	598.00	598.13	406.00	405.98

नागर जल सम्पूर्ति और मल व्यवस्था

2—नगर महापालिका (कारपोरेशन) वाले नगरों में संरक्षित जल सम्पूर्ति क्षमता 1500 लाख गैलन से बढ़ा कर 1540 लाख गैलन कर दी गई थी और राज्य के दो अन्य नगरों में पेयजल की सुविधायें सुलभ की गई थीं। इस प्रकार इसके अन्तर्गत 0.16 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या आ गयी। वर्ष 1970-71 में नागर जल सम्पूर्ति योजनाओं पर 118.00 लाख रुपये और नागर जल निकास नालियों पर 170.60 लाख रु० व्यय किया गया। इस प्रकार तीन और नागर जल निर्माण कार्यों को चलाने के लिये 288.60 लाख रुपये की कुल धनराशि का उपयोग किया गया। नगर महापालिका वाले नगरों में संरक्षित जल का वितरण 1540 लाख गैलन से बढ़कर 1640 लाख गैलन होने की संभावना है। वर्ष 1970-71 के अन्त तक 149 नगरीय क्षेत्रों के नगरों मे जल वितरण योजनायें चलाई गयीं। मार्च, 1969 तक, 26 नगरों में मल-व्यवस्था संबंधी निर्माण कार्य पूरे किए गए थे और यह कार्य दो और नगरों में हो रहा था। इस प्रकार मार्च, 1970 तक 26 मल व्यवस्था संबंधी निर्माण-कार्य पूरी तरह से चलाए जा रहे थे, जब कि दो कार्य तो कर रहे थे परन्तु पूरे नहीं हुए थे। वर्ष (1970-71) के दौरान तीन नये और पहले के आंशिक रूप से पूरे हुए दो में से एक अर्थात् कुल चार मल-व्यवस्था संबंधी निर्माण-कार्य पूरे किये गये। अन्य आंशिक रूप से पूरे किए गए मल-व्यवस्था संबंधी निर्माण-कार्यों को वर्ष 1970-71 के दौरान पूरे

किये गये हैं। इस प्रकार वर्ष 1970-71 के अन्त तक, तीस मल-व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण-कार्य पूरा किया गया जब कि एक निर्माण कार्य जारी रहा।

3—वर्ष 1969-70 में आस पास की जल सम्पूर्ति योजनाओं पर 0.53 लाख रुपये व्यय किए गए थे। वर्ष 1970-71 के दौरान, 0.40 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी जिसमें से 0.38 लाख रु० व्यय किया गया। वर्ष 1971-72 के लिए 0.40 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है।

4—वर्ष 1971-72 के लिए, नागर जल संपूर्ति और मल व्यवस्था की योजनाओं के लिए 199.60 लाख रुपये की धनराशि (131.60 लाख रुपये जल सम्पूर्ति के लिए और 68.00 लाख रु० मल व्यवस्था के लिए) स्वीकृत की गई है। वर्ष के कार्यक्रम में 22 चालू तथा 10 (अनुमानित) नई या पुनस्संगठन जलसंपूर्ति योजनायें और 17 चालू और 5 नई मल-व्यवस्था योजनायें सम्मिलित हैं। यह आशा की जाती है कि चार नई जल-सम्पूर्ति और तीन नई मल-व्यवस्था योजनायें वर्ष के दौरान चालू की जायंगी। संरक्षित जल संपूर्ति 16.40 लाख गैलन से बढ़कर 1940 लाख गैलन होने की संभावना है।

ग्रामीण जल सम्पूर्ति और स्वच्छता

5—वर्ष 1969-70 के लिए 348.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। उसमें से 448.00 लाख रु० का व्यय किया गया जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के लिए 100.00 लाख रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है। वर्ष 1970-71 में ग्रामीण जल सम्पूर्ति और स्वच्छता के लिए 112.00 लाख रुपये के और कूप निर्माण कार्यक्रम के लिए 5.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था कीगई थी। वर्ष 1970-71 में, तीन अतिरिक्त ग्रामीण नगरों और100 ग्रामों में जल- सम्पूर्ति की सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार, यह प्रत्याशा है कि उन ग्रामों की संख्या, जहां नल द्वारा जल-सम्पूर्ति की जायगी, मार्च, 1970 में 2935 से बढ़कर मार्च, 1971 में 3038 हो गई और इसके अन्तर्गत 14.83 लाख की जनसंख्या लाभान्वित हुई।

6—भारत सरकार ने वर्ष 1970-71 के लिए ग्रामीण जल सम्पूर्ति और स्वच्छता के लिए 152.00 लाख रुपये की धनराशि दी थी। इस प्रकार राज्य सरकार को 35.00 लाख रुपये के अतिरिक्त परिव्यय का उपयोगकरना था।

7—वर्ष 1971-72 के लिए, ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 250.00 लाख रुपये की धनराशि नैमित्तिक कर दी गई है। इस परिव्यय में कूप निर्माण कार्यक्रम के लिए 5.00 लाख रुपए सम्मिलित हैं। यह प्रस्ताव है कि ऐसे नगर क्षेत्रों में, जहां की जनसंख्या 20,000 से कम है, जल-सम्पूर्ति योजनाओं के लिए16.00 लाख रुपये की धनराशि व्यय किया जाय। वर्ष 1971-72 के दौरान 11 ग्रामीण नगरों और 472 ग्रामों में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार, वर्ष 1971-72 के अन्त तक, यह आशा की जाती है कि नल द्वारा जल सम्पूर्ति 3,521 ग्रामों में उपलब्ध हो जायगी जिनमें ग्रामीण नगर भी सम्मिलित रहेंगे जिनके अन्तर्गत कुल 17.07 लाख की जनसंख्या आ जाती है।

मद 7.—समाज सेवायें

वर्ग 7.5—जल संपूर्ति

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	शहरी										
750101	(क) जल-पूर्ति ..	458.00	458.00	20.00	59.60	118.00	118.00	148.00	131.60	180.97 (क और ख)	1.00 (क और ख)
	(ख) जल निस्तारण ..	780.00	585.00	..	90.00	170.60	170.60	105.60	68.00		
	(ग) फ्लश लेट्रीन ..	..	..	..	..	..	..	..	15.00	..	..
	(घ) वातावरण सम्बन्धी स्वच्छता तथा जल सम्पूर्ति योजना ..	2.00	..	..	0.53	0.40	0.40	0.38	0.40	..	..
	योग	1240.00	1043.00	20.00	150.13	289.00	289.00	253.98	215.00	180.97	1.00
	ग्रामीण										
750102	(क) जल पूर्ति ..	554.50	27.50	..	348.00 (क और ख)	112.00	112.00	152.00	245.00	8.00	..
	(ख) जल निस्तारण ..	5.50	4.12	..							

(ग) कूप निर्माण ..	125.00	..	..	..	5.00	5.00	..	5.00		..
योग	685.00	31.62	..	348.00	117.00	117.00	152.00	250.00	8.00	
75103 पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जल व्यवस्था ..	100.00	..	..	100.00	..	..	..	..	.	..
योग, 7.5--जल सम्पूर्ति ..	2025.00	1074.62	20.00	598.13	406.00	406.00	405.98	465.00	188.97	1.00

17

आवास और नगर विकास

चौथी पंचवर्षीय योजना में आवास और नगर विकास के लिए 12 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है जिसमें से वर्ष 1970–71 के लिए 260.14 लाख रुपया निर्धारित किया गया था जिसका पूर्णतः उपयोग कर लिया गया। वर्ष 1971–72 में आवास और नगर विकास के लिए परिव्यय 290 लाख रु० है। विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में विवरण निम्न प्रकार है:—

औद्योगिक श्रमिकों और समाज के आर्थिक रुप से निर्बल वर्गों के लिए समेकित राज सहायिता आवास योजना

340 लाख रुपये के चतुर्थ योजना परिव्यय में से वर्ष 1971–72 में इस परियोजना के लिए 70 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। यह आशा की जाती है कि प्रश्नगत वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 1,120 मकान बनाए जायंगे। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1970–71 के दौरान 40 लाख रुपये के योजना परिव्यय की तुलना में लगभग 34.94 लाख रु० वास्तविक व्यय किया गया।

अल्प आय वर्ग आवास योजना

चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में इस परियोजना के लिए 200 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और 1,840 मकानों के पूरे हो जाने की आशा है। इस परियोजना के लिए 1970–71 का योजना परिव्यय 60.00 लाख रुपये था और 480 मकानों के निर्माण का लक्ष्य था जिससे 33 मकान बनाये गये। वर्ष 1971–72 के दौरान इस योजना के लिए 50.00 लाख रुपये का परिव्यय है जिसका लक्ष्य 400 मकानों को पूरा करना है।

गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना

इस परियोजना के के लिए चौथी योजना में 45 लाख रुपये का परिव्यय है और 720 मकानों के पूरे हो जाने की आशा है। इस के लिए वर्ष 1970–71 के दौरान 8.00 लाख रुपये नियत किये गए थे। इस परियोजना के लिए वर्ष 1971–72 क दौरान नियत धनराशि 11.75 लाख रु० है और 188 मकानों के पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

क्षेत्रीय नियोजन योजना

इस परियोजना के लिए चौथी योजना में 65 लाख रुपये नियत किये गये हैं और वर्ष 1970–71 के लिए 12.14 लाख रुपये नियत किए गए थे जो पूर्णतः उपयोग में लाया गया। वर्ष 1971–72 के दौरान इस परियोजना के लिए नियत धनराशि 13.25 लाख रुपया है।

मध्यम आय वर्ग आवास योजना

इस परियोजना के लिए चौथी योजना में 2 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गयी है। वर्ष 1970–71 की योजना में इस परियोजना के लिए 40.00 लाख रुपये की धनराशि निश्चित की गई थी। वर्ष 1971–72 के दौरान भी इस परियोजना के लिए 40.00 लाख रुपये की धनराशि रखी गयी है।

भूमि अध्याप्ति और विकास योजना

इस परियोजना के लिए चौथी योजना में 300 लाख रु० नियत किये गये हैं तथ निधियां भारत के जीवन बीमा निगम से प्राप्त की जानी है। इस परियोजना के लिए वर्ष 1970-71 के दौरान

100 लाख रु० नियत किय गये थे जिसका पूर्णतः उपयोग में कर लिया गया । इस परियोजना के लिए वर्ष 1971-72 में 75 लाख रु० का प्रस्ताव किया गया है।

नगर विकास योजना

इस परियोजना के लिये चतुर्थ योजना में 50.00 लाख रु० नियत किय गये हैं जिसे वर्ष 1971-74 की अवधि में उपयोग में लाये जाने का प्रस्ताव है । वर्ष1971-72 के दौरान इस परियोजना के लिए केवल 16.00 लाख रु० नियत किये जाने का प्रस्ताव है।

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग —7.6. आवास तथा नगर विकास

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74			1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71			1971-72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा		स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760101	औद्योगिक श्रमिकों तथा जन-समुदाय के आर्थिक रूप से निर्बल वर्गों के लिये राज सहायता प्राप्त समेकित गृह-निर्माण परियोजना	340.00	283.00	..	43.86	40.00	40.00	34.94	70 00	56.00	..
760102	अल्प-आय वर्ग आवास व्यवस्था योजना ..	200.00	200.00	..	11.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	..
760103	मलिन बस्ती सफाई योजना ..	45.00	41.50	..	2.00	8.00	8.00	3.39	11.75	8.75	..
760104	संभागीय नियोजन योजना ..	65.00	..	..	9.17	12.00	12.14	10.50	13.25	..	..
760105	मध्य आय वर्ग आवास व्यवस्था योजना ..	200.00	200.00	..	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	..
760106	भूमि अध्याप्ति और विकास योजना ..	300.00	300.00	..	110.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	..

760107 शहरी विकास परियोजना ..	50.00	50.00	..	..	..	..	..	16.00	16.00	..
760108 अपेक्स सहकारी आवास समितियों के लिये अंश पूंजी ..	25.00	25.00	..	..	..	..	10.00	..	..	..
760109 ग्रामीण गृह निर्माण योजना ..	..	..	..	..	..	..	..	14.00	14.00	..
योग 7.6 आवास तथा नगर विकास	1225.00	1099.50	..	216.03	260.00	260.14	258.83	290.00	259.75	..

18

पिछड़े वर्गों का कल्याण

"पिछड़े वर्ग" शब्द का तात्पर्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, वि ुक्त जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में हैं। पिछड़े वर्गों की उपर्युक्त श्रेणियों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनायें प्रारम्भ की गई हैं उन्हें निम्नलिखित तीन वर्गों में बांटा जा सकता है :

(1) शिक्षा,

(2) आर्थिक उत्थान, तथा

(3) स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनायें

2--राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए 720.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिसमें पांच पर्वतीय जिलों और उत्तराखण्ड के लिए व्यवस्था सम्मिलित है। वर्ष 1969-70 की योजना में इसके लिए अधिकतम धनराशि 65.50 लाख रुपये थी जिसमें से 67.43 लाख रुपये का व्यय हुआ। वर्ष 1970-71 के दौरान, बजट में 66.81 लाख रुपय की व्यवस्था की गई थी जब कि योजना का परिव्यय 72.00 लाख रुपये था। वर्ष 1970-71 की वार्षिक योजना में सम्मिलित लगभग सभी स्कीमें पहले से चली आ रही स्कीमें हैं। वर्ष के दौरान वित्तीय तथा वास्तविक उपलब्धि अपेक्षाकृत अच्छी रही। वर्ष 1971-72 के लिए 100.74 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित है जिसमें 10.74 लाख रु० को धनराशि पांच पर्वतीय जिलों के लिए सम्मिलित है। परिव्यय और व्यय का वर्षवार विभाजन निम्न प्रकार है:--

(लाख रुपयों में)

स्कीम	1969-70		1970-71		1971-72 के लिये परिव्यय
	स्वीकृत परिव्यय	संभावित व्यय	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	
1	2	3	4	5	6
1--अनुसूचित जन जातियां--					
(क) शिक्षा ..	5.44	2.84	8.35	4.40	9.33
(ख) आर्थिक उत्थान	5.47	5.32	3.50	4.12	5.90
(ग) स्वास्थ्य, आवास और अन्य योजनायें	4.97	2.54	4.15	4.42	5.47
योग ..	15.88	10.70	16.00	12.94	20.70

(लाख रुपये में)

स्कीम	1969-70 स्वीकृति परिव्यय	1969-70 संभावित व्यय	1970-71 स्वीकृति परिव्यय	1970-71 अनुमानित व्यय	1971-72 के लिये परिव्यय
1	2	3	4	5	6
2—अनुसूचित जातियां—					
(क) शिक्षा ..	33.22	32.33	37.25	36.44	44.84
(ख) आर्थिक उत्थान	6.00	6.86	7.25	9.99	10.69
(ग) स्वास्थ्य, आवास और अन्य योजनायें	3.29	7.79	5.50	5.06	14.80
योग ..	42.51	46.98	53.00	51.49	74.37
3—अन्य पिछड़े वर्ग—					
(क) शिक्षा ..	3.61	3.61	3.00	3.00	5.27
(ख) आर्थिक उत्थान	..	..	..	..	..
(ग) स्वास्थ्य, आवास और अन्य योजनायें	..	..	..	..	..
योग ..	3.61	3.61	3.00	3.00	5.30
सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिये एकमुश्त धनराशि की व्यवस्था	..	..	..	..	0.40
कुल योग ..	62.00	61.29	72.00	67.43	100.74

3—**शिक्षा**—शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 1971-72 के लिए विभिन्न स्कीमों के लिए 63.48 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। ये स्कीमें हैं—(1) अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के पूर्व दशम कक्षाओं के छात्रों को छात्र-वेतन और अनावर्तक सहायता देना, (2) मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं को फीस से होने वाली आय की हानि की प्रतिपूर्ति करना, (3) चिकित्सा, अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) और प्रोद्योगिकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जन जातियों और अनुसूचित जातियों के छात्रों को अनावर्तक सहायता देना, (4) हरिजन सहायक विभाग द्वारा सहायित विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के अनुरक्षण के लिए ऐच्छिक अभिकरणों को अनुदान, स्वीकृत करना, (5) कक्षा 6 से आगे के उत्कृष्ट प्रतिभा सम्पन्न अनुसूचित जाति के

विशेष छात्र-वेतन,और (6) अनुसूचित जनजातियों के लिये आश्रम-पद्धति के विद्यालयों की स्थापना। इस परिव्यय में पांच पर्वतीय जिलों क लिए 3.91 लाख रुपये की व्यवस्था सम्मिलित है। केवल उत्कृष्ट प्रतिभा सम्पन्न छात्रों की छात्रवेतन देने की स्कीम की छोड़कर इन सभी योजनाओं की प्रगति सतोषजनक रही है। वर्ष 1971-72 के लिए एक नई योजना का भी प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गो के क्षात्रों की दस्तकारी प्रशिक्षण क लिए छात्रवेतन देना है। अब तक प्राप्त और वर्ष 1971-72 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य का विवरण नीचे दिया गया है :--

(लाख रुपयों में)

मद	इकाई	1969-70 के दौरान प्राप्त लक्ष्य	1970-71 के लिए प्रत्याशित लक्ष्य	1971-72 के लिए लक्ष्य
1	2	3	4	5
1--अनुसूचित जनजातियां--				
(1) पूर्व दशम कक्षाओं के लिए छात्र-वेतन	छात्रों की संख्या	2,490	1,700	1,810
(2) फीस की प्रतिपूर्ति ..	तदेव	693	1,176	1250
(3) चिकित्सा, अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए अनावर्तक सहायता ..	तदेव	13	20	6
(4) आश्रम पद्धति विद्यालय	विद्यालय की संख्या	1	2	2 पुराने 4 नये विद्यालय
अनुसूचित जातियां--				
(1) पूर्व-दशम कक्षाओं के लिए छात्र वृत्ति ..	छात्रों की संख्या	29,000	29,000	29,640
(2) फीस की प्रतिपूर्ति ..	तदेव	9,415	1,000	10,566
(3) चिकित्सा, अभियंत्रण और प्रोद्योगिकी पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए अनावर्तक सहायता ..	तदेव	111	50	62
(4) विद्यालयों, छात्रावासों और पुस्तकालयों के विस्तार और सुधार के लिए ऐच्छिक अभिकरणों को अनुदान ..	संस्थाओं की संख्या	100	450	450
3--अन्य पिछड़े वर्ग--				
(1) पूर्व-दशम कक्षाओं के लिए छात्र-वेतन	छात्रों की संख्या	3,794	2,700	3,270
(2') दस्तकारी के प्रशिक्षण के लिए छात्र वेतन	तदेव	..	..	330

4--आर्थिक उत्थान--इस वर्ग के अन्तर्गत योजनाओं का सम्बन्ध कृषि विकास एवं कुटीर उद्योगों के लिए अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लोगों के पुनर्वास, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के दस्तकारी प्रशिक्षण के लिए छात्र-वतन और वर्तमान ३ प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रसार और सुधार और गोविन्द वल्लभ पन्त सरकारी पोलीटेकनिक के लिये राज सहायता दिये जाने से है। अनुसूचित जनजातियों के पुनर्वास की योजना पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 1971-72 के लिये 16.59 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिए 4.12 लाख रु० की व्यवस्था सम्मिलित है। पूरे किये गये भौतिक लक्ष्यों का विवरण नीचे दिया गया है :—

मदें	इकाइयां	1969-70 के दौरान पूरे किये गये लक्ष्य	1970-71 के लिए प्रत्याशित लक्ष्य	1971-72 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य
1	2	3	4	5
क—अनुसूचित जन जातियां—				
(1) कृषि विकास के लिए सहायता	परिवार की संख्या	228	240	460
(2) कुटीर उद्योगों के विकास लिए राज-सहायता ..	व्यक्ति की संख्या	240	240	320
(3) जनजातियों का पुनर्वास ..	परिवार की संख्या	60	22	40
(4) दस्तकारी प्रशिक्षण के लिए छात्र-वेतन ..	प्रशिक्षार्थी की संख्या	2	35	42
(ख) अनुसूचित जातियां—				
(1) कृषि विकास के लिए राज-सहायता ..	परिवार की संख्या	197	500	840
(2) कुटीर उद्योगों के विकास के लिए राज-सहायता ..	व्यक्ति की संख्या	400	800	1,056
(3) दस्तकारी प्रशिक्षण के लिए छात्र वेतन ..	प्रशिक्षार्थी की संख्या	1,150]	1,000	1,346

5—**स्वास्थ्य, आवास और अन्य योजनाएं**—इस शीर्षक के अन्तर्गत-कार्यक्रमों में मुख्यत: अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए पेय जल की सुविधायें प्रदान करने के लिए पेय जल की प्रायोजनाओं का निर्माण और मकानों का निर्माण, जनजातियों के कल्याण कार्यक्रम के लिए प्रख्यापन और प्रचार, अपनी नौकरी के सम्बन्ध में इन्टरव्यू के लिए बुलाये जाने वाले अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता, और जन जातियों में सामाजिक--आर्थिक उत्थान का कार्य करने वाले ऐच्छिक अभिकरणों को अनुदान सम्मिलित हैं। वर्ष 1971-72 के लिए 20.27 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत है। इसमें 2.71 लाख रु० की धनराशि पांच पर्वतीय जिलों में व्यय किये जाने के लिए है। अभी तक पूरे हुए और 1971-72 के लिए निर्धारित और वास्तविक लक्ष्य निम्नलिखित सारणी में दिये गये हैं :—

मद	इकाई	1969-70 के दौरान पूरे किये गये कार्य	1970-71 के दौरान प्रत्याशित कार्य	1971-72 के लिए लक्ष्य
1	2	3	4	5
क—अनुसूचित जनजातियां—				
(1) पेय जल की प्रायोजनायें ..	परियोजनाओं की संख्या	73	100	130
(2) आवास ..	.. आवासों की संख्या	83	66	136
(3) ऐच्छिक अभिकरणों को अनुदान ..	.. अभिकरणों की संख्या	5	60	60
ख—अनुसूचित जातियां—				
(1) पेय जल की प्रायोजनायें ..	परियोजनाओं की संख्या	681	200	400
(2) आवास ..	.. आवासों की संख्या	98	100	559
(3) यात्रा भत्ता	.. पुरुषों की संख्या	..	400	250

6—**केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें**—पिछड़े वर्गों के क्षेत्र के कल्याण के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए भारत सरकार ने मूलत: 1,025.65 लाख रु० का परिव्यय निश्चित किया था। बाद में भारत सरकार ने इसे घटा कर 375.75 लाख रु० कर दिया। इसमें से वर्ष 1969-70 के दौरान 42.95 लाख रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत की गई थी। यह प्रत्याशित है कि व्यय की धनराशि 80.81 लाख रुपये होगी। व्यय में प्रत्याशित वृद्धि का कारण यह तथ्य है कि अनुसूचित जाति के छात्रों को दशम कक्षा के बाद छात्रवृत्ति देने के लिए अनपूरक अनुमानों द्वारा वर्ष 1969-70 के बजट में 45.00 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1970-71 के लिए, 62.29 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था और यह प्रत्याशित है कि व्यय 77.91 लाख रु० तक होगा। वर्ष 1971-72 के लिए, 128.20 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। "विशेष क्षेत्र प्रायोजना" की योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दो प्रायोजनाओं को छोड़कर अन्य सभी योजनायें पहले से चली आ रही योजनायें हैं। इस योजना के अन्तर्गत दो अतिरिक्त प्रायोजनायें, एक लखीमपुर-खीरी में और दूसरी कालसी (देहरादून) में, प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। चूंकि इन दो स्थानों पर अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अन्य स्थानों से अधिक है इसलिए यह अनिवार्य समझा गया है कि इन जनजातियों के

सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष क्षेत्र प्रायोजना की योजना कार्यान्वित की जाय। इन योजनाओं के लिए 6.00 लाख रु० नियत किये गये हैं। परिव्ययों का विभाजन नीचे दिया गया है :

(लाख रुपयों में)

शीर्षक	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग	योग
1—शिक्षा	3.50	93.00	8.50	105.00
2—आर्थिक उत्थान ..	11.00	..	4.70	15.70
3—स्वास्थ्य, आवास और अन्य योजनायें	2.00	4.00	1.50	7.50
योग ..	16.50	97.00	14.70	128.20

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.7. पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70 सम्भावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1) अनुसूचित जन जातियां										
	शिक्षा										
770101	दसवीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्र वेतन ..	15.00	..	..	1.25	1.00	1.00	1.55	1.82	..	..
770102	अनुसूचित जन जाति के छात्रों को कक्षा 7 से 10 तक निः शुल्क शिक्षा प्रदान करने से गैर सरकारी संस्थाओं को होने वाले घाटे की प्रतिपूर्ति ..	5.76	..	..	0.59	1.00	1.00	0.58	1.00	..	..

770103 अनुसूचित जन जातियों के शिल्प कौशल में प्रशिक्षण देने के लियें छात्र वेतन ..	0.50	..	..	0.07	0.10	0.10	..	0.12	..	..
770104 चिकित्सा, अभियंत्रण और औद्योगिक संस्थाओं में उच्च वैज्ञानिक शोध के लिये अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को पुस्तक एवं साज-सज्जा क्रय करने के लिये सहायता ..	0.50	..	..	0.07	0.10	0.10	0.02	0.03	..	..
770105 अनुसूचित जनजातियों के बालकों एवं बालिकाओं के लिये आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना	35.84	8.00	..	0.86	6.15	2.35	2.25	6.36	0.54	..
योग ..	57.60	8.00	..	2.84	8.35	4.55	4.40	9.33	0.54	..
आर्थिक उत्थान										
770106 कृषि उत्थान एवं बागवानी हेतु अनुदान ..	6 00	..	..	1.14	1.20	1.20	1.60	2.30	..	..
770107 कुटीर उद्योग के विकास हेतु अनुदान ..	6.00	..	..	1.20	1.20	1.20	1.42	1.60	..	..
770108 भूमि, उद्योग एवं कारखानों में पुनर्वासन	15.00	..	..	2.98	1.10	1.10	1.10	2.00	..	..
योग ..	27.00	..	..	5.32	3.50	3.50	4.12	5.90	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.7. पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण (क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70 सम्भावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	स्वास्थ्य आवास तथा अन्य योजनायें—										
770109	अनुसूचित जनजातियों के लिये पेय जल प्रायोजना इत्यादि के लिये अनुदान ..	10.00	..	..	1.46	2.00	2.00	1.93	2.57	..	..
770110	गृह निर्माण हेतु अनुदान ..	5.00	..	..	1.00	1.00	1.00	2.34	2.16	..	..
770111	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु प्राविधिक संगठन तथा वाहन का प्राविधान	6.00	..	..	..	1.00	..	..	0.04	..	..
770112	अनुसूचित जन जातियों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	0.50	..	..	0.08	0.15	0.15	0.15	0.15	..	..
770113	अनुसूचित जन जातियों के लिये प्रख्यापन इकाई की स्थापना	1.00	..	..	..	..	..	..	0.40	..	..
770114	अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों को पुलिस कान्सटेबुल के पदों पर भर्ती के पूर्व प्रशिक्षण .	..	..	..	..	..	.	..	0.15	..	..

योग ..	22.50	..	..	2.54	4.15	3.15	4.42	5.47	..	..
योग—(1) ..	107.10	8.00	..	10.70	16.00	11.20	12.94	20.70	0.54	..
(1) अनुसूचित जातियां शिक्षा										
770201 अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के पूर्व मैट्रिक कक्षाओं में छात्र-वेतन तथा अनावर्तक सहायता देना ..	165.00	..	..	23.58	26.00	26.00	26.00	30.00	..	..
770202 अशासकीय शैक्षिक संस्थाओं की शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	90.00	..	..	8.00	9.66	9.66	9.66	12.00	..	..
770203 हरिजन सहायक विभाग द्वारा सहाय्यिक वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और विद्यालयों का सुधार और विस्तार ..	8.00	..	..	0.50	0.50	0.50	0.50	2.50	..	..
770204 चिकित्सा अभियंत्रण और प्राविधिक शिक्षा पाने वाले अनुसूचित जातियों के छात्रों को पुस्तक एवं साज-सज्जा क्रय करने के लिये अनावर्तक सहायता ..	5.00	..	..	0.25	0.25	0.25	0.25	0.31	..	..
770205 अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को शैक्षिक एवं आवास हेतु विशेष छात्रवृत्ति ..	16.80	..	..	..	0.84	0.84	0.03	0.03	..	..
योग ..	284.80	..	..	32.33	37.25	37.25	36.44	44.84	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.7. पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण (समाप्त) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आर्थिक उत्थान										
770206	अनुसूचित जातियों को शिल्प कौशल में प्रशिक्षण देने के लिये छात्र वेतन ..	25.00	..	..	3.23	3.00	3.00	3.00	4.04	..	..
770207	जी० बी० पन्त पालीटेक्निक, को कुटीर उद्योग के लिये अनुदान	15.65	10.40	..	0.43	0.75	0.55	0.41	1.20	..	..
770208	अनुसूचित जातियों को कृषि उन्नति हेतु अनुदान	51.00	..	..	0.99	2.50	2.50	2.46	4.20	..	..
770209	गांव एवं शहरी क्षेत्र में हरिजनों को कुटीर उद्योग के लिये अनुदान	58.45	..	..	2.00	4.00	4.00	4.10	5.28	..	..
770210	हरिजनों के लिये औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना ..	1.50	1.50	..	0.21	..	0.01	0.02	0.01	..	..
	योग ..	151.60	11.90	..	6.86	10.25	10.06	9.99	14.73	..	..
	स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनायें										
770211	पेय जल संपूर्ति की सुविधाओं के लिये राज सहायता ..	75.00	..	..	6.81	4.00	4.00	3.98	8.00	..	..

770212 अनुसूचित जातियों को गृह-निर्माण के लिये अनुदान ..	50.00	..	..	0.98	1.00	1.00	1.00	5.60	..	..
770213 सांख्यिकीय इकाई की स्थापना	1.00	..	..	..	0.20	..	..	..	..	..
770214 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को नौकरी के संबंध में साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने पर किराये का भुगतान ..	0.50	..	..	..	0.30	0.30	0.01	0.20	..	..
770215 पुलिस कान्सटेबुल के पदों पर भरती के लिये अनुसूचित जातियों को पूर्व प्रशिक्षण देने की योजना	..	..	..	..	..	..	0.07	1.00	..	..
योग ..	126.50	..	..	7.79	5.50	5.30	5.06	14.80	..	..
योग, (2) ..	562.90	11.90	..	46.98	53.00	52.61	51.49	74.37	..	..
(3) अन्य पिछड़ी हुई जातियां										
शिक्षा—										
770301 पूर्व दशम् कक्षाओं के अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्र वेतन एवं अनावर्तक सहायता	40.00	..	..	3.61	3.00	3.00	3.00	4.27	..	..
770302 अल्प कला प्रशिक्षण हेतु अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्र वेतन	10 00	..	..	..	..	..	..	1.00	..	..
योग (3)	50.00	..	..	3.61	3.00	3.00	3.00	5.27	..	..
सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिये एकमुश्त धनराशि की व्यवस्था	..	..	..	..	..	..	..	0.40	..	..
योग, 7.7. पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण ..	720.00	19.90	..	61.29	72.00	66.81	67.43	100.74	0.54	..

19

समाज कल्याण

समाज कल्याण की स्कीमें प्रथम बार फरवरी, 1955 में इस दृष्टिकोण से प्रारम्भ की गई थी कि समाज के निर्बल और दुर्बल वर्ग जिसमें बच्चे से विकलांग और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति सम्मिलित हैं, के लिए कल्याणकारी सेवाओं की व्यवस्था की जा सके। तब से कल्याणकारी स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं और एसी स्कीमों को वित्तपोषित करने के लिए द्वितीय और तृतीय योजनाओं के दौरान व्यवस्था की गई थी।

2—चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान समाज कल्याण के कार्यक्रमों के लिए 100.00 लाख रुपये की धनराशि नियत की गई है। वर्ष 1969-70 के लिए इस शीर्षक के अन्तगत योजना परिव्यय 11.15 लाख रुपये था। इस वर्ष के दौरान कार्यरत महिलाओं के लिए एक छात्रावास, एक बाल-गृह और बालवाड़ी केन्द्र, भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए एक अग्रगामी प्रायोजना, एस० आई० टी० ऐक्ट (अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम) के अन्तर्गत एक संरक्षणगृह, तीन अतिरिक्त उद्धार संगठन, मानसिक रूप से अविकसित बालकों के लिए एक विद्यालय, अन्ध विद्यालय के लिए एक आश्रय-कर्मशाला स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम के उपबन्ध दो अतिरिक्त जिलों में भी लागू कर दिये गये, और एक संरक्षण गृह और एक गूंगे और बहरों के स्कूल की क्षमता बढ़ा दी गई। *सहायक अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़ी संख्या में संस्थायें / व्यक्ति* भी लाभान्वित हुए।

3—वर्ष 1970-71 की योजना के लिए 12.00 लाख रुपये की धनराशि नियत की गई थी। वर्ष के दौरान हाथ में लिये गये कार्यक्रमों को चालू रखने का प्रस्ताव था। उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम के उपबन्ध चार और जिलों में भी लागू किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, गूंगे और बहरों का एक अतिरिक्त स्कूल अंधों के लिए, एक आश्रम-कर्मशाला निराश्रित महिलाओं के लिए तथा एक और आश्रम-कर्मशाला विकलांग व्यक्तियों के लिए, तैयार होने का कार्यक्रम था। गूंगे और बहरों का स्कूल, बरेली, की क्षमता बढ़ाने का भी प्रस्ताव था। वर्ष के दौरान अनेक, सहायता अनुदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 921 व्यक्ति/संस्थायें लाभान्वित हुई।

4—वर्ष 1971-72 के बजट में, समाज कल्याण योजना के लिए 22.00 लाख रुपये की धनराशि नियत की गई है। इस परिव्यय में राज्य के पर्वतीय संभाग तथा के लिए 1.56 लाख रु० की धनराशि सम्मिलित है। पिछले दो वर्षों के दौरान पहले से ही हाथ में लिये गए कार्यक्रमों को वर्ष 1971-72 में जारी रखने का कार्यक्रम है। चालू कार्यक्रमों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा अनुमोदित एक स्कूल, बालिका निकेतन और एक फोस्टर केयर होम स्थापित किये जाने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान चार और जिलों में उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम के उपबन्ध लागू किये जायेंगे। सहायक अनुदान कार्यक्रमों का उद्देश्य 900 व्यक्तियों/संस्थाओं को अस्थायी तौर पर वास्तविक लाभ पहुंचाना होगा। रानीखेत (अल्मोड़ा) में "संरक्षण गृह" की योजना भी वर्ष में चालू रहेगी।

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.8. समाज कल्याण

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74		1969-70	1970–71				1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्त-विक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1) महिलाओं का कल्याण										
780101	कार्यरत महिलाओं के दो छात्रा-वासों की व्यवस्था ..	2.25	..	..	0.23	0.24	0.24	0.16	0.40	..	..
780102	निराश्रित महिलाओं के लिये प्रशिक्षण केन्द्र तथा शेल्टर्ड वर्कशाप की स्थापना	3.75	..	..	..	0.50	0.50	1.25	0.55	..	..
	योग (1) ..	6.00	..	..	0.23	0.74	0.74	1.41	0.95	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.8. प्राविधिक शिक्षा—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(2) बाल कल्याण										
780201	बालिका निकेतन की स्थापना	2.37	..	..	..	..	..	..	0.50	..	..
780202	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित उद्धार गृह में शिशुशाला तथा बालबाड़ी की स्थापना ..	0.29	..	..	0.03	0.06	0.06	0.04	0.07	..	..
780203	बाल सदन के लिये भवन निर्माण	3.00	3.00	..	..	0.001	..	0.001	1.00	1.00	..
780204	फोस्टर केयर गृह की स्थापना	1.40	..	..	..	..	..	..	0.30	..	..
	योग (2) ..	7.06	3.00	..	0.03	0.06	0.06	0.04	1.87	1.00	..

(3) भिक्षा वृत्ति उन्मूलन

780301 भिक्षा वृत्ति उन्मूलन हेतु एक पाइ-लेट प्रोजेक्ट की स्थापना ..	9.15	..	..	0.92	1.30	1.30	1.32	1.80	..	..
कुल (3) ..	9.15	..	..	0.92	1.30	1.30	1.32	1.80	..	..

(4) सामाजिक सुरक्षा

780401 दस अतिरिक्त जिलों में उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम, 1951 का कार्यान्वयन, सुधार, अधि-कारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति ..	4.24	..	..	0.07	0.50	0.50	0.28	0.85	..	..
780402 संवीक्षण गृहों की स्थापना	11.60	..	..	0.28	1.30	1.30	0.45	1.67	..	..
780403 एक अतिरिक्त राजकीय अनु-मोदित विद्यालय की स्थापना	2.74	..	..	..	..	..	..	0.60	..	..
780404 राजकीय अनुमोदित विद्यालय के भवन का निर्माण ..	3.00	3.00	..	..	0.001	..	0.001	1.00	1.00	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.8. समाज कल्याण (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70 सम्भावित व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
780405	अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के कार्यान्वयन के लिये, पांच अतिरिक्त तारण संगठनों की स्थापना	2.41	..	..	0.05	0.40	0.40	0.26	0.50	..	..
780406	द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में स्थापित संरक्षण गृह की क्षमता में विस्तार ..	0.84	..	..	0.11	0.17	0.17	0.03	0.17	..	..
780407	महिलाओं के लिये एक अतिरिक्त उत्तर रक्षा गृह की स्थापना	3.00	..	..	0.42	0.56	0.56	0.30	0.60	..	..
780408	विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किये गये आश्रितों को पुनर्वासन हेतु सहायता	1.50	..	..	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	..	..

780409 द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित जिला शरण और प्रवेश केन्द्रों का विस्तार एवंसुधार ..	1.46	..	..	0.15	0.28	0.28	0.20	0.24	..	..
780410 उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित 16 संवीक्षण गृहों का विस्तार एवं सुधार ..	6.00	..	..	0.50	1.00	1.00	0.22	0.77	..	..
780411 उत्तर रक्षा गृह का भवन निर्माण ..	3.00	3.00	..	0001	0.001	..	0 001	1 00	1 00	..
योग (4) ..	39.79	6.00	..	1.88	4.51	4.51	2.14	7.70	1.00	..
(5) बाधितों का पुनर्वासन—										
780501 शारीरिक रूप से अक्षम तथा विकलांग छात्रों को शिक्षा और व्यावसायिक तथा वृतिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्र वृत्तियां ..	2.50	..	..	0.71	0.40	0.40	0.70	0.43	..	..
780502 कृत्रिम अंग, श्रवण सहायता तथा इसी प्रकार के अन्य उपकरण खरीदने हेतु शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अनुदान	2.50	..	..	0.23	0.30	0.30	0.30	0.33	..	..
780503 मानसिक रूप से अविकसित बालकों के लिये एक विद्यालय की स्थापना ..	3.00	..	..	0.77	0.67	0.67	0.55	0.60	..	..
780504 अंधों के लिये दो आश्रित कर्मशालाओं की स्थापना ..	4.50	..	..	0.24	0.70	0.70	0.25	0.50	..	..

*पर्वतीय योजनाओं के प्राविधान में हस्तांतरित

मद—7. समाज सेवाएं

वर्ग—7.8. समाज कल्याण (क्रमशः)— (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक-प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
780505	अंधों के लिये दो ब्रेल पुस्तकालयों की स्थापना ..	0.50	..	..	0.12	0.08	0.08	0.07	0.14	..	..
780506	राजकीय मूक बधिर विद्यालय, आगरा तथा बरेली का उन्नयन तथा प्रसार, प्रत्येक में 50 से 100 विद्यार्थियों की वृद्धि	2.00	..	..	0.05	0.35	0.35	0.29	0.50	..	..
780507	एक अतिरिक्त अन्ध विद्यालय की स्थापना ..	3.00	..	..	0.53	0.59	0.59	0.37	0.60	..	..
780508	एक अतिरिक्त, मूक बधिर विद्यालय की स्थापना ..	2.50	..	..	..	0.30	0.30	0.30	0.55	..	..
780509	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु एक गृह तथा आश्रित कार्यालय की स्थापना ..	3.00	..	..	..	0.50	0.50	0.45	0.60	..	..
780510	राजकीय अन्ध विद्यालय के लिए भवन का निर्माण ..	3.00	3.00	..	..	0.001	..	0.001	1.00	1.00	..
	योग (5) ..	26.50	3.00	..	2.65	3.89	3.89	3.26	5.25	1.00	..

(6) स्वेच्छिक संस्थाओं को सहायता—										
780601 स्वेच्छिक संगठनों को विधवा आश्रमों एवं अनाथालयों के संचालनार्थ अनुदान ..	3.40	..	..	0.53	0.60	0.60	0.14	1.04	.	.
780602 मानसिक तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के कल्याण की संस्थाओं को चलाने वाली स्वेच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को अनुदान ..	1.85	..	..	0.41	0.30	0.30	0.43	0.75	..	..
780603 बन्धियों तथा प्रोबेशनर्स के पुनर्वासन के लिये अनुदान ..	0.25	..	..	0.01	0.05	0.05	0.01	0.04	..	..
780604 बाल कल्याण कार्यक्रम के लिये स्वेच्छिक संगठनों को अनुदान	1.00	..	..	1.00	..	..	1.00	..	..	..
780605 शिशुशाला तथा बालबाड़ियों के संचालनार्थ स्वैच्छिक संगथनी कों अनुदान	..	..	..	..	..	..	..	1.00	..	..
780606 असहाय महिलाओं तथा युद्ध में मारे गये जवानों की विधवाओं को सिलाई मशीन तथा अन्य साज समान के क्रय हेतु अनुदान	..	..	..	..	..	..	..	0.60	..	..
योग (6) ..	6.50	..	..	1.95	0.95	0.95	1.58	3.43	..	..
(7) प्रशिक्षण, शोध तथा प्रशासन										
780701 क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं को सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा मुख्यालय पर आवश्यक कर्मचारी वर्ग के लिये प्राविधान	3.00	..	..	0.18	0.30	0.30	0.22	0.40	..	..

मद--7. समाज सेवाएं

वर्ग--7.8. समाज कल्याण (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70 वास्त-विक व्यय	1970-71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971-72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
780702	अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के लिये प्राविधान	2.00	..	..	..	0.25	0.25	0.25	0.25	..	..
	योग (7)	5.00	..	..	0.18	0.55	0.55	0.47	0.65	..	..
	योग 7.8. समाज कल्याण	100.00	12.00	..	7.84	12.00	12.00	10.23	22.00	4.00	..

20

शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण

इस वर्ग की तीन शाखायें श्रम कल्याण, जन-शक्ति और सेवायोजन तथा शिल्पी प्रशिक्षण है। इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 1970–71 के लिए स्वीकृत परिव्यय 110.00 लाख रु० था। वर्ष 1971–72 के लिए स्वीकृत परिव्यय 80.13 लाख रु० है।

(1) श्रम कल्याण

इस शीर्षक के अन्तर्गत कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की श्रमिक जनता के लिए विभिन्न कल्याणकारी सुविधायें प्रदान करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्रम कल्याण कार्यक्रम द्वारा तीन दिशाओं में कार्य किये जाने का विचार है, अर्थात् श्रम कल्याण और कल्याणकारी प्रशासन, श्रमिक कानूनों और अन्य योजनाओं का प्रवर्तन 1 वर्ष 1969–70 के लिए परिव्यय 5.83 लाख रु० था जिसमें से व्यय केवल 0.55 लाख रु० किया गया हैं।

2—वर्ष 1970–71 के लिए स्वीकृत परिव्यय 8.57 लाख रु० था जिसमें वास्तविक व्यय 4.24 लाख रु० हुआ। यह प्रस्ताव है कि वर्ष 1971–72 के लिए 10.85 लाख रु० की धनराशि अलग रखी जाय। वर्ष 1971–72 के दौरान रायपुरवा क्षय रोग चिकित्सालय के लिये दो और वार्ड स्थापित किये जायेंगे। वर्ष 1971–72 के दौरान दस कल्याणकारी केन्द्र खाले जायेंगे। श्रमिक कानूनों को कड़ाई से प्रवर्तित किये जाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला वर्कशाप और मोशन स्टडी विंग का विकास करने, संभागीय कार्यालयों में तथा मुख्यालय में सांख्यिकीय सैलों को दृढ़ करने और संभागीय तथा राज्य आधार पर श्रमिक संघ गोष्ठियां आयोजित करने के लिये भी मुख्यालय में दक्षता अनुभाग के कर्मचारिवर्ग की वृद्धि और पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है। मुख्यालय और संभागीय कार्यालयों के विभागीय पुस्तकालयों में पुस्तकों और पत्रिकाओं तथा श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं के शैक्षिक दौरों के लिए भी व्यवस्था की गई है।

(2) जनशक्ति और सेवायोजन

वर्ष 1969–70 में इस वर्ग के लिए 2.00 लाख रु० का परिव्यय नियत किया गया था जिसमें सें 0.21 लाख रु० व्यय हुए। वर्ष 1970–71 के लिए स्वीकृत परिव्यय 3.49 लाख रु० थे और 1.53 लाख रु० की बजट व्यवस्था की कुल धनराशि का वर्ष 1970–71 में उपयोग कर लिया गया। वर्ष 1971–72 के लिए 3.98 लाख रु० के परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इस वर्ग के अन्तर्गत कार्यक्रम में सेवायोजन सेवाओं का विस्तार, सेवायोजन बाजार सूचना का संकलन, व्यावसायिक निर्देशन और सेवायोजन कार्यालय का सुदृढ़ीकरण सम्मिलित है। ये सब चालू रहने वाले कार्यक्रम हैं और वर्ष 1971–72 के दौरान भी चलाये जायंगे।

(3) शिल्पकार प्रशिक्षण

3—यह योजना 1956 मे प्रारंभ की गई कि जब 8 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये थे। इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल क्षमता 1,832 स्थानों की थी। वर्ष 1968–69 के अन्त तक विभिन्न व्यवसायों के 24,784 स्थान वाले 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान थे। हाल ही में मन्दी तथा प्राविधिक कर्मचारिवर्ग की बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण यह निर्णय किया गया है कि उनमें विस्तार करने की अपेक्षा वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करने के प्रयत्न किये जायेंगे वर्ष 1969–70 के दौरान चंदौसी और काशीपुर में दो और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए जिनमें क्रमश: 256 और 108 स्थान थे। वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ये स्थान खाली पड़े हुये थे और उन्हें इन नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थानान्तरित कर दिया गया था। चौथी

योजनावधि में अलोकप्रिय व्यवसायों के 1,000 स्थान लोकप्रिय व्यवसायों में परिवर्तित किये जाने का विचार है। इनमें से 612 स्थान वर्ष 1969–70 के दौरान परिवर्तित कर दिये गये थे और 1970–71 में 520 स्थान परिवर्तित कर दि ये गये।

2—इस वर्ग के लिए चौथी योजना का कुल परिव्यय 291.50 लाख रु० है। 1969–70 का वास्तविक व्यय 54.92 लाख रु० था। वर्ष 1970–71 के लिए स्वीकृत परिव्यय 97.94 लाख रु० थे जिसमें वास्तविक व्यय 76.23 लाख रु० किया गया। वर्ष 1971–72 के लिये 60.17 लाख रु० की धनराशि अलग रखने का प्रस्ताव है। वर्ष 1971–72 के कार्यक्रम में, स्थानों के परिवर्तन, अनुरक्षण अनुभागों की स्थापना और अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना के क्षेत्र में पहले से प्रारंभ किये गये कार्य को जारी रखने का प्रस्ताव है। वर्ष 1971–72 के लिए चंदौसी और काशीपुर के औद्योगिक प्रशिक्षण के हेतु 3.30 लाख रु० की धनराशि अलग रखी गई है।

(4) प्राविधिक कर्मचारिवर्ग का सेवायोजन

राज्य और सम्पूर्ण देश दोनों ही में समग्र रूप से प्राविधिक कर्मचारिवर्ग में बेरोजगारी की समस्या बहुत ही कठिन है। राज्य स्तर पर बेरोजगारी कम करने के लिए जो कार्य किये जा रहे हैं उनके अतिरिक्त बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों को विशेषकर देहातों में कृषि सेवा केन्द्र स्थापित कर स्वतः रोजगार में लगाने के लिये ऋण आदि देने की योजना बनायी गई है यह आशा है कि इनसे बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों को लाभदायक व्यवसाय मिलने का मार्ग प्रशस्त होने के अतिरिक्त, राज्य में हरित क्रान्ति को गति प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1970–71 में 10.00 लाख रु० की बजट-व्यवस्था की गई थी और इस प्रयोजना के हेतु वर्ष 1971–72 के लिए 13.00 लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग 7.9. शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	श्रम कल्याण और कल्याण प्रशासन										
790101	क्षय रोग क्लीनिक्स पुनर्गठन और अतिरिक्त क्षय रोग अस्पतालों के लिये व्यवस्था ..	6 01	2 04	..	..	0.58	..	..	0 10	0.10	..
790102	श्रम कल्याण प्रशासन के क्षेत्रीय एवं मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण	2 09	..	..	0 01	0 26	..	0.06	0 07	..	..
790103	श्रम कल्याण केन्द्रों में परिवार नियोजन कक्ष की स्थापना	0 52	0 32	..	..	..	..	..	3.97	1.42	..
	योग (1)	8 62	2 36	..	0 01	0.84	..	0 06	4.14	1.52	..

मद—7.समाज सेवायें

वर्ग—7.9—शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 स्वीकृत व्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	श्रम कानून को लागू करना—										
790104	समझौता कार्य प्रणाली का विकेन्द्री करण एवं प्रसार—	7.80	..	..	0.22	2 03	0.51	0.40	1.12	..	..
790105	कारखाना निरीक्षण सेवाओं का सुदृढ़ीकरण ..	8 99	..	..	0.03	1.67	1.61	1.63	2.37	..	..
790106	न्यूनतम वेतन ऐक्ट एवं बोनस ऐक्ट को सुचारु रूप से लागू करने के कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण ..			..	0 04	2.50	1 20	1.20	1.98	..	..
	योग, (2) ..	34.86	..	..	0.29	6.20	3.34	3.23	5.47	..	..

अन्य योजनायें—										
790107 सेवा अनुभाग का प्रसार एवं पुनर्गठन ..	5.03	..	..	0.06	0.72	0.55	0.49	0.52	..	..
790108 मुख्यालय एवं क्षेत्र के सांख्यिकी अनुभागों का सुदृढ़ीकरण	5.02	..	..	0.09	0.39	0.39	0.39	0.42	..	..
790109 विभागीय पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें एवं समाचार-पत्रों को खरीदने के लिये व्यवस्था ..	0.50	..	..	0.10	0.10	0.07	0.07	0.10	..	..
790110 व्यावसायिक संघों की राज्य एवं क्षेत्रीय स्तरों पर बैठक व सम्मेलन ..	..	..	..	..	0.10	..	..	0.10	..	..
790111 व्यावसायिक संघ के कर्मचारियों का शैक्षिक भ्रमण ..	..	..	..	..	0.10	..	..	0.10	..	..
790112 श्रम आयुक्त कार्यालय के लेखा विभाग का सुदृढ़ीकरण ..	..	..	..	..	0.12	..	..	..	..	..
योग (1) ..	7.55	..	..	0.25	1.53	1.01	0.95	1.24	..	..
योग I—श्रम कल्याण ..	51.03	2.36	..	0.55	8.57	4.35	4.24	10.85	..	..
(2) जन शक्ति एवं सेवायोजन										
790201 सेवायोजन सेवा का विस्तार	8.20	..	..	0.16	1.47	0.60	0.60	1.17	..	..
790202 सेवायोजन बाजार सूचना का संग्रह किया जाना ..	0.75	..	..	..	0.15	0.15	0.15	0.15	..	..

मद—7, समाज सेवायें

वर्ग—7.9. शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण—(समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा		स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790203	व्यावसायिक प्रदर्शन योजना	4.10		..	0.04	0.56	0.36	0.36	0.67	..	..
790204	निदेशालय के सेवायोजना भाग का सुदृढ़ीकरण ..	1.60	..	..	0.01	0.33	0.10	0.10	0.29	..	..
790205	सेवायोजन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण ..	6.35	..	..	..	0.98	0.32	0.32	1.70	..	
	योग, (2) ..	21.00	..	..	0.21	3.49	1.53	1.53	3.98	..	..
	(3) शिल्पकार प्रशिक्षण										
790301	शिल्पकार प्रशिक्षण ..	255.50	175.00	..	53.58	78.64	51.06	51.06	32.72	..	..
790302	शिल्पकार प्रशिक्षण का केन्द्रीयकरण ..	39.00	..	..	0.27	14.50	17.53	17.53	16.07	..	..
790303	अपरेन्टिसशिप प्रशिक्षण ..	26.00	..	..	0.01	3.80	5.24	5.24	8.08	..	..

790304 औद्योगिक कार्यकर्ताओं के लिये अल्पकालीन कक्षाओं की व्यवस्था ..	1.00	..	..	..	1.00	..	..	..	..	..
790305 काशीपुर तथा चन्दौसी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का खोला जाना ..	..	..	..	1.06	..	..	2.40	3.30	..	..
योग, (3) ..	291.50	175.00	..	54.92	97.54	73.83	76.23	60.17	..	..
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिष्ठान ..	..	..	..	..	..	2.57	2.57	..	..	..
पांच पर्वतीय जिलों के लिये प्राविधान ..	..	..	.	..	..	..	..	5.13	..	..
योग, 7.9. शिल्पकार प्रशिक्षण और श्रम कल्याण ..	363.53	177.36	..	55.68	110.00	82.28	84.57	80.13	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.10 अन्य कार्यक्रम

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74			1969-70 संभावित व्यय	1970-71			1971-72		
		योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा		स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.0101	तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की योजना	50.00	..	..	..	4.00	10.00	10.00	13.00	..	..

21

अन्य कार्यक्रम

(1) सांख्यिकी

नियोजित विकास के लिए विश्वसनीय और नवीनतम आंकड़े उपलब्ध करना आवश्यक है। क्षेत्र की आवश्यकता पर विचार करते हुए वार्षिक योजना की अधिकतम धनराशि को जो 1969-70 में 1.00 लाख रु० थी, बढ़ा कर 1970-71 में 3.00 लाख रु० कर कर दिया गया था। चालू वर्ष 1970-71 के बजट में 2.73 लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था की गई थी। इसमें से वास्तविक व्यय 2.56 लाख रु० किया गया। वर्ष 1971-72 के लिए 3.24 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। संभागीय स्तर पर कृषि उत्पादन संबंधी लागत, व्यापार, परिवहन, पूंजी निर्माण, सेवायोजन, उपभोक्ता व्यय आदि के अनुमानों के बारे में चौथी योजना के प्रथम वर्ष में जो सर्वेक्षण किये गये थे वे वर्ष 1971-72 में भी जारी रहेंगी। जिला स्तर पर आय की गणना करने के प्रयोग का, पहले से प्राप्त अनुभव के आधार पर, कुछ और जिलों में भी विस्तार किया जायगा।

2—राज्य में विकास का मूल्यांकन करने और भावी नियोजन के लिये विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले आंकड़ों के सुधार की जांच-पड़ताल करने हेतु 10 उप-समितियों सहित एक सांख्यिकीय समन्वय समिति स्थापित की गई है। समिति और उप-समितियां 1971-72 में भी कार्य करती रहेंगी।

3—विभिन्न विभागों से जिला स्तर पर आधार-सामग्री एकत्र करने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। आवास और भवन संबंधी कार्यकलापों की आधार सामग्री भी एकत्र की जाती रहेगी। केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत 1970-71 में नमूने के तौर पर तैयार किये गये ढांचे के आधार पर 1971-72 में एक विस्तृत औद्योगिक सर्वेक्षण किया जायगा। थर्ड जनरेशन कम्प्यूटर अधिष्ठापित करके विभाग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1971-72 के लिए एक नई योजना अर्थात् यांत्रिक सारणीकरण इकाई का दृढ़ीकरण प्रस्तावित की गयी है, जिससे कि वह सर्वेक्षणों द्वारा एकत्रित आंकड़ों को सारणीकरण से संबंधित बढ़ते हुए कार्यभार को सम्हाल सके।

(2) सूचना एवं प्रचार

सूचना एवं प्रख्यापन क्षेत्र की स्कीमें योजनागत स्कीम के समर्थन में प्रख्यापन के लिए हैं जिससे कि उनके कार्यान्वयन में जनता के सहयोग को सुनिश्चित किया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सूचना विभाग प्रख्यापन के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है। चूंकि जिला स्तर पर प्रख्यापन व्यवस्था अधिकांशतः समाप्त कर दी गई है, इसलिए स्कीमों को सीधे राज्य मुख्यालय से चलाया जा रहा है। इन स्कीमों में प्रकाशन, चलचित्र निर्माण, किसान मेले और प्रदर्शनियां, विज्ञापन अभियान और सामुदायिक श्रवण योजना सम्मिलित है।

2—इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 के लिए 4.00 लाख रु० की धनराशि निर्धारित की गई है। तीन पोस्टर, 2 पैम्फलेट और 13 फोल्डर निकालने का लक्ष्य है। इनके अतिरिक्त 5 पर्वतीय जिलों में सामुदायिक श्रवण योजना के अंतर्गत 3 चलचित्रों का निर्माण, 4 नई पत्रिकाओं के प्रकाशन, 40 किसान मेले और प्रदर्शनियां और 8 विज्ञापन अभियान संगठित करने तथा 50 रेडियो सेट वितरित करने की योजनायें भी हैं। इस प्रयोजन के लिए 0.16 लाख रु० नियत किये गये हैं। वर्ष 1970-71 के दौरान लगाये गये टेलीविजन सेटों के अनुरक्षण कार्यक्रम को चलाते रहने का भी प्रस्ताव है।

(3) मूल्यांकन

योजना आयोग द्वारा स्थापित राज्यों के मूल्यांकन कार्यकारी दल (Working Group on Evaluation) की सिफारिश पर 1965-66 में उत्तर प्रदेश में एक मूल्यांकन संगठन स्थापित किया

गया था जिसका कार्य विकास कार्यक्रमों के प्रभावों का मूल्यांकन करना था। चौथी योजना में इस वर्ग के लिए 3.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

2--वर्ष 1969-70 के लिए स्वीकृत परिव्यय 0.77 लाख रुपये था। इसमें से 0.34 लाख रुपये का व्यय हुआ। वर्ष के दौरान आठ योजनाओं का मूल्यांकन किया गया।

3--वर्ष 1970-71 के लिए 0.70 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। 0.41 लाख रुपये का व्यय हुआ है। चार योजनाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया। 18 योजनाओं के मूल्यांकन का कार्य जारी रहा। इसके अतिरिक्त 12 नई योजनायें मूल्यांकन किये जाने के लिए चुनी गई।

4--वर्ष 1971-72 के लिए 0.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1970-71 की नई 12 योजनाओं तथा चालू योजनाओं पर मूल्यांकन का कार्य जारी रहेगा।

(4) शोध संबंधी कार्यकलाप

शोध संबंधी कार्यकलाप कार्यक्रम तृतीय योजना में प्रारंभ किया गया था और उस समय से कृषि, भूमि संरक्षण, ग्रामीण युवक प्रशिक्षण, ऊसर को कृषि योग्य बनाने, ग्रामीण उद्योग, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित अनेक समस्याओं का अध्ययन किया गया, कार्यकारी अभिकरणों के लाभार्थ समस्याओं का पता लगाया गया और उनके हल निकाले गये। चौथी योजना के लिए 20.00 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। पहले वर्ष (1969-70) के दौरान 4.50 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया था, परन्तु केवल 0.95 लाख रु० धनराशि का ही उपयोग किया जा सका। वर्ष 1970-71 के दौरान 4.50 लाख रु० का परिव्यय सम्मिलित किया गया था लेकिन वर्ष के अन्त तक केवल 1.06 लाख रु० की धनराशि का उपयोग किया जा सका। वर्ष 1971-72 के लिए 3.00 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'एकीकृत आधारिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' की योजना जारी रखने के लिये 0.46 लाख रु० की धनराशि सम्मिलित है। वर्ष 1971-72 के दौरान शोध संबंधी कार्यकलापों के अन्तर्गत चालू किये जाने वाले अस्थायी कार्यक्रम में पर्वतीय जिलों में भूमि संरक्षण, महिला कार्यक्रम पंचायत उद्योग, ग्रामीण शौचालय इत्यादि से संबंधित शोध कार्यक्रम सम्मिलित हैं। यह भी प्रस्ताव है कि छोटे-छोटे फार्मों के यंत्रीकरण, लाल मिट्टी के पाइपों के निर्माण, चुकन्दर तथा उसके रवे के आकार के विधायन और सुधार के लिए प्रविधियों, उपकरणों, उप-साधनों इत्यादि का विकास किया जाय, क्रिया एवं अनुशीलन कार्यक्रम के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, कर्मशालायें 'सेमिनार' (विचार गोष्ठियां) प्रदर्शनियां संगठित की जायें और क्रिया एवं अनुशीलन कार्यक्रम के संबंध में अन्वेषण प्रारंभ किया जाय।

(5) ग्रामीण जन शक्ति कार्यक्रम

वर्तमान नीति यह है कि सामान्य विकास कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगारी कम करने के उद्देश्य से बनायी जाने वाली योजनाओं का संबद्ध किया जाय। चौथी पंचवर्षीय योजना के ग्रामीण-जन-शक्ति कार्यक्रम में अधूरे निर्माण-कार्य पूरे किये जाने और कुछ नये निर्माण-कार्य भी, जिसके लिए 247.00 लाख रु० के परिव्यय की धनराशि नियत की गई है, प्रारम्भ किये जाने की व्यवस्था है।

2--वर्ष 1969-70 में 89.50 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी थी जिसमें से 50.73 लाख रु० की धनराशि का उपयोग किया गया। 1970-71 में 100.00 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी जिसके वर्ष के दौरान उपयोग कर लिया गया। 1971-72 के लिए 89.00 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

3—उन निर्माण कार्यों के जो 1969-70 तक पूरे कर लिये गये हैं, जिनके 1970-71 के दौरान पूरे किये जाने की संभावना है और जिनके 1971-72 में पूरे किये जाने का प्रस्ताव है, विवरण निम्नलिखित है: (लाख रुपयों में)

पद	इकाई	1969-70		1970-71	1971-72
		उपलब्धि	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1 छोटे गांव की सड़कें ..	कि०मी०	73	490	490	400
2 गांव की बंधियां ..	कि०मी०	..	37	37	..
3 सिंचाई और मत्स्य पालन के लिए तालाब ..	सं०	..	187	187	..

खण्ड—8. विविध

वर्ग 8.1 सांख्यिकी

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	वर्ग/योजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आय–व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
810101	खेती उत्पादन व्यापार यातायात कैपिटल फारमेशन सेवा योजन, उपभोक्ता व्यय का क्षेत्रीय स्तर पर सर्वेक्षण	7.00	..	..	0.06	0.95	0.95	0.95	1.26	..	..
810102	जिला स्तर पर आय का अनुमान करना ..	2.50	..	..	0.04	0.53	0.53	0.53	0.66	..	..
810103	जिला सांख्यिकी अभिकरण का सुदृढ़ीकरण ..	1.50	..	..	0.09	0.38	0.38	0.38	0.41	..	..
810104	सांख्यिकी आंकड़ों का सुधार	1.32	..	..	0.90	0.29	0.29	0.29	0.27	..	..
810105	निदेशालय के लिये एक जीप की व्यवस्था ..	0 67	..	..	0 31	0.08	0.08	0.08	0.08	..	..

810106 आवास कक्ष की स्थापना ..	1.31	..	..	0.11	0.33	0.33	0.33	0.24	..	..
810107 जिला सांख्यिकी पुस्तक को तैयार करना ..	1.00	..	..	..	0.11	..	..	..	..	
810108 उत्तराखंड मंडल क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों का संग्रह करना ..	3.00			..	0.33	0.17	..	0.15	..	.
810109 स्थानीय निकाय की सांख्यिकी मैनुअल को तैयार करना	2.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
810110 यांत्रिक सारणीकरण कक्ष का सुदृढ़ीकरण ..	..	..	..	..	..	..	..	0.20	-	..
योग 8.1—सांख्यिकी	**20.30**	..	..	**0.70**	**3.00**	**2.73**	**2.56**	**3.27**	..	..

मद—8. विविध
वर्ग—8.2. सूचना तथा प्रसार

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 स्वीकृत परिव्यय	आयव्ययक प्रविधान	अनुमानित व्यय	1971-72 परिव्यय योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
820101	प्रकाशन ..	5.00	..	..	1.32	1.00	1.00	1.00	1.00	..	..
820102	फिल्म एवं फोटोग्राफी ..	5.60	..	..	1.70	1.40	1.40	1.40	1.65	..	..
820103	किसान मेले तथा प्रर्दशनियां	5.10	..	..	1.10	1.00	0.97	0.97	1.00	..	..
820104	भाषायी समाचार पत्रों एवं विशेषज्ञों के लिये विज्ञापन	1.80	..	..	0.19	0.28	0.28	0.28	0.32	..	..
820105	सामुदायिक श्रवण योजना ..	2.50	..	..	..	0.32	0.32	0.32	..	..	..
820106	टेलीविजन द्वारा प्रसार ..	..	..	..	..	..	0.03†	0.03	0.03	..	..
	सामुदायिक विकास विभाग										
820201	जिला नियोजन का प्रकाशन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग ..	20.00	..	..	4.31	4.00	4.00	4.00	4.00	..	..
	योग 8-2 सूचना तथा प्रसार	**20.00**	..	..	**4.31**	**4.00**	**4.00**	**4.00**	**4.00**	..	..

मद—8 विविध

वर्ग—8.5. मूल्यांकन

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			1969–70 वास्तविक	1970–71			1971–72 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	व्यय	स्वीकृत परिव्यय	आय-व्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
850101	मूल्यांकन संगठम ..	3.00	..	..	0.34	0.70	0.51	0.41	0.50	..	..

मद—8. विविध

वर्ग—8.6. अन्य

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 स्वीकृत परिव्यय	आयव्ययक प्राविधान	अनुमानित व्यय	1971–72 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	विकास अन्वेषणालय										
860101	विकास अन्वेषणालय के शोध कार्यक्रम ..	20.00	..	..	0.85	4.04	1.49	0.86	2.54	..	..
860102	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एकीकृत मूल्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम ..	..	..	..	0.10	0.46	0.46	0.20	0.46	..	..
	योग ..	20.00	..	..	0.95	4.50	1.95	1.06	3.00	..	..
860201	ग्रामीण जनशक्ति योजना	247.00	..	..	50.78	83.47	100.00	100.00	89.00	..	..

860301	दशमलव, प्रणाली के बांट तथा माप योजना—										
	(क) खाद्य तथा रसद विभाग	8.00	..	..	1.00	0.50	..	..	2.00	..	..
	(ख) कृषि विभाग ..	..	..	..	..	..	..	..	0.15	..	..
	शिक्षा विभाग										
860401	युवक तथा बाल-कल्याण ..	50.00	..	..	.	..	..	..	..	..	..
	अन्य ..	18.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग 8.6. विविध ..	**343.00**	..	..	**52.73**	**88.47**	**101.95**	**100.89**	**94.32**	..	..

वर्ष 1970-71 के आय-व्ययक राजस्व प्राप्तियां तथा व्यय क्रमश: 21.07 लाख रुपये तथा 19.40 लाख रुपये दिखायी गयी है अत: स्वीकृति परिव्यय के समक्ष कोई भी आय-व्ययक नहीं रखा गया है।

22

पिछड़े क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश निस्संदेह देश के सबसे अधिक पिछड़े हुए राज्यों में से एक है। राज्य में विभिन्न सम्भागों के आर्थिक विकास के स्तरों में भी असमानताएं हैं। पन्द्रह पूर्वी जिले, आठ पर्वतीय जिले और बुन्देलखंड अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े हुए तथा विशेष समस्याओं वाले क्षेत्र माने गये हैं।

2--पूर्वी सम्भाग की विशिष्टता उसकी घनी जन-संख्या, कृषि पर पूर्ण निर्भरता, विखंडित तथा बिखरी हुई कृषि-जोतें, कृषि के अतिरिक्त अन्य रोजगार की कमी, अपर्याप्त संचार साधन, अपर्ण रोजगार तथा रहन-सहन का निम्न स्तर है। इस सम्भाग की जन-संख्या का घनत्व 404* प्रतिवर्ग किलोमीटर है, जबकि पूरे राज्य का यह घनत्व 307* प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति व्यक्ति कृषि-योग्य भूमि की उपलब्धता अपेक्षाकृत बहुत कम है, जो कि प्रति कृषि कर्मकर (वर्कर) के आधार पर केवल 0.59 हेक्टर है, जब कि पूरे राज्य का यह औसत 0.83 हेक्टर है। जोतों का आकार बहुत छोटा है, जो कि इस बात से स्पष्ट हो जायगा कि 75 प्रतिशत से अधिक कृषि करने वाले परिवारों के पास 5 एकड़ (2 03 हेक्टेयर) से कम की जोतें हैं। इस संभाग में कृषक वर्गों की जोतों के आकार के सम्बन्ध में पटेल समिति के कथन की पुनरावृत्ति करना प्रासंगिक होगा।

"पूर्वी जिलों में कृषि से होने वाली आय, जो कि खेती की गयी प्रति एकड़ भूमि पीछे कम है, और भी कम हो जाती है जब कि उसमें हिस्सा बंटाने वाले अधिक व्यक्ति होते हैं। प्रति व्यक्ति अथवा प्रति परिवार पीछे खेती की गयी भूमि औसत रूप से कम ही नहीं है, वरन् उसका वितरण बहुत विषम है, जिसके परिणामस्वरूप नीचे की श्रेणी के परिवारों की बहुत बड़ी संख्या के पास उसकी तुलना में कहीं कम आय होगी जिसका संकेत औसत आय से होता है।"

3--इस संभाग की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला एक मुख्य कारण यहां पर बार-बार बाढ़ का आना और सूखे का पड़ना है। बार-बार बाढ़ के आने से न केवल एक ऐसे क्षेत्र को भारी हानि उठानी पड़ती है, जो कि उसे सहन करने में असमर्थ है, वरन यह वहां के निवासियों के विकास के लिये कोई कदम उठाने की प्रेरणा को भी समाप्त कर देता है। इस क्षेत्र में अक्सर सूखा पड़ता रहता है। वर्षा वर्ष के दौरान हमेशा समान रूप से नहीं होती; प्रायः बीच-बीच में लम्बे समय तक वर्षा नहीं होती जिसके कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उसका फसलों पर कुप्रभाव पड़ता है। मानसून के इस अनिश्चित व्यवहार, थोड़ी अवधि तक घनी वर्षा होना और उसके पश्चात् अधिक समय तक वर्षा का न होना--के परिणामस्वरूप पानी का जमा होना, बाढ़ और सूखा सभी एक साथ एक ही ऋतु में आ जाते हैं। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ है। प्रति लाख जन-संख्या पर रजिस्टर्ड कारखानों में लगे हुये व्यक्तियों की संख्या 1967-68 में 196 थी, जब कि राज्य का यह औसत 377 था।

4--इस संभाग में शिक्षित जनता का प्रतिशत राज्य की औसत की तुलना में कम है। 1961 की जन-गणना के अनुसार, संभाग की साक्षरता का प्रतिशत 15.9 था, जब कि सम्पूर्ण राज्य का यह प्रतिशत 17.6 था।

5--इस संभाग में बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगारी व्यापक रूप से व्याप्त है। यद्यपि बेरोजगारी या अपूर्ण रोजगारी का कोई सीधा व विश्वसनीय माप दंड उपलब्ध नहीं है, किन्तु इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि यहां जन-शक्ति का बड़े पैमाने पर अपूर्ण उपयोग होता है। इस क्षेत्र से बहुत से लोग दूसरे राज्यों में जीविका प्राप्ति के लिये जाते हैं।

---

*1970 की जन-संख्या के प्रक्षिप्त अनुमानों के अनुसार।

6—इस संभाग में बहुत सी नदियां-नाले और जल निकास के नाले फैले हुए हैं, जिसके कारण संचार व्यवस्था बहुत कठिन हो जाती है ।

7—पर्वतीय संभाग का सामरिक महत्व है । इस संभाग की अनुमानित जनसंख्या तथा क्षेत्रफल क्रमश: 38.03* लाख और 51,100 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल का क्रमश: 4.2 और 17.4 प्रतिशत होता है । इस संभाग की अपनी भौगोलिक विशिष्टतायें हैं और उसके फलस्वरूप इसकी अपनी विशेष समस्यायें हैं। यहां आबादी छितरी बसी है । प्रति वर्ग किलोमीटर जन-संख्या का घनत्व 74 हैं जो कि राज्य के दूसरे संभागों की तुलना में सबसे कम है पूरे राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जन-संख्या का घनत्व 307 है यहां की जनता की जीविका का मुख्य साधन कृषि है। 1961 की जन-गणना के अनुसार 80 प्रतिशत काम करने वाले कृषि में लगे हुये थे । यद्यपि कृषि इस संभाग का मुख्य व्यवसाय है, तथापि कृषि प्रक्रिया यहां काफी कठिन है । भूमि के चट्टानी होने के कारण, खेती केवल पर्वतों की घाटियों और ढलानों में ही संभव है । वर्ष 1967-68 में प्रति लाख जन-संख्या पीछे रजिस्टर्ड कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या 244 थी, जबकि राज्य का यह औसत 377 था । सिंचाई भी यहां आसान नहीं है । परिवहन तथा संचार व्यवस्था के साधन इस संभाग के आर्थिक जीवन में विशेष महत्व रखते हैं । अधिकांश क्षेत्र में पेय जल की सुविधायें बहुत ही कम हैं । यह अनुमान लगाया गया है कि 3,395 ग्रामों में पेय जल की कठिन समस्या है ।

8—बुन्देलखण्ड संभाग की जन-संख्या तथा उसका क्षेत्रफल क्रमश: 42.83* लाख तथा 29,459 वर्ग किलोमीटर है, जोकि राज्य की जन-संख्या तथा क्षेत्रफल का क्रमश: 4.7 और 10 प्रतिशत है। इस संभाग की आबादी छितरी बसी है। जन-संख्या का घनत्व प्रतिवर्ग किलोमीटर 145 है, जबकि राज्य का यह औसत 307 है। जीविका का मुख्य साधन कृषि है। 75 प्रतिशत से अधिक कर्म-कर (वर्कर) कृषि में लगे हुए हैं। प्रति कृषि कर्मकर (वर्कर) पीछे कृषि योग्य भूमि अन्य संभागों की अपेक्षा अधिक है। पूरे राज्य में प्रति कृषि कर्मकर (वर्कर) पीछे भूमि 0.83 हेक्टर है जबकि इस संभाग में 1.85 हेक्टर है। इस क्षेत्र की जोतों का आकार भी राज्य की औसत जोतों की अपेक्षा बड़ा है किन्तु उनकी उत्पादकता कम है। खेती करने वाले परिवारों के लगभग आधे भाग (48.9 प्रतिशत) के पास 7.5 एकड़ (3.04 हेक्टर) या इससे अधिक की जोते हैं, जब कि राज्य का यह प्रतिशत केवल 19 है। इस संभाग की कुछ विशेष समस्यायें हैं, जैसे कि भूमि की अल्प-उर्वरता, भीतरी क्षेत्रों में सड़कों की बड़ी कमी जिसके कारण ग्रामीण भाग मण्डियों और रेल केन्द्रों से संबद्ध नहीं हो पाते, बड़े क्षेत्र में पेय जल की काफी कमी, कृषि योग्य बंजर भूमि के अन्तर्गत बहुत बड़े क्षेत्र का होना, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव और नगण्य औद्योगिक विकास। वर्ष 1968-69 के अन्त तक इस संभाग में पक्की सड़कों के निर्माण के लिये बम्बई योजना सूत्र के अनुसार निर्धारित लक्ष्य का केवल 45.6 प्रतिशत पूरा हो पाया था। जबकि सम्पूर्ण राज्य का यह पूर्ति प्रतिशत 62 था। कुल बोये गये क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में कुल सिंचित क्षेत्र वर्ष 1967-68 में 13.1 था, जबकि पूरे राज्य में यह प्रतिशत 28.0 था। शुद्ध बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में दोफसली क्षेत्र केवल 10.5 था, जबकि राज्य भर के लिये यह 29.6 था। इस संभाग में कृषि योग्य बंजर भूमि के बड़े-बड़े खंड हैं। 1967-68 में कृषि योग्य बंजर भूमि के अन्तर्गत 4.12 लाख हेक्टर क्षेत्र था जोकि बोये गये क्षेत्र का 24 प्रतिशत है। वर्ष 1967-68 में रजिस्टर्ड कारखानों में लगे कर्मकरो की संख्या प्रति लाख जन-संख्या पर केवल 141 थी जबकि राज्य का यह औसत 377 था। सम्भाग के कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी की बड़ी कमी है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2,710 गांवों में पीने के पानी की कठिन समस्या है।

9—राज्य सरकार इन संभागों की समस्याओं से अवगत है और इनके विकास के लिए वह बराबर प्रयास कर रही है। इन क्षेत्रों को विकसित करने के कार्य पर पिछली योजनाओं की अपेक्षा, तीसरी योजना से अधिक ध्यान दिया गया। यद्यपि विभागीय परियोजनायें तथा कार्यक्रम इसके पूर्व संभागीय आधार पर तैयार नहीं किये गये थे किन्तु कम विकसित क्षेत्रों के विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति

---

*1970 की जन-संख्या के प्रक्षिप्त अनुमानों के अनुसार।

करने हेतु कार्यक्रम सम्मिलित करने के प्रयत्न किये गये थे। तीसरी योजना तथा तीन वार्षिक योजनाओं में इन क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं पर हुए व्यय की धनराशि 391.40 करोड़ रुपये थी जैसा कि परिशिष्ट 1 से 3 में दिया गया है। यह समस्त राज्य में हुए व्यय का 52.5 प्रतिशत है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में व्यय का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक था क्योंकि इन क्षेत्रों की जन-संख्या समस्त राज्य की जन-संख्या का केवल 47.3 प्रतिशत है। राज्य की उत्तरी सीमा के सामरिक महत्व तथा गिरी हुई आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर उत्तराखंड का एक पृथक प्रभाग (डिवीजन) सृजित किया गया और विकास के विशेष कार्यक्रम आरंभ किये गये जो अब भी कार्यान्वित किये जा रहे हैं। एक पर्वतीय विकास परिषद् गठित की गई है जिसका कार्य पर्वतीय क्षेत्र के विकास के हेतु योजनाएं तैयार करना और उनकी प्रगति समीक्षा करना है।

10—देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर तथा गाजीपुर जिलों के विकास स्तर का मूल्यांकन करने और इनमें विकास के उपायों तथा साधनों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए 1962 में एक संयुक्त अध्ययन दल जिसे पटेल कमेटी भी कहा जाता है, नियुक्त किया गया था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट 1964 में प्रस्तुत की थी और उसकी सिफारिशों के आधार पर 1964–65 में विकास कार्य प्रारंभ किया गया। बाद में 1966–67 में इन कार्यक्रमों में बलिया और बस्ती को भी सम्मिलित कर लिया गया। भारत सरकार ने केवल एक वर्ष यानी 1964–65 में 4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी थी। इसके पश्चात् इस कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। तब भी राज्य सरकार ने अपने अल्प साधनों के अन्तर्गत जो हो सकता था किया और प्राथमिक कार्यक्रमों के लिए विशेषरूप से धन की व्यवस्था की।

11—राज्य की चौथी योजना का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक अवस्थापना के सम्बन्ध में पिछड़े क्षेत्रों तथा अपेक्षाकृत अधिक विकसित क्षेत्रों के बीच विषमता कम की जाय। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इन संभागों के लिए अपेक्षाकृत अधिक परिव्यय आवंटित किया गया है। चौथी योजना में इन संभागों के लिए 338.40 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है जो कि समस्त राज्य के कुल परिव्यय, जिसे विभिन्न संभागों में वितरित किया जा सकता है, का 54.4 प्रतिशत है। चौथी योजना तथा वार्षिक योजनाओं के कार्यक्रमों को तैयार करने में संभागीय विषमताएं कम करने के उद्देश्य को ध्यान में रखा गया है।

वर्ष 1971–72 की वार्षिक योजना में पूर्वी पर्वतीय और बुन्देलखंड सम्भागों के लिये क्रमश: 67.95 करोड़ रुपये, 15.55 करोड़ रुपये और 10.35 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित किये गये हैं। विकास की मुख्य मदों के अनुसार परिव्ययों का विभाजन नीचे दर्शाया गया है:—

(लाख रुपयों में)

विकास मद	सम्भाग			
	पूर्वी	पर्वतीय	बुन्देलखंड	योग
1—कृषि कार्यक्रम	1501.83	298.87	248.14	2048.84
2—समवर्गी कार्यक्रम ..	124.18	139.85	14.00	278.03
3—सहकारिता तथा सामुदायिक विकास	149.69	29.04	20.50	199.23
4—सिंचाई तथा विद्युत् ..	4123.05	446.06	378.00	4947.11
5—उद्योग एवं खनिकर्म ..	52.87	22.76	10.15	85.78
6—परिवहन तथा संचार साधन	171.50	291.22	86.25	548.97
7—सामाजिक सेवायें ..	587.07	326.15	274.98	1188.20
8—विविध ..	85.27	1.08	2.65	89.00
योग ..	6795.46	1555.03	1034.67	9385.16

12—पिछड़े क्षेत्रों के लिये जो परिव्यय उपर्युक्त तालिका में दर्शाये गये हैं उनमें उन परियोजनाओं के परिव्यय सम्मिलित नहीं हैं जो बहु-सम्भागीय हैं और फलस्वरूप इन परियोजनाओं का संभागीय विभाजन संभव नहीं है। शोध, प्रशिक्षण, मुख्यालय के कर्मचारिवर्ग और इंजीनियरिंग कालेजों आदि से संबंधित परियोजनायें इसी श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं। इन परियोजाओं से भी पिछड़े क्षेत्रों को लाभ होगा।

13—वर्ष 1971-72 के लिये प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित प्रस्तरों में दी गयी हैं—

पूर्वी क्षेत्र

14—कृषि ही यहां के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है। अतएव, कृषि सम्बन्धी उत्पादन पर जोर दिया जायगा। वर्ष 1971-72 में कृषि उत्पादन के लिये 437.53 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 10.71 लाख हेक्टेयर अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत और 36.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अन्य उन्नत किस्मों के अन्तर्गत लाया जायगा। 2.73 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरित किये जायंगे और 27.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पौध संरक्षण के अन्तर्गत लाया जायगा। वाराणसी, बस्ती और गोरखपुर में धान की खेती का सघन पैकेज प्रोग्राम और गोंडा और फैजाबाद जिलों में गेहूं का पैकेज कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को 1971-72 में और सघन किया जायगा। फैजाबाद में स्थापित चावल शोध संस्थान वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों के लायक किस्मों के विकास में अधिक सहायक होगा। मिर्जापुर जिले के पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं के गोदाम बनाने का प्रस्ताव है, जिससे कि किसानों के लिये इन निवेशों (inputs) की यथासंभव निकटतर स्थानों में व्यवस्था हो सके। मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से तीनों संभागीय मुख्यालयों पर तीन सचल मिट्टी परीक्षण इकाइयों (Mobile Soil Testing Units) की व्यवस्था की जायगी। इलाहाबाद, गोरखपुर और वाराणसी शहरों में शाक-सब्जियों की गृह-वाटिकाओं को विकासित करने की एक परियोजना 1971-72 से चलाने का प्रस्ताव है। आजमगढ़ जिले में लाक का एक फार्म एवं प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किया जायगा। बस्ती में एक फल शोध केन्द्र स्थापित किया गया है जहां उन्नत कलमों और बीज से उगाये जाने वाले पौधों की उत्पादन क्षमता में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। वर्ष 1971-72 में इस कार्य को और आगे बढ़ाया जायगा। इस शोध केन्द्र की देखरेख में केला और अनन्नास की खेती के पैकेज कार्यक्रम गोरखपुर मण्डल के चार जिलों में चलाये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में वर्ष 1971-72 से मसाले का विकास करने का प्रस्ताव है। छोटे किसानों की, जिनकी संख्या इस संभाग के किसानों में काफी है, समृद्धि के लिये चालू वर्ष से प्रतापगढ़ जिले में एक विशेष परियोजना चलाई गई है।

15—भूमि कटाव की हानि को नियंत्रित करने के लिये 147.80 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। भूमि-संरक्षण कार्यों द्वारा 0.92 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार की व्यवस्था की गयी है।

16—इस संभाग के सभी जिलों में चकबन्दी चल रही है। वर्ष 1971-72 के दौरान 4.57 लाख हेक्टेयर भूमि की चकबन्दी के लिये 315.80 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

17—लघु सिंचाई के निर्माण कार्यों पर काफी जोर दिया जायगा। लक्ष्य ये हैं: 15,000 पक्के कुओं का निर्माण, 30,000 कुओं की बोरिंग, 9,375 पम्प-सेटों और 16,500 निजी नलकूपों का लगाया जाना। इन निर्माण कार्यों से 1.86 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी। इसके अलावा राजकीय लघु सिंचाई कार्यों के माध्यम से 0.53 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी। वृहत् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये 11.52 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्राविधान किया गया है जिससे 1.41 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी।

18—इस संभाग में सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 286 ऐसी आर्थिक रूप से सक्षम (viable) सहकारी समितियों के संगठन का प्रस्ताव है जिनकी सदस्यता 1.82 लाख होगी। क्रमश: 18.35 करोड़ रुपये, 2.00 करोड़ रुपये और 7.35 करोड़ रुपये के अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण वितरित किये जायंगे। एक प्राथमिक क्रय-विक्रय समिति और छः ग्रामीण गोदामों की स्थापना की जायगी।

19—इस संभाग की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला एक बड़ा कारण बार-बार बाढ़ों का आना है। वर्ष 1971-72 में संभाग की बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के लिये 81.55 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

20—कृषि तथा उद्योग के विकास की गति को तीव्र करने में विद्युत् सुविधाओं का एक प्रमुख योगदान होता है। वर्ष 1971-72 के दौरान इस संभाग को लाभ पहुंचाने वाली विद्युत् परियोजनाओं में 28.90 करोड़ रुपये पारिव्यय के लगने का अनुमान है। 1971-72 के दौरान (66 किलो वाट और उससे अधिक की) 12 पारेषण (transmission) लाइनों तथा संबंधित उप केन्द्रों पर निर्माण कार्य जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, 37.5/33 किलोवाट की 700 किलोमीटर माध्यमिक पारेषण तथा वितरण लाइनों (Secondary transmission and distribution) तथा संबंधित उपकेन्द्रों पर भी निर्माण कार्य जारी रहेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 कस्बों तथा ग्रामों को बिजली दी जायगी और 7,150 निजी नलकूपों और पंप सेटों का विद्युतीकरण किया जायगा।

21—कृषि में विविधता (diversification) लाने तथा उसे सघन बनाने के अतिरिक्त, संभाग में व्याप्त बेरोजगारी तथा अपर्याप्त रोजगारी (under employment) की समस्या का हल लघु-स्तरीय तथा कुटीर उद्योगों के विकास में है। संभाग में ग्रामीण एवं लघु-स्तरीय उद्योगों के विकास के लिये 1971-72 के दौरान 52.87 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। हथकरघा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 240 करघों को सहकारिता क्षेत्र में लाने का प्रस्ताव है, जिनके द्वारा 685 लाख मीटर हथकरघा वस्त्र तैयार किया जायगा। इन सहकारी समितियों के लिये अंश पूंजी ऋण के रूप में 3.67 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की जायगी। दो भाण्डागारों, एक रंगाई घर और दो विक्रय केन्द्रों (सेल डिपो) की स्थापना का भी प्रस्ताव है। हथकरघा वस्त्र की बिक्री पर 6.25 लाख रुपये की छूट दी जायगी।

22—लघुस्तरीय उद्योगों के विकास के लिये क्रमश: 20 लाख रुपये और 2 लाख रुपये ऋण तथा विद्युत् अनुदान के रूप में वितरित किये जायंगे। लघुस्तरीय इकाइयों को 7 लाख रुपये मूल्य की मशीनें किराया-खरीद के आधार पर दी जायंगी। बत्तीस (गैर-सूती) लघु-स्तरीय औद्योगिक सहकारी समितियां भी गठित की जायंगी। चुनार (मिर्जापुर) स्थित पाटरी के सामान्य सुविधा एवं शोध केन्द्र में 1 लाख रुपये मूल्य के कच्चे माल का विधायन (processing) किये जाने का प्रस्ताव है और 2.50 लाख रुपये मूल्य का माल तैयार किया जायगा। स्थानीय उद्यमियों के लिये 20,000 रुपये मूल्य की सहायता संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था की जायगी और बहु-उद्देशीय यांत्रिक कार्मशाला (multipurpose mechanical workshop) देवरिया में 2.30 लाख रुपये मूल्य का सामान तैयार किया जायगा।

23—वाराणसी स्थित तांबा प्रालाक्षण (Lacquering) सामान्य सुविधा एवं शोध केन्द्र में 2.50 लाख रुपये के मूल्य का हस्तशिल्प का सामान तैयार किया जायगा। एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन इकाई की स्थापना का भी प्रस्ताव है, जहां वर्ष 1971-72 के दौरान 1.5 लाख रुपये के मूल्य की वस्तुएं तैयार की जायंगी। हस्तशिल्प सहकारी समितियों को ऋण तथा अनुदान के रूप में 60,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जायगी।

24—इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने ग्यारह जिलों अर्थात् आजमगढ़, बहराइच, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा, देवरिया और बस्ती का चयन किया है, जिनके लिये वित्तीय संस्थाओं के द्वारा रियायती वित्त उपलब्ध किया जायगा।

25—अपेक्षाकृत अच्छी संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से वर्ष 1971-72 में 1.71 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। 65 किलोमीटर नयी सड़कें और दो पुलों

का निर्माण किया जायगा। 150 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण और सुधार भी किया जायगा।

26—प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिये 83 जूनियर बेसिक स्कूलों की स्थापना और 1480 अतिरिक्त शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1970-71 में कक्षा 1 से 5 तक में हुई 42.42 लाख छात्र-छात्राओं की भर्ती की संख्या की तुलना में 1971-72 में यह संख्या 43 लाख हो जायगी। 20 नये भवनों के निर्माण और 15 भवनों के सुधार हेतु अनुदान दिये जायंगे। बालिकाओं के लिये शिक्षा की और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के निमित्त 14 क्रमागत कक्षायें चलाई जायंगी और 148 स्कूल दाइयों (school mothers) की नियुक्ति की जायगी। एक सौ पन्द्रह, सीनियर बेसिक स्कूल खोले जायेंगे और 176 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जायगी। कक्षा 6 से 8 की भर्ती 1970-71 के 6.84 लाख से बढ़ कर 1971-72 में 6.95 लाख हो जायगी। चुने हुए सीनियर बेसिक स्कूलों को सहायता अनुदान दिया जायगा। 30 और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जायंगे और कक्षा 9-12 में 20,000 अधिक भर्तियां होंगी। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से चुनी हुई पाठशालाओं का नाम अनुदान सूची में रखने और उपयुक्त पाठशालाओं को भवन, साज-सज्जा, पुस्तकालयों, विज्ञान संबंधी उपकरणों तथा विज्ञान प्रयोग-शालाओं के निर्माण के लिये अनावर्तक अनुदान स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

27—अपेक्षाकृत अधिक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से वर्तमान चिकित्सालयों में 68 अतिरिक्त शय्याओं का प्रबन्ध किया जायगा और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक औषधालय स्थापित किया जायगा। एक रंजित रोग क्लीनिक, एक शिशु क्लीनिक और दो दन्त क्लीनिक खोले जायंगे। एक कुष्ठ रोग नियंत्रण इकाई भी स्थापित की जायगी। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1.29 लाख बन्ध्याकरण और 0.75 लाख लूपनिवेशन के कार्य किये जायंगे।

28—यह अनुमान लगाया गया है कि इस संभाग में 11,238 ग्रामों को, जिनकी जनसंख्या 76.20 लाख है, प्रतिवर्ष पेय जल की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 1969-70 तक, 546 ग्रामों के लिये, जिनकी जन-संख्या 2.06 लाख थी, सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था की जा चुकी थी। इस प्रकार 1 अप्रैल, 1970 को 10,692 ग्रामों के लिये, जिनकी कुल जनसंख्या 74.14 लाख है, अभी भी सुरक्षित जल सम्पूर्ति की व्यवस्था की जानी है। संसाधनों की कमी के कारण 1971-72 के दौरान ग्रामीण जल सम्पूर्ति की स्कीमों के लिये केवल 26.735 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करना संभव हो सका है। इन स्कीमों के अन्तर्गत दो ग्राम, जिनकी जनसंख्या 0.13 लाख है, लाभान्वित होंगे।

29—ग्रामीण जनशक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने तथा पूंजी परिसम्पत्ति (Capital assets) के सृजन करने की दृष्टि से ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1961-62 से चलाया जा रहा है। वर्ष 1971-72 के दौरान इस कार्यक्रम के लिये 84.54 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। 390 किलोमीटर छोटी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जायगा।

बुन्देलखंड

30—वर्ष 1971-72 के दौरान कृषि उत्पादन के लिये 52.74 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। उत्पादन बढ़ाने के लिये लगभग 83,000 हेक्टेयर क्षेत्र अधिक उपज देने वाले किस्मों के अन्तर्गत लाया जायगा जबकि 1970-71 के दौरान 67,000 हेक्टेयर क्षेत्र लाये जाने की आशा है। लगभग 11.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अन्य उन्नत किस्मों के अन्तर्गत लाया जायगा। और 11,000 मीट्रिक टन उर्वरक वितरित किया जायगा। 6.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पौध संरक्षण के अन्तर्गत लाया जायगा। झांसी और बांदा में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। मिट्टी परीक्षण का कार्य सम्भागीय मुख्यालयों में एक सचल मिट्टी परीक्षण गाड़ी की व्यवस्था करके और सुदृढ़ किया जायगा। अगम्य क्षेत्रों में उर्वरक एवं कीटनाशक (pesticides) के गोदामों

के निर्माण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि किसानों के लिये उनके कार्य क्षेत्र के समीप ही आवश्यक निवेशों (Inputs) जैसे उर्वरक बीज तथा कीटनाशकों की यथासंभव व्यवस्था की जा सके। बांदा जिले में सोयाबीन की खेती का विकास किया जायगा। नीबू की जाति के फलों के विकास का पैकेज कार्यक्रम, जो इस संभाग में कार्यान्वित किया जा रहा है, अधिक तीव्रगति से किया जायगा। मउरानीपुर (झांसी में) एक उप-केन्द्र (सब-स्टेशन) में जल व्यवस्था (water management) का अध्ययन कार्य आरम्भ किया जायगा। शुष्क खेती करने की, केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित एक परियोजना चालू वर्ष से झांसी जिले के ललितपुर परगने में आरम्भ की गयी है। इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न साधनों की जैसे जल संरक्षण (वाटर हार्वेस्टिंग) पत्तियों पर खाद का छिड़काव करके उनके आवश्यक पौष्टिक तत्व देना आदि (foliar feeding) सूखा-निरोधक किस्में उगानें, के सम्बन्ध में निकटवर्ती क्षेत्र में व्यापक प्रयोग के हेतु प्रदर्शन किये जायेंगे।

31—इस क्षेत्र में तेजी से भूमि कटाव हो रहा है। भूमि कटाव की रोकथाम के लिये 20 उप-इकाइयां (सब-यूनिट्स) स्थापित की गयी है। ये इकाइयां मुख्यत: कृषि जल समेट क्षेत्रों में (water sheds) भूमि तथा जल संरक्षण कार्य कर रही हैं। 1971-72 के दौरान लगभग 37,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर कृषि विभाग द्वारा भूमि संरक्षण कार्य किया जायगा जिसके लिये 61.00 लाख रुपये परिव्यय प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 12.40 लाख रुपये परिव्यय वन विभाग के लिये उसको वन रोपण परियोजना के हेतु आवंटित किया जा रहा है।

32—सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था के लिए निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम को और तेजी से चलाया जायगा। 1971—72 के लक्ष्य इस प्रकार हैं :— 6,000 पक्के कुओं का निर्माण, 1,400 कुओं की बोरिंग, 2260 पंपसेटों तथा 350 निजी नलकूपों का लगाया जाना। बंधियों का निर्माण अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर किया जायगा। 1971-72 के दौरान लगभग 45,000 बंधियों के निर्माण का प्रस्ताव है। लघु सिंचाई कार्यों के माध्यम से लगभग 37,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जायगा राज्य लघु सिंचाई कार्यों से लगभग 5,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी। मध्यम सिंचाई कार्यों के लिए 100.00 लाख रुपये परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है जिससे लगभग 2,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा।

33—ऋण तथा अन्य सेवा सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से 18 आर्थिक रूप से सक्षम सहकारी समितियां जिनकी सदस्य संख्या 13,000 होगी संगठित की जायगी। अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण क्रमश: 2.50 करोड़ रुपये 1.00 करोड़ रुपये तथा 1.30 करोड़ रुपये होगा। चार ग्रामीण गोदाम तथा एक प्रारम्भिक क्रय-विक्रय समिति भी स्थापित की जायगी।

34—विद्युत क्षेत्र के अन्तर्गत 1971-72 के दौरान निम्नलिखित ट्रांसमिशन लाइनों (66 कि० वो० तथा उससे अधिक की) पर निर्माण कार्य चालू रहेगा।

1—132 कि०वो० कर्वी-बांदा एस०सी० लाइन 72 कि० मी०

2—132 कि०वो० सिराथू-कर्वी एस०सी० लाइन 61 कि०मी०

35—37.5/33 कि० वो० की सेकेंड्री ट्रांसमिशन लाइनों तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों तथा सम्बद्ध सब-स्टेशनों के लगभग 200 कि०मी० में निर्माण कार्य चालू रहेगा। 45 कस्बों व गांवों और 550 निजी नलकूपों व पंपसेटों का विद्युतीकरण किया जायगा।

36—ग्राम तथा लघु उद्योगों के विभिन्न कार्यक्रमों की प्रोन्नति के लिए 1971-72 के दौरान 10.15 लाख रुपये परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। हथकरघे के उद्योग का विकास करने के लिये बुनकरों की सहकारी समितियों को 40,000 रुपये के अंशपूंजी ऋण दिये जायेंगे। 60 करघे (Looms) सहकारी क्षेत्र में लाये जायेंगे जिनसे 1971-72 के दौरान 98 लाख मीटर हैंडलूम कपड़े का उत्पादन होगा। बुनकर सहकारी समितियों द्वारा हथकरघे के कपड़ों के विक्रय पर 70,000 रु० की छूट दी जायगी।

37—लघु उद्योगों की प्रोन्नति के लिये 5 लाख रुपये के ऋण तथा 20,000 रु० का विद्युत् अनुदान वितरित किया जायगा। 2 लाख रुपये की मशीनें भी किराया खरीद आधार पर दी जायगी और चार लघु औद्योगिक सहकारी समितियां (गैरसूती) संगठित की जायंगी।

38—गोराहारी (हमीरपुर) में पत्थर के वर्तनों (StoneWare) के सामान्य सुविधा एवं शोध-केंद्र में, जिसकी चालू वर्ष में स्थापित किये जाने की आशा है, 15,000 रु० के मूल्य की हस्तशिल्प की वस्तुओं के उत्पादन का अनुमान है। 25,000 रु० हस्तशिल्प सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता के रूप में दिया जायगा।

39—उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार ने इस संभाग के चारों जिलों को चुना है जिनमें वित्तीय सस्थाओं द्वारा रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराया जायगा।

अपेक्षाकृत अच्छे संचार साधनों की व्यवस्था करने के लिए 20 कि०मी० नयी सड़कों के निर्माण तथा 25 कि०मी० वर्तमान सड़कों के पुनर्निर्माण तथा सुधार का प्रस्ताव है।

40—शिक्षा संबंधी सुविधाओं के विस्तार के लिये यह प्रस्ताव है कि 12 जूनियर बेसिक स्कूल खोले जायं और 200 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की जाय। 4 नये भवनों के निर्माण तथा 5 भवनों के सुधार के लिए अनुदान दिये जायेंगे। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 12 अनुवर्ती कक्षायें खोली जायेंगी और 20 स्कूल दाइयां (School mothers) नियुक्त की जायंगी। आशा है कि कक्षा 1 से 5 में भर्ती की संख्या 1970-71 के 5 लाख से 1971-72 में बढ़कर 5.05 लाख हो जायगी। प्रारम्भिक कक्षाओं से भर्ती के लिए आने वाले छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को खपाने के लिये 22 सीनियर बेसिक स्कूल खोले जायेंगे। सामान्य विज्ञान के अध्यापन तथा पाठ्य पुस्तक पुस्तकालयों के लिए अनावर्तक अनुदान दिये जायेंगे। यह अनुमान लगाया गया है कि कक्षा 6 से 8 तक भर्ती 1970-71 के 1.00 लाख से बढ़कर 1971-72 में 1.01 लाख हो जायगी। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए 8 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जायेंगे और कक्षा 9 से 12 तक में भर्ती की संख्या में 0.02 लाख की वृद्धि होगी। माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि अनुदान सूची में चुने हुए विद्यालयों को लाया जाय और उपयुक्त विद्यालयों को भवन, सज्जा, पुस्तकालय, विज्ञान तथा विज्ञान की प्रयोग-शालाओं के निर्माण के लिए अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये जायं।

41—चिकित्सा क्षेत्र के अन्तर्गत झांसी मेडिकल कालेज के विकास के लिए 64.67 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान चिकित्सालयों में 20 अतिरिक्त शय्याओं की व्यवस्था की जायगी और एक दन्तक्लीनिक स्थापित किया जायगा। जनसंख्या की वृद्धि रोकने के लिए 13,787 बन्ध्याकरण (स्टरलाइजेशन) किये जायेंगे तथा 8,036 लूप लगाये जायेंगे।

42—2,710 गांवों में जिनकी जनसंख्या 18.94 लाख है, पीने के पानी की बड़ी कमी है इनमें से 2.09 लाख की जनसंख्या के 310 गांवों के लिए 1969-70 के अन्त तक सुरक्षित पीने के पानी की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार 1 अप्रैल, 1970 को 2,400 गांवों के लिए जिनकी जनसंख्या 16.85 लाख है सुरक्षित पीने के पानी की व्यवस्था करना बाकी था। आशा है 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान 1.15 लाख की जनसंख्या के 266 गांवों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जायगी। इस प्रकार 1971-72 के बाद 2,134 गांवों के लिए, जिनकी जनसंख्या 15.70 लाख है, सुरक्षित पीने के पानी की व्यवस्था करनी शेष रह जायगी। धन की कमी के कारण 118.85 लाख रुपये का परिव्यय 1971-72 में प्रस्तावित किया गया है। इन स्कीमों से 266 गांव जिनकी जनसंख्या 1.15 लाख है, लाभान्वित होंगे।

पांच पर्वतीय जिले (उत्तराखंड छोड़कर)

43—पर्वतीय संभाग में औद्यानिक विकास के संसाधनों की बड़ी संभावना है। इन संभावित संसाधनों के उपयोग के लिए औद्यानिक विकास पर जोर दिया जाता रहेगा। यह प्रस्ताव है कि 3,200

हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में 1971–72 में फलों के वृक्ष लगाय जायं । पांच प्रोजेनी फलोद्यान एवं पौधशालायें भी स्थापित की जायंगी । उत्पादकों को भूमि का चुनाव अभिन्यास (layout) ऊंचाई तथा मिट्टी के अनुसार पौधों का चयन, पौधसंरक्षण उपाय जैसे विषयों पर प्राविधिक सहायता देने के लिये हर विकास खंड में एक पौध संरक्षण दल स्थापित किया गया है । वर्ष 1969–70 में 7,224 हैक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में कीटनाश तथा रोगों के नियंत्रण के उपाय किये गये और 2,641 हैक्टेयर के क्षेत्र में पुराने फलोद्यानों का इन दलों द्वारा पुनरोद्धार किया गया । वर्ष 1970-71 एवं 1971–72 में 7,200 हैक्टेयर के क्षेत्र में कीटनाश और रोगों के नियंत्रण के उपाय किये गये जायंगे और 2,300 हैक्टेयर के क्षेत्र में पुराने फलोद्यानों का पुनरोद्धार किया जायगा । फल की पट्टियों और उद्यान उपनिवेशों की स्थापना की स्कीम के अन्तर्गत 1969–70 के अन्त तक 3,854 हैक्टेयर भूमि फलों के वृक्षारोपण के अन्तर्गत लायी गयी है और यह प्रस्ताव है कि 1970–71 तथा 1971–72 के दौरान प्रति वर्ष 3,200 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में फल वृक्ष लगाये जायं । उत्पादकों की सहायता करने के उद्देश्य से दीर्घकालीन उद्यान कार्य संबंधी ऋण देने की व्यवस्था की गयी है । यह महसूस किया जाता है कि अब तक जो प्रयास किये गये हैं उनके बावजूद उत्पादक उचित रूप से प्रबन्ध किये गये फलोद्यानों की स्थापना करने में असमर्थ रहे हैं । अतएव यह परिकल्पना की गयी है कि विभागीय एजेंसी के द्वारा फल पट्टियों में 20-40 हैक्टेयर के उद्यान स्थापित किये जायें तथा इस प्रकार स्थापित किये गये आदर्श उद्यानों को 2 हैक्टेयर वाले छोटे फलोद्यानों के रूप में व्यक्तियों में वास्तविक लागत पर वितरित किया जाय । वर्ष 1971–72 के दौरान 40 हैक्टेयर के क्षेत्र में इस प्रकार के उद्यानों का विकास किया जायगा ।

44—सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये "शाक सब्जी पर शोध तथा परीक्षण प्रयोगशाला एवं बीजवर्धन प्रक्षेत्र की स्थापना" संबंधी एक परियोजना वर्ष 1970--71 से कार्यान्वित की जा रही है। सब्जियों के बीज के लिये प्रमाण-पत्र देने का कार्यक्रम राष्ट्रीय बीज निगम (National Seed Corporation) के सहयोग से आरम्भ किया जायगा। यह प्रस्तावित किया गया है कि वर्ष 1971–72 के दौरान 40 बीज उत्पादकों को पंजीकृत किया जायगा और पंजीकृत बीजों को 4 हैक्टेयर के क्षेत्र में पैदा किया जायगा ।

45—घाटी वाले क्षेत्रों में फलों की कृषि का विकास करने के लिए वर्ष 1970–71 में सात उप-शोध केंद्रों की स्थापना की गयी थी । इस प्रकार के पांच और उप-केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव है ।

46—इस समय फल तथा सब्जियों के उचित क्रय-विक्रय संबंधी सुविधाओं के अभाव में उत्पादकों को अपने लाभ का उचित भाग नहीं मिल पाता और इस संबंध में उत्पादकों की सहायता करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में एक परियोजना आरम्भ की गयी है । इस स्कीम के अन्तर्गत उत्पादन की पैकिंग, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग), स्टाक रखने का कार्य और उसके क्रय-विक्रय का प्रशिक्षण सम्मिलित है। फलों के पौधों, सब्जियों के बीज, बीजांकुरों और उर्वरकों के परिवहन पर सहायता देने की व्यवस्था की गयी है।

47—कृषि संबंधी उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1.66 लाख हेक्टेयर भूमि में उन्नत किस्में बोयी जायेंगी । लगभग 18,000 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया जायेगा और 2.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के अन्तर्गत पौध सुरक्षा संबंधी उपाय किये जायेंगे ।

48—दुर्गम क्षेत्रों के किसानों को उर्वरकों तथा कीटमारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उर्वरक तथा कीटमार रखने वाले गोदामों का निर्माण किया जायगा । सोयाबीन विकास की स्कीम का इस संभाग में उस परियोजना के प्रतिरूप के अनुसार विस्तार किया जायेगा जो कि उत्तराखंड में पहले से ही चालू है । खुम्मी की खेती को भी बढ़ावा दिया जायगा ।

49—अल्मोड़ा जिले में हिमांचल प्रदेश की बहुमुखी मंडी प्रायोजना के प्रतिरूप के अनुसार एक भारत जर्मन प्रायोजना वर्ष 1969-70 से चालू की गयी है । इस प्रायोजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक अधिक फसल देने वाली तथा अन्य सुधरी हुई किस्मों के कार्य क्रम को चुने हुए क्षेत्रों में प्रारम्भ करना है । यह प्रस्ताव है कि वर्ष 1971-72 के दौरान इस क्षेत्र के लिए अविरूप(प्रोटोटाइप) यंत्रों को विकसित करने के लिए एक कारखाने की स्थापना के अलावा उर्वरकों और बीजों के लिए अतिरिक्त विक्रय केंद्रों की स्थापना की जाय । भू-परीक्षण (Soil-testing) संबंधी सुविधायें भी बढ़ायी जायंगी ।

50—पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के विकास में भूमि संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है । तदनुसार उस क्षेत्र में 8 उप-प्रभागीय तथा दो प्रभागीय इकाइयां कार्य कर रही हैं । 1970-71 के दौरान पांच और उप प्रभागीय इकाइयां स्थापित की जा रही हैं । वर्ष 1971-72 के दौरान 5 उप प्रभागीय इकाइयों को बढ़ाने का प्रस्ताव है । भूमि संरक्षण संबंधी कार्यवाहियों के अन्तर्गत 5,700 हेक्टेयर के क्षेत्र पर कार्य किया जायगा ।

51—पशुपालन के क्षेत्र में एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र और 19 कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव है । तीन पशु चिकित्सालय और तीन स्टाकमैन केंद्र भी स्थापित किये जायगे ।

52—पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का बाहुल्य है । वन सम्पदा के विकास तथा संरक्षण के साथ इस संभाग के लिये आय का एक स्थिर साधन सुनिश्चित हो जाता है । अतएव आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की प्रजाति वाले वृक्षों का 3,200 हेक्टेयर क्षेत्र में आरोपण करने का प्रस्ताव है । 4,300 हेक्टेयर क्षेत्र में शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों के वृक्षों का आरोपण किया जायेगा । वनों में संचार संबंधी व्यवस्था के लिए 50 किलो-मीटर नयी सड़कों का निर्माण किया जायेगा ।

53—सहकारी समितियों के द्वारा सुविधाओं की व्यवस्था करने की दृष्टि से 10,600 सदस्यों की 22 जीवनक्षम समितियों का गठन किया जायगा । 2.45 करोड़ रुपये, 0.37 करोड़ रुपये और 0.15 करोड़ रुपये की धनराशियां क्रमश: अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों के रूप में दी जायेंगी ।

54—विद्युत विकास संबंधी कार्यक्रम के अधीन 120 किलोमीटर लम्बी 37.5/33 के०वी० की लाइनों और संबंधित उप-केंद्रों का कार्य जारी रहेगा । इसके अतिरिक्त लगभग 250 किलोमीटर लम्बी 11 के०वी० की लाइनें निर्मित की जायेंगी । ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के अधीन 90 नगरों और ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा और 360 निजी नलकूपों और पंप सेटों का विद्युतीकरण किया जायेगा ।

55—लघु स्तरीय उद्योगों के विकास के लिए छोटी औद्योगिक इकाइयों को 2.50 लाख रुपये की धनराशि ऋण के रूप में दी जायेगी और 30,000 रुपये की धनराशि उद्योगों द्वारा विद्युत के उपभोग के लिए सहायता के रूप में दी जायगी । 1.00 लाख रुपये मूल्य की मशीनें किराया खरीद (हायर परचेज) के आधार पर दी जायेंगी ।

56—हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये बुनकर सहकारी समितियों को अंश पूंजी ऋण के रूप में 25,000 रुपये की धनराशि दी जायेगी । पंद्रह करघों को सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जायेगा और 12 लाख मीटर वस्त्र का उत्पादन किया जायेगा । स्थानीय समितियों द्वारा तैयार किये गये हथ-करघा वस्त्र के क्रय विक्रय के लिए एक बिक्री डिपो की स्थापना की जायेगी ।

57—वर्ष 1971-72 के दौरान 1.50 लाख रु० के कीमत की हस्तशिल्प वस्तुयें तैयार की जायेंगी और हस्तशिल्प सहकारी समितियों में ऋण तथा अनुदान के रूप में 25,000 रु० की धनराशि वितरित की जायेगी ।

58--उपयुक्त जलवायु के कारण इस क्षेत्र के उद्योगों में रेशम उत्पादन का उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है । इस उद्योग के विकास के लिए 2 फार्म (4 हेक्टेयर) तथा एक नर्सरी (4 हेक्टेयर) की स्थापना की जायगी । 4,000 किलोग्राम रेशम कीट, 25,000 डी०एफ०एल० तथा 45,000 नर्सरी पौध तैयार करने का भी प्रस्ताव है । सुधरी किस्म के 45,000 पौधे वितरित किये जायेंगे । टसर रेशम उद्योग में प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा 15 किलोग्राम रेशम कीट तैयार किये जायेंगे ।

59---इस भूभाग के औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार ने 6 जिलों (पिथौरागढ़, चमौली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पौढ़ी-गढ़वाल तथा टेहरी गढ़वाल) का चयन किया है जहां वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से रियायती दरों पर वित्त की व्यवस्था दी जायेगी ।

60---वर्ष 1971-72 में 30 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त वर्तमान सड़कों में से 30 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण तथा सुधार किया जायेगा । 3 पुलों का भी निर्माण किया जायेगा । इसके अतिरिक्त 68 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण तथा 10 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत आयोजनेतर परियोजना के अन्तर्गत किया जायेगा ।

61---शिक्षा संबंधी अपेक्षाकृत अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करने की दृष्टि से 25 जूनियर बेसिक स्कूल खोलने तथा वर्तमान स्कूलों में 226 अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त करने का प्रस्ताव है । 10 स्कूलों के नये भवनों के निर्माण तथा 20 भवनों का सुधार करने के लिये अनुदान दिये जायेंगे । बालिकाओं की शिक्षा के लिए और सुविधायें प्रदान की जायेंगी । दस अनुवर्ती कक्षायें (Continuation classes) खोली जायगीं और 20 दाइयों (Mothers) की नियुक्ति की जायेगी । प्राइमरी कक्षाओं से आगे अधिक संख्या में भरती कराने वाले विद्यार्थियों के लिये 24 सीनियर बेसिक स्कूल खोले जायेंगे और 32 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी । छांटे गये सीनियर बेसिक स्कूलों को सहायक अनुदान की सूची में रख लिया जायेगा और विज्ञान पढाने के लिए तथा पाठ्य पुस्तकों के पुस्तकालयों के लिए अनावर्तक अनुदान दिये जायेंगे । एक राजकीय जूनियर हाईस्कूल का उन्नयन करके हाईस्कूल कर दिया जायेगा और एक राजकीय हाईस्कूल को इंटरमीडिएट स्तर प्रदान कर दिया जायगा । उपयुक्त स्कूलों को भवन सज्जा, पुस्तकालय, विज्ञान तथा विज्ञान की प्रयोगशालाओं के निर्माण तथा साज सज्जा के लिए अनुदान देने के लिये व्यवस्था कर दी गई है । इन कार्यवाइयों के फलस्वरूप भरती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में आशा की जाती है कि काफी वृद्धि हो जायगी जो निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है ।

(लाख में)

कक्षा			कुल भर्ती	
			1970-71	1971-72
एक से पांचवीं तक	..	..	3.98	4.0[illegible]
छठी से आठवीं तक	..	..	0.97	1.0[illegible]
नवीं से बारहवीं तक	..	..	0.49	0.5[illegible]

62--ऊंची शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पौड़ी गढ़वाल जिले में कोटद्वार में एक नया राजकीय डिगरी कालेज खोलने का प्रस्ताव है।

63--चिकित्सा संबंधी अपेक्षाकृत उत्तम सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रयोजन से नैनीताल अल्मोड़ा और टेहरी गढ़वाल में एक-एक आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित करने का प्रस्ताव है । देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल के वर्तमान आयुर्वेदिक औषधालयों का सुधार किया

जायगा । वर्तमान चिकित्सालयों में 16 अतिरिक्त शैयाओं की व्यवस्था की जायगी । अल्मोड़ा में एक 50 शैय्या वाले चिकित्सालय का निर्माण करवाने का भी प्रस्ताव है । परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन 9,607 बन्ध्याकरण संबंधी आपरेशन किये जायेंगे तथा 5,764 लूप लगाये जायेंगे ।

64—यह अनुमान लगाया गया है कि इस भूभाग में 3,395 गांवों में पीने के पानी की भीषण कमी है । वर्ष 1969-70 तक 325 गांवों में जिनकी जनसंख्या 0.81 लाख है पीने के लिये साफ पानी की व्यवस्था की गयी थी । अब आशा की जाती है कि वर्ष 1970–71 के दौरान और 100 गांवों में, जिनकी जनसंख्या 0.25 लाख है, इस सुविधा की व्यवस्था कर दी गई । वर्ष 1971–72 के दौरान कुल 0.37 लाख जनसंख्या वाले 207 अतिरिक्त गांवों में ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम सम्पन्न कर दिया जायगा ।

उत्तरा खण्ड—

65—उत्तराखंड वार्षिक योजना 1971–72 का कुल परिव्यय 400.00 लाख रु० है । वर्ष 1971–72 के कार्यक्रम में मुख्य-मुख्य निम्नलिखित बातें रखी गयी हैं ।

66—वार्षिक योजना 1971–72 में कृषि क्षेत्र के लिये 5 लाख रु० की धनराशि व्यय करने के लिए नियत की गयी है । वर्ष के दौरान 13,600 हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक उपज वाली फसलों के पैदा करने का कार्यक्रम है । इसी प्रकार 400 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की खेती करने का प्रस्ताव है । आलू विकास योजना के सघनीकरण कार्यक्रम के अधीन 60 हेक्टेयर क्षेत्र में सुधरे हुए आलू के बीज बोये जायेंगे जिनसे 900 कुंतल आलू पैदा होगा ।

67—बागबानी के विकास के लिए वर्ष 1970–71 के दौरान 12.70 लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था की गयी है । 15,000 किलोग्राम साग-सब्जी तथा 600 किलोग्राम साग-सब्जी के बीज पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है । फलों के 3.50 लाख पौधे तथा 4,500 किलोग्राम साग-सब्जी के बीज वितरित किये जायेंगे । 320 हेक्टेयर क्षेत्र में फल-पट्टी तथा उद्यान उपनिवेशन स्थापित किये जायेंगे और 220 हेक्टेयर क्षेत्र में पुराने उद्यानों का नवीकरण किया जायगा । बागबानी की विकसित तथा वैज्ञानिक प्रणाली की ट्रेनिंग भी दी जायगी ।

68—वर्ष 1971–72 के दौरान छोटे सिंचाई संबंधी निर्माण कार्यों के लिए 21.60 लाख रु० की धनराशि व्यय करने के लिए नियत की गयी है । इसमें किसानों को पंपिंगसेट लगाने के लिए नियत की गयी 2.00 लाख रु० की धनराशि भी है । चूंकि सिंचाई की बड़ी प्रायोजनायें सम्भव नहीं हैं अतः सिंचाई अधिकतर छोटी गूलों तथा पोखरों के जरिये की जाती हैं । ये छोटी परियोजनायें जिलाधिकारियों की देख-रेख में ब्लाक एजेंसियों के जरिये निष्पादित की जाती है । वर्ष 1971-72 में 228 हेक्टेयर क्षेत्र में इन परियोजनाओं के जरिये सिंचाई की क्षमता उत्पन्न की जायगी ।

69—भूमि संरक्षण संबंधी कार्यों के लिए 7.60 लाख रुपयों के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1971–72 में 500 हेक्टेयर क्षेत्र में यह कार्य किये जाने का प्रस्ताव है ।

70—पशुपालन क्षेत्र के अन्तर्गत तीन नये सांड़ प्रसार केंद्रों का खोला जाना, उत्तराखंड में भेड़ फार्मों पर रखने के लिए 188 विदेशी भेड़ मेढ़ों का क्रय, 34 हेक्टेयर के क्षेत्र में उन्नत चारे के बीज उगाना और एक वर्तमान कुक्कुट पालन प्रसार केन्द्र में 500 चूजों के पालन की सुविधाओं की व्यवस्था करना सम्मिलित है । मुर्गियों, दुधारू पशु और भेड़ों की उन्नत नस्ल खरीदने के लिए 0.90 लाख रुपयों की धनराशि ऋण के रूप में वितरित की जायगी । कुक्कुट पालन में 210 स्थानीय व्यक्तियों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गयी है ।

71—वर्ष 1971–72 की वार्षिक योजना में वनक्षेत्र के लिए 45.63 लाख रुपये का परिव्यय नियत किया गया है । इसमें से लगभग 25 लाख रुपये वन सड़कों और भवनों के निर्माण पर व्यय किये जायेंगे । वर्ष 1971–72 के दौरान लगभग 22,000 कुंतल ओलियो रेजिन निकाला जायगा ।

(लाख रु०)

मद	तीसरी योजना व्यय	1966–69 व्यय	योग तीसरी योजना तथा 1966–69 में व्यय
1	2	3	4
6.1 सड़कें	651.73	629.20	1280.93
6.3 पर्यटन	3.84	0.11	3.95
योग, 6–यातायात एवं संचार साधन ..	655.57	629.31	1284.88
7.1 सामान्य शिक्षा	1368.40	391.80	1760.20
7.2 प्राविधिक शिक्षा	175.06	82.29	257.35
7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन	737.58	238.44	1225.77
7.5 जल सम्पूर्ति ..		249 75	
7.6 आवास एवं नगर विकास	59.30	16.48	75.78
7.7 पिछड़ी जातियों का कल्याण ..	196.57	44.39	240.96
7.8 समाज कल्याण	7.21	4.69	11.90
7.9 शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण ..	77.08	44.14	121.22
योग, 7–समाज सेवा में ..	2621.20	1071.98	3693.18
8.1 सांख्यिकी	8.26	0.31	8.57
8.6 अन्य	1.61	..	1.61
योग, 8–विविध ..	9.87	0.31	10.18
कुल योग, (1–8) ..	16424.27	11188.89	27613.16

परिशिष्ठ 1

पूर्वी जिलों में तीसरी योजना तथा 1966-69 में वास्तविक व्यय

(लाख रु०)

मद	तीसरी योजना व्यय	1966-69 व्यय	योग तीसरी योजना तथा 1966-69 में व्यय
1	2	3	4
1.1 कृषि उत्पादन	754.64	931.53	1686.17
1.2 लघु सिंचाई	2067.69	3300.57	5368.26
1.3 भूमि संरक्षण	86.68	187.00	273.68
योग, 1-कृषि कार्यक्रम ..	2909.01	4419.10	7328.11
2.1 पशुपालन	131.38	51.77	183.15
2.2 दुग्धशाला तथा दुग्ध वितरण ..	31.36	9.71	41.07
2.3 वन	65.37	82.11	147.48
2.4 मत्स्य	28.56	12.08	40.64
2.6 लघु सिंचाई के लिये क्षेत्रीय कार्यक्रम ..	0.09	..	0.09
योग, 2-समवर्गी कार्यक्रम.. ..	256.76	155.67	412.43
योग, 1 तथा 2-कृषि तथा समवर्गी कार्यक्रम ..	3165.77	4574.77	7740.54
3.1 सहकारिता	208.28	62.09	270.37
3.2 सामुदायिक विकास ..	1787.47	437.16	2224.63
3.3 पंचायत	31.78	17.43	49.21
योग, 3-सहकारिता तथा सामुदायिक विकास ..	2027.53	516.68	2544.21
4.1 सिंचाई	1759.91	1815.62	3575.53
4.2 बाढ़ नियंत्रण	229.26	92.41	321.67
4.3 विद्युत्	5633.08	2443.71	8076.79
योग, 4-सिंचाई एवं विद्युत् ..	7622.25	4351.74	11973.99
5.3 ग्राम एवं लघु उद्योग	322.08	44.10	366.18

(लाख रु०)

मद	तीसरी योजना व्यय	1966–69 व्यय	योग तीसरी योजना तथा 1966–69 में व्यय
1	2	3	4
6.1 सड़कें	651.73	629.20	1280.93
6.3 पर्यटन	3.84	0.11	3.95
योग, 6–यातायात एवं संचार साधन ..	655.57	629.31	1284.88
7.1 सामान्य शिक्षा	1368.40	391.80	1760.20
7.2 प्राविधिक शिक्षा	175.06	82.29	257.35
7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन } 7.5 जल सम्पूर्ति ..	737.58	238.44 } 249 75	1225.77
7.6 आवास एवं नगर विकास	59.30	16.48	75.78
7.7 पिछड़ी जातियों का कल्याण ..	196.57	44.39	240.96
7.8 समाज कल्याण	7.21	4.69	11.90
7.9 शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण ..	77.08	44.14	121.22
योग, 7–समाज सेवा में ..	2621.20	1071.98	3693.18
8.1 सांख्यिकी	8.26	0.31	8.57
8.6 अन्य	1.61	..	1.61
योग, 8–विविध ..	9.87	0.31	10.18
कुल योग, (1–8) ..	16424.27	11188.89	27613.16

परिशिष्ठ–2

बुन्देलखण्ड में तीसरी योजना तथा 1966—69 में वास्तविक व्यय

(लाख रु०)

मद	तीसरी योजना व्यय	1966–69 व्यय	योग तीसरी योजना तथा 1966–69 में व्यय
1	2	3	4
1..1 कृषि उत्पादन	59.84	83.55	143.39
1..2 लघु सिंचाई	304.59	630.53	935.12
1..3 भूमि संरक्षण	90.88	122.88	213.76
योग, 1–कृषि कार्यक्रम ..	455.31	836.96	1292.27
2..1 पशुपालन	20.06	7.82	27.88
2..3 वन	17.71	23.87	41.58
2..4 मत्स्य	5.25	4.09	9.34
2..6 लघु सिंचाई के लिये क्षेत्रीय कार्यक्रम ..	0.03	..	0.03
योग, 2–समवर्गी कार्यक्रम ..	43.05	35.78	78.83
योग 1 व 2–कृषि तथा समवर्गी कार्यक्रम ..	498.36	872.74	1371.10
3 .1 सहकारिता	36.42	5.58	42.00
3 .2 सामुदायिक विकास	268.94	60.61	329.55
3 .3 पंचायत	5.96	2.85	8.81
योग, 3–सहकारिता तथा सामुदायिक विकास ..	311.32	69.04	380.36
4 .1 सिंचाई	404.04	159.47	563.51
4 .2 बाढ़ नियत्रंण	1.64	0.61	2.25
4 .3 विद्युत्	647.43	146.62	794.05
योग, 4–सिंचाई एवं विद्युत् ..	1053.11	306.70	1359.81
5.3 ग्राम एवं लघु उद्योग	46.26	10.43	56.69
6.1 सड़कें	167.74	80.57	248.31

(लाख रुपये)

मद	तीसरी योजना व्यय	1966-69 व्यय	योग तीसरी योजना तथा 1966-69 में व्यय
1	2	3	4
7.1 सामान्य शिक्षा	204.61	43.61	248.22
7.2 प्राविधिक शिक्षा	20.19	1.94	22.13
7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन .. 7.5 जल सम्पूर्ति	262.92	46.21 176.17	485.30
7.6 आवास	5.76	0.30	6.06
7.7 पिछड़ी जातियों का कल्याण ..	29.78	6.90	36.68
7.8 समाज कल्याण	1.93	0.02	1.95
7.9 शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण ..	7.85	7.70	15.55
योग, 7—समाज सेवायें ..	533.04	282.85	815.89
8.1 संख्यांकी	2.44	0.03	2.47
8.6 अन्य	0.48	..	0.48
योग, 8—विविध ..	2.92	0.03	2.95
कुल योग, (1-8)	2612.75	1622.36	4235.11

परिशिष्ठ 3

आठ पर्वतीय जिलों में तीसरी योजना तथा 1966-69 में वास्तविक व्यय

(लाख रुपये)

मद	तीसरी योजना व्यय	1966-69 में व्यय	तीसरी योजना तथा 1966-69 में व्यय
1	2	3	4
1.1 कृषि उत्पादन	305.15	140.84	445.99
1.2 लघु सिचाई	213.53	246.89	460.42
1.3 भूमि संरक्षण	96.48	112.96	209.44
योग, 1—कृषि कार्यक्रम ..	615.16	500.69	1115.85
2.1 पशुपालन	106.36	61.48	167.84
2.2 दुग्ध शाला एवं दुग्ध वितरण ..	63.23	9.83	73.06
2.3 वन	304.29	66.89	371.18
2.4 मत्स्य	0.81	3.33	4.14
योग, 2—समवर्गी कार्यक्रम	474.69	141.53	616.22
योग, 1-तथा 2—कृषि एवं समवर्गी कार्यक्रम	1089.85	642.22	1732.07
3.1 सहकारिता	42.52	33.55	76.07
3.2 सामुदायिक विकास	436.69	107.51	544.20
3.3 पंचायत	8.68	3.24	11.92
योग, 3—सहकारिता एवं सा० विकास	487.89	144.30	632.19
4.1 सिचाई	170.83	40.97	211.80
4.I बाढ़ नियत्रंण	22.03	6.00	28.03
4.3 विद्युत्	206.58	133.61	340.19
योग, 4—सिचाई एवं विद्युत् ..	399.44	180.58	580.02
5.3 ग्रामीण एवं लघु उद्योग	171.88	45.07	216.95

मद	तीसरी योजना व्यय	1966–69 में व्यय	तीसरी योजना तथा 1966–69 में व्यय
1	2	3	4
6.1 सड़कें .. 6.3 पर्यटन	1629.88	661.34	2291.22
योग 6—यातायात एवं संचार साधन ..	1629.88	661.34	2291.22
7.1 सामान्य शिक्षा	587.23	178.24	765.47
7.2 प्राविधिक शिक्षा	16.81	8.57	25.38
7.4 स्वास्थ्य 7.5 जल सम्पूर्ति	487.12	339.81	826.93
7.6 आवास	37.27	20.98	58.25
7.7 पिछड़ी जातियों का कल्याण ..	41.07	15.29	56.36
7.8 सामाज कल्याण	1.38	0.78	2.16
7.9 शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण ..	29.14	49.97	79.11
योग, 7—समाज सेवायें ..	1200.02	613.64	1813.66
8—विविध	42.74	0.61	25.35
कुल योग (1–8) ..	5003.70	2287.76	7291.46

परिशिष्ट

उत्तराखण्ड के तीन जिलों में परिव्यय एवं व्यय

(लाख रु०)

मद	19686-9 वास्तविक व्यय	चौथी योजना 1969–74 परिव्यय	1969-70		1970–71		1971–72	
			स्वीकृत परिव्यय	व्यय	स्वीकृत परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	कुल परिव्यय	पूंजीगत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 कृषि उत्पादन ..								
(क) कृषि विभाग ..	7.227	44.000	7.000	2.656	7.950	3.990	5.000	..
(ख) फलोत्पादन ..	14.278	60.000	15.500	14.306	18.200	17.388	12.700	8.072
योग, 1.1 ..	21.505	104.000	22.500	16.962	26.150	21.378	17.700	8.072
1.2 लघु सिंचाई ..	11.402	70.000	14.000	11.293	17.680	12.353	21.600	21.600
1.3 भूमि संरक्षण ..	16.920	20.000	3.750	3.519	6.000	6.766	7.600	..
योग, 1 कृषि कार्यक्रम ..	49.827	194.000	40.250	31.774	49.830	40.497	46.900	29.672
2.1 पशुपालन ..	8.840	50.000	10.000	15.288	14.003	11.134	9.866	2.344
2.3 वन	17.319	200.000	36.000	35.985	46.060	52.741	45.628	25.300
योग, 2—समवर्गी कार्यक्रम	26.159	250.000	46.000	51.273	60.063	63.875	55.494	27.644
योग, 1 व 2—कृषि एवं समवर्गी कार्यक्रम ..	75.986	444.000	86.250	83.047	109.893	104.372	102.394	57.316

(लाख रु०)

मद	1968-69	चौथी योजना	1969-70		1970-71		1971-72	
..	वास्तविक व्यय	1969-74 परिव्यय	स्वीकृत परिव्यय	व्यय	स्वीकृत परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	कुल परिव्यय	पूंजीगत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1 सहकारिता ..	9.067	25.000	5.960	2.574	7.630	2.942	7.030	..
3.2 सामुदायिक विकास ..	17.133	7.750	7.750	7.223	0.500	0.388	..	..
3.3 पंचायत ..	0.011	..	..	..	..	..	..	..
योग, 3—सहकारिता तथा सा० विकास ..	26.211	32.750	13.710	9.797	8.130	3.330	7.030	..
4.3 विद्युत ..	27.822	175.000	25.800	48.550	60.340	42.906	33.550	33.550
5.2 खनिज विकास ..	..	2.500	0.900	0.772	0.800	0.770	0.400	..
5.3 ग्राम एवं लघु उद्योग ..	7.048	54.000	9.600	6.516	15.274	7.655	11.020	2.020
योग, 5—उद्योग एवं खनिज विकास ..	7.048	56.500	10.500	7.288	16.074	8.425	11.420	2.020

6.1 सड़कें.. ..	110.492	740.000	112.000	112.524	143.785	152.421	115.000	93.700
6.3 पर्यटन ..	5.394	63.070	19.500	12.946	19.545	11.511	16.221	15.641
योग, 6–यातायात एवं संचार साधन	115.886	803.070	131.500	125.470	163.330	163.932	131.221	109.341
7.1 सामान्य शिक्षा ..	22.770	225.000	32.000	27.007	50.000	83.285	43.125	13.475
7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन ..	18.836	100.000	18.000	15.110	16.285	15.810	13.903	5.861
7.5 जल सम्पूर्ति ..	27.722	130.000	27.000	22.660	42.448	45.869	51.417	43.997
7.7 पिछड़ी जातियों का कल्याण	2.714	25.000	3.500	2.480	5.000	4.733	5.000	..
7.8 समाज कल्याण ..	0.186	4.580	0.800	0.090	0.300	0.297	0.250	..
योग, 7–समाज सेवायें ..	73.228	484.580	81.300	67.337	114.033	149.994	113.695	63.333
8.2 सूचना एवं प्रसार ..	0.102	4.100	0.900	0.835	1.110	0.479	0.690	..
कुल योग, (1–8) ..	326.283	2000.000	349.960	342.324	472.910	473.438	400.000	265.560

परिशिष्ठ 5

पिछड़े क्षेत्र–प्रत्याशित व्यय एवं परिव्यय

(लाख रुपये)

मद	15 पूर्वी जिले		बुन्देलखंड		5 पर्वतीय जिले		उत्तराखंड	
	1970–71 प्रत्याशित व्यय	1071–72 परिव्यय	1970–71 प्रत्याशित व्यय	1971–72 परिव्यय	1970–71 प्रत्याशित व्यय	1971–72 परिव्यय	1970–71 प्रत्याशित व्यय	1971–72 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 कृषि उत्पादन ..	419.97	437.53	38.98	52.74	75.65	78.81	21.38	17.70
1.2 लघु सिंचाई ..	886.07	916.50	159.03	122.00	94.08	95.00	12.35	21.60
1.3 भूमि सरक्षण ..	98.21	147.80	79.28	73.40	29.05	38.15	6.77	7.60
1.5 कृषि अनुसंधान एव शिक्षा ..	..	..	..	..	21.72	40.00	..	..
योग, 1—कृषि कार्यक्रम ..	1404.25	1501.83	277.29	248.14	220.50	251.96	40.50	46.90
2.1 पशु पालन ..	23.52	30.26	5.76	5.53	11.01	12.00	11.13	9.86
2.2 दुग्धशाला एवं दुग्ध वितरण ..	17.50	25.83	..	..	7.17	1.54	..	..
2.3 वन ..	49.58	61.90	4.00	4.00	60.90	70.00	52.74	45.63
2.4 मत्स्य ..	6.71	6.19	4.32	4.47	0.51	0.82	..	..
योग, 2—समवर्गी कार्यक्रम ..	97.31	124.18	14.08	14.00	79.59	84.36	63.87	55.49
योग, 1 तथा 2—कृषि एवं समवर्गी कार्यक्रम ..	1501.56	1626.01	291.37	262.14	300.09	336.32	104.37	102.39

3.1 सहकारिता ..	27.47	42.36	0.95	6.71	5.30	8.37	2.94	7.03
3.2 सामुदायिक विकास	88.45	92.60	10.66	11.90	13.74	12.03	0.39	..
3.3 पंचायत ..	13.55	14.73	1.74	1.89	1.62	1.61	..	..
योग, 3—सहकारिता एवं सामुदायिक विकास ..	129.47	149.69	13.35	20.50	20.66	22.01	3.33	7.03
4.1 सिचाई ..	772.00	1151.50	85.50	100.00	22.40	22.30	..	..
4.2 बाढ़ नियंत्रण ..	112.07	81.55	2.18	2.50	4.93	6.00	..	..
4.3 विद्युत् ..	2799.50	2890.00	257.50	275.50	294.28	384.21	42.91	33.55
योग, 4—सिचाई एवं विद्युत्..	3683.57	4123.05	345.18	378.00	321.61	412.51	42.91	33.55
5.2 खनिज विकास ..	..	..	..	..	..	..	0.77	0.40
5.3 ग्रामीण एवं लघु उद्योग	49.21	52.87	9.34	10.15	8.24	11.34	7.66	11.02
योग, 5—उद्योग एवं खनिज	49.21	52.87	9.34	10.15	8.24	11.34	8.43	11.42
6.1 सड़कें	117.59	171.00	58.94	85.00	142.37	150.00	152.42	115.00
6.3 पयटन	0.25	0.50	0.75	1.25	5.80	10.00	11.51	16.22
योग, 6—यातायात एवं संचार साधन	117.84	171.50	59.69	86.25	148.17	160.00	163.93	131.22
7.1 सामान्य शिक्षा	187.55	262.38	37.02	48.54	64.31	76.10	83.28	43.13
7.2 प्राविधिक शिक्षा	13.10	24.88	0.66	3.69	5.33	7.35	..	..
7.4 स्वास्थ्य	67.02	128.52	5.49	82.50	4.89	19.60	15.81	13.90
7.5 जल सम्पूर्ति	91.96	96.74	41.40	118.85	94.85	90.00	45.87	51.42
7.6 श्रावास	11.00	35.00	1.00	15.00	1.16	2.80	..	..

(लाख रु०)

मद	15 पूर्वी जिले		बुन्देलखंड		5 पर्वतीय जिले		उत्तराखंड	
	1970–71 प्रत्याशित व्यय	1971–72 परिव्यय	1970–71 प्रत्याशित व्यय	1971–72 परिव्यय	1970–71 प्रत्याशित व्यय	1971–72 परिव्यय	1970–71 प्रत्याशित व्यय	1971–72 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.7 पिछड़ी जातियों का कल्याण	20.88	27.00	2.76	3.48	8.63	10.74	4.73	5.00
7.8 समाज कल्याण	4.90	6.30	1.14	0.93	0.22	1.56	0.30	0.25
7.9 शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण	16.44	6.25	3.32	1.99	3.17	4.31	..	..
योग, 7—समाज सेवायें	412.85	587.07	92.79	274.98	182.56	212.46	149.99	113.70
8.1 सांख्यकी	0.15	0.73	0.04	0.19	0.01	0.23	..	..
8.2 सूचना	..	..	..	..	0.32	0.16	0.48	0.69
8.6 ग्रामीण जन शक्ति	95.19	84.54	2.81	2.46	..	..	..	..
योग, 8—विविध	95.34	85.27	2.85	2.65	0.33	0.39	0.48	0.69
कुल योग, (1–8)	5989.84	6795.46	814.57	1034.67	981.66	1155.03	473.44	400.00

परिशिष्ट—6
पिछड़े क्षेत्रों के भौतिक कार्यक्रम

मद	इकाई	15 पूर्वी जिले 1970–71 प्रत्याशित उपलब्धि	15 पूर्वी जिले 1971–72 लक्ष्य	बुन्देलखंड 1970–71 प्रत्याशित उपलब्धि	बुन्देलखंड 1971–72 लक्ष्य	5 पर्वतीय जिले 1970–71 प्रत्याशित उपलब्धि	5 पर्वतीय जिले 1971–72 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1 कृषि उत्पादन—							
(1) उन्नत बीजों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र							
(क) अधिक उपज देने वाली किस्में	हजार हेक्टर	889.49	1071.03	67.24	83.07	57.20	56.94
(ख) अन्य उन्नत किस्में	,,	3798.59	3634.51	1166.89	1155.65	430.32	432.39
(2) रसायनिक उर्वरकों का वितरण:	हजार						
(क) नत्रजन ..	मी० टन	137.85	161.49	5.65	6.62	9.76	11.44
(ख) फास्फेटिक ..	,,	49.21	62.62	2.40	3.06	2.95	3.75
(ग) पोटैसिक ..	,,	34.14	48.76	0.80	1.14	1.96	2.80
(3) पौध सुरक्षा के अन्तर्गत कुल क्षेत्र	हजार हेक्टर	2195.26	2779.00	510.30	647.00	173.01	220.00
2 भूमि संरक्षण के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र ..	,,	87.42	92.37	35.50	37.10	4.50	5.70
3 जोतों की चकबन्दी (अति० क्षेत्र) ..		261.00	457.00	8.50	8.16	4.00	13.00
4 फल पौधों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र ..	,,	..	..	..	..	3.50	3.20
5 निजी लघु सिंचाई—							
(1) सिंचन क्षमता का सजन अतिरिक्त..	हजार हेक्टर	181.71	186.16	34.48	37.08	6.14	6.84
(2) पक्के कुयें ..	संख्या	15,000	15,000	6,000	6,000	40	40

मद	इकाई	15 पूर्वी जिले		बुन्देलखण्ड		5 पर्वतीय जिले	
		1970-71 प्रत्याशित उपलब्धि	1971-72 लक्ष्य	1970-71 प्रत्याशित उपलब्धि	1971-72 लक्ष्य	1970-71 प्रत्याशित उपलब्धि	1971-72 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
(3) बोरिंग ..	संख्या	30,000	30,000	1,400	1,400	400	440
(4) पम्पिंग सेट्स ..	,,	9,375	9,375	2.260	2,260	415	480
(5) रहट ..	,,	3,500	4,000	1,700	1,700	15	15
(6) निजी नलकूप ..	,,	16,000	16,500	100	350	400	425
(7) बन्धियों का निर्माण ..	,,	2,000	2,000	43,717	45,150	..	..
(8) हौज का निर्माण ..	संख्या	..	..	..	..	1,053	1,400
6 राजकीय लघु सिंचाई—							
(i) अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन	हजार हेक्टर	54.67	52.86	4.45	5.15	0.93	2.01
(ii) नलकूपों का विद्युतीकरण	संख्या	349	301	2	6	5	10
7 पशुपालन—							
(1) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र ..	संख्या	5	6	1	1	8	1
(2) कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र ..	संख्या	106	102	19	24	12	31
(3) भेड़ एवं ऊन विकास केन्द्र	संख्या	1	2	1	..	1	..

	(4) पशु औषधालय ..	संख्या	9	16	8	8	3	2
	(5) पशु चिकित्सालय ..	संख्या	14	10	1	1	5	3
	(6) पशु सेवा केन्द्र ..	संख्या	21	17	1	5	16	18
8	सहकारिता--							
	(i) प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां:							
	(क) सक्षम सहकारी समितियां (अति०)	संख्या	286	286	18	18	22	22
	(ख) सदस्यता ..	लाख	1.82	1.82	0.13	0.13	0.11	0.11
	(ii) कृषि ऋण वितरण							
	(क) अल्पकालीन ..	करोड़ रु०	16.78	18.35	2.30	2.50	2.15	2.45
	(ख) मध्यकालीन ..	,,	1.73	2.00	0.18	1.00	0.35	0.38
	(ग) दीर्घ कालीन ..	,,	6.85	7.35	1.10	1.30	0.15	0.15
	(iii) ग्रामीण गोदाम (अति०)	संख्या	..	6	..	4	..	..
	(iv) प्राथमिक क्रयविक्रय समितियां	संख्या	..	1	..	1	..	..
9	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई--							
	सिंचन क्षमता का सृजन (अति०) ..	हजार हेक्टर	76.91	140.80	..	2.02	..	..
10	विद्युत्--							
	(क) कस्बों एवं ग्रामों का विद्युतीकरण	संख्या	850	300	125	45	145	90
	(ख) निजी नलकूपों/पम्पसेटों का विद्युतीकरण ..	संख्या	6,850	7,150	350	550	262	360
11	उद्योग--							
	(क) ऋण तथा अनुदान वितरण	लाख रु०	22.00	20.00	5.00	5.00	2.12	2.50
	(ख) लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना	संख्या	1,187	1,200	116	120	104	110
	(ग) हैन्डलूम कपड़े का उत्पादन	लाख मीटर	670.00	685.00	96.00	98.00	11.50	12.00
12	सड़कें--							
	(i) नई सड़कों का निर्माण ..	कि० मी०	70.0	65.0	20.00	22.0	50.0	30.0
	(ii) पुरानी सड़कों का पुनर्निर्माण एवं सुधार	,,	144.0	150.0	20.0	25.0	40.0	30.0
	(iii) पुलों का निर्माण ..	संख्या	2	2	1	..	5	3

मद	इकाई	15 पूर्वी जिले 1970-71 प्रत्याशित उपलब्धि	15 पूर्वी जिले 1971-72 लक्ष्य	बुन्देलखण्ड 1970-71 प्रत्याशित उपलब्धि	बुन्देलखण्ड 1971-72 लक्ष्य	5 पर्वतीय जिले 1970-71 प्रत्याशित उपलब्धि	5 पर्वतीय जिले 1971-72 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
13(1) सामान्य शिक्षा—							
भर्ती—							
(क) कक्षा (1—5),							
कुल ..	लाख	42.42	43.00	5.00	5.05	3.98	4.00
लड़कियां ..	,,	15.97	16.25	1.90	1.95	1.55	1.57
(ख) कक्षा (6–8)							
कुल	,,	6.84	6.95	1.00	1.01	0.97	1.02
लड़कियां	,,	1.08	1.12	0.22	0.23	0.22	0.24
(ग) कक्षा (9–12)							
कुल	,,	4.20	4.40	0.55	0.57	0.49	0.53
लड़कियां , ...	,,	0.48	0.52	0.08	0.09	0.14	0.16
(2) प्राइमरी स्कूलों की संख्या (अति०)	संख्या	53	83	12	12	15	25
(3) जूनियर हाई स्कूलों की संख्या (अति०)		61	115	28	22	19	24
(4) हायर सेकेंडरी स्कूलों (अति०)	,,	30	30	8	8	10	10
(5) डिग्री कालेज ..	,,	..	..	..	..	..	1

14 प्राविधिक शिक्षा—								
(1) डिप्लोमा कोर्स—								
(क) कार्यरत संस्थायें	..	संख्या	12	12	1	1	2	2
(ख) भर्ती की क्षमता	..	,,	1,860	1,960	240	270	240	240
15 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन—								
(i) डिस्पेन्सरी (प्रति०)		संख्या	1	1	..	..	..	..
(ii) चिकित्सालय एवं औषधालयों में शैय्यायें (प्रति०)	..	संख्या	127	68	36	20	38	16
(iii) बीमारियों की रोकथाम—								
(क) टी० बी० क्लीनिक	..	संख्या	2	..	..	..	..	..
(ख) कुष्ट नियंत्रण इकाइयां		,,	..	1	1	..	..	..
(ग) वी० डी० क्लीनिक	..	संख्या	..	1	1	..	..	..
(घ) फाइलेरिया क्लीनिक	..	संख्या	1	..	..	..	..	..
(ङ) बाल क्लीनिक	..	संख्या	..	1	..	..	..	..
(च) दन्त क्लीनिक	..	संख्या	2	2	..	1	..	..
(iv) (क) अनुर्वरीकरण	..	संख्या	1,20,000	1,29,312	14,840	13,787	704	9,607
(ख) लूप निवेशन	..	संख्या	68,642	74,709	8,480	8,036	856	5,764
16 जल सम्पूर्ति—								
(i) नगरीय :								
(क) लाभान्वित नगरों		संख्या	1	..	..	..	1	..
(ख) लाभान्वित जन संख्या		लाख	0.06	..	..	..	0.04	..
(ii) ग्रामीण—								
(क) लाभान्वित ग्राम	..	संख्या	1	2	..	266	100	207
(ख) लाभान्वित जनसंख्या	..	लाख	0.13	0.13	..	1.15	0.25	0.37
17 शिल्पकार प्रशिक्षण—								
(क) कार्यरत संस्थायें	..	संख्या	17	17	4	4	7	7
(ख) सीटें	..	संख्या	8,000	8,000	1,140	1,140	2,300	2,300

परिशिष्ट—7

उत्तराखन्ड में भौतिक कार्य-क्रम

मद	इकाई	1970–71 प्रत्याशित उपलब्धि	1971–72 लक्ष्य
1	2	3	4
1 कृषि—			
(1) खाद्यान्न उत्पादन	मी० टन	16,900	18,600
(2) सोयाबीन के विकास के अन्तर्गत क्षेत्र	हेक्टर	164*	400
(3) उन्नत बीज के अन्तर्गत कुल क्षेत्र ..			
(क) अधिक उत्पादन वाली किस्में ..	हेक्टर	13,434	13,600
(ख) अन्य उन्नत किस्में (आलू) ..	,,	40	60
(4) रासायनिक उर्वरकों का वितरण— ..	मी० टन	398	1,860
2 फलोत्पादन—			
1—पौध सुरक्षा	हेक्टर	618	320
2—पुराने उद्यानों का पुनरोद्धार ..	,,	156	220
3—फलोद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्र (अतिरिक्त)	,,	368	320
4—सब्जी बीज का वितरण ..	कि० ग्राम	7,592	4,500
3 लघु सिंचाई—			
(1) पम्पिंग सेट	संख्या	—	26
(2) राज्य लघु सिंचाई द्वारा सिंचित क्षमता का सृजन (अतिरिक्त)	हेक्टर	436	228
4 भूमि संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र (अतिरिक्त) ..	,,	428	500
5 पशुपालन—			
(1) विदेशी भेड़ों का क्रय	संख्या	..	188
(2) सांड़ प्रसार केन्द्रों की स्थापना ..	संख्या	7	3
(3) उन्नत चारा बीज के अन्तर्गत क्षेत्र ..	हेक्टर	34	34
6 वन—			
(1) लीसा विदोहन	कुन्तल	22,025	22,00
(2) आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियों के वृक्षों का रोपण	हेक्टर	170	400
(3) वन यातायात—			
(क) नई सड़कें ..	कि० मी०	66.0	47.5
(ख) पुरानी सड़कों का सुधार	,,	355.3	297.5

*पिथौरागढ़ को छोड़कर

मद	इकाई	1970-71 प्रत्याशित उपलब्धि	1971-72 लक्ष्य
1	2	3	4
7 सहकारिता—			
(1) कृषि ऋण वितरण—			
(क) अल्पकालीन	करोड़ रु०	0.435	0.460
(ख) मध्य कालीन	,,	0.150	0.237
(2) ग्रामीण गोदाम	संख्या	—	6
(3) प्राथमिक क्रय विक्रय समितियां ..	,,	1	..
(4) जिला सहकारी बैंक की शाखायें खोलना	,,	2	1
8 नगर एवं गांवों का विद्युतीकरण ..	,,	17	10
9 उद्योग —			
(1) ऋण तथा अनुदान वितरण ..	लाख रु०	4.207	2.60
(2) रेशम उद्योग—			
कोओं का उत्पादन	कि० ग्राम	800	1,500
10 सड़कें—			
(1) नव निर्माण ..	कि० मी०	60	40
(2) पुनरोद्धार एवं सुधार ..	कि० मी०	13	8
(3) पुलों का निर्माण	संख्या	3	4
11 सामान्य शिक्षा—			
(1) भर्ती—			
(क) 1 से 5	संख्या	अप्राप्त	
(ख) कक्षा 6-8	,,		
(ग) कक्षा 9-12	,,		
(2) प्राइमरी स्कूल (अतिरिक्त) ..	,,	15	15
(3) जूनियर हाई स्कूल (अतिरिक्त) ..	,,	5	16
(4) हायर सेकेंडरी स्कूल (अतिरिक्त)	,,	4	4
12 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन—			
(1) औषधालय (अतिरिक्त) ..	संख्या	4	14
(2) अस्पताल तथा औषधालय में शैय्यायें (अतिरिक्त)	,,	16	56
13 पेय जल—			
(1) लाभान्वित ग्राम	संख्या	203	147
(2) लाभान्वित जनसंख्या ..	,,	44,315	29,660

23

समाज के पिछड़े वर्गों के लिये कार्यक्रम

सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता और उसका महत्व राज्य में नियोजन के आरम्भ से ही स्वीकार किया जाता रहा है। चौथी योजना में पिछड़ी जातियों, छोटे किसानों, भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों तथा अन्य असुरक्षित वर्गों जैसे समाज के अपेक्षाकृत निर्बल अंगों के विकास को तीव्र करने की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। अगले अनुच्छेदों में 1971–72 की वार्षिक योजना में प्रस्तावित कार्यवाहियों के संक्षिप्त विवरण दिये जा रहे हैं। कार्यक्रमों के और अधिक विवरण सम्बद्ध अध्यायों में दिये गये हैं।

2—राज्य के पिछड़े वर्गों में अनुसूचित एवं जन-जातियों और विमुक्त जातियों की एक बड़ी संख्या है। इन पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्य को तीन कोटियों में बांटा जा सकता है :—(1) शिक्षा, (2) आर्थिक विकास और (3) स्वास्थ्य, आवास व्यवस्था तथा अन्य स्कीमें।

3—चौथी योजना में इन स्कीमों के लिए 720.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिसमें 5 पर्वतीय जिलों के लिए भी प्राविधान सम्मिलित हैं। चौथी योजना के पहले दो वर्षों में योजनागत कार्यों के लिए स्वीकृत परिव्यय के अन्तर्गत 142.50 लाख रु० का व्यय हुआ। वर्ष 1971–72 के लिए 100.74 लाखरुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। इस धनराशि में से, 63.79 लाख रुपये शिक्षा पर, 16. 38लाख रुपये आर्थिक विकास पर और 20.57 लाख रुपये स्वास्थ्य, आवास-व्यवस्था तथा अन्य स्कीमों पर व्यय किये जायेंगे। पर्वतीय संभाग के पिछड़ी जातियों के लिये 10.74 लाख रुपयों का परिव्यय सम्मिलित है। उत्तराखण्ड के लिये अलग से प्राविधान किया जाता है। उत्तराखण्ड के तीन जिलों के लिये चौथी योजना में इन स्कीमों के लिये 25 लाख का परिव्यय रखा गया है। वर्ष 1971–72 के लिये 5 लाख रु० का प्राविधान प्रस्तावित है।

4—पिछड़ी जातियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये अनेक छात्रों को छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं। गैर सरकारी संस्थाओं को पिछड़ी जातियों के छात्रों को दी जाने वाली फीस की छूट के कारण होने वाली हानियों को सरकार द्वारा प्रति पूर्ति की जाती है। इन वर्गों के छात्रों को शिल्पकार प्रशिक्षण के लियें भी छात्र वृत्तियां दी जाती हैं। अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के खेतिहर परिवारों को कृषि तथा बागवानी संबंधी विकास कार्यों के लिए राज सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों का विकास करने के लिए भी इन वर्गों के लिए सहायता दी जाती है। इन वर्गों के लाभार्थ किये जा रहे कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम पीने के पानी की व्यवस्था करना है।

5—वर्ष 1971–72 के लिए प्रस्तावित नई स्कीमों में अनुसूचित जन-जातियों के लिए चार आश्रम पद्धति पाठशालाएं, राजकीय प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र, नैनीताल में फिटर पाठ्यक्रम की द्वितीय वर्ष की कक्षा का खोला जाना और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए कानिस्टेबिलों के पदों के लिए चयन किये जाने के हेतु भर्ती पूर्व प्रशिक्षण देने वाला केन्द्र (प्री-रेक्रूटमेंन्ट ट्रेनिंग सेन्टर) सम्मिलित हैं। शिक्षा तथा आवास-व्यवस्था के कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी जाने वाली वर्तमान सहायता जारी रहेगी। अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लाभ के लिए 1971–72 में 530 कुओं के निर्माण करने का भी प्रस्ताव है। केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित होने वाले कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1971–72 में दो और विशेष क्षेत्रीय योजनाएं (स्पेशल एरिया प्रोजेक्ट) स्थापित की जाएंगी।

6—गांव सभा भूमि के वितरण में अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लोग मुख्यत: लाभान्वित हुए हैं। आशा है कि वर्ष 1970 में गांव सभाओं की भमि का 90 प्रतिशत इन पिछड़े वर्गों में वितरित किया जायगा।

7—समाज कल्याण कार्यक्रम अपंग बालकों, निराश्रित महिलाओं, भिखारियों, और मानसिक दृष्टि से अविकसित व्यक्तियों आदि की सहायता के लिये चलाये जाते हैं। चौथी योजना में इन कार्यक्रमों

के लिए 100.00 लाख रुपये का परिव्यय नियत किया गया है। पहले दो वर्षों के लिए 23.65 लाख रुपया का परिव्यय आवंटित किया गया था। 1971-72 के लिये 22.00 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। इसमें पर्वतीय जिलों के लिये रखी गई 1.56 लाख रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है। उत्तराखण्ड के लिये चौथी योजना में समाज कल्याण कार्यक्रम के लिये 4.58 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है वर्ष १९७१-७२ के लिये 0.25 लाख रुपये का प्राविधान है।

8—इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रमजीवी महिलाओं के लिए हॉस्टल, शिशु-गृहों तथा बाल बाड़ी केन्द्रों, भिक्षावृत्ति के उन्मूलन की प्रायोजनाओं, सुरक्षा-गृहों, मानसिक दृष्टि से अविकसित बालकों के लिये पाठशालाओं, छायादार (शेल्टर्ड) कर्मशालाओं तथा ब्रेल पुस्तकालयों आदि जैसी स्कीमें सम्मिलित हैं। पहले से चालू कार्यक्रमों के अतिरिक्त 1971-72 की वार्षिक योजना में एक 'फॉस्टर केयर' गृह, अपराधी बालकों के लिए एक पाठशाला और एक बालिका निकेतन की स्कीमें प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम (यू० पी० चिल्ड्रेन ऐक्ट) चार और जिलों में लागू किया जायगा।

9—राज्य के अधिकांश खेतिहर मजदूर परिवारों के पास भूमि नहीं है। भूमिहीन मजदरों के लिए भूमि की व्यवस्था करने के प्रयास किये गये हैं। गांव सभा की भूमि में से 1969 तक 12-14 लाख हेक्टेयर भूमि भूमिहीन तथा छोटे किसानों में वितरित की गयी थी। शासन द्वारा यह भी निश्चय किया गया है कि किसी भूमिहीन मजदूर को दिये जाने वाला पट्टा दो एकड़ से कम का न हो। इसके अतिरिक्त, उ० प्र० अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (यू० पी० इम्पोजिसन आफ सीलिंग ऐक्ट, 1960) के अधीन उपलब्ध 0.72 लाख हेक्टेयर भूमि का वितरण अस्थायी पट्टे के आधार पर किया गया है। अब भूमिहीन मजदूरों को स्थायी पट्टे की स्वीकृति में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। भूमिहीन मजदूरों की समस्या का अध्ययन करने और उनके लिए प्रभावशाली कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल (वर्किंग ग्रुप) का भी गठन किया गया है। भूमिहीन मजदूरों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों के लिए चौथी योजना में एक करोड़ रुपए की धनराशि नियत की गई है।

10—देश की सीमान्त (मार्जिनल) किसानों और लघु किसानों की जन-संख्या का लगभग एक चौथाई भाग इस राज्य में है। एक हेक्टेयर से कम जोत वाले सीमान्त किसानों के लिए दो योजनाएं, जिनमें से प्रत्येक का परिव्यय 110 लाख रुपये है, केन्द्रीय सरकार ने राज्य को प्रदिष्ट की है। इन प्रायोजनाओं के ब्योरों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और वे भारत सरकार को भेज दिये गये हैं। उसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

11—एक हेक्टेयर (2.5 एकड़) से 3 हेक्टेयर (7.5 एकड़) की जोत वाले छोटे किसानों के विकास के लिए रायबरेली, प्रतापगढ़, बदायूं और फतेहपुर के चार जिलों में लघु कृषक विकास एजेंसियां स्थापित की गयी हैं। इनमें से प्रत्येक एजेंसी के लिये चौथी योजना अवधि के लिए 150.00 लाख रुपये की धनराशि नियत की गई है, जिसकी पूर्ति भारत सरकार द्वारा की जायगी। इन एजेन्सियों के मुख्य कार्य भूमि विकास बैंक से छोटे किसानों को लघु सिंचाई कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना तथा दूध देने वाले पशुओं, बैलों, कुक्कुटों आदि की खरीद के लिए और बीजों, उर्वरकों इत्यादि निवेशों (inputs) के क्रय के लिए सहकारी समितियों से अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन ऋण की व्यवस्था कराना होगा। भूमि विकास बैंक तथा सहकारी समितियों की सहायता के लिये एक जोखिम निधि (risk fund) की व्यवस्था की जायगी। यह एजेन्सी राज्य में सहकारी क्रय-विक्रय समितियां स्थापित करके क्रय-विक्रय की सुविधाएं भी बढ़ायेंगी। राज्य के सामान्य कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत भी छोटे किसानों को राज सहायता तथा ऋण दिये जाते हैं।

12—राज्य में बोये गये क्षेत्र (cultivated area) का एक काफी भाग ऐसा है जहां सिंचाई नहीं होती है। भारत सरकार ने देश में शुष्क भूमि पर खेती करने (Dry farming) के संबंध में शोध तथा कार्यवाही (Dry Land Farming Research and Action project) की प्रायोजनाएं स्थापित करने का एक कार्यक्रम स्वीकृत किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में चार शोध केन्द्रों पर शुष्क खेती करने के संबंध में शोध कार्य किया जायगा। इन केन्द्रों से चार अग्रगामी कार्य प्रायोजनाएं (Action pilot projects) सम्बद्ध रहेंगी।

1970–71 के लिये ऐसी एक प्रायोजना झांसी के लिए स्वीकृत की गई है तथा 1971–72 के लिए आगरा तथा गाजीपुर में दो और प्रायोजनायें प्रस्तावित हैं। 1971–72 में 4,000 एकड़ भूमि उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

13—ग्राम तथा लघु उद्योगों का निर्धन वर्गों की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने में काफी योगदान रहता है। हथकरघा उद्योगों के विकास के लिये उत्पादित वस्तुओं के किस्मों का स्तरीकरण करने, कच्ची सामग्री उपलब्ध करने तथा और अधिक हथकरघा समितियां संगठित करने के हेतु बहुत से प्रोन्नत कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं।

14—परम्परागत दस्तकारी वंशगत आधार पर चलाये जाते हैं। अब भी ये ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है जो निर्धन हैं। इन उद्योगों के विकास की काफी गुंजाइश है। चौथी योजना में हस्त-शिल्पों के विकास के लिए 70.00 लाख रुपये की धनराशि प्रदिष्ट की गई है। 1971–72 के लिए 10.15 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। विकास प्रयासों में आन्तरिक विपणन की प्रोन्नति, सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, हस्तशिल्प सहकारी समितियों का संगठन तथा वित्तीय एवं प्रबंधकीय सहायता देना कार्यक्रम सम्मिलित है, शिल्प प्रशिक्षण स्कीम के अन्तर्गत 1971–72 में ऐसे व्यवसायों के जो लोक प्रिय नहीं हैं 520 सीटों को लोकप्रिय व्यवसायों में परिणत करने का प्रस्ताव है।

———

प्रशासनात्मक नीति और संस्थागत ढांचा

विकास की प्रक्रिया प्रशासन के समक्ष नई चुनौतियां प्रस्तुत करती है। यह बात अधिकाधिक रूप से अनुभव की जा रही है कि यद्यपि धन और पदार्थों का उत्पादन एवं विकास में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन सामाजिक तथा मानवीय तत्व आवश्यक एवं निर्णायक होते हैं। आर्थिक विकास की सफलता के लिए गतिशील होना आवश्यक है। गतिशील आर्थिक विकास और नवीन औद्योगिकी केवल पूंजी की व्यवस्था तथा प्रविधियों के ज्ञान का प्रदान करना ही नहीं है। इसके लिए मनोवृत्तियों में परिवर्तन तथा शासनात्मक और संस्थागत ढांचों में अभिनव सुधार की आवश्यकता होती है जो किसी भी नियोजित कार्य का आधारात्मक ढांचा होता है। वास्तव में विकास की प्रक्रिया में निहित सामाजिक परिवर्तन "मनुष्य के जीवन में अर्थ और उद्देश्य और अपने संगी-साथियों के साथ उसके संबंधों के विषय में उसके संपूर्ण दृष्टिकोण को प्रभावित करता है"।

2—समय की आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप से पूर्ति करने के उद्देश्य से राज्य के प्रशासनात्मक ढांचे में सुधार करने के संबंध में व्यापक नीति राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना संबंधी प्रालेख में दी गई है। नीति संबंधी परिवर्तनों में अनुरूप प्रशासनिक तत्व को एक नई दिशा (orientation) प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। प्रशासन को ऐसा होना चाहिए जो जनता की आवश्यकताओं एवं भावनाओं को समझ सके। उसकी सफलता का यह मापदण्ड है कि वह किस सीमा तक ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है।

3—नियोजित विकास के लिए, विशेषकर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए किसी राज्य में, केवल यह लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं के विद्यमान ढांचे से अपेक्षाकृत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त किये जायं वरन् उनमें ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन भी लागू करना चाहिए जिनके द्वारा इन संस्थाओं एवं संरचनाओं को वांछित विकास की उपलब्धि के लिए और अधिक प्रभावकारी साधन बनाया जा सके।

4—राज्य सरकार सुनियोजित प्रयासों तथा संसाधनों के अधिकतम उपयोग के द्वारा जनता के जीवन स्तर को उठाने के लिए बचन-बद्ध है। अतएव, शासन के विभाग और उसके अभिकरण वार्षिक योजना की कार्यान्वित करने के लिए पूरा प्रयास करने के लिए उत्तरदायी है। आवश्यकता इस बात की है कि सामूहिक रूप से कार्य, पारस्परिक सहयोग, सम्पर्क और कार्य के निरन्तर मूल्यांकन द्वारा इस प्रकार किया जाय कि गरीबी, निरक्षरता और जनता के निम्न जीवन स्तर से उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया जा सके। सरकार के विभिन्न विभागों और अधिकरणों के बीच कार्य का समन्वय करने का प्रयत्न औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थाओं एवं निकायों के माध्यम से किया जाता ह जो दोनों शासन तथा जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हैं। नियोजन की प्रक्रिया में निम्नतम स्तर से लेकर ऊपर तक अब सहयोग एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस प्रायोजन के लिए गांव पंचायतों, क्षेत्र समितियों और जिला समितियों जैसे जनतांत्रिक रूप से विकेन्द्रित संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर जनता का पूर्ण एवं सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

5—यह सत्य है कि नियोजन के सूत्रपात से पूर्व इस राज्य में जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जिस प्रशासनिक ढांचे को विकसित किया गया था उसे अब सुसंगत अथवा उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। प्रशासन में प्राविधिक दक्षता, संगठनात्मक प्रभावकारिता, प्राविधिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वों में अविच्छिन्नता, सुस्पष्ट निर्देश और सबसे बढ़कर विविध स्तरों पर विशिष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए एक ऐस। संयुक्त प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए जिसका समन्वित दृष्टिकोण हो। राज्य सरकार इन समस्याओं के प्रति ध्यान देती रहेगी जिससे कि प्रशासन के अंगों को अधिक कुशल तथा प्रभावकारी अपव्यय के प्रति सजग, निरन्तर आत्म-सोधक और शीघ्र निर्णय लेने की प्रोत्साहन देने वाला बनाया जा सके।

6—यहां पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि राज्य सरकार से हाल में एक प्रशासनिक सुधार शाखा स्थापित की है जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगी और ऐसे परिवर्तनों तथा सुधारों का सुझाव देगी

जिससे प्रशासन अधिक सक्रिय हो सके और जनता की आवश्यकताओं के लिये अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय (आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल) को, जो पहले बन्द कर दिया गया था, पुनः चालू किया जाय।

7—नीति सम्बन्धी एक प्रमुख परिवर्तन कृषि तथा उद्योग के विकास के लिए संस्थात्मक ऋण की व्यवस्था से संबंधित है। कुछ ही समय पूर्व तक ऋण अधिकांशतः सरकारी अधिकारियों के माध्यम से दिये जाते थे जिसके लिए संसाधन सदैव अपर्याप्त रहते थे। ग्रामीण तथा नागरीय क्षेत्रों के विकास के लिये यह आवश्यक हो गया है कि कृषि तथा उद्योग के क्षेत्रों को (सेक्टरों) सभी संभव साधनों द्वारा अधिक से अधिक ऋण दिया जाय। इस बात के लिये प्रयास किये जा रहे हैं कि इस प्रकार के ऋण के संसाधनों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जाय जिससे कि ऋण संबंधी लागत को कम किया जाय और ऋण की शर्तों का इस प्रकार समायोजन किया जाय जो जनता की सुविधा तथा सामर्थ्य के अनुकूल हो।

8—संभागीय तथा क्षेत्रीय असन्तुलन आर्थिक विकास की प्रगति में विकृति उत्पन्न करते हैं। यह बात व्यापक रूप से अनुभव की जाती है कि किसी सामाजिक संरचना के विभिन्न भाग विकास की प्रक्रिया में विभिन्न गति से बढ़ते हैं और इस प्रकार विषमता तथा असंतुलन और गतिहीनता तथा आकर्षण (drag) वाले अंचलों को जन्म देते हैं। यह कहा जा सकता है कि किसी ऐसे राज्य के समक्ष जिसके संसाधन सीमित हों और जिसको अपर्याप्त सहायता प्राप्त होती हो, प्राथमिकता के आधार पर चयनात्मक तरीका अपनाने के अतिरिक्त, संसाधनों के वितरण के संबंध में बहुत कम विकल्प रह जाता है। इस प्रकार की नीति अनुत्पादक स्तरों पर विनियोजन होने को रोकने के लिये आवश्यक है। लेकिन इससे होता यह है कि इस प्रकार की कसौटी अपनाने से अपेक्षाकृत उन्नत क्षेत्रों में संसाधनों का केन्द्रीकरण होने लगता है। इसके परिणामस्वरूप असन्तुलनों की समस्या और उग्र हो जाती है। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि राज्य के सीमान्त और पिछड़े हुये क्षेत्रों को सम्पूर्ण आर्थिक पद्धति के साथ संभावित किया जाय। चौथी योजना विशेषकर 1971–72 की वार्षिक योजना की व्यापक नीति यह है कि उन विकास की स्कीमों में आर्थिक तथा औद्योगिक निवेशों (inputs) को संकेन्द्रित किया जाय, जो पिछड़े क्षेत्रों और समाज के आर्थिक दृष्टि से वाधित वर्गों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में असन्तुलनों को दूर करें। यहां पर इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है कि योजना में ऐसे विशेष निवेशों (inputs) की व्यवस्था करने पर व्यापक रूप से जोर दिया गया है जो पिछड़े वर्गों, छोटे और उपान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की समस्याओं की पूर्ति करते हों। सरकार द्वारा सामाजिक दृष्टि से संबंधित वर्गों की दशा सुधारने के लिए शिक्षा, साधारण आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, तथा आवास व्यवस्था में विशेष रूप से कल्याणकारी स्कीमें आरम्भ की जा रही हैं। छात्रवृत्तियां, अनावर्तक सहायता, राज-सहायता जैसे विशेष प्रोत्साहनों की व्यवस्था पूर्ववत् की जाती रहेगी। इसी प्रकार भूमिहीन मजदूरों के लिए भूमि की व्यवस्था करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। छोटे किसानों और उपान्त किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष अभिकरणों की स्थापना की जा रही है। लघु कृषक विकास एजेन्सियां (अभिकरण) चार जिलों में पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं और अन्य जिलों में भी उपान्त किसानों के लिए इसी प्रकार की एजेन्सियों की स्थापना के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। यह उम्मीद की जाती है कि ऐसी एजेन्सियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए योजना परिव्यय से पृथक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी जो विशेष रूप से उन खेतिहरों और किसानों की दशा सुधारने के लिए स्थापित की गयी है जिनकी जोतें बहुत छोटी हैं और जो इस समय जीविका निर्वाह मात्र के लिए उपज देने वाली खेती में लगे हैं।

9—सभी स्तरों पर प्रशासन की निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से की जाने वाली महत्वपूर्ण कार्यवाहियों में एक यह है कि प्रतिविधान (delegation of powers) की प्रक्रिया को दृढ़ता से और आगे बढ़ाया जाय। निर्णय लेने की शक्ति का उच्चतम स्तर पर केन्द्रीकरण

विकास में अवरोध पैदा करता है। आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न स्तरों पर स्पष्ट रूप से निरूपित उत्तरदायित्व का निर्धारण हो और विभिन्न स्तरों पर कार्य भार निर्दिष्ट किया जाय और उसके फलस्वरूप उत्तरदायित्व की भावना और बढ़े। प्रशासन संबंधी ढांचे का पुनर्निर्माण न केवल इस आधार पर करने की आवश्यकता है कि अधिकारों का विभाजन किस प्रकार होगा वरन उन प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए भी करना होगा जिनकी एक बार अधिकार तथा संसाधनों की व्यवस्था कर दिये जाने और उत्तरदायित्व निश्चित कर दिये जाने पर प्राप्ति होगी। इस प्रसंग में शासन के विभिन्न विभागों को वित्तीय अधिकारों के प्रतिविधान के संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। बजट तैयार करने की निष्पादन पद्धति (performance budgeting) लागू की जा रही है।

10—यद्यपि प्रायोजनोत्तर मूल्यांकन पर बल दिया जाना आवश्यक है, तथापि योजना तैयार करते समय ही पूर्व प्रायोजना विश्लेषण किया जाना भी अत्यावश्यक है जिससे कि केवल ऐसी ही प्रायोजनाओं को विकास के कार्यक्रम में स्थान मिल सके जो अधिकतम लाभ दे सकें। इसके अतिरिक्त आधुनिक उपकरणों और प्रबन्ध के तरीकों को अपनाना और उनका उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है, जिससे कि विनियोजन के लागत-लाभ अनुपात को अधिकतम बनाया जा सके। यह उम्मीद है कि चौथी योजना के आगामी वर्षों के दौरान प्रशासन के इन पहलुओं पर पहले से अधिक बल दिया जायगा।

11—प्रशासन के अन्तर्गत, उसके व्यापक अर्थ में, केवल शासन की प्रशासनिक तथा प्राविधिक सेवाएं ही सम्मिलित नहीं हैं। वास्तव में विभिन्न प्रकार की संस्थायें सम्भावित ढंग से कार्य करती हैं जिससे प्रत्येक क्षेत्र के लोग स्वयं विकासोन्मुख होते हैं। उदाहरणार्थ ये संस्थाएं जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, सहकारी संगठन जैसे लोक प्रिय आन्दोलन और स्वैच्छिक अभिकरण तथा शासन को प्रशासनिक एवं प्राविधिक सेवायें हैं। इस राज्य सरकार को इसका सतत् ध्यान है कि इन संस्थाओं के कार्यों को इस प्रकार समुन्नत किया जाय कि प्रशासन उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सके जिनकी उससे अपेक्षा की जाती है।

तालिका 1

वार्षिक योजना 1971-72

परिव्यय तथा व्यय

(लाख रु० में)

मद/वर्ग	चौथी योजना (1969-74)	1969-70 अनुमानित व्यय	1970-71		1971-72	परिव्यय	
			स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 कृषि उत्पादन	5,292	853	975	884	1,122	334	1
1.2 छोटी सिंचाई ..	9,600	2,075	1,900	2,103	2,130	1981	..
1.3 भूमि संरक्षण ..	2,140	355	327	387	432	..	..
1.5 शोध तथा शिक्षा ..	418	52	77	65	117	13	..
1.6 छोटे किसानों को कृषि श्रम भूमि-हीन श्रमिकों सहित ..	100	इस वर्ग की योजनायें केन्द्रीय क्षेत्र में चल रही है					..
योग-1-कृषि कार्यक्रम ..	17,550	3,335	3,279	3,439	3,801	2,328	1
2.1 पशुपालन ..	550	74	105	103	123	19	1
2.2 दुग्धशाला तथा दूध का वितरण	400	48	65	46	66	53	..
2.3 वन ..	1,300	206	200	194	256	..	..

2.4	मत्स्य	90	9	20	12	21	13	–
2.5	भाण्डागार	30	7	20	23	26	11	..
	योग–2—समवर्ती कार्यक्रम	2,370	344	410	378	492	96	1
3.1	सहकारिता	1100	46	85	179	333	263	..
3.2	सामुदायिक विकास	1015	211	223	181	235	38	..
3.3	पंचायत	100	18	22	30	37	7	..
	योग–3–सहकारिता तथा सामुदायिक विकास	2215	275	330	390	605	308	..
4.1	सिंचाई	9,000	2,224	1,993	2,206	3,022	3,022	90
4.2	बाढ़ नियंत्रण	800	114	200	179	206	206	..
4.3	विद्युत	37,500	7,387	7,525	7,657	7,977	7,977	568
	योग, 4—सिंचाई तथा विद्युत	47,300	9,725	9,718	100,42	11,205	11,205	658
5.1	बृहत तथा मध्यम उद्योग	2,372	470	450	683	492	491	20
5.2	खनिज विकास	95	12	15	20	22	..	2
5.3	ग्राम तथा लघु उद्योग	2,010	156	257	246	275	177	8
	योग, 5—उद्योग तथा खनिज	44,77	638	722	949	789	668	30

(लाख रुपयों में)

मद/वर्ग	चौथी योजना (1969–74)	1969–70 अनुमानित व्यय	1970–71		1971–72	परिव्यय	
			स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1 सड़क ..	5,000	658	714	760	950	950	1
6.2 सड़क परिवहन ..	725	87	100	86	150	150	2
6.3 पर्यटन ..	50	9	16	6	16	..	..
योग, 6—परिवहन तथा संचार-साधन ..	5,775	754	830	852	1,116	1,100	3
7.1 सामान्य शिक्षा ..	5,345	547	617	664	1,167	90	..
7.2 प्राविधिक शिक्षा ..	1,048	152	170	143	182	37	6
7.4 स्वास्थ्य और परिवार नियोजन ..	3,550	353	410	411	644	282	..
7.5 जल सम्पूर्ति ..	2,025	598	406	406	465	189	1
7.6 आवास तथा नगर विकास	1,225	216	260	259	290	260	..
7.7 पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण	720	61	72	67	101	1	..
7.8 समाज कल्याण ..	100	8	12	10	22	4	..
7.9 शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण ..	364	56	110	85	80	..	..

7.11	तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार दिलाना ..	50	..	4	10	13	..	..
	योग, 7—समाज सेवायें ..	14,427	1991	2,061	2,055	2,964	863	7
8.1	सांख्यिकी	20	1	3	3	3	..	..
8.2	सूचना तथा प्रसार ..	20	4	4	4	4	..	..
8.4	पर्वतीय तथा सीमान्तक्षेत्र ..	2,000	344	472	473	400	248	..
8.5	मूल्यांकन संगठन ..	3	..	1	..	1	..	..
8.6	अन्य ..	343	53	89	101	94	..	..
	योग, 8—विविध ..	2,386	402	569	581	502	248	..
	योग, 1 से 8 ..	96,500	17,464	17,919	18,686	21,474*	16,816	670

*इसमें 4.76 करोड़ रु० का परिव्यय सम्मिलित नहीं है जिसका प्राविधान चालू वर्ष के आय-व्ययक में चीनी निगम के लिये किया गया है।

नोट—उत्तरा-खंड, अन्य पर्वतीय जिलों तथा पिछड़े क्षेत्रों के परिव्यय के लिये अध्याय 22 के परिशिष्ट 4 और 5 देखिये।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

विवरण पत्र 1 : परिव्यय एवं व्यय

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	मद/योजना	चौथी योजना परिव्यय	1969-70 व्यय	1970-71 अनुमानित व्यय	1971-72 कुल परिव्यय	1971-72 पूंजी
1	2	3	4	5	6	7
	1.1. कृषि उत्पादन					
	(1) कृषि शिक्षा					
	सामुदायिक विकास विभाग--					
1101	कृषक प्रशिक्षण एवं शिक्षा (आडोविजुएल सेक्शन)	29.20	5.55	12.00	18.00	2.00
	(2) निर्यात के लिये वाणिज्यिक फसलों का विकास--					
	कृषि विभाग--					
1121	मूंगफली का अधिकतम उत्पादन	44.92	9.31	10.76	11.50	..
1122	कपास का अधिकतम उत्पादन	6.86	1.08	1.83	2.42	..
1123	जूट फसलों पर यूरिया तथा कीटनाशक दवाओं का हवाई छिड़काव ..	2.15	0.29	0.40	1.22	..

1124	जूट का विशिष्ट पैकेज कार्यक्रम ..	4.41	0.34	0.30	1.14	..
1125	जूट और मेस्ता के किस्मों का सुधार ..	2.82	0.99	1.10	1.00	..
1126	समुन्नत जूट बीजों का कम मूल्य पर वितरण ..	1.69	0.15	0.35	0.35	..
1127	लाख के पैकेज कार्यक्रम का विस्तार ..	0.49	0.07	0.11	0.11	..
1128	वी० एफ० सी० तम्बाकू का विकास ..	..	..	0.11	1.24	..
	नई परियोजना—					
1135	राई और सरसों का विकास	..	..	2.30	4.00	..
	सोयाबीन प्रदर्शन ..	..	..	..	0.53	..
	गन्ना विभाग—					
1140	चुकन्दर विकास की अग्रगामी परियोजना ..	0 92	..	..	0.31	..
	(3) कृषि सांख्यिकी					
1150	फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र व उत्पादन का अनुमान लगाने की वर्तमान प्रणाली में सुधार ..	14.35	2.43	3.55	3.62	..

विवरण-पत्र 1 (क्रमश:) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	मद/योजना	चौथी योजना परिव्यय	1969-70	1970-71	1971-72	
			व्यय	अनुमानित व्यय	कुल परिव्यय	पूंजी
1	2	3	4	5	6	7
1151	खण्डस्तर पर कृषि उत्पादन का अनुमान लगाने का न्यादर्श सर्वेक्षण ..	0.37	0.22	..	..	..
1152	फसलों के कटाई के पूर्व उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए अग्रगामी अध्ययन	1.57	0.01	0.27	0.29	..
1153	प्रमुख फसलों पर राष्ट्रीय प्रदर्शन ..	6.17	0.38	3.27	1.48	..
1154	रेंडी का प्रदर्शन ..	..	0.08	0.16	0.25	..
	नई परियोजना					
1155	अधिक उत्पादन वाली फसलों का न्यादर्श सर्वेक्षण ..	..	..	2.56	2.88	..

	(4) इन्डेमिक क्षेत्रों में पौध सुरक्षा—					
1160	इन्डेमिक क्षेत्रों में फसल कीटाणुओं तथा रोगों को दूर करने में छोटे कृषकों को समर्थ बनाना ..	..	..	..	22.40	..
	(5) अन्य					
	मल्टीपुल क्रापिंग की अग्रगामी परियोजना	..	..	..	2.69	..
	योग, 1.1. कृषि उत्पादन ..	115.92	20.90	39.27	75.43	2.00
	1.3. भूमि संरक्षण					
	वन विभाग—					
1301	रामगंगा के जलाशय क्षेत्रों में नदी घाटी प्रायोजना ..	100.78	17.00	19.62	24.00	..
	नदी घाटी प्रायोजना, माताटीला बांध ..	अभी निश्चित नहीं है	..	2.00	7.00	..
	.	10078	17.00	21.62	31.00	..

विवरण पत्र 1 (क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	मद/योजना	चौथी योजना परिव्यय	1969–70	1970–71	1971–72	
			व्यय	अनुमानित व्यय	कुल परिव्यय	पूंजी
1	2	3	4	5	6	7
	(1) कृषि विभाग—					
1302	उत्तर प्रदेश में खालों पुनर्वापण की अग्रगामी प्रायोजना ..	100.00	1.80	27.31	15.00	..
1303	झांसी जिलें में ड्राई लैण्ड फार्मिंग पर अग्रगामी प्रायोजना ..	..	6.67	6.67	19.58	10.80
1304	आगरा जिले में ड्राई लैण्ड फार्मिंग पर अग्रगामी प्रायोजना ..	..	..	..	18.42	9.30
1305	गाजीपुर जिले में ड्राई लैण्ड फार्मिंग पर अग्रगामी प्रायोजना ..	..	..	..	18.42	9.30
	योग ..	100.00	1.80	33.98	71.42	29.40
	योग, 1.3. भूमि संरक्षण ..	200.78	18.80	55.60	102.42	29.40

	2.1 पशुपालन					
2101	उत्तर प्रदेश में पशुमहामारी (रिन्डरपेस्ट) की रोकथाम के लिये अर्न्तप्रदेशीय सीमा पर प्रतिरक्षा मंडल की स्थापना ..	49.81	4.47	6.14	6.26	..
2102	ग्रामीण पशुओं की सुव्यवस्थित उन्नति के लिये सांडों का संतति परीक्षण ..	24.38	2.34	0.69	0.71	..
2103	इन्डो नेपाल सीमा पर दो अतिरिक्त टीका केन्द्रों की स्थापना ..	3.35	0.38	0.37	0.38	..
2104	राज्य के अर्न्तराज्यिक सीमा पर बीस टीका चौकियों की स्थापना ..	10.69	0.75	2.56	1.93	..
	योग 2.1. पशुपालन ..	88.23	7.94	9.76	9.28	..
	2.3. वन					
2301	वन संसाधनों का सर्वेक्षण ..	7.50	1.72	1.80	1.82	..
	3.1. सहकारिता					
3101	कृषीय ऋण स्थिरीकरण निधि	156.00	23.50	12.63	32.00	8.00
3102	पी० सी० एफ० की उर्वरक व्यापारार्थ सीमान्त धन —	200.00	13.00	50.00	50.00	50.00
	योग, 3.1. सहकारिता ..	356.00	36.50	62.63	82.00	58.00

विवरण पत्र 1 (क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	मद/योजना	चौथी योजना परिव्यय	1969–70 व्यय	1970–71 अनुमानित व्यय	1971–72 कुल परिव्यय	1971–72 पूंजी
1	2	3	4	5	6	7
	3.2 सामुदायिक विकास					
3201	व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम	162.52	37.50	39.10	35.02	..
3202	उत्पादक केन्द्रों के लिये पाइलट रिसर्च प्रोजेक्ट ..	6.70	..	..	2.25	..
	योग, 3.2—सामुदायिक विकास	169.22	37.50	39.10	37.27	
	4.3 विद्युत्					
4301	अन्तर्राज्य ग्रिड्स ..	261.00	9.48	28.00	68.00	68.00

	5.3 ग्राम तथा लघु उद्योग					
5301	ग्राम उद्योग प्रायोजना ..	199.56	6.69	8.13	8.67	2.10
5302	ग्राम उद्योग प्रायोजना, फूलपुर इलाहाबाद ..	104.59	1.74	3.70	5.97	..
5303	ग्राम तथा लघु उद्योगों का सर्वेक्षण	5.00	0.60	0.90	1.50	..
	योग, 5.3 ग्राम तथा लघु उद्योग ..	309.15	9.03	12.73	16.14	2.10
	6.1. सड़कें					
6101	बेरोजगारी दूर करने की परियोजना ..	1.09	0.40	0.50	0.30	..
6102	पौंता-राजभान-मीनस-रोहरू सड़क का विकास ..	3.00	1.47	2.18	2.25	..
6103	उत्तर प्रदेश—तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का विकास	1.21	0.07	0.31	0.50	..
6104	इलाहाबाद जिले में सोरों—फूलपुर-हंडिया सड़क का निर्माण	7.84	3.27	2.72	2.50	..
6105	मिर्जापुर जिले में सिंगरौली—पिपरी सड़क का निर्माण	8.97	..	0.14	1.00	1.00
6106	गंगा तथा रामगंगा पर पुल निर्माण ..	600.00	29.20	40.87	70.00	70.00
6107	पार्श्विक सड़क प्रायोजना	775.00	178.28	300.00	153.00	..
6108	अन्तर्राज्य तथा आर्थिक महत्व की सड़कों और उन पर पुलों का निर्माण (नई परियोजना)	167.00	..	..	..	..
6109	*उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बक्सर में गंगा नदी पर पुल निर्माण	150.00	..	..	..	..
6110	अन्तर्देशीय जल परिवहन ..	5.00	..	..	..	..
	योग, 6.1. सड़कें ..	1719.11	212.69	346.72	229.55	71.00

*बिहार सरकार पुल का निर्माण कर रही है।

7. समाज सेवा

7.1 सामान्य शिक्षा

विवरण पत्र 1 (क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	मद / योजना		चौथी योजना परिव्यय	1969-70 व्यय	1970-71 अनुमानित व्यय	1971-72 कुल परिव्यय	1971-72 पूंजी
1	2		3	4	5	6	7
7101	विश्वविद्यालय स्तर की हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशनार्थ एक स्वायत्त निगम की स्थापना	..	100.00	7.00	12.00	20.00	..
7102	संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण	..	0.20	0.04	0.04	0.04	..
	योग 7.1—सामान्य शिक्षा	..	100.20	7.04	12.04	20.04	..
	7.4 स्वास्थ्य और परिवार नियोजन						
7401	शिक्षा कार्यक्रम	..	100.00	0.45	12.09	10.00	0.75
	प्रशिक्षण कार्यक्रम						
7421	लखनऊ मेडिकल कालेज में फिजियो थिरैपिस्ट और अकूपेशनल थिरेपिस्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था	..	4.03	..	..	0.96	..
7422	स्वास्थ्य निरीक्षकों, पैरा मेडिकल वर्कर्स और अन्य निरोध कर्मचारियों का प्रशिक्षण	..	..	..	..	.	..
	योग-2 प्रशिक्षण कार्यक्रम	..	4.03	..	.	0.96	..

7431	मस्तिष्क रोगों की क्लीनिक्स की स्थापना	..	13.50	..	..	..	..
	प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मूल स्वास्थ्य सेवायें						
7441	प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार	..	900.00	..	29.62	60.00	..
	संचारी रोगों का नियंत्रण						
7451	भारत सरकार के आदेशानुसार 37 अन्य रोग क्लीनिक्स कमोशित अन्य रोग निरोध दवाओं, भवन निर्माण और जिला अस्पतालों में 400 छूत शैय्यायों की व्यवस्था आदि	..	238.14	4.34	24.08	38.30	3.75
7452	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	..	1280.59	114.31	168.00	146.59	..
7453	राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम	..	436.52	..	24.80	80.00	..
7453	जमी व सूखी वैक्सीन का उत्पादन	..	88.00	.	..	18.00	..
7455	कुष्ट नियंत्रण कार्यक्रम जिससे कुष्ट इकाइयों की स्थापना 50 एस० ई० टी० इकाइयों की स्थापना तथा 6 इकाईयों का विस्तार सम्मिलित है	..	65.78	..	4.31	8.83	..
7456	फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	..	60.80	..	4.36	12.31	..
7457	ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम	..	13.48	..	0.50	2.70	..
7458	हैजा नियंत्रण कार्यक्रम	..	7.50	..	..	..	..
7459	बी० डी० नियंत्रण कार्यक्रम	..	15.00	..	1.03	2.00	..
	योग	..	2205.81	118.65	227.42	308.73	3.75
	परिवार नियोजन						
7461	नगरीय परिवार नियोजन केन्द्र	..	198.70	..	31.35	38.17	..
7462 7463	ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र उप केन्द्र	..	2220.92	..	302.39	508.21	183.97
7464	परिवार नियोजन प्रशिक्षण	..	264.43		25.80	31.83	15.75
7465	नसबन्दी कार्यक्रम	..	774.96	445.88	86.30	69.00	..
7466	लूप कार्यक्रम	..	185.59	..	..	11.00	..

विवरण-पत्र – 1 (क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	मद/योजनायें		चौथी योजना परिव्यय	1969–70 व्यय	1970–71 अनुमानित व्यय	1970–71 कुल परिव्यय	1971–72 पूंजी
1	2		3	4	5	6	7
7467	परिवार नियोजन के लिए अन्य कार्यक्रम		1769.72	..	222.52	252.52	14.63
	विकास अन्वेषणालय						
7468	परिवार नियोजन संचार से संबंधित अनुसंधान प्रोजेक्ट	..	15.41	..	2.50	3.12	..
	योग	..	5429.73	454.88	760.86	913.65	214.45
	भारतीय चिकित्सा पद्धति						
7471	भारतीय चिकित्सा पद्धति में उच्च शिक्षा प्रशिक्षण और शोध कार्य की व्यवस्था	..	50.00	..	3.00	6.00	..
	योग	..	50.00	..	3.00	6.03	..
	अन्य कार्यक्रम						
7481	सीतापुर के नेत्र चिकित्सालय में नेहरू नेत्र संस्था के अन्तर्गत स्नातक शिक्षा की व्यवस्था	..	0.94	0.94	1.12	1.12	..
	योग, 7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन	..	8703.07	574.92	945.22	1300.46	218.95

	7.5 जल संपूर्ति					
7501	तीन सर्वेक्षण डिवीजन की स्थापना ..	110.00	8.31	9.18	9.21	..
	7.7—पिछड़ी जातियों का कल्याण					
	(अ)—अनुसूचित आदिम जातियां					
	शिक्षा—					
7701	दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति ..	6.70	1.25	1.50	1.50	..
7702	बालकों तथा बालिकाओं के लिये छात्रावास ..	8.00	0.99	..	2.00	..
	योग ..	14.70	2.24	1.50	3.50	..
	आर्थिक उत्थान—					
7711	विशेष क्षेत्रीय प्रायोजना ..	26.00	0.40	1.58	6.00	1.00
7712	सहकारिता—					
	(1) अनुदान तथा प्रबन्ध हेतु राज्य सहायता ..					
	(2) कर्जे ..	15.00	0.47	2.28	5.00	..
	(3) प्रबन्धकीय तथा निरीक्षकीय कर्मचारी तथा वहन हेतु	..	..	1.00	..	..
	योग ..	41.00	0.87	4.86	11.00	1.00

विवरण-पत्र-(क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	मद/योजना	चौथी योजना परिव्यय	1969–70 व्यय	1970–71 अनुमानित व्यय	1971–72 कुल परिव्यय	1971–72 पूंजी
1	2	3	4	5	6	7
	स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनायें—					
7721	शोध और प्रशिक्षण की अग्रगामी योजना ..					
7722	प्रौढ़ साक्षरता तथा सामाजिक शिक्षा के लिये अग्रगामी कार्यक्रम ..	6.75	0.63	0.78	2.00	1.00
	योग ..	6.75	0.63	0.78	2.00	1.00
	योग (अ) ..	62.45	3.74	7.14	16.50	2.00
	(ब) अनुसूचित जातियां—					
	शिक्षा					
7731	दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति ..	203.30	62.60	50.00	90.00	..
7732	अनुसूचित जाति के बालिकाओं के लिये छात्रावास की स्थापना	9.00	1.00	3.06	2.00	..

7733	प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिये प्रशिक्षण ..	6.00	..	0.71	1.00	..
	योग ..	218.30	63.60	53.77	93.00	..
	आर्थिक उत्थान—					
	स्वास्थ्य आवास एवं अन्य योजनायें—					
7741	शहरी क्षेत्रों में मेहतरों के लिये गृह निर्माण ..	10.00	3.00	2.49	2.25	.
7742	कमर या सर पर मैले के ढोने की प्रथा का उन्मूलन ..	5.00	1.00	1.00	1.00	..
7743	गन्दे कामों में लगे हुये अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये गृह निर्माण ..	..	..	..	..	..
7744	गन्दे कार्य में लगे हुये अनुसूचित जाति के लोगों को गृह स्थल भूमि प्राप्त करने या खरीदने हेतु अनुदान ..	5.00	0.47	0.41	0.75	..
	योग ..	20.00	4.47	3.90	4.00	..
	योग, (ब) ..	238.30	68.07	57.67	97.00	..

विवरण-पत्र-1 (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	मद/योजना	चौथी योजना परिव्यय	1969-70 व्यय	1970-71 अनुमानित व्यय	1971-72 कुल परिव्यय	1971-72 पूंजी
1	2	3	4	5	6	7
	(स) विमुक्त जातियां					
	शिक्षा—					
7751	विज्ञान, कृषि तथा अन्य तकनीकी विषयों को लेकर कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ने वाले विमुक्त जाति के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति ..	2.50 }		0.47	0.50	..
7752	पूर्व दशम कक्षाओं में छात्रवृत्ति	5.00 }	1.40	1.00	1.00	..
7753	आश्रम पद्धति विद्यालय ..	34.00	3.66	4.00	7.00	..
	योग ..	41.50	5.06	5.47	8.50	..
	आर्थिक उत्थान—					
7761	शिल्प कला प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति ..	1.50	..	0.20	0.20	..
7762	कृषि उत्पादन हेतु राज्य सहायता	7.00	0.96	1.95	1.50	..

7763	कुटीर उद्योग हेतु राज्य सहायता	10.00	0.99	1.93	2.00	..
7764	भूमि सेवायोजन प्रायोजना या कारखाना क्षेत्रों में पुनर्वासन	5.00	1.00	1.55	1.00	..
	योग ..	23.50	2.95	5.63	4.70	..
	स्वास्थ्य आवास एवं अन्य योजनायें					
7771	गृह निर्माण हेतु राज्य सहायता	10.00	0.99	2.00	1.50	..
	योग ..	10.00	0.99	2.00	1.50	..
	योग, (स) ..	75.00	9.00	13.10	14.70	..
	द—मुशाहरों के लिये विशेष योजना—					
7791	आवास ..	..	..	..	..	..
7762	पेय जल ..	..	..	..	..	..
7793	पुनर्वासन ..	..	..	..	..	..
7794	गृह उद्योग ..	..	..	..	..	..
7795	आश्रम पद्धति विद्यालय ..					
	योग, (द) ..	..	..	..	..	..
	योग, 7.7—पिछड़ी जातियों का कल्याण	375.00	80.81	77.91	128.20	2.00
	7.8—समाज कल्याण					
	प्रिवोकेशनल केन्द्रों की स्थापना ..	19.54	3.34	3.57	3.48	..

तालिका—2

भौतिक कार्यक्रम

मद	इकाई	उपलब्धियों का स्तर 1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	चौथी योजना 1969-74
1	2	3	4	5	6	7
		1—कृषि एवं समवर्गी कार्यक्रम				
वन के अन्तर्गत क्षेत्र—						
(1) वर्क प्लान क्षेत्र	लाख हेक्टर	33.15	33.15	33.97	35.50	37.00
(2) जल्दी उगने वाले आर्थिक महत्व के वृक्षों के अन्तर्गत क्षेत्र	"	1.24	1.45	1.68	1.91	2.38
(3) ईंधन प्रदान करने वाले वृक्षों का क्षेत्र	"	0.03	0.04	0.05	0.07	0.09
(4) अन्य (रेवाइन शामिल करते हुए)	"	1.67	1.72	1.80	1.89	2.07
(5) वर्क प्लान के बाहर का क्षेत्र।	"	6.17	6.17	5.35	3.82	2.32
योग (1) और (5) वन के अन्तर्गत क्षेत्र		39.32	39.32	39.32	39.32	39.32
बागबानी क्षेत्र ..	लाख हेक्टर	6.37	8.60	8.72	8.84	9.42
शुद्ध काप्ड क्षेत्र ..	"	157.89	162.80	163.29	164.25	166.29
समग्र काप्ड क्षेत्र ..	"	216.54	222.98	227.01	231.51	242.63
कुल सिंचित क्षेत्र (समग्र)	"	65.32	74.90	81.62	88.33	101.66
(शुद्ध)	"	75.19	84.02	91.55	99.08	114.03
खाद्यान्न						
(1) खरीफ	..लाख हेक्टर					
कुल क्षेत्र ..	"	85.17	85.26	86.66	90.10	92.11
सिंचित क्षेत्र ..	"	10.66	12.34	14.13	16.28	19.21
उत्पादन ..	लाख मी०टन	55.87	62.27	73.17	70.00	77.68

मद	इकाई	उपलब्धियों का स्तर 1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	चौथी योजना 1969-74
1	2	3	4	5	6	7
(2) रबी	लाख हेक्टर	107.19	107.22	108.20	110.85	112.08
सिंचित क्षेत्र ..	,,	52.03	54.84	58.33	61.44	64.94
उत्पादन ..	लाख मी० टन	104.54	111.86	120.35	120.00	136.32
खाद्यान्न (योग)						
कुल क्षेत्र ..	लाख हेक्टर	192.36	192.48	194.86	200.95	204.19
सिंचित क्षेत्र ..	,,	62.69	67.18	72.46	77.72	84.15
उत्पादन ..	लाख मी० टन	160.41	174.13	193.52	190.00	214.00
वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्रफल						
(1) तिलहन						
(क) कुल क्षेत्र ..	लाख हेक्टर	6.68	6.86	7.38	7.52	8.26
(ख) सिंचित क्षेत्र	,,	0.38	0.40	0.43	0.45	0.48
(ग) उत्पादन ..	लाख मी० टन	14.67	16.31	16.04	18.00	19.00
(2) कपास						
(क) कुल क्षेत्र ..	लाख हेक्टर	0.48	0.51	0.60	0.68	0.80
(ख) सिंचित क्षेत्र	,,	0.43	0.42	0.43	0.60	0.68
(ग) उत्पादन ..	लाख गांठें	0.46	0.49	0.41	0.65	0.95
(3) गन्ना						
(क) कुल क्षेत्र ..	लाख हेक्टर	14.48	12.10	13.00	13.50	16.53
(ख) सिंचित क्षेत्र	,	8.48	9.35	10.30	11.20	15.04
(ग) उत्पादन (गुड़)	लाख मी० टन	51.08	60.88	50.40	64.00	65.75
(4) जूट ..						
(क) कुल क्षेत्र	लाख हेक्टर	0.19	0.21	0.23	0.24	0.26
(ख) सिंचित क्षेत्र	,,	—	—	—	—	—
(ग) उत्पादन ..	लाख गांठें	1.68	1.55	1.83	2.13	2.20

मद	इकाई	उपलब्धियों का स्तर 1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	चौथी योजना 1969-74
1	2	3	4	5	6	7
अधिक उत्पादन वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र						
(क) विदेशी						
मैक्सिकन गेहूं ..	लाख हेक्टर	13.58	16.40	19.38	22.00	23.85
ताईचुंग धान ..	,,	3.31	5.61	6.77	7.97	10.15
हाईब्रिड मक्का ..	,,	0.85	0.81	0.63	0.30	0.40
हाइब्रिड ज्वार ..	,,	0.09	0.07	0.01	0.07	0.08
हाईब्रिड बाजरा ..	,,	0.10	0.22	0.30	0.26	0.24
योग ..		17.93	23.11	27.09	30.60	34.72
(ख) उन्नतशील किस्मों का क्षेत्र (राजकीय अधिक उपज वाली किस्में)						
उ० प्र० धान ..	लाख हेक्टर	4.29	6.42	8.44	7.56	8.10
उ० प्र० मक्का ..	,,	2.91	4.54	5.86	5.81	6.08
उ० प्र० गेहूं ..	,,	11.59	11.99	12.42	12.73	14.18
योग, (ख)		18.79	22.95	26.72	26.10	28.36
योग, (क) व (ख)		36.72	46.06	53.81	56.70	63.08
अन्य उन्नतशील किस्में		94.32	89.56	86.40	86.40	90.83
उन्नतशील बीजों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र।		131.04	135.62	140.21	143.10	153.91
उन्नतशील किस्मों के बीजों का वितरण	लाख मी० टन					
(क) अधिक उत्पादन वाली किस्में	,,	0.94	0.73	0.86	1.00	1.38
(ख) उन्नतशील किस्में	,,	0.47	1.38	1.48	1.61	1.75
	योग ..	1.41	2.11	2.34	2.61	3.13

मद	इकाई	उपलब्धियों का स्तर 1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	चौथी योजना 1969-74
1	2	3	4	5	6	7
उर्वरकों का वितरण						
नत्रजन (N)	लाख मी० टन	2.20	3.06	2.91	4.10	5.50
फास्फेटिक (P_2O_5)	"	0.77	0.99	0.75	1.40	2.20
पोटाश (K_2O)	"	0.42	0.55	0.45	1.00	1.60
हरी खाद के अंतर्गत क्षेत्र	लाख हेक्टर	5.66	5.13	5.23	9.71	12.00
शहरी कम्पोस्ट (उत्पादन)।	लाख मी० टन	6.89	6.79	7.30	8.10	9.50
पौध सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र						
(1) खाद्यान्न	लाख हेक्टर	42.27	49.93	64.95	65.35	86.80
(2) वाणिज्यिक फसलें	"	3.37	3.73	4.50	5.25	6.75
(3) हार्टीकल्चर	"	1.05	1.37	1.60	1.90	2.45
योग ..		46.69	55.03	71.05	72.50	96.00
कृषि भूमि पर भूमि संरक्षण (अतिरिक्त)	लाख हेक्टर	1.46	2.38	2.42	2.26	10.80
(1) राम गंगा जलाशय के जलागम क्षेत्र में भूमि सरक्षण वृक्षारोपण एवं चरागाहों का विकास।	"	0.16	0.21	0.24	0.28	0.36
(2) रेवाइन्स का पुनर्वापण एवं रोपण।	"	0.21	0.26	0.31	0.36	0.46
जोतों की चकबन्दी		88.96	93.47	97.85	104.61	115.26
नियन्त्रित बाजारों की संख्या—		58	79	171	260	250
उपलब्ध संग्रहण क्षमता— उर्वरक						
(क) (कृषि विभाग)	लाख मी० टन	1.40	1.38	3.10	अप्राप्य	2.48

मद	इकाई	उपलब्धियों का स्तर 1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	चौथी योजना 1969-74
1	2	3	4	5	6	7
उपलब्ध संग्रहण क्षमता (क्रमशः)						
(सहकारिता विभाग)	लाख मी०टन	3.15	3.15	3.15	3.92	4.15
खाद्यान्न						
(ख) (सहकारिता विभाग)	लाख मी० टन	2.22	2.22	2.33	2.54	2.94
कृषि उद्योग निगम के माध्यम से उपकरणों का वितरण—						
पम्पसेट ..	संख्या	1,130	1,142	200	2,000	6,000
शक्ति चालित टिलर्स	"	..	..	..	..	..
ट्रैक्टर्स ..	"	599	1,691	1,000	10,000	30,000
पशुपालन—						
पशुपालन चिकित्सालय/डिस्पेन्सरियां	"	994	1,018	1,045	1,079	1,086
सघन पशु विकास खंड	"	4	5	6	6	6
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	"	616	634	663	684	727
चारों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र।	हेक्टेयर	14,252	11,350	11,250	11,520	11,935
प्रमुख ग्राम खंड ..	संख्या	76	76	76	76	76
पशु प्रजनन फार्म	संख्या	14	14	14	14	14
भेड़ प्रजनन फार्म	"	15	15	15	15	15
भेड़ और उन विस्तार केन्द्र।	"	84	86	89	91	95
ऊन वर्गीकरण केन्द्र	"	—	—	1	1	1
पशुजनित पदार्थों का निर्माण—						
(अ) दूध की वस्तुयें	लाख कुंतल	520.3	532.5	545.0	557.9	584.4
(ब) गोश्त ..	लाख कुल	122.55	126.83	131.27	135.85	145.50
(स) ऊन	लाख कि०ग्रा०	2,096	2,140	2,185	2,230	2,324

मद	इकाई	उपलब्धियों का स्तर 1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	चौथी योजना 1969-74
1	2	3	4	5	6	7
राजकीय कुक्कुट फार्म	संख्या	45	45	46	46	46
सहकारी कुक्कुट फार्म	,,	264	264	264	265	269
कुक्कुट पालने वाले कृषकों का प्रशिक्षण—						
अल्पकालीन कोर्स	संख्या	2,795	2,060	2,300	1,940	9,800
दीर्घकालीन कोर्स . .	,,	80	80	80	80	400
सघन अंडा एवं कुक्कुट तथा मार्केटिंग	,,	—	—	—	—	—
मत्स्य—						
नावों का मशीनीकरण—						
कोल्ड स्टोरेज . .	संख्या			अप्राप्य		
सहकारी क्रय-विक्रय समितियां	,,			अप्राप्य		
बन्दरगाहों पर लेइंग और बेदिंग सुविधा	,,			अप्राप्य		
(अ) बड़े बन्दरगाह	,,			अप्राप्य		
(ब) छोटे बन्दरगाह				अप्राप्य		
मछुवे सहकारी समितियों को ऋण	लाख रुपये	—	—	0.20	0.20	1.10
अंगुलिकाओं का वितरण	लाख (संख्या)	40.17	42.27	43	44	215
मछली बीज फार्म . .	संख्या	93	97	101	106	109
मछली उत्पादन—						
देशी . .	लाख मी० टन	1.20	1.25	1.48	1.58	7.8
समुद्रीय . .	,,	—	—	अप्राप्य	—	—

2—सहकारिता

प्राथमिक सहकारी समितियां (कृषि ऋण)						
बायबिल समितियों की संख्या	संख्या	1,392	1,914	2,414	3,414	3,914
सदस्यता . .	संख्या लाख में	55.61	58.44	61.94	65.44	72.44

मद	इकाई	उपलब्धियों का स्तर 1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	चौथी योजना 1969-74
1	2	3	4	5	6	7
सदस्यों की हिस्सा पूंजी	करोड़ रुपयों में	16.21	17.90	18.97	20.08	22.40
सदस्यों का डिपाजिट	"	4.62	5.09	5.59	6.09	7.09
कृषि ऋण--						
(क) वर्ष के दौरान लघु तथा मध्य कालीन ऋण	करोड़ रुपयों में	52.27	64.41	66.00	71.00	85.00
वर्ष के अन्त में बाकी ऋण	"	69.89	73.34	(कार्यक्रम नहीं रखा गया)		
(ख) वर्ष के दौरान दीर्घकालीन ऋण	"	14.19	17.54	20.00	20.00	100.00 (पांच साल का योग)
वर्ष के अन्त में बाकी ऋण	"	37.24	52.23	(कार्यक्रम नहीं रखा गया)		
प्राथमिक क्रय-विक्रय समितियां	"	203	203	203	206	210
वर्ष के दौरान व्यापार की रकम	"	17.23	19.00	22.75	25.00	31.50
विधायन इकाइयां	संख्या	101	95	93	95	99
(ख) व्यापार की रकम	लाख रुपयों में	112.83	74.05	(कार्यक्रम नहीं रखा गया)		

3--सिंचाई

1--लघु सिंचाई--						
(1) निजी लघु सिंचाई---	000					
सिंचाई क्षमता ..	हेक्टेयर	3,537	3,896	4,283	4,618	4,961
(2) राज्य लघु सिंचाई ---						
(क) सिंचन क्षमता		1,819	1,919	2,013	2,154	2,373
(ख) उपयोग ..		1,657	1,711	1,845	1,947	2,147
2--वृहत् एवं मध्यम सिंचाई--सिंचाई के अन्तर्गत अनुमानित क्षेत्र---						
(क) क्षमता ..	000 हेक्टेयर	3,607	3,683	3,762	3,905	4,619
(ख) उपयोग		3,521	3,561	3,624	3,713	4,147

मद	इकाई	उपलब्धियों का स्तर 1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	चौथी योजना 1969-74
1	2	3	4	5	6	7
4—विद्युत्						
(1) अधिष्ठापित क्षमता (शुद्ध)	मेगावाट	1310.04	1368.02	1434.02	1727.02	2479.49
(2) उत्पादित विद्युत् शक्ति	लाख किलोवाट घंटे	53100	58860	64130	70800	101300
(3) विद्युत् विक्रय	"	43,480	47,520	51,600	57,300	87,900
ग्रामीण विद्युतीकरण—						
(क) ग्रामों का विद्युतीकरण	संख्या	12,711	15,934	18,961	20,961	24,711
(ख) निजी नलकूपों तथा पम्प सेटों का विद्युतीकरण—	"	65,513	91,977	1,16,621	1,66,621	2,65,513
(1) सामान्य कार्य-क्रम		58,049	79,221	94,455	1,14,455	1,58,049
(2) जमा योजना/ वाणिज्य योजना	"	7,464	12,756	22,166	52,166	1,07,464
5—परिवहन						
1—सड़कें						
1—राज्य मार्ग—						
(अ) समतल सड़कें	कि०मी०	7,446	7,446	7,446	7,446	7,496
(ब) असमतल सड़कें	तदेव	56	56	56	56	6
योग ..		7,502	7,502	7,502	7,502	7,502
2—जिले की मुख्य सड़कें, जिले की अन्य सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें—						
(अ) समतल सड़कें	कि० मी०	21,767	22,061	22,384	22,718*	24,409
(ब) असमतल सड़कें	तदेव	37,107	37,107	37,107	37,107	37,107
योग ..		58,874	59,168	59,491	59,825	61,516

*उसमें आयोजनेतर परियोजनाओं के लक्ष्य भी शामिल हैं।

मद	इकाई	उपलब्धियों का स्तर 1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	चौथी योजना 1969-74
1	2	3	4	5	6	7
3—सड़कों का योग						
(अ) समतल ..	कि. मी.	29,213	29,507	29,830	30,164*	31,905
(ब) असमतल	तदेव	37,163	37,163	37,163	37,163	37,113
योग ..		66,376	66,670	66,993	67,327	69,018
4—ग्राम जो सड़कों से वंचित हैं।	संख्या	उपलब्ध नहीं है।				
5—राज्य ट्रांसपोर्ट अन्डर टेकिंग/निगम द्वारा खरीदी हुई गाड़ियां						
(अ) ट्रक† ..	संख्या	525	525	525	525	525
(ब) बस ..	”	3,821	3,963	4,073	4,193	4,316
(स) टैक्सी† ..	”	111	111	111	111	111
(घ) अन्य-वातानुकूलित कोच	”	(बसों में शामिल हैं)				
6—सामान्य शिक्षा						
(I) कक्षा I-V .. 6-11 आयुवर्ग में आबादी का प्रतिशत—	लाख में	99.35	103.00	107.18	112.34	116.33
(अ) बालक ..	प्रतिशत	100	100	100	100	100
(ब) बालिकायें	”	65	65	67	71	71
योग ..		85	86	87	89	85
(II) कक्षा VI-VIII छात्र संख्या		17.27	18.08	18.62	19.37	21.60
छात्र सख्या का आयु वर्ग 11-14 में आबादी का (लाख में) प्रतिशत—						
(अ) बालक ..	प्रतिशत	43.6	43.4	42.7	43.2	45.9
(ब) बालिकायें ..	”	10.9	11.4	11.6	12.0	13.4
योग ..		27.9	28.1	27.8	28.3	30.3

*इसमें आयोजनेतर परियोजनाओं के लक्ष्य भी शामिल हैं।

†आयोजनागत परियोजनाओं के अन्तगत ट्रक तथा टैक्सी को क्रय करने का प्रस्ताव नहीं।

मद	इकाई	उपलब्धियों का स्तर 1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	चौथी योजना 1969-74
1	2	3	4	5	6	7
(iii) कक्षा ix-xii						
छात्र संख्या ..	लाख में	9.53	10.13	10.73	11.33	12.53
छात्र संख्या का आयुवर्ग 14-18 में आबादी का प्रतिशत ।						
(ब) बालक ..	प्रतिशत	21.1	21.6	22.1	22.2	22.3
(ब) बालिकाएं	"	4.6	5.0	5.4	5.7	6.3
	योग ..	13.1	13.6	14.0	14.2	14.7
(iv) प्रति 10,000 की जनसंख्या में 10वीं कक्षा पास उच्चतर माध्यमिक कक्षा पास व्यक्तियों की संख्या--						
(अ) बालक ..	प्रतिशत	32	35	37	38	47
(ब) बालिकाएं	"	9	9	11	12	13
	योग ..	21	23	24	25	30
(v) विश्वविद्यालय तथा कालेज के विद्यार्थियों का योग विद्यार्थी कुल—						
(कला, विज्ञान और वाणिज्य)	लाख में	1.26	1.34	1.42	1.50	1.66
केवल विज्ञान ..	"	0.42	0.44	0.46	0.48	0.52
(vi) अध्यापक—						
प्रारम्भिक स्कूलों में	संख्या	2,47,843	2,63,551	2,70,977	2,84,558	3,10,712
प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत		77	78	81	83	86
माध्यमिक स्कूलों में	संख्या	42,730	44,730	46,730	48,730	52,730
प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत		85	85	88	90	96
इंजीनियरिंग कालेज—						
(क) संस्थाओं की संख्या	संख्या	7	7	7	7	7

मद	इकाई	उपलब्धियों का स्तर 1968–69	1969–70	1970–71	1971–72	चौथी योजना 1969–74
(ख) स्वीकृत वार्षिक प्रवेश की क्षमता।	संख्या	930	980	980	980	1565
(ग) उत्तीर्ण ..	,,	849	827	1358	790	1260
डिप्लोमा संस्थायें—						
(क) संस्थाओं की संख्या	,,	34	34	34	34	34
(ख) स्वीकृत वार्षिक प्रवेश	,,	5,750	5,530	5,530	5,990	6,550
(ग) उत्तीर्ण ..	,,	2,802	3,798	3,400	3,300	3,500
		7—स्वास्थ्य				
अस्पताल—						
(क) शहरी ..	,,	938	941	944	947	957
(ख) ग्रामीण ..	,,	2,119	2,136	2,158	2,190	2,254
शय्यायें—						
(क) शहरी अस्पताल	,,	26,761	27,340	28,019	28,219	33,390
(ख) ग्रामीण अस्पताल	,,	5,981	6,055	6,233	6,631	6,847
प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र—						
(क) मुख्य केन्द्र	,,	875	875	875	875	875
(ख) उप केन्द्र ..	,,	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625
उपचारिकाओं का प्रशिक्षण—						
संस्थायें ..	,,	11	11	11	11	12
वार्षिक भर्ती ..	,,	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084
आक्जीलरी नर्स एवं दाईयों का प्रशिक्षण—						
संस्थाय ..	,,	17	31	31	31	31
वार्षिक भर्ती ..	,,	650	1,350	1,400	1,400	1,400
वार्षिक निकासी	,,	133	206	600	600	800
छूत की बीमारियों का नियंत्रण—						
क्षय रोग का अस्पताल	,,	22	25	31	38	58
कुष्ट नियंत्रण इकाइयां	,,	14	16	17	21	24
वी०डी० क्लीनिक्स	,,	10	12	14	16	20

मद	इकाई	उपलब्धियों का स्तर 1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	चौथी योजना 1969-74
1	2	3	4	5	6	7
फाइलेरिया इकाइयां		10	10	12	12	12
एस०ई०टी०इकाइयों		55	65	65	80	105
मातृत्व एवं शिशु कल्याण केन्द्र।	संख्या	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550
चिकित्सक शिक्षा—						
मेडिकल कालेज	"	8	8	8	8	9
वार्षिक भर्ती ..	"	874	874	874	874	974
वार्षिक निकासी	"	502	502	594	690	690
		8— जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता				
(क) शहरी						
महानगरी शहर						
सुरक्षित जल सम्पूर्ति की वृद्धि।		150	154	164	174	185
जनसंख्या पूरी की गई		3,056	3,056	3,056	3,056	3,056
अन्य शहर						
शहर पूरे किये गये		139	141	144	148	159
जनसंख्या पूरी की गई		5,191	5,207	5,228	5,264	5,459
(ख) ग्रामीण—						
नल द्वारा जल सम्पूर्ति						
जल सम्पूर्ति के गांव		2,837	2,935	3,038	3,521	4,111
जनसंख्या पूरी की गई		1,402	1,436	1,493	1,707	1,889
साधारण कुयें—						
गांव पूरे किय गये		..	.		..	..
जनसंख्या पूरी की गई		..	..	..	..	..
शहरी मलोत्सारण						
(क) मलोत्सारण योजनाओं का विस्तार।	सं०	26	28	30	33	40
(ख) जनसंख्या पूरी की गई।	सं०	4,275	4,333	4,963	5,208	5,572
		9—आवास				
औद्योगिक ..	आवासों की संख्या	544	486	584	1120	5440

मद	इकाई	उपलब्धियों का स्तर 1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	चौथी योजना 1969-74
1	2	3	4	5	6	7
मलिन बस्ती निष्कासन	संख्या	12	108	—	188	720
मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण।	,,	111	15	33	400	1600
अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण	,,	—	31	160	160	800
		10—शिल्पकार प्रशिक्षण				
संस्थायें—						
(क) वर्तमान ..		48	48	48	48	48
(ख) नई ..		—	2	2	3	3
भर्ती निकासी } वर्तमान		22,580	10,914	21,100	11,192	65,120
भर्ती निकासी } नई ..		—	—	—	—	—
		11—पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण				
(1) टी०डी० ब्लाक्स-	संख्या	—	—	—	—	—
(2) वर्गवार प्रशिक्षण स्टाक।	,,	—	—	—	—	—
(3) पोस्ट मैट्रिक छात्र-वृत्तियां।	,,	—	—	—	—	—
(क) सामान्य कोर्स						
(I) अनुसूचित जन जातियां		—	264*	280*	167	1852
(II) अनुसूचित जातियां		22,000*	28,314*	30,000*	1,615	1,34,000
(ख) प्राविधिक एवं पेशेवार कोर्स	000 संख्या					
(I) अनुसूचित जन जातियां		—	64*	70*	33	926
(II) अनुसूचित जातियां।		10,000*	11,000*	12,000*	807	66,000
(4) छात्राओं के लिये छात्रावास,	संख्या	—	3	4	..	10

*आयोजनेतर मद के आंकड़े भी सम्मिलित है।

मद	इकाई	उपलब्धियों का स्तर 1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	चौथी योजना 1969-74
1	2	3	4	5	6	7
		12-लघु उद्योग				
प्रौद्योगिक आस्थान		68	68	70	70	70
		13-सूचना एवं प्रसार				
(क) (1)	जिला जहां सूचना एवं प्रचार कार्यालय हैं।	3	3	3	3	3
(2)	जिले जहां सूचना एवं प्रचार कार्यालय नहीं हैं।	51	51	51	51	51
(ख) (3)	क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों की संख्या	3	3	3	3	3
(4)	प्रचार इकाइयों से ताल्लुक उप क्षेत्र पूरे किये गये	*12	*12	*12	*12	*12
(5)	प्रचार इकाइयों से ताल्लुक उप क्षेत्र पूरे किये गये	†	†	†	†	†

* उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ की तहसीलें।
† चमोली की सभी तहसीलों को छोड़कर।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,SriAurbindo Marg, NewDelhi-110016
DCC. No..............................
Date..............................

स० यू० पी०—ए० पी०—63 जनरल (प्लान)—1971—1,500।

National Staff College for Educational Planning and Administration
Date......